# भारतीय प्रेस परिषद्

निर्णयों का सार–संग्रह
(1 अप्रैल, 2011 – 31 मार्च, 2012)

नई दिल्ली

मुद्रक : बंगाल ऑफसेट वर्क्स, 335, खजूर रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110 005

# विषय सूची


| क्र. सं. | | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| | प्रस्तावना | |
| 1. | 1 अप्रैल, 2011 – 31 मार्च, 2012 के परिषद् के निर्णयों की सूची | 1 |
| 2. | परिषद् के निर्णय | 11 |

# प्रस्तावना

हालांकि प्रेस की स्वतंत्रता एक ऐसा अधिकार है, जिसे हर हालत मे बनाए रखा जाना है, लेकिन इस अधिकार के समर्थन में सबसे सशक्त तर्क यह है कि विचारों से प्रभावित और संबद्ध हुए बिना तथ्यों की सूचना देकर और सभी पूर्वाग्रहों और पूर्वधारणाओं से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों के साथ यह अधिकार संतुलित हो। प्रेस परिषद् के लिए इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने का अति प्रभावी साधन है उसके समक्ष प्रस्तुत की गई शिकायतों पर न्यायनिर्णय देना।

अपने न्यायनिर्णयों और अन्य उद्घोषणाओं के आधार पर परिषद् ने नैतिक ईमानदारी से पत्रकारों का नेतृत्व और मार्गदर्शन करने के लिए पत्रकारिता आचार संहिता तैयार की है। हालांकि यह संहिता प्रिंट मीडिया से संबंधित मामलों के कारण तैयार की गई हैं, तथापि इस प्रक्रिया से विकसित मूल सिद्धांत प्रसारण मीडिया के लिए भी समान रूप से सुसंगत हैं।

वर्ष 2011–2012 में दिये गये परिषद् के न्यायनिर्णय व्यापक रूप से इस सार संग्रह मे दिये गये हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि पाठकों को वे बहुत सुसंगत और रूचिकर लगेंगे।

**मार्कण्डेय काटजू**
**अध्यक्ष**
**भारतीय प्रेस परिषद्**

# 1 अप्रैल, 2011 – 31 मार्च, 2012 के परिषद् के न्याय निर्णयों की सूची

| क्र. सं. | पक्ष | निर्णय की तिथि |
|---|---|---|
| | **समाचारकर्मियों का उत्पीड़न** | |
| 1. | श्री सतीश भाटिया, जिला संवाददाता, राष्ट्रीय सहारा, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश की सामाजिक तत्वों और स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों के विरूद्ध शिकायत। | 17 नवम्बर, 2011 |
| 2. | श्री अवदेश सिंह पटेल, संवाद्दाता, अमर उजाला, बांदा, उत्तर प्रदेश की पुलिस प्राधिकारियों के विरूद्ध शिकायत। | ” |
| 3. | महा सचिव, यू.टी. पत्रकार संघ, दमन और प्रबंध संपादक, सवेरा इंडिया टाइम्स, ननी दमन की पुलिस प्राधिकारियों के विरूद्ध शिकायत। | ” |
| 4. | श्री अनुराग श्रीवास्तव, संवाद्दाता, स्वतंत्र भारत, कानपुर, उत्तर प्रदेश की थाना प्रभारी, जालौन, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत। | ” |
| 5. | श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, मालिक/प्रकाशक/संपादक, साप्ताहिक अमर तानव, हाथरस, जिला महामाया नगर, उत्तर प्रदेश की श्री एस.आर. आदित्य, पुलिस अधीक्षक और सर्व/श्री बी.पी. सिंह, एस.पी. सिंह, जिला समाज कल्याण विभाग और श्री नारायण लाल, एजेंट, जिला समाज कल्याण विभाग के विरूद्ध शिकायत। | ” |
| 6. | श्री कमलेश कुमार झा, संवाद्दाता, दैनिक जागरण, समस्तीपुर, बिहार की श्री महेश्वर हजारी, विधायक, बिहार के विरूद्ध शिकायत। | 27 मार्च, 2012 |
| 7. | श्री राम सिंह गौतम, संवाद्दाता, मानवता की रक्षा, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश की श्री नवीन मित्तल, अधिवक्ता, बुलंदशहर के विरूद्ध शिकायत। | ” |
| 8. | श्री मुकेश ठाकुर, संपादक, अग्नि ब्लास्ट मासिक पत्रिका, इंदौर, मध्य प्रदेश की (i) श्री उमा शंकर गुप्ता, राज्य गृह मंत्री, मध्य प्रदेश, भोपाल (ii) एस.एस.पी., इंदौर (iii) आईपीएंडआरडी आयुक्त, भोपाल, मध्य प्रदेश के विरूद्ध शिकायत। | ” |

| क्र. सं. | पक्ष | निर्णय की तिथि |
|---|---|---|
| 9. | श्री अशोक सिंघल, प्रकाशक/संपादक, धौलपुर तीक्ष्ण, धौलपुर, राजस्थान की जिला प्रशासन, धौलपुर, राजस्थान के विरूद्ध शिकायत। | 27 मार्च, 2012 |
| 10. | श्री बी.एन. देवदास, अधिवक्ता कोयम्बतूर, तमिलनाडु की उप शहरी आयुक्त, चेन्नई के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 11. | श्री के. नागईमुगन, चेन्नई, तमिलनाडु की पुलिस प्राधिकरण के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 12. | 'हिंदुस्तान टाइम्स' 'दी हिन्दू' और 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के दिनांक 3.3.2010 के अंकों में प्रकाशित 'कन्नड़ प्रभा' और 'जयकिरण' के कार्यलयों में कथित हमले पर मूल कार्रवाई। | ,, |
| | **प्रेस को सुविधायें** | |
| 13. | श्रीमती नजमा बेगम, प्रकाशक/संपादक, दैनिक हिंदी एक्शन, भोपाल, मध्य प्रदेश की डी.ए.वी.पी. के विरूद्ध शिकायत। | 17 नवम्बर, 2011 |
| 14. | श्री हरजीत दुआ, फ्रीलांसर, दिल्ली की सूचना और जनसंपर्क निदेशालय, एनसीटी, दिल्ली सरकार के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 15. | श्री यू.एस. सिंघल, संपादक (पी जी) पब्लिक न्यूज (ज्वलंत मुद्दों पर राष्ट्रीय समाचारपत्र) पीतमपुरा, नई दिल्ली की सुश्री सुषमा गौड़, वरिष्ठ जन संपर्क अधिकारी, डीएमआरसी, दिल्ली के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 16. | श्री अमर सिंह जौहरी, संपादक, आखिरी कोशिश, पानीपत, हरियाणा की निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ और मुख्य निवार्चन अधिकारी, हरियाणा चंडीगढ़ के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 17. | श्री कमल बक्शी, संपादक/प्रकाशक, दिव्य प्रभात, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश की (i) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ (ii) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और (iii) जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के विरूद्ध शिकायत। | 27 मार्च, 2012 |

| क्र. सं. | पक्ष | निर्णय की तिथि |
|---|---|---|
| 18. | श्री रामचरण माली, संपादक, वनवासी एक्सप्रेस, बारन, राजस्थान की निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के विरूद्ध शिकायत। | 27 मार्च, 2012 |
| 19. | श्री अनुराग शुक्ला, पत्रकार, सत्ता एक्सप्रेस, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश की निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 20. | श्री विनय गुप्ता, मुख्य सचिव, इंडियन न्यूजपेपर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन, पीतमपुरा, नई दिल्ली की निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, चंडीगढ़, हरियाणा के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 21. | श्री मदन वर्मा, संपादक, गुड हरियाणा, जींद, हरियाणा की निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, चंढीगढ और सांस्कृतिक कार्य विभाग, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 22. | मो0 अब्दुल अज़ीम स्वच्छंद पत्रकार, हैदराबाद की निदेशक, जनसंपर्क अधिकारी, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद आंध्र प्रदेश के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 23. | श्री पी.वी. रमन राव, संवाद्दाता, पीटीआई, गंतूर, आंध्र प्रदेश की जिला जन संपर्क अधिकारी, गंतूर के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| | **सिद्धांत और प्रकाशन** | |
| 24. | श्री अमर कुमार सिंह, मुख्य अंग्रेजी विभाग, एसकेएम विश्वविद्यालय, दुमका, झारखंड की संपादक, प्रभात खबर के विरूद्ध शिकायत। | 17 नवम्बर, 2011 |
| 25. | श्री नवदीप सिंह विर्क, आईपीएस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सोनीपत, हरियाणा की संपादक, अमर उजाला, नोयडा, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 26. | श्री शिव कुमार फैजाबादी, सचिव, जागरूक नागरिक मंच, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश की संपादक, माया अवध, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत। | ,, |

| क्र. सं. | पक्ष | निर्णय की तिथि |
|---|---|---|
| 27. | श्री अशोक कोमार, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भोपाल, मध्य प्रदेश की रेजीडेंट संपादक, दी हिन्दुस्तान टाइम्स, भोपाल, मध्य प्रदेश के विरूद्ध शिकायत। | 17 नवम्बर, 2011 |
| 28. | श्री एम. के. बनिवाल, नई दिल्ली की संपादक (i) दी हिंदु, चेन्नै (ii) हिन्दुस्तान, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 29. | श्री एन.बी. मणि, अवर सचिव, टेक्नॉलोजी विभाग बोर्ड, साइंस और टेक्नॉलोजी मंत्रालय, नई दिल्ली की संपादक, राष्ट्रीय सहारा, देहरादून के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 30. | श्री चन्द्र भूषण शर्मा, प्रधानाचार्य, एस.एस. कॉलेज, शास्त्री नगर, जहानाबाद बिहार की संपादक, राष्ट्रीय सहारा, पटना के विरूद्ध शिकायत। | 27 मार्च, 2012 |
| 31. | श्री वी.एम. बेदसे, नासिक, महाराष्ट्र की संपादक, (i) लोकसत्ता, मुंबई (ii) सकल, पुणे (iii) महाराष्ट्र टाइम्स, मुंबई के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 32. | डॉ0 जोरा सिंह, अध्यक्ष, देश भगत ग्रुप ऑफ इंस्ट्यूट, चंडीगढ़ की संपादक, टाइम्स ऑफ इंडिया, चंडीगढ़ के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 33. | श्री नंगसैंगलेम्बा एओ, जनसंपर्क निदेशालय, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली की संपादक, दैनिक भास्कर, जोधपुर, राजस्थन के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 34. | श्री एस.वी. मनी, पत्रकार, लेखक/चेन्नई की संपादक, दि टाइम्स ऑफ इंडिया, बेंगलूरू के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 35. | श्री एस.वी. मनी, पत्रकार, लेखक/चेन्नई की संपादक, दि टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 36. | श्री आर. मनोहर, हैड प्रोग्राम्स, मानवाधिकार शिक्षा एवं मॉनीटरिंग, दक्षिण भारत सैल (प्रकोष्ठ), बेंगलूरू की संपादक (i) टाइम्स ऑफ इंडिया (ii) डेक्कन क्रॉनिकल, बेंगलूरू के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 37. | चौधरी वी. सूर्यनारायन, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश की संपादक, दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस, हैदराबाद के विरूद्ध शिकायत। | ,, |

| क्र. सं. | पक्ष | निर्णय की तिथि |
|---|---|---|
| | **प्रेस और मानहानि** | |
| 38. | श्री अनिल कुमार कमल, बिजनौर, उत्तर प्रदेश की संपादक (i) बिजनौर टाइम्स, (ii) चिंगारी, (iii) शाह टाइम्स और (iv) रॉयल बुलेटिन, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत। | 17 नवम्बर, 2011 |
| 39. | श्री ए.टी.एम. रंगरामानुजम, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली की संपादक (i) आंध्र ज्योति, (ii) साक्षी, आंध्र प्रदेश के विरुद्ध शिकायत। | ” |
| 40. | श्री डी.एन. नागेन्द्र जायस, शिमोगा, कर्नाटक की सम्पादक, लक्ष्मीशा पत्रिके के विरुद्ध शिकायत। | ” |
| 41. | डॉ. पदमजा जयराम, अनुराधा नर्सिंग होम, शिमोगा जिला, कर्नाटक की संपादक, लक्ष्मीशा पत्रिके, कन्नड़ साप्तहिक, के विरुद्ध शिकायत। | ” |
| 42. | श्री अशोक नाथ, सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता की संपादक (i) आनंद बाजार पत्रिका और (ii) दि टेलीग्राफ, कोलकाता के विरुद्ध शिकायत। | ” |
| 43. | एडमिरल अरुण प्रकाश (सेवा निवृत्त) गोवा की संपादक, आउटलुक पत्रिका, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत। | ” |
| 44. | सुश्री रीता सेन, प्रिंसिपल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली की संपादक, दि इक्नॉमिक टाइम्स, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत। | ” |
| 45. | श्री देवी राम, रोहतक, हरियाणा की संपादक, दैनिक जागरण, रोहतक, हरियाणा के विरुद्ध शिकायत। | ” |
| 46. | सचिव, राजधानी नगर सहकारी बैंक लि. लखनऊ, उत्तर प्रदेश (एडवोकेट श्री आशुतोष पांडे के जरिये) की संपादक, लोक दृष्टि, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत। | ” |
| 47. | श्री आर.पी. मिश्रा, लेखा अधिकारी, यू.पी. जगतगुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट धाम और सुश्री रंजना अग्निहोत्री, एडवोकेट, उच्च न्यायालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की संपादक, प्रखर विचार/प्रखर आस्था, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत । | ” |

| क्र. सं. | पक्ष | निर्णय की तिथि |
|---|---|---|
| 48. | श्री उपेन्द्र कुमार अग्रवाल, आईपीएस, पुलिस अधीक्षक, रेलवे, की संपादक, आज, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत। | 17 नवम्बर, 2011 |
| 49. | श्री जगदीश प्रसाद, कानपुर, उत्तर प्रदेश की संपादक, अमर उजाला, कानपुर, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत। | ” |
| 50. | श्री रियाज अहमद खा, जिला अध्यक्ष, कांग्रेस समिति की संपादक, दैनिक जागरण, कानपुर, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत। | ” |
| 51. | डॉ. विनोद कुमार राय, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, आर. आर. मेमोरियल सर्जिकल सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश की संपादक, नामांतर, हिंदी मासिक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत। | ” |
| 52. | मौ. अमीर रशदी मदानी, नजीम, जमायत–उर–रशद मदरसा, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश की संपादक, आज, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत। | ” |
| 53. | मौहम्मद मोतिन खान, अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट–II, सरस्वाती, उत्तर प्रदेश की संपादक, दैनिक हिन्दुस्तान के विरूद्ध शिकायत। | ” |
| 54. | श्री ब्रह्म कुमार त्रिमूर्ति प्रबंधक, खादी कर्मचारी/श्रमिक कल्याण समिति, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश की संपादक, जनमोर्चा, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत। | ” |
| 55. | श्री सुमन डागर, अध्यक्ष, श्री दिगंबर जैन पंचायत मंदिर, बियावर, राजस्थान की संपादक, डिक्टेटर, बियावर, राजस्थान के विरूद्ध शिकायत। | ” |
| 56. | श्री पी.पी. कपूर, हरियाणा राज्य संयोजक, श्रमिक संघ, जिला पानीपत, हरियाणा की संपादक, दैनिक भास्कर, पानीपत हरियाणा के विरूद्ध शिकायत। | ” |
| 57. | श्री आर.डी. राही, कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, हरदोई की संपादक, दैनिक आज के विरूद्ध शिकायत। | ” |

| क्र. सं. | पक्ष | निर्णय की तिथि |
|---|---|---|
| 58. | श्री सत्येन्द्र वीर सिंह, पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश की संपादक, दैनिक जागरण, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत। | 17 नवम्बर, 2011 |
| 59. | श्री जी.एन.के. तोमर, मुख्य महानिदेशक, आल इंडिया बैंक रिकवर रैपिड एक्शन फोर्स, नोएडा की संपादकों, दैनिक जागरण और अमर उजाला, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 60. | श्री संदीप कुमार वर्मा, मुख्य रेल टिकट परीक्षक, हरिद्वार रेलवे स्टेशन, हरिद्वार, उत्तराखण्ड की संपादक, दैनिक जागरण, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 61. | डॉ. राम शर्मा, प्राध्यापक, मेरठ कैंट, उत्तर प्रदेश की संपादक, अमर उजाला, मेरठ कैंट, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 62. | श्री अभिराम दास, बालासोर, उड़ीसा की संपादक, ओडिसा खबर, बालासोर, उड़ीसा के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 63. | श्री विनोद कुमार शर्मा, उपाधीक्षक, शिक्षा–सह–प्रादेशिक शिक्षा अधिकारी, बनीपुर, दरभंगा, बिहार की संपादक, हिन्दुस्तान, मुजफ्फरनगर, बिहार के विरूद्ध शिकायत। | 27 मार्च, 2012 |
| 64. | श्री एस. कामराजू, तालूक और जिला परमबलूर, तमिलनाडु की संपादक, विलमूरासू मासिक पत्रिका, चेन्नई तमिलनाडु के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 65. | कुमारी नीलम गुप्ता, अलीगढ़ की संपादक (i) अकिचन भारत (ii) दैनिक हिन्दुस्तान के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 66. | श्री एम.एस. बिट्टा, अध्यक्ष, ऑल इंडिया एंटी टैररिस्ट फ्रंट, नई दिल्ली की श्री विरेश शांडिल्य, मुख्य संपादक, दैनिक ज्योतिकन, अंबाला के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 67. | श्री ओम प्रकाश, अवर सचिव, भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, फार्मेस्यूटिकल्स, नेशनल फार्मोस्यूटिकल प्राइज़िग अथॉरिटी विभाग, नई दिल्ली की संपादक, मैडिकेयर न्यूज, पाक्षिक रोहतक, हरियाणा के विरूद्ध शिकायत। | ,, |

| क्र. सं. | पक्ष | निर्णय की तिथि |
|---|---|---|
| 68. | श्री लक्ष्मी वरधन शर्मा, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश की संपादक, अमर उजाला, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत। | 27 मार्च, 2012 |
| 69. | श्री नवीन एच. पंडया, मलाद ईस्ट, मुंबई की संपादक, दि इकनॉमिक टाइम्स, मुंबई के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 70. | श्री देओराज सिंह पटेल, संसद सदस्य (लोक सभा) की संपादक, प्रजा ताज, रीवा, मध्य प्रदेश के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 71. | श्री निलोतपाल बासू, सदस्य, कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली की संपादक, इकोनामिक्स टाइम्स, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 72. | श्री दिवान सिंह, निर्वाचन एजेंट, भिवानी, हरियाणा की संपादक, अभी–अभी, हिसार, हरियाणा के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 73. | श्री जगदीश वर्मा, निजी सचिव शिक्षा मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार, जिला शिमला की संपादक, दैनिक भास्कर, शिमला, हिमाचल प्रदेश के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 74. | श्री अनिल डावरा, आईपीएस, अपर महानिदेशक पुलिस, (सीआईडी) चंडीगढ़ की संपादक, टाइम्स ऑफ इंडिया, चंडीगढ़ के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 75. | श्री आर. सतशिवम, मदुरई, तमिलनाडु की संपादक, दिनामलार, मदुरई, तमिलनाडु के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 76. | श्रीमति के. जयलक्ष्मी, जिला – करूर, तमिलनाडु की संपादक, कुमुदम रिपोटर पत्रिका, चेन्नई के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 77. | श्री एच.एन. कृष्णामूर्ति, टूडकी गाँव, शिमोगा, कर्नाटक की संपादक, वारादी शिमोगा, कर्नाटक के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 78. | श्री एच.एम. महाबाला भट्ट, थिरथहल्ली, शिमोगा जिला कर्नाटक की संपादक, विधाता, थिरथहल्ली, जिला शिमोगा, कर्नाटक के विरूद्ध शिकायत। | ,, |

| क्र. सं. | पक्ष | निर्णय की तिथि |
|---|---|---|
| 79. | श्री एम. जी. यथिश, महा सचिव, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टेक्निकल अधिकारी एसोसिएशन (रजि.) बेंगलूरू, की संपादक, परिसर मालिन्य, बेंगलूरू, कर्नाटक के विरूद्ध शिकायत। | 27 मार्च, 2012 |
| 80. | श्री एम. लक्ष्मण, संयोजक, एसोसिएशन ऑफ कन्सर्ड एडं इन्फॉर्म्ड सिटीज़न्स ऑफ मैसूर की संपादक, श्रीनाथ पत्रिका, कन्नड पाक्षिक मैसूर के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 81. | श्री अब्दुल कलाम आजाद, राष्ट्रीय गोल्ड पैलेस, शिमोगा जिला, कर्नाटक की संपादक, लक्ष्मीशा पत्रिके, कन्नड साप्ताहिक, कर्नाटक के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 82. | डॉ0 जी.एन. शिवन्ना रेड्डी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी और एफ.डब्ल्यू अधिकारी, करवर, (उत्तरा कन्नड) कर्नाटक की संपादक, करावली मुनजावू, करवर, कर्नाटक के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 83. | श्री नित्यानंद ध्यानापीतम, बेंगलूरू की संपादक, (i) दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस, बेंगलूरू, (ii) मिड डे, बेंगलूरू (iii) डेक्कन हेराल्ड, बेंगलूरू, कर्नाटक (iv) "डीएनए" बंगलौर (v) दैनिक जागरण, कानपुर, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 84. | श्री के. सुधाकर, जिला पंचायत अधिकारी काकिनाडा, आंध्र प्रदेश की संपादक, वाराधी दैनिक, काकिनाडा, आंध्र प्रदेश के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 85. | डॉ0 पी. सुब्बा रेड्डी, तिरूपति, आंध्र प्रदेश की संपादक (i) इनाडु (ii) साक्षी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| 86. | श्री कृष्णा राव पात्र, रेड्डी ससी भास्कर, जिला श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश की संपादक (i) आंध्र भूमि (ii) आंध्र ज्योति (iv) साक्षी, विशाखापटनम के विरूद्ध शिकायत। | ,, |
| | **प्रेस और नैतिकता** | |
| 87. | श्री जयंत डेका और अन्य (एडवोकेट) मंगलदाई, जिला कोर्ट, असम की संपादक, असमिया प्रतिदिन, गुवाहाटी, असम के विरूद्ध शिकायत। | 17 नवम्बर, 2011 |

| क्र. सं. | पक्ष | निर्णय की तिथि |
|---|---|---|
| 88. | श्रीमती सुप्रीता एस. अमीन, प्रधानाचार्या, एमआईसीई, उडुपी (उपायुक्त, उडुपी कर्नाटक सरकार के जरिये), कर्नाटक की संपादक, इंडिया टुडे, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत। | 27 मार्च, 2012 |
| | **राष्ट्र विरोधी लेखन** | |
| 89. | कर्नल संजय दीक्षित, उत्तर कमान जी एस (आई डब्ल्यू) की संपादक (i) ग्रेटर कश्मीर, श्रीनगर के विरूद्ध शिकायत। | 17 नवम्बर, 2012 |
| 90. | श्री डी. वेंकटेसन, चेन्नै की संपादक, आउटलुक, सफदरजंग एनकलेव, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत। | 27 मार्च, 2012 |

# परिषद् के निर्णय

## समाचारकर्मियों का उत्पीड़न

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | **श्री सतीश भाटिया**<br>**जिला संवाददाता**<br>**राष्ट्रीय सहारा**<br>**सोनभद्र, उत्तर प्रदेश** | **बनाम** | **मुख्य सचिव**<br>**उत्तर प्रदेश सरकार**<br>**लखनऊ, उत्तर प्रदेश**<br><br>**सचिव**<br>**गृह (पुलिस) विभाग**<br>**उत्तर प्रदेश सरकार**<br>**लखनऊ, उत्तर प्रदेश**<br><br>**पुलिस अधीक्षक**<br>**सोनभद्र, उत्तर प्रदेश** |

**अधिनिर्णय**

**तथ्य**

यह शिकायत दिनांक 13.9.2007 श्री सतीश भाटिया, जिला पत्रकार, राष्ट्रीय सहारा, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश द्वारा श्री बशीर बेग, एक कथित समाज–विरोधी तत्व, उसे तथा उसके परिवार को घमकी देने के आरोप में उसके विरूद्ध दायर की गई है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया है कि वह श्री बशीर बेग के पुत्र श्री दारा सिकोह द्वारा किये जा रहे अवैध खनन के मामले में रिपोर्ट तैयार कर रहा था। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि वह किसी श्री भूपेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा जिलाधीश, सोनभद्र को प्रतिवादी के परिवार द्वारा कथित अवैध खनन के बारे में की गई शिकायत दिनांक 12.9.2007 के आधार पर कार्रवाई कर रहा था। पत्र दिनांक 10.11.2007 के अनुसार, शिकायतकर्ता ने 2007 के दौरान अवैध खनन के संबंध में प्रकाशित अपने धर्म युद्व के बारे में समाचार रिपोर्टों का उल्लेख किया ।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 12.9.2007 को, जब वह प्रतिवादी के परिवार द्वारा कथित अवैध खनन के बारे में जानकारी एकत्र करने के बाद खान स्थल से घर लौट रहा था तो कोई अज्ञात व्यक्ति आया और मुझे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत एक झूठा और मनगढंत केस सं. 494/07 दायर किया गया ताकि अवैध गतिविधियों को जिनसे राज्य

सरकार को नुकसान हो रहा है, उजागर करने से रोक लगाने के लिये मुझ पर दबाव बनाया जा सके।

पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र ने अपनी टिप्पणियों दिनांक 23.1.2008 में उल्लेख किया कि किन्ही श्रीमती एम. बेग ने शिकायतकर्ता, श्री सतीश भाटिया और उसके पुत्र श्री नीरज भाटिया के विरूद्ध उसकी कार पर गोली चलाए जाने पर उन दोनों पर आरोप लगाते हुए एक एफआईआर दिनांक 12.9.2007 दर्ज कराई। शिकायतकर्ता और उसके पुत्र के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत एक केस सं. 494/07 दर्ज किया गया किन्तु जांच करने पर पाया गया कि पिता–पुत्र दोनों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया और केस फाइल कर दिया गया।

शिकायतकर्ता, ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 5.9.2010 में उल्लेख किया कि उसके विरूद्ध केस झूठा पाये जाने के बाद भी प्रतिवादी प्राधिकारियों ने श्रीमती एम. बेग के विरूद्ध कोई कार्रवाई करने की परवाह नहीं की। उसने आईपीसी की धारा 182 के तहत कार्रवाई करने की इच्छा व्यक्त की ताकि किसी संवाददाता को झूठे मामले दायर करके परेशान न किया जाए।

## रिपोर्ट

यह मामला दिनांक 18.8.2011 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिये पेश किया गया । जांच समिति ने पाया कि शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुआ है । दूसरी ओर, पुलिस प्राधिकारी श्री राम बचन यादव, उप निरीक्षक, सोनभद्र के प्रतिनिधि ने पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र की एक रिपोर्ट दिनांक 15.8.2011 यह सूचित करते हुए दायर की कि आईपीसी की धारा 307 के तहत दायर एक केस सं. 494/07 झूठा है, पुलिस को झूठी शिकायत देने के आरोप में आईपीसी की धारा 182 के तहत सूचना देने वाले व्यक्ति पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी जो अपर सिविल न्यायाधीश, न्यायपालिका रोबर्टसगंज, सोनभद्र के यहां विचाराधीन है ।

जांच समिति ने पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र द्वारा दायर रिपोर्ट के आधार पर मत व्यक्त किया कि पुलिस प्राधिकारियों द्वारा उचित तरीके से कार्रवाई की गई और सूचना देने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आईपीसी की धारा 182 के तहत निवारक कार्रवाई की । उसने यह भी कहा कि पुलिस द्वारा दायर की गई कार्रवाई रिपोर्ट से शिकायतकर्ता की शिकायत दूर होगी और वह उससे संतुष्ट लगता है अतः उसने परिषद् से मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की । अतएव, उसने परिषद् से अनुरोध किया कि शिकायत को झूठा मानते हुए निपटान किया जाए ।

## निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया तथा तदनुसार निर्णय लिया ।

2. **श्री अवदेश सिंह पटेल**
**संवाद्दाता**
**अमर उजाला**
**बांदा, उत्तर प्रदेश**

**बनाम**

**मुख्य सचिव**
**उत्तर प्रदेश सरकार**
**लखनऊ**

**सचिव**
**गृह (पुलिस) विभाग**
**उत्तर प्रदेश सरकार**
**लखनऊ**

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक**
**बांदा, उत्तर प्रदेश**

**एसएचओ**
**थाना, मारका**
**बांदा, उत्तर प्रदेश**

## अधिनिर्णय

**तथ्य**

यह शिकायत दिनांक 13.5.2008 श्री अवदेश सिंह पटेल, संवाद्दाता, अमर उजाला, बांदा, उत्तर प्रदेश द्वारा पुलिस प्राधिकारियों के विरूद्ध उसके खिलाफ झूठा आपराधिक (बलात्कार) मामला दायर करके कथित षड्यंत्र करने के कारण की गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसने श्री जोगेश्वर प्रसाद, राजस्व संग्रहकर्ता 'अमीन' द्वारा रुपया वसूली और अनियमितताओं को प्रकाशित किया था जिससे वह नाराज हो गया और उसने पुलिस से साठगांठ करके एससी/एसटी अधिनियम के तहत पहला केस दिनांक 27.7.2006 को दायर करके प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस मामले में एक जांच की गई और अंतिम रिपोर्ट में उसे निर्दोष घोषित किया गया। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि किन्ही श्रीमती ललिता देवी ने 'अमीन' श्री जोगेश्वर प्रसाद और श्री राम नरेश दिनकर, पूर्व–मंत्री का भाई, बी एस पी के दबाव में आकर उसके विरूद्ध मारका थाने में बलात्कार के आरोप में एक झूठी एफआईआर दिनांक 9.5.2008 को दर्ज करा दी तथा एफ आई आर में सात अन्य व्यक्तियों व शिकायतकर्ता को पाचवां अभियुक्त दर्शाया गया।

बबेरू (बांदा) से पत्रकारों के एक ग्रुप ने ज्ञापन दिनांक 13.5.2008 में आरोप लगाया कि जब शिकायतकर्ता श्री अवदेश सिंह पटेल गाय हत्या की घटना के बारे में थाना, मारका में दिनांक 7.5.2008 को समाचार एकत्र कर रहे थे तो उस समय दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया

और मुंशी को बयान देना पड़ा कि उनके झगड़े का निपटान हो गया है। मुंशी के कहने पर शिकायतकर्ता ने फैसले के बयान पर हस्ताक्षर कर दिये। दो दिन के बाद, पुलिस ने सात अन्य व्यक्तियों सहित शिकायतकर्ता को बलात्कार के झूठे मामले में फंसा दिया। पत्रकारों ने पत्रकार के खिलाफ झूठा केस वापस नहीं लिए जाने पर धरना देने की धमकी दी।

प्रतिवादी उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्राधिकारियों से दिनांक 17.7.2008 को टिप्पणियां मांगी गईं। प्रतिवादी एसएचओ, मारका, बांदा ने अपनी टिप्पणियों दिनांक 2.2.2010 में उल्लेख किया कि श्रीमती ललिता देवी द्वारा आईपीसी की धारा 363, 366, 368, 376 के तहत सात व्यक्तियों के विरूद्ध बलात्कार का मामला सं. 59/08 दर्ज कराया गया किन्तु शिकायतकर्ता के विरूद्ध कोई मामला नहीं था। पुलिस अधीक्षक, बांदा ने अपनी टिप्पणियों दिनांक 17.3.2010 में उल्लेख किया कि मामले में संबंधित एसएचओ द्वारा जांच की गई और उसकी रिपोर्ट दिनांक 8.3.2010 में पाया गया कि शिकायतकर्ता का नाम गलती से श्रीमती ललिता देवी की शिकायत में शामिल हो गया जिस पर अभी अदालत में कार्रवाई चल रही है।

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 20.11.2010 में श्रीमती ललिता देवी के बलात्कार के मामले में उसका नाम शामिल करने पर नाराजगी व्यक्त की हालांकि उसका नाम गलती से शामिल हो गया था। शिकायतकर्ता ने प्रश्न किया चूंकि कथित पीड़िता अनपढ़ है तो वह एफआईआर में उसका नाम कैसे दर्ज करा सकती है। पुलिस प्राधिकारियों के विरूद्ध उसकी अभी भी यह शिकायत है कि अमीन द्वारा की जा रही अनियमिताओं को प्रकाशित करने के कारण दबाव डालने के लिये उसे झूठे मामले में फंसाया गया है।

**तर्क**

यह मामला दिनांक 18.8.2011 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिये प्रस्तुत किया गया । शिकायतकर्ता ने समिति के समक्ष उपस्थित होकर बयान दिया कि वह अमीन की अनियमितताओं को उजागर कर रहा था और इसीलिये बदला लेने के लिये उसे पुलिस के साथ सांठगांठ करके एससी/एसटी और बलात्कार के झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है । शिकायतकार्ता ने यह भी उल्लेख किया कि अमीन उसके पीछे पिछले लगभग 5–6 वर्षों से लगा हुआ है और वह शिकायतकर्ता को झूठे मामलों में फंसाने का मौका ढूंढ रहा था और अब अपने बढ़े विश्वास के साथ उसने परेशान करना शुरू कर दिया । शिकायतकार्ता ने यह भी उल्लेख किया कि उसे पुलिस द्वारा उसका नाम एफआईआर में गलती से डालकर परेशान किया गया और इसलिये उसने पुलिस के विरूद्ध एक शिकायत की थी कि अमीन द्वारा की गई अनियमितताओं को उजागर करने पर उसे झूठे मामलों में फंसाकर परेशान करके दबाव डाला जा रहा है ।

श्री अब्दुल ज्वार, एस आई जांच समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रतिवादियों द्वारा दायर की जा चुकी टिप्पणियों पर अपना बयान दिया ।

## रिपोर्ट

जांच समिति ने रिकार्ड पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद पाया कि प्रथम दृष्टया पुलिस प्राधिकारियों द्वारा झूठे मामलों में फंसा कर शिकायतकर्ता को परेशान किया गया । प्रतिवादी प्राधिकारियों ने एफआईआर में शिकायतकर्ता का नाम गलती से लिखे जाने की भूल स्वीकार करने के बावजूद भी, गलती करने वाले कार्मिकों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई । जांच समिति ने अपनी राय दी कि महानिदेशक, पुलिस, उत्तर प्रदेश को सूचित करना आवश्यक है कि शिकायतकर्ता पर झूठे आरोपों में फंसाने के मामलों की जांच की जाए और शिकायतकर्ता को परेशान करने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध उचित कार्रवाई की जाए । जांच समिति ने महानिदेशक, पुलिस, उत्तर प्रदेश को निदेश दिया कि अपराधियों पर कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए । तदनुसार उसने परिषद् से सिफारिश की।

## निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया तथा तदनुसार निर्णय लिया ।

**3.** **1. महा सचिव**
**यू.टी. पत्रकार संघ**
**दमन**

**2. श्री सतीश शर्मा**
**प्रबंध संपादक**
**सवेरा इंडिया टाइम्स**
**ननी दमन (संघ प्रदेश)**

**बनाम**

**1. यू.टी. प्रशासन**
**संघ शासित प्रदेश दमन**
**दीव व नगर हवेली**

**2. पुलिस अथॉरिटीज़**
**दमन**

**अधिनिर्णय**

## तथ्य

फैक्स शिकायत दिनांक 21.1.2009, महासचिव, यूटी पत्रकार संघ, दमन ने पुलिस के कारनामों को उजागर करते हुए एक आलोचनात्मक समाचार प्रकाशित करने पर संपादक, सवेरा टाइम्स के विरूद्ध एक कथित झूठा केस दायर करने के बारे में परिषद् को भेजी है। इसके बाद एक अन्य शिकायत दिनांक 27.5.2009 श्री सतीश शर्मा, प्रबंध संपादक, सवेरा इंडिया टाइम्स, ननी दमन द्वारा आलोचनात्मक समाचार प्रकाशित करने के कारण उसके विरूद्ध झूठा केस दायर करके पुलिस प्राधिकारियों द्वारा बदले में प्रताड़ित किये जाने के विरोध में भेजी गई। उसने उल्लेख किया कि उसने पुलिस प्राधिकारियों, विशेषकर पुलिस प्रमुख श्री आर.पी. मीणा के गलत कारनामों को उजागर करते हुए एक आलोचनात्मक समाचार प्रकाशित किया था। इस

समाचार से नाराज होकर, श्री मीणा ने अपने अधीनस्थ को शिकायतकर्ता के विरूद्ध झूठा केस दायर करने का आदेश दिया ताकि वह भविष्य में ऐसे समाचार प्रकाशित नहीं कर सके। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसके समाचार पत्र के एक पूर्व कर्मचारी श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत ने, मद्यपान करने की आदत के कारण बर्खास्त करने से पहले, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रतिवादी पुलिस प्रमुख श्री मीणा के विरूद्ध सीबीआई जांच पड़ताल के बारे में सूचना मांगी थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बर्खास्तगी से नाराज होने के कारण श्री शेखावत ने पुलिस अधिकारी का साथ दिया और मिलीभगत करके, प्रतिवादी श्री मीणा ने श्री शेखावत के द्वारा थाना दमन में आईपीसी की धारा 504/506(ii) के तहत झूठा केस दायर कराया।

शिकायतकर्ता के अनुसार, उसने अपने अन्य दो साथियों के साथ श्री शेखावत के आवास स्थल का दौरा किया और कंपनी के आवासीय क्वार्टर को खाली करने का नोटिस दिया किंतु उसने नोटिस लेने से इंकार कर दिया और इसके बजाय शिकायतकर्ता के विरूद्ध एक झूठी शिकायत दर्ज कराई कि उसे मारने की धमकी दी गई और पिस्तौल दिखाई गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी स्वतंत्रता को कम करने के लिये उसके विरूद्ध झूठा केस दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

महासचिव, यूटी पत्रकार संघ ने अपनी लिखित शिकायत दिनांक 21.1.2009 में भी परिषद् से शिकायतकर्ता संपादक, सवेरा इंडिया टाइम्स द्वारा पुलिस के गैर कानूनी कृत्यों का प्रकाशन करने के कारण झूठे केस दायर करने पर प्रतिवादी पुलिस प्राधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

## 1. पुलिस प्राधिकारियों की टिप्पणियां

बयान के लिये भेजे नोटिस के प्रत्युत्तर में दिये अपने उत्तर दिनांक 13.7.2009 में एसएचओ, दमन थाना, ननी दमन ने अपनी टिप्पणियों दिनांक 10.8.2009 में उल्लेख किया कि दिनांक 17.1.2009 को 18.45 बजे किन्हीं श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत ने थाने में यह आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत की, कि उस दिन 0600 से 0630 बजे के बीच अभियुक्त सतीश भंवरीलाल शर्मा, स्थानीय संपादक, सवेरा इंडिया टाइम्स ने उसे गंदी गालियां दी और उसे पीटने और मार डालने की घमकी दी । अतः अभियुक्त के विरूद्ध आईपीसी की धारा 504–506 (ii) के तहत ननी दमन थाने में एक आपराधिक मामला सं. 15/09 दर्ज किया गया और फिलहाल मामले में जांच पड़ताल चल रही है। किसी भी समय जांच अधिकारी/एजेंसी, पुलिस प्राधिकारी कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं जिससे शिकायतकर्ता श्री सतीश शर्मा, प्रबंध संपादक, सवेरा इंडिया टाइम्स की प्रेस स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है जो इस आशय से स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा केस दायर करने के बाद हर उसने पुलिस के विरूद्ध समाचार प्रकाशित किया। प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता श्री सतीश शर्मा द्वारा अपने समाचार पत्र सवेरा इंडिया टाइम्स में दिनांक 6.3.2009, 1.5.2009, 29.5,2009, 20.6.2009, 23.6.2009, 2.7.2009 और 15.7.2009 को ननी

दमन में एफआईआर सं. 15/09 दायर होने के बाद पुलिस के विरूद्ध प्रकाशित समाचारों की कतरने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कीं। श्री सतीश शर्मा ने उक्त उल्लिखित मामलों के पंजीकरण के बाद अन्य थानों में भी मामले दायर किये जो इस बात को साबित करते हैं कि ननी दमन थाना उसके विरूद्ध किसी भी प्रकार कोई दुर्भावना नहीं रखता है, जिनका ब्योरा निम्नानुसार है :

(1) डा0 पुष्पसेन बी. कपाड़िया द्वारा अभियुक्त अरूण पांडिया और सतीश शर्मा के विरूद्ध पैसा वसूली और शिकायतकर्ता को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने के आरोप में दीव थाने में आईपीसी की धारा 384, 506 के तहत दायर एफआईआर सं. 31/09.

(2) श्री वी.पी. सिंह, प्रबंध निदेशक, डी आई सी दमन और फील्ड प्रचार अधिकारी द्वारा अभियुक्त सतीश शर्मा के विरूद्ध शिकायतकर्ता को फील्ड प्रचार अधिकारी के रूप में अपनी कानून सम्मत डयूटी निर्वहन में बाधा डालने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने के आरोप में कोस्टल थाने में आईपीसी की धारा 186, 506 के तहत दायर एफआईआर सं. 11/09. इन दोनों मामलों में जांच पड़ताल चल रही है।

## 2. सिविल प्रशासन प्राधिकारियों की टिप्पणी

फील्ड प्रचार अधिकारी, यूटी प्रशासन दमन व दीव ने अपनी लिखित टिप्पणियों दिनांक 11.2.2010 में उल्लेख किया कि सतीश शर्मा के विरूद्ध अनेक आपराधिक मामले दर्ज हैं और मौजूदा शिकायत में उल्लिखित एफआईआर ही उसके विरूद्ध आपराधिक आरोप नहीं हैं। प्रतिवादी ने श्री शर्मा के विरूद्ध दायर एफआईआर/मामलों का उल्लेख किया जो निम्न प्रकार हैं :

(1) श्री वी.पी. सिंह, प्रबंध निदेशक, डीआईसी दमन और फील्ड प्रचार अधिकारी द्वारा सतीश शर्मा द्वारा उन्हें फील्ड प्रचार अधिकारी के रूप में अपनी कानून सम्मत डयूटी निर्वहन में बाधा डालने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने के आरोप में कोस्टल थाने में आईपीसी की धारा 186, 506 के तहत दायर एफआईआर सं. 11/2009.

(2) श्री जे.एस शेखावत द्वारा श्री सतीश शर्मा के विरूद्ध गाली गलौज करने के आरोप में दायर एफआईआर सं. 15/2009.

(3) डा0 पुष्पसेन बी. कपाड़िया, अध्यक्ष नगर परिषद् दीव द्वारा उनके समाचारपत्र को विज्ञापन देने की धमकी या उसके विरूद्ध झूठे और मनगढंत लेख प्रकाशित करने की धमकी देने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 384 और 506 के अन्तर्गत दिनांक 15.6.2009 को दायर एफआईआर सं. 31/2009.

क. श्रीमती बिल्किस साथिया, निवासी ननी दमन ने दिनांक 27.4.2004 को आई पी सी की धारा 504, 452 के तहत एनसी केस सं. 55/04 दायर करते हुए शिकायत की, कि

पिछले दिन अभियुक्त सतीश शर्मा, सवेरा इंडिया टाइम्स ने उसे तथा साक्ष्यों को गंदी गालियां दी और उसे छेड़ने की कोशिश की उस समय वे सीढ़ियां और गाड़ियों की धुलाई कर रहीं थीं। इस संबंध में, किसी एन ने ननी दमन थाने में एक केस दर्ज कराया। किसी संज्ञेय अपराध के होने से बचने और इलाके में शांति भंग होने के डर से, कार्यपालक मैजिस्ट्रेट, दमन की अदालत में दोनों पक्षों को बांधने के लिये सीआरपीसी की धारा 107, 150, 116 के तहत एक चेप्टर केस 32/04 पेश किया गया। यह कार्य कार्यपालक मैजिस्ट्रेट द्वारा किया गया।

ख. चेप्टर केस सं. 06/09, श्री जितेन्द्र शेखावत श्री सतीश शर्मा के साथ सवेरा इंडिया टाइम्स के साथ काम करते थे और उसके बाद, दोनों के बीच कोई विवाद हुआ और उन दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिये। किसी और संज्ञेय अपराध को रोकने और इलाके में शांति भंग होने से बचने के लिये कार्यपालक मैजिस्ट्रेट, दमन को सी आर पी सी की धारा 107, 116 के तहत चेप्टर केस सं. 06/09 इस अनुरोध के साथ दायर किया गया कि दोनों पक्षों को शांत रखा जाए। यह कार्य कार्यपालक मैजिस्ट्रेट द्वारा किया गया।

ग. आई पी सी की धारा 1539 (ए) (1) (क) के तहत एफ आई आर सं. 36/06: दिनांक 2.8.2006 को, एफ आई आर 36/2006 श्री खुरशीद द्वारा मोहम्मद साहब के खिलाफ कुछ अपमान जनक टिप्पणी करने और पिक्चर प्रकाशित करने के संबंध में श्री सतीश शर्मा के विरूद्ध दायर की गई। मुकदमा चल रहा है और अभियोग पत्र दायर कर दिया गया है।

घ. आई पी सी की धारा 451, 506, 920 के तहत एफ आई आर सं. 139/07 : दिनांक 30.10.2007 को, श्री रामगोपाल श्रीकृष्ण अग्रवाल, निवासी तीन भट्टी, ननी दमन ने इस आशय की शिकायत की कि पिछले 2 वर्षों से अभियुक्त सतीश शर्मा, स्थानीय पत्रकार, सवेरा इंडिया टाइम्स अपनी कार से आते हैं और आपराधिक ढंग से कमरे में जबरन घुसते हैं और बेटे पर पिस्तौल तान कर गंभीर परिणाम भुगताने की धमकी देते हैं। जांच पड़ताल के दौरान, अभियुक्त सतीश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया।

ड. श्री सतीश शर्मा पुलिस विभाग और यूटी प्रशासन के विरूद्ध झूठे लेख और झूठे आरोप प्रकाशित करते रहते हैं। दिनांक 10.12.2008 को, सवेरा इंडिया टाइम्स में शीर्षक ''मानवाधिकारों का उल्लंघन दमन पुलिस की बर्दी पर दाग'' से समाचार प्रकाशित किया गया। समाचार प्रकाशित होने के बाद, उसने माननीय प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, दमन दीव और दादरा नगर हवेली की अदालत में एक याचिका सं. 304 दिनांक 16.12.2008 दायर की। इस याचिका के बारे में श्री डी.एस. शिंदे माननीय सिविल न्यायाधीश (एस.डी) और मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, दमन द्वारा जांच की गई। माननीय

न्यायाधीश ने जांच रिपोर्ट में कहा कि *"अभियुक्त से जांच करने और कारण बताओ नोटिस के उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि उल्लेखानुसार मानवाधिकारों का कोई भी उल्लंघन नहीं हुआ। प्रकाशित समाचार आम लोगों में पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करने के लिये गलत बढ़ा चढ़ा कर प्रकाशित किया गया। यह पुलिस विभाग को समाज का मित्र बताने की बजाय विरोधी बताकर बदनाम करने की कोशिश की गई। अतएव प्रशासन का सरकारी वकील सीआरपीसी के (2) की धारा 199 के प्रावधानों के तहत सरकारी कर्मचारी की अपने सार्वजनिक कार्यों की निर्वहन में उसके आचरण के बारे में निन्दा करने के अपराध में सतीश शर्मा, मुख्य संपादक, सवेरा इंडिया टाइम्स के विरूद्ध मुकदमा दायर कर सकता है क्योंकि उसने प्रेस मीडिया को दी गई विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है।"*

## शिकायतकर्ता की प्रति टिप्पणियां

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 12.4.2010 में उल्लेख किया कि प्रतिवादी सूचना एव प्रचार अधिकारी ने गलत बयान दर्ज करके प्रेस परिषद् को गुमराह किया है और उल्लेख किया कि फील्ड प्रचार अधिकारी द्वारा लगाये गये आरोप पूर्णतया झूठे हैं । शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी द्वारा उल्लिखित एफ आई आर भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध समाचार प्रकाशित करने के कारण उसे परेशान करने और बदला लेने के लिये दायर की गई। केन्द्र शासित प्रदेश दमन, दीव और नगर हवेली के सिविल और पुलिस प्रशासन की भ्रष्ट गतिविधियों को प्रकाशित करने के कारण, शिकायतकर्ता संपादक और सवेरा इंडिया टाइम्स के प्रतिष्ठित पत्रकार को बिना किसी कारण के गिरफ्तार किया गया और हथकड़ी डाली गईं और उन्हें परेशान करने के लिये शहर के मुख्य बाजार में घुमाया गया। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि तथ्यों का बयान करने के लिये, प्रतिवादी अधिकारियों से उस पर लगाये गए आरोपों को दस्तावेजी प्रमाणों के साथ सिद्ध करने के लिये कहा जाए।

## मामला स्थगित

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 31.5.2010 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिये प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता, श्री सतीश शर्मा, प्रबंध निदेशक, सवेरा इंडिया टाइम्स, दमन (संघ प्रदेश) स्वयं पेश हुए और आरोप लगाते हुए बयान दिया कि उसे प्रशासक, दमन एवं दीव और पुलिस प्रधान, श्री आर.पी. मीणा के कहने पर उनके विरूद्ध समाचार/लेख प्रकाशित किये जाने पर बदले की भावना से झूठे मामले में फंसाया गया। पुलिस हिरासत के दौरान उसे हथकड़ियां डाल कर दमन ले जाया गया और बस स्टैंड से लेकर थाने तक पैदल ले जाया गया। यह घटना सिलवासा से प्रकाशित अनेक गुजराती समाचारपत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित की गई। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि कोस्टल पुलिस ने श्री वी.पी. सिंह की एफआईआर बिना किसी साक्ष्य के दायर की। पत्रकार संघ, दादर नागर हवेली ने इस मामले

में और उसे हथकड़ियां डालने के बारे में जांच करने के लिये प्रशासक को एक प्रतिवेदन दिया किन्तु प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। बल्कि प्रशासक ने उसके समाचारपत्र को विज्ञापन देने बंद कर दिये और उसका एक्रेडिटेशन कार्ड रद्द करने के लिये नोटिस भेजा। शिकायतकर्ता ने विरोध किया कि प्रशासन के इशारे पर उसे न केवल परेशान किया जा रहा है बल्कि उसे अपराधी माना जा रहा है। उसने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन ने उसके कार्यालय में पुलिस भेजी और उसके समाचारपत्र के वितरण के ब्योरों और अन्य अभिलेखों की जांच की गई, दीव पुलिस ने हार्ड डिस्क और उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया और उसके समाचारपत्र के प्रकाशन में बाधा पैदा की।

सर्वश्री दीपक पुरोहित, पुलिस प्रमुख, दमन, अभिषेक मित्रा, एडवोकेट और सुश्री सुप्रिया मौलिक महाजन, एडवोकेट ने प्रतिवादी केन्द्र शासित दमन एवं दीव की ओर से पेश होते हुए बयान दिया कि शिकायत मिलने के बाद, पुलिस प्रमुख, दीव, उप महानिरीक्षक पुलिस, दमन एवं दीव को बुलाया गया। पुलिस अधीक्षक, दमन को सभी आरोपों के बारे में एक विस्तृत जांच पड़ताल करने और प्रशासन को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया । आरोपों से इंकार करते हुए प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि आरोप आधारहीन, मनगढंत और प्रेरित किये हुए हैं। वास्तव में शिकायतकर्ता का एक आपराधिक रिकार्ड है। पुलिस अधीक्षकख् दमन ने अपनी जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया कि किन्हीं श्री वी.पी. सिंह, फील्उ प्रचार अधिकारी, केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन ने दिनांक 18.6.2009 को एक एफआईआर दायर की जिसमें आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता ने उसे फील्ड प्रचार अधिकारी के रूप में अपनी कानून सम्मत ड्यूटी करते समय बाधा पहुंचाई गई। शिकायतकर्ता सवेरा इंडिया टाइम्स में विज्ञापन देने की मांग कर रहा था। इंकार करने पर शिकायतकर्ता ने गंभीर परिणाम भुगताने की धमकी दी। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस विभाग और प्रशासन के विरूद्ध की गई शिकायत केवल मात्र उसके विरूद्ध लंबित अनेक आपराधिक मामलों से प्राधिकारियों का ध्यान बंटाने के लिये की गई है।

## जांच समिति के निदेश

जांच समिति ने दोनों पक्षों के बयानों को सुनने के बाद शिकायतकर्ता को शपथ पत्र पर अपना हलफनामा तीन सप्ताह में दायर करने और उसकी एक प्रति सरकार को अगली टिप्पणियों के लिये भेजने के निदेश देने के बाद कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। जांच समिति ने प्रतिवादी सरकार को भी यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया कि शिकायतकर्ता और अधिक प्रताड़ित नहीं किया जाये। उन्हें केन्द्र शासित प्रदेश दमन और दीव के विज्ञापन/एक्रेडिटेशन नियमों को भी शीघ्र तैयार करने का निदेश दिया।

## द्वितीय स्थगन

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 28 व 29 अक्तूबर, 2010 को जांच समिति को सुनवाई

हेतु पेश किया गया। दोनों ही पक्ष उपस्थित थे। शुरू में ही श्री आशीष बर्नार्ड, एडवोकेट ने प्रतिवादी की ओर से पेश होते हुए कहा कि शिकायतकर्ता को पिछली पेशी के समय तीन सप्ताह में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था किंतु उसने निर्देश का उल्लंघन किया और उसे साढ़े चार माह के बाद दिनांक 23.10.2010 को दायर किया, जिससे प्राधिकारियों को उस पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का समय नहीं मिला।

श्री सतीश शर्मा, शिकायतकर्ता ने अपने एडवोकेट श्री ऋषि मटोलिया के साथ पेश होकर विलम्ब के लिये खेद व्यक्त किया किंतु यह कहा कि उसे दिनांक 2.7.2009 को पुलिस द्वारा हथकड़ी लगाई गईं और दमन के मुख्य मार्ग से पैदल ले जाया गया। अनेक स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा इस घटना का व्यापक प्रचार किया गया।

जांच समिति द्वारा शिकायतकर्ता को हथकड़ी डालने और एक्रेडिटेशन नियमों को तैयार करने के बारे में पूछने पर बताया गया कि प्रतिवादी एडवोकेट ने अनुदेश तैयार करने के लिये कुछ समय मांगा। अतएव मामले को अगली सुनवाई तक के लिये स्थगित कर दिया गया।

दिनांक 29.10.2010 को, कुमारी अवनी सिंह, एडवोकेट प्रतिवादी की ओर से जांच समिति के समक्ष पेश हुए और कहा कि हथकड़ी लगाने का आरोप शिकायतकर्ता की कोरी कल्पना है क्योंकि हथकड़ी कभी भी नहीं लगाई गईं। उसने पुलिस अधीक्षक, दमन की जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि दायर की जिसमें उसने पाया कि शिकायतकर्ता झूठा है, जिसकी आदत झूठी और मनगढंत शिकायतें करना है ताकि उसके विरूद्ध लंबित अनेक आपराधिक मामलों से ध्यान बंटाया जा सके और प्राधिकारियों पर दबाव बनाये रखा जाए। एक्रेडिटेशन नियमों को तैयार करने के बारे में, प्रतिवादी के एडवोकेट ने कहा कि निर्माण प्रक्रिया चल रही है और वे शीघ्र ही तैयार हो जाएंगे। प्रतिवादी के एडवोकेट ने अदालत में इस मामले पर परिषद् के न्यायिक अधिकार क्षेत्र पर ही प्रारम्भिक आपत्ति की और कहा कि शिकायतकर्ता के विरूद्ध प्रतिवादी और अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर एफआईआर अभी विचाराधीन हैं अतः परिषद् उसकी जांच पड़ताल संबंधी कार्रवाई नहीं कर सकती है। उसने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता ने हथकड़ी लगाने का गलत बयान दिया है। उसे दिनांक 30.6.2009 को गिरफ्तार किया गया था और जब उसे 1.7.2009 को जेएमएफसी के समक्ष पेश किया गया तब उसने हथकड़ी लगाने के बारे में कुछ नहीं कहा था। हालांकि उसने जेएमएफसी के समक्ष पीटे जाने का आरोप लगाया था, चिकित्सा–विधिक रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं की गई।

श्री ऋषि मटोलिया, शिकायतकर्ता के एडवोकेट ने समिति के समक्ष बयान दिया कि पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 5.9.2009 के उत्तर में उप सचिव, गृह, दमन ने महानिदेशक पुलिस से हथकड़ियां लगाने पर गंभीर आपत्ति की थी।

जांच समिति ने दोनों पक्षों के बयान सुनने के बाद प्रतिवादी को हथकड़ियां लगाये जाने के बारे में एक उचित हलफनामा दायर करने के लिये कहा जिसमें संबंधित सभी ब्यौरा/सूचना

दी गई हो तथा सामग्री हो। इसी बीच, शिकायतकर्ता उप सचिव (गृह) के महानिरीक्षक पुलिस को प्रेषित पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करे जो पुलिस अधीक्षक, दमन की रिपोर्ट दिनांक 5.9.2009 के प्रत्युत्तर में लिखा गया था। सुनवाई स्थगित कर दी गई।

**प्रतिवादी का पत्र दिनांक 2.2.2011**

परिषद् के पत्र दिनांक 20.1.2011 के प्रत्युत्तर में श्री बनबारी लाल, फील्ड प्रचार अधिकारी, दमन ने अपने पत्र दिनांक 2.2.2011 द्वारा परिषद् को सूचित किया कि माननीय प्रशासक, दमन एवं दीव और दादर नागर हवेली को शिकायतकर्ता को हथकड़ी लगाने की घटना की मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच करने के लिये उप कलैक्टर (मुख्यालय) और एसडीएम नियुक्त किया। उसने यह भी उल्लेख किया कि जांच रिपोर्ट जांच अधिकारियों द्वारा अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है। जब कभी रिपोर्ट प्रस्तुत की जायगी तभी मुख्य सचिव और फील्ड प्रचार अधिकारी, प्रशासक–दमन एवं दीव के शपथ पत्र परिषद् को प्रस्तुत किये जाएंगे।

**शिकायतकर्ता का पत्र दिनांक 5.2.2011**

परिषद् के पत्र दिनांक 20.1.2011 के प्रत्युत्तर में, शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 5.2.2011 के साथ उप सचिव (गृह) द्वारा महानिरीक्षक पुलिस, दमन को लिखे पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत की। जिसे प्रतिवादियों को सूचना और टिप्पणी के लिये पत्र दिनांक 1.3.2011 को भेजा गया किन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

**तर्क**

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 19.8.2011 को जांच समिति को सुनवाई हेतु पेश किया गया। दोनों पक्ष उपस्थित थे। शुरू में ही शिकायतकर्ता ने अपने एडवोकेट श्री ऋषि मटोलिया के साथ पेश होते हुए कहा कि उसने एक शपथ पत्र दिनांक 22.7.2011 दायर कर दिया जिसमें सूचित किया गया कि उसे कुछ मामलों में बरी कर दिया गया जबकि शेष अन्य मामले संबंधित न्यायालय द्वारा खारिज कर दिये गये। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि वह गलती करने वाले पुलिस कर्मियों के विरूद्ध आईपीसी के तहत न्यायालय में मुकदमा करना चाहता है। उसने यह भी बताया कि परिषद् द्वारा पेशी के लिये प्रेषित नोटिस में संबंधित पक्षों के नाम या पदनाम नहीं दिये गए हैं जवकि उसकी शिकायत कुछ विशेष कार्मिकों विशेषकर पुलिस आयुक्त, के विरूद्ध है। शिकायतकर्ता ने जांच अधिकारी उप कलैक्टर (मुख्यालय) और एसडीएम, दमन द्वारा की गई मैजिस्टीरियल जांच  की जांच रिपोर्ट पर आपत्ति की। उसने इस तथ्य का विरोध किया कि जांच के लिये कोई सार्वजनिक नोटिस नहीं दिया गया था जिससे घटना के चश्मदीद आम लोग साक्ष्य के लिये आते। जांच अधिकारी ने केवल सामग्री साक्ष्य पर

बल दिया और इसलिये शिकायतकर्ता द्वारा दिये बयान तथा अन्य साक्ष्यों को अस्वीकार कर दिया।

श्री सुरिन्दर कुमार, फील्ड प्रचार अधिकारी, दमन ने प्रतिवादी की ओर से पेश होते हुए पुलिस प्राधिकारियों द्वारा की जा रही कार्रवाई के बारे में अनभिज्ञता व्यक्त की और कहा कि प्रशासन ने जांच के आदेश दिये थे।

## रिपोर्ट

जांच समिति ने दस्तावेजों और उप कलैक्टर (मुख्यालय) और एसडीएम, दमन की जांच रिपोर्ट पर सावधानीपूर्वक जांच करने पर टिप्पणी की, कि जांच अधिकारी ने अंत में यह कहा कि शिकायतकर्ता या गवाहों द्वारा कोई दस्तावेजी तथा वस्तुगत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जिससे श्री सतीश शर्मा को पुलिस द्वारा दिनांक 2.7.2009 को हथकड़ी लगाये जाने की घटना सिद्ध हो पाती जैसेकि शिकायत की गई है। हालांकि, इन गवाहों के बारे में संभावनाओं से यह संकेत मिलता है कि पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता को हथकड़ी लगाने की घटना सत्य हो सकती है।

जांच समिति ने पाया कि जांच अधिकारी ने मौखिक गवाही को नहीं चुना और फोटोग्राफ के रूप में वस्तुगत साक्ष्य को स्वीकार किया। समिति की राय थी कि किसी के लिये यह अचानक कैसे संभव था कि किसी व्यक्ति को हथकड़ियां डालकर बाजार से पैदल ले जाते समय फोटो लेले। उसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उस टिप्पणी को याद किया कि ''हथकड़ी डालना एक गंभीर मामला है अतः इसकी स्पष्ट निन्दा होनी चाहिए।''

अतः जांच समिति ने पाया कि मुख्य मुद्दा शिकायतकर्ता को हथकड़ी लगाने का है। उसने राय दी कि वर्तमान रूप में जांच रिपोर्ट असंतोषजनक है क्योंकि उसने मौखिक साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया और केवल फोटोग्राफ के रूप में वस्तुगत साक्ष्य को चुना। अतएव, रिपोर्ट को सीधे अस्वीकार किया जाता है और प्राधिकारियों को एक स्वतंत्र उच्च प्राधिकारी प्राथमिकता न्यायिक अधिकारी द्वारा मामले में नई जांच कराने के लिये निर्देश दिये जाएं। चूंकि यह केस स्पष्ट प्रताड़ना का है अतः प्रशासन को हाथकड़ी डालने के मामले में स्वयं कार्रवाई करनी चाहिए थी। उसने निदेश दिया कि एक नई जांच की जाए और उसकी रिपोर्ट परिषद् को परिषद् के आदेश की तारीख से चार माह में प्रस्तुत किया जाए। तदनुसार, उसने परिषद् से सिफारिश की।

## निर्णय

परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद शिकायत को उपर्युक्त निदेशों के साथ निपटान करने का निर्णय लिया ।

**4. श्री अनुराग श्रीवास्तव** **बनाम** **स्टेशन हाउस अफसर**
**संवाद्दाता** **जालौन**
**स्वतंत्र भारत** **उत्तर प्रदेश**
**कानपुर, उत्तर प्रदेश**

## अधिनिर्णय

**तथ्य**

श्री अनुराग श्रीवास्तव, संवाद्दाता, स्वतंत्र भारत, जालौन, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेषित यह अदिनांकित शिकायत दिनांक 30.4.2009 को प्राप्त हुई जो श्री सुरेश बाबू, एसएचओ, थाना, जालौन, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध उन्हें अपमानित करने और धमकी देने के आरोप में दायर की गई है क्योंकि शिकायतकर्ता ने शराब के रैकेट में पुलिस की भूमिका के बारे में निम्नलिखित महत्वपूर्ण समाचार मार्च/अप्रैल 2009 के अंकों में प्रकाशित किये थेः

| क्रम सं. | शीर्षक | दिनांक |
|---|---|---|
| 1 | पुलिस की मिलीभगत से चल रहा नगर में नशे का कारोबार | 21.3.2009 |
| 2 | कोतवाली : न्याय नहीं कानून का पढ़ाया जाता पाठ | 27.3.2009 |
| 3 | पुलिस उत्पीड़न की शिकायत पुलिस महानिदेशक से | 7.4.2009 |

शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसने अपने पत्रकारिता के कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए सार्वजनिक हित में दुष्कर्मों को प्रकाशित किया। इन आलोचनात्मक समाचारों से नाराज होकर प्रतिवादी एसएचओ ने उसे सरेआम न केवल अपमानित और दुर्व्यवहार किया बल्कि दिनांक 18.4.2009 को धमकी भी दी जब वह जालौन शहर के मौहल्ला कलिकान में हुई घटना को कवर कर रहा था जहां एक ही परिवार के तीन सदस्य बिजली के सम्पर्क में आने के कारण मर गये थे। किसी अप्रत्याशित घटना को रोकने के लिये, उसने एसएचओ से उनके मोबाइल पर सम्पर्क करके पुलिस बल घटना स्थल पर भेजने का अनुरोध किया लेकिन प्रतिवादी ने इंकार कर दिया और कहा कि तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है जब तक परिवार का मुखिया घटना के बारे में लिखित सूचना न दे। शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक, जालौन से सम्पर्क किया और उनके सहयोगी ने जिला मैजिस्ट्रेट को घटना के बारे में सूचित किया। प्रातः 10.50 बजे एसएचओ घटनास्थल पर पहुंचे। वहां लोगों ने उनसे इतनी देरी से आने का कारण पूछा तो एसएचओ ने जबाव दिया कि उन्हें घटना के बारे में कोई सूचना नहीं मिली थी। जब शिकायतकर्ता ने उन्हें अवगत कराया कि वह परिवार के मुखिया द्वारा लिखित शिकायत की मांग कर रहे थे, एसएचओ ने उन्हें धमकाते हुए कहा 'ठीक से व्यवहार करो या फिर तुम्हारी खबर ली जाएगी'। जब लोगों ने उन्हें बताया कि वे प्रेस से हैं तो एसएचओ ने चिल्लाते हुए कहा 'प्रेस में होने का मतलब उन्हें आग लगाने की अनुमति देना नहीं है – लाठियां बर्षा कर तुम्हें कुचल दिया जाएगा।' शिकायतकर्ता ने परिषद् से मामले में हस्तक्षेप करने और प्रतिवादी के विरूद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया ।

## टिप्पणियां

बयान के लिये भेजे नोटिस के उत्तर दिनांक 6.10.2009 में, श्री पी.के. मिश्रा, पुलिस अधीक्षक, जालौन ने अपनी टिप्पणी दिनांक 23.10.2009 में आरोपों का खंडन करते हुए उल्लेख किया कि घटना की सूचना मिलने पर कि एक ही परिवार के तीन लोगों की बिजली लगने से मौत हो गई है, पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंच गया। किंतु शिकायतकर्ता ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग करके और वहां एकत्रित भीड़ को भड़का कर कानून व व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया। एसएचओ ने शिकायतकर्ता को ऐसा करने से रोका। सर्किल अधिकारी, जालौन, की जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि पेश करते हुए पुलिस अधीक्षक, जालौन ने उल्लेख किया कि प्रतिवादी एसएचओ, श्री सुरेश बाबू को उरई थाने में स्थानान्तरित कर दिया गया। अतः अब मामले में कोई अनुवर्ती कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। पुलिस अधीक्षक, जालौन ने अपने उत्तर दिनांक 1.4.2010 में यह भी उल्लेख किया कि पुलिस उप अधीक्षक, जालौन ने मामले की जांच पड़ताल की थी और साक्ष्यों के नहीं मिलने के कारण आरोप सिद्ध नहीं हो सके। उसने जांच रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि प्रस्तुत की जिसमें डीएसपी ने आरोपों से इंकार करते हुए उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा है।

उप सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पत्र दिनांक 26.11.2009 के साथ भी पुलिस अधीक्षक, जालौन के उत्तर दिनांक 23.10.2009 की प्रतिलिपि प्रेषित की और उल्लेख किया कि मामले की छानबीन की गई और आरोप बेबुनियाद पाये गए।

## प्रति टिप्पणियां

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 22.12.2009 में उल्लेख किया कि वह एक पक्षीय जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। उसने आरोप लगाया कि जांच अधिकारियों ने तथ्यात्मक सूचना को नष्ट कर दिया और प्रतिवादी का बचाव करने का प्रयास किया।

## रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 19.9.2011 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिये पेश हुआ। शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुआ। श्री कमलेश दीक्षित, सी.ओ., जालौन, उत्तर प्रदेश पुलिस प्राधिकारियों की ओर से पेश हुए और बयान दिया कि मामले में जांच पड़ताल की गई थी और सभी संबंधितों के बयान दर्ज किये गए किन्तु आरोप सिद्ध नहीं हुए।

जांच समिति ने रिकार्ड पर विचार किया और पाया कि शिकायतकर्ता ने पत्रकार होते हुए अपनी पत्रकारिता ड्यूटी के अतिरिक्त सार्वजनिक सेवा की लेकिन प्रतिवादी द्वारा उसके कार्य को अन्यथा समझा गया। जांच समिति वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा की गई छानबीन से संतुष्ट नहीं थी और उसकी राय थी कि शिकायतकर्ता को सार्वजनिक सेवा करते हुए न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि कथित घटना से कुछ दिन पूर्व पुलिस के विरूद्ध प्रकाशित समाचारों के कारण भी धमकाया गया। जांच समिति ने पुलिस प्राधिकारियों विशेष रूप से एसएचओ को

अपनी ड्यूटी के दौरान अधिक सावधान और प्रेस का मुंह बंद करने से दूर रहने की सलाह दी। तदनुसार, उसने परिषद् से सिफारिश की।

**निर्णय**

प्रेस परिषद् ने रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा उल्लिखित कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार निर्णय लिया।

**5. श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा बनाम**
**मालिक/सम्पादक/प्रकाशक/मुद्रक**
**साप्ताहिक अमर तनाव**
**जिला महामायानगर, उत्तर प्रदेश**

**मुख्य सचिव**
**उत्तर प्रदेश सरकार**
**लखनऊ**

**सचिव**
**गृह (पुलिस) विभाग**
**उत्तर प्रदेश सरकार**
**लखनऊ**

**पुलिस अधीक्षक**
**जिला महामायानगर, उत्तर प्रदेश**

**एसएचओ**
**थाना : कोतवाली, हाथरस**
**महामायानगर, उत्तर प्रदेश**

**श्री एम.पी. सिंह**
**जिला समाज कल्याण अधिकारी**
**महामायानगर, उत्तर प्रदेश**

**श्री नारायण लाल**
**महामायानगर, उत्तर प्रदेश**

**अधिनिर्णय**

**तथ्य**

श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, मालिक/मुद्रक/प्रकाशक और संपादक, अमर तनाव, हिन्दी साप्ताहिक, महामायानगर उत्तर प्रदेश ने यह शिकायत दिनांक 12.4.2010 सर्वश्री बी.पी. सिंह और एस. पी. सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारियों और श्री नारायण लाल, एजेंट, जिला

समाज कल्याण विभाग के विरूद्ध उन पर हमला करने और उनके समाचारपत्र के कार्यालय को लूटने और श्री एस. आर. एस. आदित्य, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, महामायानगर के विरूद्ध शिकायत दर्ज नहीं करने के आरोप में और उनके रिपोर्टरों को निम्नलिखित आलोचनात्मक समाचार प्रकाशित करने के कारण दंडात्मक उपायों के विरूद्ध दायर की है।

| क्रम सं. | शीर्षक | दिनांक |
|---|---|---|
| 1 | पुलिस अधीक्षक का बयान स्वयं एक सवाल | 25.1.2010 |
| 2 | डग्गेमारी और अतिक्रमणकारी लगता है इनसे पुलिस भी हारी | 22.2.2010 |
| 3 | सैकड़ों ग्रामीण जाटवों पर एक लड़की भारी, अविवाहित युवती की वजह से हुई खाकी वर्दी शर्मसार | 22.3.2010 |
| 4 | समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे, तथा जिलाधिकारी देंगे भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबन पत्र? | 5.4.2010 |
| 5 | निज आवासों पर टंगे हैं मान्टेसरी स्कूलों के बोर्ड छात्रवृतियों का बंदर बांट कर अधिकारी कर रहे हैं अपने वारे न्यारे | 5.4.2010 |

शिकायतकर्ता ने उक्त समाचारों में जिला समाज कल्याण विभाग की भ्रष्टाचारी/अनियमितताओं/कारगुजारियों और उपर्युक्त मामलों में पुलिस अधिकारियों की निष्क्रियता को उजागर किया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, दिनांक 8.4.2010 को आलोचनात्मक समाचारों से नाराज होकर श्री नारायण लाल (समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में एजेंट) की पत्नी तथा जिला समाज कल्याण विभाग के दो अन्य कर्मचारियों ने उसके कार्यालय पर आक्रमण किया, कागज के 20 रिम, फोटोस्टेट मशीन, प्रिंटर और 10,000 रु. लूट ले गये। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जब उसने घटना के बारे में पुलिस से सम्पर्क किया तो तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, महामायानगर, श्री एस आर. एस. आदित्य ने उसकी एफआईआर लिखने से मना कर दिया और इसके विपरीत प्रतिवादियों के साथ मिलीभगत से उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 354, 504 और 506 के तहत झूठा केस और प्रबंध संपादक तथा पत्रकारों के विरूद्ध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के तहत झूठा केस दायर कर दिया और उन्हें जेल में बंद कर दिया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि घटना के समय अर्थात 8.4.2010 को वह हाथरस में नहीं था। वह कुछ समाचार लेने के लिये दिनांक 4.4.2010 को मथुरा गया था और वहां बीमार पड़ जाने के कारण दिनांक 4.4.2010 से 10.4.2010 तक अस्पताल में भर्ती रहा। अपने दावे के समर्थन में उसने अस्पताल द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की। शिकायतकर्ता ने आगे यह भी कहा कि उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, महामायानगर को दिनांक 3.5.2010 को घटना के बारे में बताया और उनसे

मामले में जांच पड़ताल करने का अनुरोध किया कि उन्हें झूठे मामलों में न फंसाया जाये। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि प्रतिवादी की कार्रवाई प्रेस की आजादी में बाधा डालने वाली थी। उसने परिषद् से मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

### पुलिस अधीक्षक, महामायानगर की टिप्पणी

बयान के लिये परिषद् के नोटिस के प्रत्युत्तर में प्राप्त उत्तर दिनांक 11.6.2010 में पुलिस अधीक्षक, महामायानगर ने अपनी टिप्पणियों दिनांक 26.6.2010 में उल्लेख किया कि घटना के बारे में पुलिस उप अधीक्षक द्वारा जांच की गई और शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गए आरोपों को निराधार, झूठा और बेबुनियाद पाया। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने उप पुलिस अधीक्षक और सर्किल अधिकारी से घटनास्थल का दौरा करने के लिये आदेश दिया था और उन्होंने पाया कि ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई थी और आरोपों को निराधार पाया गया। प्रतिवादी के अनुसार, श्री नारायण लाल की शिकायत पर आईपीसी की धारा 354, 394, 504, 506 के तहत और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1) 10 के तहत शिकायतकर्ता श्री देवेन्द्र शर्मा और शीलू व विजय सिंह (रिपोर्टर) के विरूद्ध केस सं. 157/2010 दर्ज किया गया और दिनांक 9.4.2010 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, बाद में श्री देवेन्द्र शर्मा का आवेदन पत्र और उसके द्वारा दायर हलफनामा सर्किल अधिकारी, सिकन्दर राव को मामले में और छानबीन करने के लिये भेजा गया।

### एसएचओ, कोतवाली, हाथरस की टिप्पणियां

प्रतिवादी निरीक्षक प्रभारी, थाना, कोतवाली, हाथरस ने अपनी टिप्पणियों दिनांक 24.6.2010 में उल्लेख किया कि पुलिस अधीक्षक, महामायानगर द्वारा दायर बयान को दोहराया। उसने उल्लेख किया कि श्री नारायण लाल जाटव की शिकायत के आधार पर दिनांक 8.4.2010 को एक केस दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा लगाये आरोपों के बारे में, उसने कहा कि मामले में सर्किल अधिकारी द्वारा जांच की गई और शिकायतकर्ता के कार्यालय में लूटपाट या कोई अन्य घटना का कोई प्रमाण नहीं मिला। प्रतिवादी ने यह भी आरोप लगाया कि वास्तव में शिकायतकर्ता ने स्वयं के बचाव के लिये पुलिस प्राधिकारियों और श्री नारायण लाल के विरूद्ध झूठा हलफनामा दायर किया।

### श्री नारायण लाल की टिप्पणियां

श्री नारायण लाल, प्रतिवादी ने अपने अदिनांकित पत्र (जो सचिवालय को दिनांक 25.6.2010 को प्राप्त हुआ) में उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाये आरोप झूठे, मनगढंत और बेबुनियाद हैं। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि उसने प्रेस की आजादी के विरूद्ध या गलत कभी कुछ नहीं किया। उसने यह भी आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता शरारती गतिविधियों में लिप्त था और क्षेत्र के असामाजिक तत्वों के साथ सांठगांठ थी। वस्तुतः शिकायतकर्ता ने उसकी पत्नी के साथ तीन बार छेड़खानी की और अभद्र व्यवहार किया। उसने अपनी कारगुजारियों

को छुपाने और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ब्लैकमेल करने के लिये समाचारपत्र प्रकाशित किया। उसने उल्लेख किया कि उसने समाज कल्याण विभाग के एजेंट के रूप में कभी काम नहीं किया और उसके बारे में कुछ नहीं जानता है। प्रतिवादी ने परिषद् से शिकायतकर्ता के विरूद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया ताकि कोई भी व्यक्ति प्रेस की आड़ में कोई गलत काम नहीं कर सके।

**तर्क**

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 19.9.2011 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिये पेश किया गया। दोनों पक्षों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि पुलिस ने न केवल उसे गिरफ्तार किया बल्कि उसे और उसकी पत्नी को यातना भी दी। उसने यह भी कहा कि दिनांक 5.4.2010 को एक समाचार प्रकाशित किया गया था जिसमें किसी महिला द्वारा दी गई सूचना के आधार पर दलालों के नाम दिये गए थे। उसने बताया कि हमला करने और एफआईआर में देने का आरोप झूठा था जिससे उसकी छवि धूमिल हुई। उसके अनुसार, तालाब चौराहे पर भारी यातायात रहता है और सैकड़ों लोग वहां से गुजरते हैं, तो वह लोहे की छड़ लेकर वहां कैसे खड़ा रह सकता है।

प्रतिवादी श्री शशि शेखर दीक्षित, पुलिस उप अधीक्षक (सी. ओ. – सादाबाद), माहमायानगर ने उल्लेख किया कि पुलिस अधीक्षक, महामायानगर ने घटना की रिपोर्ट मांगी थी और एफआईआर में शिकायतकर्ता का नाम था किन्तु जांच पड़ताल करने पर झूठ पाया गया।

प्रतिवादी श्री नारायण लाल ने कहा कि शिकायतकर्ता ने उसकी पत्नी के साथ तीन बार बदसलूकी की और शीलू नाम के किसी व्यक्ति ने उसे लोहे की रॉड से मारा था जिससे वह घायल होकर बेहोश हो गया था। उसके बाद प्रतिवादी कोतवाली गया जहां सर्किल अधिकारी मौजूद थे जिन्होंने उसे लहूलुहान देखा। तभी, सीओ ने अपराधी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और उसी रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

**रिपोर्ट**

जांच समिति ने रिकार्ड को ध्यानपूर्वक देखने और पक्षों के मौखिक बयान सुनने के बाद कि शिकायतकर्ता को गलत फंसाया गया था और जांच करने पर पुलिस ने स्वयं पाया था कि शिकायतकर्ता का नाम गलती से एफआईआर में डाल दिया गया है। जांच समिति की राय थी कि पुलिस को पत्रकारों से व्यवहार करते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि पत्रकारों को कोई परेशानी नहीं हो। जांच समिति ने परिषद् से सिफारिश की कि प्रतिवादी पुलिस प्राधिकारियों द्वारा शिकायतकर्ता को परेशान करने की कार्रवाई करने के कारण उन्हें चेतवानी दी जाये। तदनुसार, उसने परिषद् से सिफारिश की।

**निर्णय**

प्रेस परिषद् ने रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा उल्लिखित कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार निर्णय लिया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **6.** | **श्री कमलेश कुमार झा**<br>**संवाद्दाता**<br>**दैनिक जागरण**<br>**समस्तीपुर, बिहार** | **बनाम** | **श्री माहेश्वर हजारी, विधायक**<br>**वारिसनगर**<br>**पटना, बिहार** |

## अधिनिर्णय

यह अदिनांकित शिकायत जो प्रेस परिषद् के सचिवालय में दिनांक 24.7.2008 को प्राप्त हुई, श्री कमलेश कुमार झा, संवाद्दाता, दैनिक जागरण, खानपुर–समस्तीपुर, बिहार द्वारा श्री माहेश्वर हजारी, विधायक के विरूद्ध दायर की गई है जो दैनिक जागरण दिनांक 22.5.2008 में उसकी पत्नी के विरूद्ध शीर्षक 'वर्षों से घर बैठे वेतन उठा रही विधायक की पत्नी' से प्रकाशित समाचार के विरोध में उसे धमकी देने के बारे में की गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, विचाराधीन समाचार अध्यक्ष, ब्लॉक कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति खानपुर द्वारा कलैक्टर, समस्तीपुर को दायर की गई शिकायत पर आधारित है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि समाचार से नाराज होकर, वारिसनगर के प्रतिवादी विधायक श्री माहेश्वर हजारी ने उसे उत्पीड़ित करने के लिये आईपीसी की धारा 384/504/311 और अनुसूचित जाति उत्पीड़न अधिनियम के उपबंधों के तहत एक एफआईआर सं. 35/08 दिनांक 27.5.2008 दायर की है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, समाचार सत्य तथ्यों के आधार पर सार्वजनिक हित में प्रकाशित किया गया था। प्रतिवादी ने न केवल उसे धमकी दी बल्कि प्रश्नगत समाचार प्रकाशित करने के लिये माफी मांगने के लिये एक कानूनी नोटिस भी भेजा । शिकायतकर्ता ने नोटिस के अपने प्रत्युत्तर में प्रकाशित समाचार के लिये माफी मांगने से इंकार कर दिया क्योंकि उसे सार्वजनिक हित में प्रकाशित किया गया था। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि प्रतिवादी विधायक के प्रभाव में होकर उप अधीक्षक पुलिस, श्री शिव चरण दास ने मामले में कोई छानबीन किये बिना प्रतिवादी का समर्थन किया।

प्रतिवादियों श्री माहेश्वर हजारी, विधायक और बिहार सरकार व उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) समस्तीपुर, बिहार को टिप्पणियों के लिये एक नोटिस दिनांक 25.3.2009 प्रेषित किया गया। दिनांक 13.10.2011 को अनुस्मारक भेजने के बावजूद भी अभी तक कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुईं।

जांच समिति ने नई दिल्ली में दिनांक 18.11.2011 को मामले पर सुनवाई की किंतु कोई भी पक्ष उसके समक्ष पेश नहीं हुआ। जांच समिति ने पाया कि 2008 की कथित उत्पीड़न की घटना की शिकायत पर शिकायतकर्ता द्वारा कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई। अनुसूचित जाति उत्पीड़न अधिनियम के तहत दायर मुकदमे की प्रगति के संबंध में किसी भी पक्ष ने सूचित नहीं किया और क्या आरोप पत्र दायर किया गया या नहीं, क्या मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है। अतः जांच समिति ने इस जानकारी के अभाव में मामले में संज्ञान नहीं लेने का निर्णय लिया और परिषद् से शिकायत का निपटान करने की सिफारिश की।

प्रेस परिषद् ने मामले के अभिलेख और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार किया और तदनुसार निर्णय लिया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. | **श्री राम सिंह गौतम**<br>**संवाददाता**<br>**मानवता की रक्षा**<br>**बुलंदशहर** | **बनाम** | **श्री नवीन मित्तल**<br>**एडवोकेट**<br>**बुलंदशहर** |

**अधिनिर्णय**

इस शिकायत दिनांक 23.4.2010 में शिकायतकर्ता श्री राम सिंह गौतम ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी श्री नवीन मित्तल और उनके भाईयों ने उन्हें आलोचनात्मक लेख प्रकाशित करने के कारण पीटा और जान से मारने की धमकी दी। इस घटना में शिकायतकर्ता घायल हो गया और अस्पताल से इलाज कराना पड़ा। शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक/जिलाधीश, बुलंदशहर से भेंट की और मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध किया किंतु पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि प्रतिवादी की कार्रवाई प्रेस की आजादी पर रोक लगाना है।

प्रतिवादी श्री नवीन मित्तल, एडवोकेट, बुलंदशहर ने अपनी टिप्पणियों में आरोपों से इंकार किया और उल्लेख किया कि क्षेत्र में सम्पन्न लोगों का एक ग्रुप ठगी के कार्य में सक्रिय है। प्रतिवादी ने सूचित किया कि उनके खिलाफ एक केस दायर किया गया और उन्होंने केस वापस लेने के लिये उन पर दबाव डाला। आईपीसी की धारा 323, 452, 504 और 386 के तहत शिकायतकर्ता के विरूद्ध एक केस दायर किया गया और उनका केस अभी चल रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर ने दिनांक 7.9.2010 को प्रस्तुत अपनी टिप्पणियों में कहा कि शिकायतकर्ता को कोई खतरा नहीं है। व्यावसायिक पत्रकारिता दुश्मनी के कारण, दोनों एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोपण करते हैं।

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 20.8.2010 में उल्लेख किया कि उसे अपने खिलाफ दायर किसी मामले की जानकारी नहीं है। जांच समिति ने नई दिल्ली में दिनांक 30.1.2012 को मामले पर विचार किया। शिकायतकर्ता और प्रतिवादी तथा पुलिस प्राधिकारी के प्रतिनिधि श्री सतीश चन्द्र, उप अधीक्षक पुलिस, बुलंदशहर के बयान सुनने के बाद समिति ने पाया कि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। अतः उसने शिकायत को खारिज करने के लिये परिषद् से सिफारिश की क्योंकि यह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

प्रेस परिषद् ने जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद मामला न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण कार्रवाई समाप्त करने का निर्णय लिया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. | **श्री मुकेश ठाकुर**<br>**सम्पादक, अग्नि ब्लास्ट**<br>**इंदौर** | **बनाम** | **श्री उमाशंकर गुप्ता**<br>**गृह मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार**<br>**भोपाल**<br><br>**श्री डी. श्रीनिवासराव**<br>**पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, इंदौर**<br><br>**श्री राकेश श्रीवास्तव, आयुक्त**<br>**सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग**<br>**मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल** |

**अधिनिर्णय**

यह शिकायत दिनांक 2.12.2010 श्री मुकेश ठाकुर, संपादक, अग्नि ब्लास्ट, हिन्दी मासिक, इंदौर द्वारा श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार, श्री डी. श्रीनिवासराव, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, इंदौर और आयुक्त श्री राकेश श्रीवास्तव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, मध्य प्रदेश सरकार के विरूद्ध उन्हें झूठे मामलों में फंसाये जाने के कारण दायर की गई है क्योंकि उन्होंने अपने 10.8.2010 और 10.9.2010 के अंकों में क्रमशः ''यह कैसा सिस्टम?'' किसी को भी झूठे षड्यंत्र में फंसा दो'' और ''कलैक्टर या खिलाड़ी?'' इंदौर में निठ्ठले अफसरों की फौज'' शीर्षक से आलोचनात्मक समाचार उनके फोटोग्राफ सहित प्रकाशित किये थे। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि प्रतिशोध स्वरूप प्रतिवादियों ने आपस में साठगांठ करके उनके विरूद्ध झूठे मामले दायर किये और उसे आईपीसी की धारा 500, 384 और आईटी अधिनियम के 66 के तहत दिनांक 5.10.2010 को गिरफ्तार किया गया और बिना किसी जांच पड़ताल के जेल में बंद कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि जब उसने पुलिस प्राधिकारियों को सूचित किया कि वह राज्य से मान्यता प्राप्त पत्रकार है, (अतः राज्य एक्रेडिटेशन नियमों के अनुसार प्राधिकारियों की अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है), उन्होंने उसे सूचित किया कि उसकी मान्यता 4.10.2010 को निरस्त कर दी गई। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क ने उसकी मान्यता रद्द कर दी और उसकी मासिक पत्रिका को सरकारी विज्ञापन देना बंद कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने माननीय मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार तथा अन्य उच्च अधिकारियों का इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये दिनांक 17.7.2010 को पत्र लिखा कि उसे बदले की भावना से झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने परिषद् से प्रतिवादियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इंदौर ने अपनी टिप्पणियां दिनांक 18.4.2011 प्रस्तुत कीं और सूचित किया कि शिकायतकर्ता के विरूद्ध दायर मामले विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं। शिकायतकर्ता का बयान कि उसे झूठे मामलों में फंसाया गया, पूरी तरह झूठ है क्योंकि विभिन्न अधिकारियों द्वारा विभिन्न थानों में केस दर्ज कराये गए हैं।

उप निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, मध्य प्रदेश, भोपाल ने अपनी टिप्पणियों दिनांक 5.5.2011 में उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता को एक्रेडिटेशन नियम, 2007 के अनुसार, अस्थायी मान्यता दी गई है। एक्रेडिटेशन नियम, 2007 के उप नियम 18 के क्रम सं. 2 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यदि कोई पत्रकार/संपादक/संवाद्दाता किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल हो या किसी अदालत में मुकदमा चल रहा हो तो उसकी मान्यता निरस्त कर दी जाएगी। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, इंदौर का एक पत्र दिनांक 10.9.2010 मिला था कि शिकायतकर्ता के विरूद्ध एमआईजी, थाने में एक केस दर्ज किया गया है। अतः दिनांक 4.10.2010 को उसकी मान्यता रद्द कर दी गई और उसी दिन शिकायतकर्ता को सूचित कर दिया गया। अतः यह आरोप कि बदले की भावना से उसकी मान्यता रद्द की गई, पूरी तरह गलत है। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि सभी समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को उनकी हकदारिता या बजट के अनुसार, विज्ञापन जारी किये गए और शिकायतकर्ता की पत्रिका के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया।

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों में उल्लेख किया कि पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, इंदौर द्वारा उपलब्ध कराई सूचना गलत, बेबुनियाद है और परिषद् को गुमराह करने वाली है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि एसएसपी, इंदौर की टिप्पणियों के अनुसार, सभी मामले अदालत में विचाराधीन हैं किंतु शिकायतकर्ता ने बयान दिया कि दो मुकदमों को खारिज कर दिया गया है। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि प्रतिशोध की भावना से एसएसपी, इंदौर ने सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को उसकी मान्यता रद्द करने के लिये लिखा।

सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय द्वारा दायर टिप्पणियों के उत्तर में शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों में उल्लेख किया कि निदेशालय ने परिषद् को सूचित किया कि एमआईजी थाने में उसके विरूद्ध आपराधिक शिकायत दर्ज होने के कारण, उसकी अस्थायी मान्यता रद्द कर दी गई किंतु यह सर्वविदित है कि मान्यता केवल उन्हीं पत्रकारों को दी जाती है जिनके चरित्र का सत्यापन पुलिस आयुक्त द्वारा अपनी रिपोर्ट में किया जाता है।

जांच समिति ने नई दिल्ली में दिनांक 31.1.2012 को शिकायतकर्ता का बयान सुना। जांच समिति ने श्री अमरेन्द्र सिंह, डीएसपी, श्री जितेन्द्र सिंह चौहान, एसडीएम और श्री प्रदीप भाटिया, संयुक्त निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय के तर्कों को भी सुना।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, जांच समिति ने मत व्यक्त किया कि शिकायतकर्ता को किसी भी आपराधिक मामले में दोषी नहीं पाया गया और जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, मान्यता से इंकार नहीं किया जा सकता है। तीन मामलों में से, एक मामले में शिकायतकर्ता को दोषमुक्त पाया गया (उसने निर्णय की प्रति उपलब्ध कराई), और दूसरे मामले में समझौता हो गया। तीसरा केस अभी लंबित है और उसकी तारीख पड़ी हुई है। मात्र एक केस उसके विरूद्ध लंबित होने पर, प्राधिकारियों को शिकायतकर्ता की मान्यता रद्द करने का

अधिकार नहीं मिल सकता है। अतः जांच समिति ने न्यायालय के विचाराधीन मुकदमे में कोई हस्तक्षेप किये बिना, प्राधिकारियों को उसकी मान्यता तुरंत बहाल करने का निदेश दिया। तदनुसार, उसने परिषद् से सिफारिश की।

प्रेस परिषद् ने जांच समिति के कारणों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार निर्णय लिया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **9.** | **श्री अशोक सिंघल**<br>**संपादक/प्रकाशक**<br>**धौलपुर तीक्ष्ण**<br>**राजस्थान** | **बनाम** | **जिला प्रशासन**<br>**धौलपुर**<br>**राजस्थान** |

**अधिनिर्णय**

यह शिकायत दिनांक 19.4.2010 एस.डी.एम., धौलपुर के विरूद्ध प्रशासन के विरूद्ध आलोचनात्मक समाचार प्रकाशित करने के आरोप में दायर की गई है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि एसडीएम ने उसे नोटिस भेजा और समाचार के सभी साक्ष्यों के साथ निर्धारित तारीख और समय पर एसडीएम के कार्यालय में पेश होने के लिये कहा किंतु पत्र में तारीख और समय का उल्लेख नहीं किया गया था। शिकायतकर्ता अनेकों बार वहां गया किंतु वह एसडीएम से नहीं मिल सका। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि झूठा नोटिस भेजकर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित किया जा रहा था। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि उसने इस मामले की ओर भारतीय लघु और मझोले समाचारपत्र संघ, कानपुर और भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघ, बीकानेर का भी ध्यान आकर्षित किया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि प्रशासन की कार्रवाई प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने के समान है।

प्रतिवादी को दिनांक 20.10.2010 को उत्तर में विवरण के लिये नोटिस भेजा गया।

जिलाधीश ने पेशी के समय श्री राम अवतार शर्मा, सब–डिवीजनल अधिकारी, धौलपुर के माध्यम से अपना उत्तर दिनांक 25.1.2012 प्रस्तुत किया जो जांच समिति के समक्ष नई दिल्ली में दिनांक 31.1.2012 को पेश हुए।

जांच समिति ने रिकार्ड पर विचार करने और शिकायतकर्ता के बयान सुनने के बाद पाया कि शिकायतकर्ता ने कार्रवाई होने की आशंका से यह शिकायत दायर की जोकि हुई ही नहीं। अतः उसने परिषद् से शिकायत को खारिज करने की सिफारिश की ।

प्रेस परिषद् ने जांच समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली और तदनुसार निर्णय लिया।

**10. श्री बी.एन. देवदास** **बनाम** **श्री एस.आर. जांगिद, आईपीएस**
**एडवोकेट** **उप–नगर पुलिस आयुक्त**
**कोयम्बत्तूर** **चेन्नै**

**अधिनिर्णय**

यह शिकायत दिनांक 20.9.2010 उप–नगर पुलिस आयुक्त, चेन्नै के विरूद्ध कोयम्बत्तूर के वरिष्ठ पत्रकार श्री केआई अरूनन की दिनांक 17.9.2010 को कथित मृत्यु होने के आरोप में दायर की गई है जो कथित आयुक्त और उनके साथियों द्वारा धमकियां देने और मानसिक प्रताड़ना के कारण हुई। शिकायतकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी उस प्रकाशन को बंद कराने में सफल हुआ जो पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार को उजागर करता था। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया है कि ''अरूनन'' पत्रिका के संपादक श्री केआई अरूनन ने उप–नगर पुलिस आयुक्त तथा चार अन्य आईपीएस अधिकारियों द्वारा अपनी आय के अनुपात से अधिक सम्पत्ति जमा करने के बारे में पूर्ण विवरण सहित समाचार प्रकाशित किया था।

जांच समिति ने चेन्नै में दिनांक 27.2.2012 को इस मामले पर विचार किया। दोनों पक्षों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। श्री बी.एन. देवदास, शिकायतकर्ता ने बयान दिया कि प्रतिवादी आईपीएस अधिकारी श्री केआई अरूनन की मृत्यु के लिये उत्तरदायी थे। सुश्री कविता, एडवोकेट ने प्रतिवादी की ओर से पेश होते हुए आरोप को चुनौती दी और कहा कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

जांच समिति ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि मामला न्यायालय के विचाराधीन है। अतः उसने परिषद् से मामले में आगे कार्रवाई रोकने की सिफारिश की।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट में दिये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार निर्णय लिया।

**11. श्री एस. नगईमुगन** **बनाम** **पुलिस प्राधिकारी**
**अध्यक्ष, प्रेस स्वतंत्रता** **चेन्नै**
**संरक्षण केन्द्र**
**चेन्नै**

**अधिनिर्णय**

यह शिकायत अध्यक्ष, प्रेस स्वतंत्रता संरक्षण केन्द्र द्वारा चेन्नै राज्य के पुलिस प्राधिकारियों के विरूद्ध दायर की गई है कि चेन्नै उपनगरीय पुलिस आयुक्त ने उन्हें झूठे मामलों में फंसाकर आत्महत्या करने की ओर धकेला क्योंकि उसने शीर्षक ''जंगल राज'' (उत्तर भारत लॉबी) से एक आलोचनात्मक समाचार प्रकाशित किया था। उसने यह भी उल्लेख किया कि केन्द्रीय अपराध शाखा ने उन्हें दिनांक 16.6.2009 को गिरफ्तार किया था। शिकायतकर्ता ने

अपने दूसरे पत्र दिनांक 20.10.2010 द्वारा परिषद् को सूचित किया कि चेन्नै उपनगरीय पुलिस ने उन्हें पुनः दिनांक 11.10.2010 को गिरफ्तार किया था और एक पुलिसकर्मी की शिकायत पर अपराध सं. 615/09 में और प्रेस एवं पंजीकरण बुक अधिनियम के तहत दिनांक 12.10.2010 को वेल्लूर जेल में बंद कर दिया। शिकायतकर्ता ने अंत में उल्लेख किया कि उसके जीवन को प्रतिवादी पुलिस अधिकारियों से खतरा है। ?

प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोपों का खंडन किया और उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता का आपराधिक रिकार्ड है, जो अवैध उगाही और साम्प्रदायिक उपद्रव, सरकारी अधिकारियों को ब्लैकमेल जैसे कार्य करता है तथा उसकी पत्रिका भारत में 'समाचारपत्र पंजीकरण' द्वारा पंजीकृत भी नहीं है। प्रतिवादी ने यह भी कहा कि पत्रिका में झूठे, अपमानजनक और पूर्व योजना बद्ध तरीके से भड़काऊ आरोप प्रकाशित किये जाते हैं । प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि पुलिस अधिकारी जो शिकायतकर्ता के स्वेच्छाचारी प्रकृति के कार्यों से बुरी तरह प्रभावित हुए उन्होंने शिकायतकर्ता के विरूद्ध अवमानना के मुकदमें दायर किये हैं और जो भारतीय प्रेस परिषद् को झूठी शिकायतें भेजता रहता है।

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों में प्रतिवादी पुलिस आयुक्त, चेन्नै के आरोपों से इंकार करते हुए उल्लेख किया कि उसने ब्लैकमेल करने का कभी कोई काम नहीं किया। वह भ्रष्टाचार, मानवाधिकारों के हनन और प्रेस की आजादी में बाधा डालने के विरूद्ध लड़ता रहा है।

जांच समिति ने चेन्नै में दिनांक 27.2.2012 को इस मामले पर सुनवाई की। दोनों पक्षों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। श्री के. नगईमुगन शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुआ और अनुरोध किया कि झूठे मामलों से उसे सुरक्षा प्रदान की जाए। सुश्री कविता, एडवोकेट ने प्रतिवादी की ओर से पेश होते हुए बताया कि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

जांच समिति ने दोनों पक्षों के बयान सुनने के बाद पाया कि इस मामले में न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा है। अतः उसने परिषद् से आगे कार्रवाई नहीं करने की सिफारिश की ।

प्रेस परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार निर्णय लिया।

## 12. समाचार पत्र ''कन्नड़ प्रभा'' और सांध्य समाचारपत्र ''जयकिरन'' के कार्यालयों पर आक्रमण के बारे में स्व प्रेरित जांच ।

### अधिनिर्णय

कन्नड़ समाचारपत्र ''कन्नड़ प्रभा'' और सांध्य समाचारपत्र ''जयकिरन'' के कार्यालयों पर हमले की घटना की जानकारी मिलने पर, प्रेस परिषद् ने जांच विनियमावली, 1979 के विनियम 13 के साथ पठनीय प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 13 के तहत स्वयं जांच शुरू की।

समाचारपत्र के कार्यालयों पर हमले की घटना देश निष्कासित कु0 तस्लीमा नसरीन बंगलादेशी लेखिका द्वारा लिखित बुर्का में ढकी महिलाओं के बारे में एक लेख और ''बुर्का'' पर मोहम्मद साहब पर लेखक की टिप्पणियां प्रकाशित करने के कारण किया गया। कथित लेख से हसन और शिमोगा – कर्नाटक मुख्य मंत्री का मूल निवास स्थान, में भड़कने पर हमला किया गया और उसके बाद मुस्लिम संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और उपद्रव हुए जिनमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई।

समाचारपत्रों ने घटना के बारे में समाचार और कु0 तस्लीमा नसरीन का खंडन प्रकाशित किया कि उसने ऐसा कोई लेख नहीं लिखा, विभिन्न समाचारपत्रों द्वारा भी प्रकाशित किया गया जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है:

| क्रम सं. | शीर्षक | समाचारपत्र और दिनांक |
|---|---|---|
| 1 | तस्लीमा के लेख से भड़के उपद्रव | डेक्कन हेरल्ड, 2.3.2010 |
| 2 | शिमोगा, हसन हिंसा में 2 लोगों की मौत | दि हिन्दू, 2.3.2010 |
| 3 | सुनियोजित उपद्रव | दि पायनियर, 3.3.2010 |
| 4 | तस्लीमा विरोध प्रदर्शन शांत किंतु कर्फ्यू जारी | दि पायनियर, 3.4.2010 |
| 5 | कर्नाटक में समाचारपत्र कार्यालयों पर हमला | दि हिन्दू, 3.3.2010 |
| 6 | कर्नाटक उपद्रवों के लिये मुझ पर दोष नहीं: तस्लीमा | दि हिन्दुस्तान टाइम्स, 3.3.2010 |
| 7 | 2 की मौत, मीडिया कार्यालयों पर हमला | इंडियन एक्सप्रेस, 3.3.2010 |
| 8 | मैंने कर्नाटक में समाचारपत्र के लिये कोई लेख नहीं लिखा–तस्लीमा नसरीन | टाइम्स आफ इंडिया, 3.3.2010 |
| 9 | कर्नाटक सामान्य, मीडिया घरों की सुरक्षा | दि हिन्दू, 4.3.2010 |
| 10 | तस्लीमा पर उपद्रव के बाद हसन और मैंगलौर में सामान्य स्थिति बहाल | दि स्टेट्समैन, 4.3.2010 |
| 11 | यह केवल शुरूआत नहीं | टाइम्स आफ इंडिया, 4.3.2010 |

शिकायतकर्ता मनोज हलेनगडी, संपादक, जय किरन, मैंगलूरू ने परिषद् को सूचित करते हुए एक विस्तृत विवरण दिनांक 22.3.2010 प्रस्तुत किया कि 2 मार्च, 2010 की संध्या लगभग 9.15 बजे, 8 उपद्रवियों से अधिक व्यक्तियों के एक ग्रुप ने उनके कार्यालय पर अचानक हमला कर दिया। उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी, उपकरणों, फर्नीचर और कंप्यूटरों को तोड़ा। उसने उल्लेख किया कि लगभग 5.35 लाख रु. के नुकसान का अनुमान लगाया गया जो एक समाचारपत्र के लिये भारी था। उसने यह भी उल्लेख किया कि हमले के समय 6 कर्मचारी कार्यालय में काम कर रहे थे और उन्होंने उपद्रवियों का कड़ा विरोध किया किंतु उन्होंने कुछ नहीं ध्यान दिया और तब कर्मचारियों को अपना बचाव करना पड़ा। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि उसे इस हमला करने का कारण ज्ञात नहीं था, यद्यपि मीडिया ने कु0 तस्लीमा नसरीन के एक लेख को हमले का कारण बताया जिसे कन्नड़ प्रभा में प्रकाशित किया गया था। उसने कहा कि उसने कभी किसी धार्मिक मुद्दे को नहीं उठाया और तस्लीमा नसरीन के किसी लेख को प्रकाशित नहीं किया था।

अवर सचिव, कर्नाटक सरकार, गृह विभाग, बैंगलूरू ने रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि दिनांक 3.6.2011 पुलिस अपर महानिदेशक, एलएंडओ, महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय, कर्नाटक सरकार, पुलिस विभाग, बैंगलूरू को भेजी। रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि दिनांक 28.2.2010 को कन्नड़ प्रभा में प्रकाशित लेख के आधार पर अभियुक्त (1) कु0 तस्लीमा नसरीन, (2) श्रीमती सिंधू, (3) संपादक, मुद्रक और प्रकाशक, कन्नड़ प्रभा दैनिक और (4) संपादक, मुद्रक और प्रकाशक, सियासत, उर्दू समाचारपत्र के विरूद्ध आईपीसी की धारा 153(बी)(1)(सी)295(ए) आर/डब्ल्यू 34 के तहत आपराधिक केस सं. 43/2010 कब्बन पार्क थाने में दर्ज किया गया। उसने आगे यह उल्लेख किया कि याचिका को गांधी चौक थाने से अधिकार क्षेत्र के आधार पर अभियुक्त व्यक्ति यथा (1) श्री के. शंकर (2) श्री शिव सुब्रमणय और (3) श्रीमती सिंधू और एक केस फौजदारी सं. 152/2010 295(ए) के तहत कब्बन पार्क थाने, बैंगलूरू शहर में दर्ज कराया गया। एक केस चित्रदुर्गा टाउन थाने इसी आधार पर स्थानान्तरित करके फौजदारी सं. 153/2010 आईपीसी की धारा 153(ए) आर/डब्ल्यू 34 के तहत (1) संपादक, कन्नड़ प्रभा (2) कु0 तस्लीमा नसरी और (3) श्रीमती सिंधू के विरूद्ध दर्ज किया गया और यह केस पर अभी जांच चल रही है। एक केस दावानगरे एक्सटेंशन थाने से भी हस्तांतरित होकर आया और क्यूबन पार्क थाने में फौजदारी सं. 154/2010 आईपीसी की धार 107, 153(ए), 295(ए), 465, 468, 501, 505 आर/डब्ल्यू 34 आईपीसी के तहत अभियुक्त व्यक्ति यथा (1) श्रीमती सिंधू (2) संपादक, रिपोर्टर और मुद्रक, कन्नड़ प्रभा के विरूद्ध दर्ज किया गया, मामले में जांच पड़ताल चल रही है। उसने उल्लेख किया कि कन्नड़ प्रभा, दि इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स आफ इंडिया, प्रजावाणी, डेक्कन हेरल्ड के दैनिक समाचार पत्रों के कार्यालयों में उचित पुलिस व्यवस्था कर दी गई है और इस कारण कब्बन पार्क थाने के क्षेत्र में किसी घटना की रिपोर्ट नहीं मिली है। एडीजीपी, एलएंडओ ने बताया कि 2.3.2010 की रात को, मैंगलोर शहर में समाचारपत्र 'जयकिरन' और 'दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस लि.' के कार्यालयों पर

कु0 तस्लीमा नसरीन के लेखों का अनूदित संस्करण प्रकाशित होने के संबंध में कुछ शरारती तत्वों द्वारा हमला किया गया था जो पहले कन्नड़ प्रमा में प्रकाशित हुआ था।

घटना का ब्योरा देते हुए, प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि दिनांक 2.3.2010 को लगभग 22.30 बजे, प्रबंधक, दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने रात्रि 8.30 से 9.15 के बीच यह उल्लेख करते हुए एक शिकायत की कि कुछ शरारती तत्वों ने घातक हथियारों के साथ गैर कानूनी ढंग से समूह बना कर 'दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस लि.' के कार्यालय में घुस गये, जिनका एक ही लक्ष्य पैट्रोल से भरी बोतलों को फेंक कर आग लगाना था जिसके फलस्वरूप सोफा सेट, कुर्सियां जल गईं और कंप्यूटरों तथा प्रिंटरों आदि को तोड़ा गया। इसके बाद वे लोग घटना स्थल से भाग गये। इससे लगभग 15 लाख रु. का नुकसान हुआ। एडीजीपी, एलएंडओ ने उल्लेख किया कि मैंगलोर नार्थ थाने में फौजदारी सं. 49/2010 आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 448, 436, 427, 506 आर/डब्ल्यू 149 और 2(क)(ख) 'कर्नाटक विनाश की रोकथाम और सम्पत्ति को नुकसान नियमावली, 1083' के तहत अभियुक्तों के विरूद्ध दायर किया गया और छह अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और तीन अन्य अभियुक्त भागे हुए हैं। मामले में जांच पड़ताल की जा रही है।

एडीजीपी, एलएंडओ ने यह भी कहा कि उसी दिन यथा 2.3.2010 को रात्रि 8.30 से 9.15 बजे के बीच लगभग 5–10 उपद्रवियों के ग्रुप ने घातक हथियारों से लैस होकर गैर कानूनी ढंग से एक समूह बना कर 'जयकिरन' समाचारपत्र के कार्यालय में जबरदस्ती घुस गये और उन सबका एक ही इरादा था कि कुर्सियों, कंप्यूटरों, प्रिंटरों, क्यूबिकल ग्लास आदि तोड़ना और 5,35,000/– रु. का नुकसान करके भाग गये। श्री वीरेन्द्र शेट्टी की शिकायत के आधार पर मैंगलोर थाने में आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 448, 427 आर/डब्लयू 149 के तहत फोजदारी सं. 18/2010 पंजीकृत किया गया और 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। यह मामला जेएमएफसी 2 कोर्ट मैंगलोर में सीसी सं. 4441/10 विचाराधीन है।

जांच समिति ने चेन्नै में दिनांक 27.2.2012 को मामले पर सुनवाई की। डा0 वेंकटेश, पत्रिका संपादक कन्नड़ प्रभा की ओर से पेश हुए और परिषद को सूचित किया कि अब उन्हें कोई शिकायत नहीं है क्योंकि वे अब सुरक्षित है। आंध्र प्रदेश सरकार के एडवोकेट श्री जे.एन. देसाई, विधि अधिकारी और सरकारी वकील, बैंगलूरू मंडल, बैंगलूरू ने (1) मुख्य सचिव, और (2) सचिव, गृह (पुलिस) विभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए एक लिखित बयान दायर किया और बताया कि सरकार ने शिकायतों को घोषित कर दिया है। जांच समिति राज्य सरकार के बयान से संतुष्ट थी और स्वयं की जा रही पड़ताल को रोक दिया गया।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा उल्लिखित कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार निर्णय लिया।

## प्रेस को सुविधायें

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13. | श्रीमती नजमा बेगम<br>संपादक, दैनिक हिन्दी एक्शन<br>भोपाल<br>मध्य प्रदेश | बनाम | महानिदेशक<br>विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय<br>नई दिल्ली |

### अधिनिर्णय

**तथ्य**

यह शिकायत दिनांक 02.05.2008 श्रीमती नजमा बेगम, संपादक/प्रकाशक, दैनिक हिन्दी एक्शन, भोपाल ने विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली के विरूद्ध यह आरोप लगाते हुए की है कि उन्हें एक विज्ञापन प्रकाशित करने पर डीएवीपी से 7799/– रु. के एक विज्ञापन बिल दिनांक 11.09.2006 का भुगतान करने से इंकार किया गया। शिकायतकर्ता ने यह उल्लेख किया कि डीएवीपी आरओ.सं. 4041/0050/2006 के अनुसार, कथित विज्ञापन प्रकाशित करने के बाद, उसने भुगतान के लिये एक बिल सं. 204 दिनांक 11.09.2006 दिनांक 23.10.2006 को प्रस्तुत किया जो डीएवीपी को दिनांक 01.11.2006 को प्राप्त हुआ। तदुपरांत, दिनांक 09.04.2007 को, लेखा अधिकारी, डीएवीपी से एक पत्र सं. 6/10/2001/एबीएस/कंप्यूटर/आर दिनांक 02.02.2007 प्राप्त हुआ, जिसमें डीएवीपी ने आपत्ति की कि बिल छह दिन की देरी से प्रस्तुत किया गया अतः भुगतान नहीं किया जा सकता है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसने डीएवीपी को अपने पत्र दिनांक 29.04.2007 द्वारा बिल, वाउचर, रसीद की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए डीएवीपी को शीघ्र ही सूचित कर दिया था कि कथित बिल निर्धारित समय सीमा में अर्थात 01.11.2006 को प्रस्तुत कर दिया गया था और उसकी अंतिम तारीख 11.11.2006 थी। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि चूंकि उसे कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ इसलिये उसने कई अनुस्मारक महानिदेशक, डीएवीपी को भेजने के साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्री को भी भेजे।

शिकायतकर्ता ने परिषद् से डीएवीपी को उनके लंबित बिल का शीघ्र भुगतान करने और समाचारपत्रों को विज्ञापन जारी करने में भेदभाव और पक्षपात रोकने के लिये निदेश देने का अनुरोध किया।

**कोई टिप्पणी नहीं**

माननीय अध्यक्ष ने अपने आदेश दिनांक 08.04.2008 द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत में उनके द्वारा दिये कारणों को ध्यान में रखते हुए बिल प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ कर दिया कि वह बिल रोके जाने के समय से लेकर भारतीय प्रेस परिषद् को शिकायत करने की तारीख तक मामले को डीएवीपी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के साथ उठाती रही। दिनांक 15.4.2009 की टिप्पणियों व लिखित बयान के लिये एक नोटिस दिनांक 14.4.2009 प्रतिवादी

को भेजा गया और उसके बाद दिनांक 29.12.2009 को एक अनुस्मारक भी भेजा गया किंतु कोई भी उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ।

**तर्क**

यह मामला नई दिल्ली में जांच समिति को सुनवाई के लिये दिनांक 19.9.2011 को पेश किया गया। डा0 एच. मजीद हुसैन, शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि पेश हुए और कहा कि प्रतिवादी ने इस तथ्य के बावजूद भी बिल का भुगतान नहीं किया कि शिकायतकर्ता द्वारा डीएवीपी को अनेकों पत्र भेजे गए। उसने कहा कि आमतौर से वे नियत तारीख से पहले ही बिल भेज देती है किंतु इस मामले में बिल प्रस्तुत करने में छह दिन का विलम्ब हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष में केवल या पांच विज्ञापन ही प्रतिवादी द्वारा भेजे गए और यदि वे बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो समाचारपत्र किस प्रकार चल पायेगा। शिकायतकर्ता ने आगे यह भी कहा कि यह संभावना भी हो सकती है कि डीएवीपी के कार्यालय में बिल नियत तारीख को प्राप्त हो गया हो किन्तु संबंधित अनुभाग को नियत तारीख बीत जाने के बाद मिला हो। शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि ने अनुरोध किया कि प्रतिवादी को विज्ञापन बिलों का भुगतान करने का निदेश दिया जाए।

**रिपोर्ट**

जांच समिति ने केस का रिकार्ड देखने और उसके समक्ष दिये मौखिक बयानों को सुनने के बाद उसने पाया कि प्रतिवादी ने अनुस्मारक भेजे जाने के बाद भी अपना लिखित बयान दायर नहीं किया। उसने यह भी पाया कि प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता को भी उत्तर नहीं दिया। प्रतिवादी कार्यालय को अपने अभिलेखों की जांच करनी चाहिए और बिल देर से प्राप्त होने का आशय शिकायतकर्ता को परेशान करना नहीं है। जांच समिति ने पाया कि प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता के समाचारपत्र की सेवाएं लीं और वे भुगतान करने के लिये बाध्य हैं और मामूली विलम्ब दावे को अस्वीकार करने का कारण नहीं हो सकता है। जांच समिति ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रतिवादी को बिलों का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र करने का निदेश दिया।

यह भी पाया गया कि सरकारी कर्मचारी होने के नाते प्रतिवादी का यह कर्तव्य है कि किसी छोटे समाचारपत्र को परेशान नहीं किया जाये तथा सरकारी धन का न्यासी होने के कारण यह अनिवार्य हो जाता है कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाई जाए जिससे निर्णय निष्पक्ष और न्यायोचित होने के साथ–साथ इस प्रकार हों ताकि उन शक्तियों का प्रयोग बदले की भावना से प्रयोग नहीं किया जा सके। अतः उसने परिषद् से सिफारिश की, कि विभाग को बिलों का भुगतान जनतांत्रिक तरीके से करने का निदेश दिया जाये। उसने निदेश दिया कि परिषद् को सूचित करते हुए कार्रवाई एक माह में पूरी की जाये।

**निर्णय**

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार निर्णय लिया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14. | **श्री हरजीत दुआ**<br>**फ्रीलांसर**<br>**दिल्ली** | **बनाम** | **मुख्य सचिव**<br>**दिल्ली राजधानी क्षेत्र की सरकार**<br>**दिल्ली**<br><br>**निदेशक**<br>**सूचना एवं प्रचार निदेशालय**<br>**दिल्ली राजधानी क्षेत्र की सरकार**<br>**दिल्ली** |

**अधिनिर्णय**

**तथ्य**

श्री हरजीत दुआ, फ्रीलांसर, दिल्ली ने यह शिकायत दिनांक 30.07.2010 सूचना एवं प्रचार निदेशालय, दिल्ली राजधानी क्षेत्र की सरकार के अधीनस्थ कार्यरत प्रेस एक्रेडीटेशन समिति के विरूद्ध यह आरोप लगाते हुए की है कि उसे एक्रेडीटेशन कार्ड पुलिस द्वारा दी गई सत्यापन रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणी होने के कारण, देने से इंकार कर दिया गया जिससे उसे पत्रकारिता की ड्यूटी करने से वंचित कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसने फ्रीलांसर पत्रकार के रूप में अपने प्रेस एक्रेडीटेशन कार्ड के नवीकरण के लिये वर्ष 2009 में आवेदन किया था किंतु दिल्ली प्रेस एक्रेडीटेशन समिति की दिनांक 17.6.2010 को आयोजित बैठक में उसे अस्वीकार कर दिया गया जिसका मुख्य कारण था कि पुलिस ने तब एक प्रतिकूल टिप्पणी दे दी थी जब यह मामला सत्यापन के लिये सामान्य रूप में उसे भेजा गया था। उसे यह सूचना दिनांक 19.7.2010 को प्राप्त हुई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने अपने असंगत, मनमानी, स्वेच्छाचारित, अविवेकपूर्ण और दुर्भावना से कार्रवाई करके उसे जीवन निर्वाह के साधन से वंचित करने में पुनः सफल हो गई। शिकायतकर्ता ने पुलिस प्राधिकारियों के विरूद्ध की गई अपनी पिछली शिकायतों की पृष्ठभूमि और परिषद् द्वारा दिये निर्णय से राहत मिलने का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस और एक्रेडीटेशन समिति उसे विधि संगत उपव्यवसाय से वंचित करने में सफल हुई।

शिकायतकर्ता ने परिषद् से इस मामले में हस्तक्षेप करने और उस कथित प्रतिकूल टिप्पणी को निकालने का अनुरोध किया जिसे पुलिस ने तथा कथित 'वेरीफिकेशन' रिपोर्ट में भेजा था और प्रेस एक्रेडीटेशन समिति को उसे फ्रीलांस पत्रकार श्रेणी में प्रेस एक्रेडीटेशन कार्ड शीघ्र जारी करने का निदेश दे।

**टिप्पणियां**

टिप्पणियों के प्रेषित नोटिस दिनांक 26.10.2010 के प्रत्युत्तर में, उप निदेशक (प्रेस), सूचना एवं प्रचार निदेशालय, दिल्ली राजधानी क्षेत्र सरकार ने अपने प्रत्युत्तर दिनांक 12.11.2010 में उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता श्री हरतीत दुआ दिल्ली राजधानी क्षेत्र की

सरकार का एक सम्मानित पत्रकार रहा है। वर्ष 2006 में, श्री दुआ ने फ्रीलांस पत्रकार के रूप में अपने प्रेस कार्ड के नवीकरण के लिये आवेदन किया था। यह मामला प्रेस एक्रेडीटेशन समिति को दिनांक 30.1.2006 को प्रस्तुत किया गया था और उसने इस शर्त के साथ मंजूरी दी थी कि उसे अपने कार्यालय से अपना समाचारपत्र प्रकाशित नहीं करने के बारे में स्पष्टीकरण पस्तुत करना होगा। स्पष्टीकरण दायर करने के बाद, वर्ष 2006 में उसे प्रेस कार्ड नम्बर 262 जारी किया गया। वर्ष 2009 में श्री दुआ ने अपने प्रेस एक्रेडीटेशन कार्ड के नवीकरण के लिये आवेदन किया। मामला प्रेस एक्रेडीटेशन समिति को दिनांक 20.1.2009 को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति ने प्रेस कार्ड का नवीकरण नहीं करने का निर्णय लिया क्योंकि श्री दुआ द्वारा अपने कार्य अनुभव को प्रमाणित करने वाले समाचारपत्र की प्रिंट लाइन में उन्हें मुख्य संवाददाता लिखा गया था। दिल्ली प्रेस एक्रेडीटेशन नियम, 1986 की मद 8.5 के अनुसार, किसी भी फ्रीलांस पत्रकार को एक से अधिक संगठनों से सम्बद्ध होना चाहिए। किंतु शिकायतकर्ता केवल एक समाचारपत्र ''युवा पुकार'' से ही सम्बद्ध था। अतः समिति ने उसका केस अस्वीकार कर दिया और उसे हिन्दी दैनिक, युवा पुकार की ओर से आवेदन करने के लिये सूचित किया गया। बाद में श्री दुआ ने युवा पुकार के मुख्य संपादक के रूप में प्रेस एक्रेडीटेशन के लिये फरवरी 2010 में आवेदन किया। समिति ने दिनांक 17.2.2010 को आयोजित अपनी बैठक में मामले पर विचार किया और उसे एक नया केस मानने का निर्णय लिया गया क्योंकि बीच में एक वर्ष का अन्तराल हो गया था और इस कारण पुलिस सत्यापन कराया गया। तदनुसार, यह मामला डीसीपी को भेज दिया गया। पुलिस जांच रिपोर्ट के अनुसार, श्री दुआ छह आपराधिक मामलों में लिप्त थे। यह मामला प्रेस एक्रेडीटेशन समिति की दिनांक 17.6.2010 को आयोजित बैठक में पुनः प्रस्तुत किया गया और उसे प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट के कारण अस्वीकृत कर दिया गया। तदनुसार, शिकायतकर्ता को सूचित कर दिया गया। प्रतिवादी ने उन आपराधिक मामलों की सूची भी एफआईआर के साथ दायर की जिनमें शिकायतकर्ता संलिप्त था।

**शिकायतकर्ता का उत्तर**

शिकायतकर्ता ने अपने फैक्स दिनांक 28.12.2010 द्वारा सूचित किया कि प्रतिवादी द्वारा उल्लेख किये अनुसार छह मामलों में से उसे तीन में निर्दोष पाया जा चुका है। शेष तीन मामले बाद में दायर हुए और केवल एक केस में एफआईआर दायर की गई थी। ये सभी केस न्यायालय के विचाराधीन हैं। उसने अपना केस परिषद् की जांच समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है और वह उसके समक्ष ही दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

**तर्क**

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 19.9.2011 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिये प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्ष उपस्थित थे। शिकायतकर्ता स्वयं पेश हुआ और अपनी शिकायत को दोहराया। उसने अनुरोध किया कि उसने अपने समाचारपत्र में क्षेत्र के विधायक, सांसद और कारपोरेटरों के विरूद्ध लेख लिखे थे। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह वर्ष 1976 से एक सम्मानित पत्रकार है और अभी हाल ही में सूचना एवं प्रचार निदेशालय, दिल्ली राजधानी क्षेत्र

की सरकार ने उसे एक्रेडीटेशन कार्ड देने से इंकार किया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने फ्रीलांस पत्रकार के रूप में अपने प्रेस एक्रेडीटेशन कार्ड का नवीकरण कराने के लिये वर्ष 2009 में आवेदन किया था किन्तु प्रेस एक्रेडीटेशन समिति ने वर्ष 2010 में आयोजित अपनी बैठक में उसके कार्ड का नवीकरण नहीं किया क्योंकि पुलिस द्वारा प्रस्तुत सत्यापन रिपोर्ट में ''उसके विरूद्ध छह आपराधिक मामले दायर हैं'' प्रतिकूल टिप्पणी की है। उसने बयान दिया कि उसने दिल्ली प्रेस एक्रेडीटेशन समिति के अध्यक्ष श्री दिलबार गोथी की पुत्री के विवाह कार्ड की स्कैन्ड प्रति प्रकाशित की थी जो नवभारत टाइम्स के मुख्य संपादक हैं, विवाह एक सरकारी बंगले में सम्पन्न हुआ था। बदला लेने की भावना से उन्होंने प्रेस एक्रेडीटेशन समिति के सदस्यों उसका एक्रेडीटेशन कार्ड का नवीकरण नहीं करने के लिये दबाव डाला और इस प्रकार उसे अपनी पत्रकारिता की ड्यूटी करने से वंचित कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसे पुलिस द्वारा छह आपराधिक मामलों में बिना किसी प्रमाण के फंसाया। इन छह मामलों में से उसे तीन मामलों में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्दोष करार देकर छोड़ा जा चुका है और शेष तीन मामलों में पुलिस ने अभी तक अदालत में कोई चालान दायर नहीं किया है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि प्रेस एक्रेडीटेशन समिति सूचना एवं प्रचार निदेशालय, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के अधीन कार्य करता है। शिकायतकर्ता ने बताया कि प्रतिवादी ने भाषण देने की स्वतंत्रता पर रोक लगाने का कार्य किया है जो कि एक मौलिक अधिकार है, संविधान द्वारा जिसकी गारंटी दी गई है।

श्रीमती उर्मिला बेनीवाल, सहायक सूचना अधिकारी प्रतिवादी सूचना एवं प्रचार निदेशालय, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार की ओर से पेश हुईं और कहा कि शिकायतकर्ता युवा पुकार का एक एक्रेडीटेशन कार्ड धारक लम्बे समय तक रहा और इस बार उसने फ्रीलांस पत्रकार के रूप में आवेदन किया था। प्रतिवादी ने कहा कि समाचारपत्र (युवा पुकार) में उसका नाम प्रधान संवाद्दाता के रूप में समाचारपत्र की प्रिंट लाइन में प्रकाशित था जिसे उसने फ्रीलांस पत्रकार के रूप में एक्रेडीटेशन कार्ड के लिये प्रस्तुत अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया था। प्रेस एक्रेडीटेशन नियमावली, 1986 प्वाइंट नं. 8.5 में यह उल्लेख किया गया है कि फ्रीलांस पत्रकार के अभ्यर्थी को एक से अधिक समाचारपत्रों से सम्बद्ध होना चाहिए, किन्तु वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता ने कार्य अनुभव के लिये केवल एक समाचारपत्र ही प्रस्तुत किया। अतएव, दिल्ली प्रेस एक्रेडीटेशन समिति ने कार्ड के नवीकरण के लिये प्रस्तुत उसके आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद उसे अपने एक्रेडीटेशन कार्ड का नवीकरण कराने के लिये संपादक की श्रेणी में आवेदन करने के लिये सलाह दी गई और तब शिकायतकर्ता ने फरवरी 2010 में अपने कागजात प्रस्तुत किये और तब केस दिनांक 17.2.2010 को प्रेस एक्रेडीटेशन समिति को प्रस्तुत किया गया जिसने निर्णय लिया कि शिकायतकर्ता का केस एक वर्ष का अन्तराल पड़ जाने के कारण नया मान कर कार्रवाई की जाये। शिकायतकर्ता का केस डीसीपी को सत्यापन के लिये भेजा गया और डीसीपी की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि शिकायतकर्ता के विरूद्ध छह आपराधिक केस दर्ज हैं और उसके आधार पर शिकायतकर्ता का केस दिनांक 17.6.2010 को अस्वीकार कर दिया गया।

## रिपोर्ट

जांच समिति ने रिकार्ड और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत बयानों पर विचार किया। जांच समिति ने पाया कि इस मामले में शिकायतकर्ता को परेशान करने के लिये प्रशासन द्वारा देरी की गई। जांच समिति ने पाया कि शिकायतकर्ता पिछले 34 वर्षों से एक सम्मानित पत्रकार है और उसके एक्रेडिटेशन कार्ड का नवीकरण करने से प्रेस एक्रेडिटेशन समिति द्वारा इंकार कर दिया गया क्योंकि पुलिस रिपोर्ट नकारात्मक थी। जनतांत्रिक शासन तंत्र में कोई भी किसी के भी विरूद्ध शिकायत दायर कर सकता है और केवल एफआईआर दायर कर देने के आधार पर ही एक लम्बे समय से रहे पत्रकार को एक्रेडिटेशन से इंकार नही किया जा सकता है। मौजूदा केस में, जांच समिति की राय थी कि शिकायतकर्ता के आवेदन पर विचार करना वांछनीय था और प्रेस एक्रेडिटेशन समिति द्वारा 'दीर्घ काल और विशिष्ट श्रेणी'' के पत्रकार को एक्रेडिटेशन के तहत विचार किया जाना चाहिए था।

यह समझ में आता है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी आपराधिक मामले में अदालता द्वारा दोषी पाया जाता है और सजा दी जाती है और एक्रेडिटेशन के लिये इंकार किया जाता है, किंतु मात्र एफआईआर दर्ज होने से ही उसका अपराध सिद्ध नहीं होता है। पत्रकारिता जैसे व्यवसाय में, इस प्रकार के प्रावधानों के कारण पत्रकार को उन शक्तियों के आगे नहीं झुकने का एक अवसर मिलता है जो प्रेस को स्वतंत्रता पूर्वक काम करने में बाधक बनती हैं। अतएव, कथित धारा हमारे संविधान के मौलिक सिद्धान्तों के विरूद्ध है अतः उसे हटा देना चाहिए। संभवता ऐसे प्रावधानों को परिषद् के पिछले अधिनिर्णयों के संदर्भ में शिकायतकर्ता पर लागू किया गया था। मामले के तथ्यों के आधार पर प्रेस परिषद् को अपने अधिदेश के तहत प्रेस की स्वतंत्रता को अक्षुण रखने के लिये समर्थन में कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जांच समिति ने यह भी निर्णय लिया कि अधिनिर्णय की प्रतिलिपि उच्च प्राधिकारियों को भी भेजी जाए कि शिकायतकर्ता को एक्रेडिटेशन कार्ड शीघ्र जारी किया जाए। उसने यह भी कहा कि सरकार का कर्तव्य है कि वह निष्पक्ष और भेदभाव रहित नीति के मानदंडों के अनुसार, संगत पत्रकारों को समाचारों की कवरेज के लिये सुविधाएं उपलब्ध कराए। परिषद् ने एक मॉडल एक्रेडिटेशन नीति तैयार करते हुए सिफारिश की है कि ''समिति उन पत्रकारों को विशेष एक्रेडिटेशन प्रदान करे जो सम्मानित पत्रकार के रूप में दीर्घकालिक और विशिष्ट सेवा की है, बशर्ते उनकी आयु 58 वर्ष से अधिक हो, कम से कम 15 के लिये एक्रेडिट किया जाए, और जो उनकी सेवाओं को मान्यता मिलने के समय तक पत्रकारिता में सक्रिय भूमिका निभा रहे हों।'' अतः, राज्य सरकार, यदि आवश्यक हो, तो अपनी नीति परिषद् द्वारा तैयार मॉडल एक्रेडिटेशन नीति के अनुरूप परिवर्तित कर लें। परिषद् को सूचित करते हुए यह कार्य किया जाए। केस को उपर्युक्त निदेशों और टिप्पणियों के साथ निपटाया जाता है।

## निर्णय

परिषद् ने जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करके उपर्युक्त निदेशों के साथ शिकायत का निपटान कर दिया।

**15. श्री यू.एस. सिंघल संपादक (पीजी) पब्लिक न्यूज दिल्ली** **बनाम** **दिल्ली मैट्रो रेल कार्पोरेशन नई दिल्ली**

## अधिनिर्णय

**तथ्य**

श्री यू.एस. सिंघल, संपादक (पीजी) पब्लिक न्यूज ने ई–मेल दिनांक 3.08.2009 द्वारा यह शिकायत सुश्री सुषमा गौड़, वरिष्ठ जन सम्पर्क अधिकारी, डीएमआरसी, दिल्ली के विरूद्ध की गई है जिसमें आरोप लगाया गया कि जब उन्होंने मैट्रो कार्य के अगले चरणों की प्रगति के बारे में सूचना मांगी तो सूचना देने से इंकार किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। शिकायतकर्ता ने अपनी औपचारिक शिकायत दिनांक 15.3.2010 को प्रस्तुत की और दिनांक 3.8.2010 को प्रातः 11.50 बजे, उन्होंने डीएमआरसी की सुरक्षा की भावी योजना और सुरक्षा के फेज ।। व ।।। के बारे में कुछ सूचना पाने की कोशिश की। स्वागत कक्ष से स्वीकृति लेने के बाद वह सुश्री रामनीत से मिले जिन्होंने सुश्री सुषमा गौड़, वरिष्ठ जन सम्पर्क अधिकारी, दिल्ली मैट्रो रेल कार्पोरेशन, नई दिल्ली (प्रतिवादी) से मिलने को कहा। शिकायतकर्ता ने अपना परिचय दिया और डीएमआरसी फेज ।। व ।।। की प्रगति, सुरक्षा और प्रतिरक्षा के बारे में जानकारी देने का अनुरोध किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्होंने सबसे पहले बड़े अशिष्ट तरीके से अपने आरएनआई पंजीकरण की प्रतिलिपि दिखाने को कहा और समाचारपत्र की प्रतिलिपि भी दिखाने को कहा क्योंकि उन्हें उस समाचारपत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। प्रतिवादी ने किसी ऐरेगैरे पत्रकार को जानकारी देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि वह मीडिया कर्मी के प्रति ऐसे वरिष्ठ जन सम्पर्क अधिकारी के ऐसे रूखे व्यवहार को नहीं समझ सके। ऐरेगैरे पत्रकार शब्द पर आपत्ति व्यक्त करते हुए शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसने सतर्कता, सीवीओ और सीपीआरओ को उसी दिन पत्र भेजे किन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

बयान के लिये परिषद् के नोटिस के प्रत्युत्तर दिनांक 10.6.2010 में, प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता उससे दिनांक 3.8.2009 को मिला था और दिल्ली मैट्रो परियोजना के बारे में सूचना मांगी। चूंकि परियोजना से संबंधित जानकारी बहुत अधिक थी अतः उसने परियोजना से संबंधित प्रश्न विशेष लिखित में देने और साथ में समाचारपत्र तथा आरएनआई प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि उनके रिकार्ड के लिये कहा। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया, चूंकि पत्रकारों द्वारा मांगी गई सूचना सदैव तुरंत उपलब्ध नहीं होती है, अतः उनसे सामान्यता अपने प्रश्न लिखित में देने के लिये अनुरोध किया जाता है ताकि उस आवेदन को सूचना मंगाने के लिये संबंधित विभागों को भेजा जा सके। प्रतिवादी के अनुसार, शिकायतकर्ता यह कहता हुआ कार्यालय से चला गया कि वह आरटीआई के तहत सूचना मांग लेगा। यह पूरी बातचीत लगभग 30 सेकेंड से एक मिनट के बीच हुई। इस बातचीत के दौरान, उसने उसके साथ किसी प्रकार से अभद्र व्यवहार नहीं किया और न ही कोई सूचना देने से इंकार किया या ऐरेगैरे पत्रकार शब्द

का इस्तेमाल किया जैसेकि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है। उसने यह भी उल्लेख किया कि इसी विषय पर मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी और मुख्य सतर्कता अधिकारी, दिल्ली मैट्रो को प्रेषित ईमेल मिलने के बाद, मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी ने भी उससे पत्रकारों के साथ भविष्य में अधिक सहायतापूर्ण और सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का परामर्श दिया। उसने समिति को आश्वस्त किया कि उसने शिकायतकर्ता के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया और यदि उसके इस प्रोफेशनल व्यवहार से शिकायतकर्ता को किसी प्रकार से कोई ठेंस पहुंची है तो वह भविष्य में इस ओर अधिक ध्यान रखेगी।

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 21.8.2010 में उल्लेख किया कि यदि सूचना उपलब्ध नहीं थी तो प्रतिवादी उसे बाद में उपलब्ध करा सकती थी किन्तु व्यवहार नम्र होना चाहिए।

**रिपोर्ट**

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 19.9.2011 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिये प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। जांच समिति ने रिकार्ड पर विचार किया और पाया कि शिकायतकर्ता ने एक बहुत ही मामूली से मुद्दे की ओर उसका ध्यान आकर्षित किया और प्रतिवादी ने अपने प्रत्युत्तर में पत्रकारों को अपना पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। प्रतिवादी द्वारा दिये गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, जांच समिति ने मामले को बंद करने का निर्णय लिया। तदनुसार, उसने परिषद् से सिफारिश की।

**निर्णय**

प्रेस परिषद् ने रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा उल्लिखित कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

**16. श्री अमर सिंह जौहरी**
**संपादक**
**आखिरी कोशिश, हिन्दी दैनिक**
**पानीपत, हरियाणा**

**बनाम**

**1. निदेशक**
**सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग**
**हरियाणा सरकार, चंडीगढ़**

**2. मुख्य चुनाव अधिकारी**
**हरियाणा, चंडीगढ़**

**अधिनिर्णय**

**तथ्य**

श्री अमर सिंह जौहरी, संपादक, आखिरी कोशिश, हिन्दी दैनिक, पानीपत द्वारा प्रेषित यह शिकायत दिनांक 2.5.2009 निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ और मुख्य चुनाव अधिकारी, हरियाणा, चंडीगढ़ के विरूद्ध लोक सभा चुनाव, 2009 के दौरान प्राधिकार पत्र जारी करने में भेदभाव करने के बारे में की गई है। आयुक्त, मुख्य सचिव, हरियाणा

सरकार के पत्रों की प्रतियां जो समाचारपत्र के शीर्षकों (नाम) का सत्यापन करने के बारे में हैं, भेजते हुए शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि पत्रकारिता एक व्यवसाय बन गया है और परिषद् से अनुरोध किया कि पत्रकारों को प्राधिकार पत्र जारी नहीं करने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाये।

## टिप्पणियां

संयुक्त सचिव (प्रेस), सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हरियाणा ने मुख्य चुनाव अधिकारी, हरियाणा, चंडीगढ़ को प्रेषित और जिसकी प्रतिलिपि प्रेस परिषद् को पृष्ठांकित की गई, अपनी टिप्पणियों दिनांक 6.8.2009 में उल्लेख किया कि चुनावों के दौरान मतदान और मतगणना की प्रक्रिया को कवर करने के लिये जिला स्तर पर प्राधिकार पत्र सदा संबंधित जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी की सिफारिश के आधार पर जारी किये जाते हैं और उसकी सिफारिश के बिना एक भी प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया गया। जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी जन सम्पर्क विभाग का एक उत्तरदायी अधिकारी होता है और वह प्रेस से सौहार्द्रपूर्ण संबंध बनाये रखने के बारे में भलीभांति जानता है। श्री अमर सिंह जौहरी द्वारा दायर शिकायत की विषय वस्तु में किसी व्यक्ति विशेष या संगठन के प्रति कोई शिकायत नहीं की गई है। वस्तुतः, शिकायत की विषय वस्तु परामर्शिय प्रकृति की है। इन परिस्थितियों में, विभाग को तब तक कोई जांच कराना संभव नहीं है जब तक कि किसी व्यक्ति विशेष या संगठन पर आरोप न लगाए गए हों। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि मीडिया कर्मियों को प्राधिकार पत्र जारी करते समय पूरी सावधानी बरती जाती है ताकि कोई शरारती तत्व चुनाव प्रक्रिया को बाधित न कर सके।

शिकायतकर्ता ने अपने एक दूसरे पत्र दिनांक 18.10.2011 में उल्लेख किया कि पत्रकारिता को जिला जन सम्पर्क अधिकारी के निदेशों के तहत ही अपनी ड्यूटी निष्पादित करनी पड़ती हैं और अफवाहें फैलाने के आरोप में केवल छोटे और मझोले समाचारपत्रों को ही जांच करने के दौरान दंडित किया जाता है जबकि राष्ट्रीय समाचारपत्र अपने निजी हितों के लिये इन गतिविधियों में शामिल होते हैं। यह प्रेस की आजादी को समाप्त करने के समान होता है और उसने परिषद् से अनुरोध किया कि वह प्राधिकारियों को छोटे और मझोले समाचारपत्रों के हित में प्रेस की आजादी को बनाये रखने के लिये निदेश दे।

## रिपोर्ट

जांच समिति ने मामले पर नई दिल्ली में दिनांक 19.9.2011 को विचार किया, जब शिकायतकर्ता नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुआ। श्री अशोक कुमार, उप निदेशक, जन सम्पर्क विभाग और श्री महेन्द्र कुमार, उप अधीक्षक, मुख्य चुनाव अधिकारी का कार्यालय, हरियाणा सरकार ने प्रतिवादी की ओर से पेश होते हुए उल्लेख किया कि जिला जन सम्पर्क अधिकारी चुनाव कवरेज हेतु प्राधिकार पत्र जारी करने के लिये नामों की सिफारिश करता है। इसके अतिरिक्त, उनका विभाग ऐसे अवसरों पर उन सभी को सदैव सुविधाएं उपलब्ध कराता है जो क्षेत्रीय पत्रकारिता से सम्बद्ध होते हैं।

जांच समिति ने मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद कहा कि सरकार को चुनावों की कवरेज के लिये एक निष्पक्ष और उद्देश्य मूलक नीति अपनानी चाहिए। जांच समिति के दिशानिर्देशों का उल्लेख नीचे किया जाता है –

(क) चुनाव स्थलों पर मीडिया कार्मिकों के प्रवेश को नियंत्रित करने के नियम/आदेश अधिसूचित करने चाहिए और पासों के लिये आवेदन करने की अंतिम तारीख को पर्याप्त समय पूर्व प्रचारित करना चाहिए।

(ख) चूंकि चुनाव प्रक्रिया के बारे में कुछ भी गोपनीय या गुप्त नहीं होता है, अतएव प्राधिकारियों की यह ड्यूटी है कि मीडिया काार्मिकों को चुनाव बूथों और उन केन्द्रों तक जाने की अनुमति दें जहां मतगणना की जा रही हो तथा उन अन्य स्थलों तक जाने की अनुमति दें जहां से वे चुनाव के विभिन्न चरणों के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हों। पासों के लिये आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख के बारे में सभी मीडिया कार्मिकों को अग्रिम सूचना दी जाए। यदि नियत तारीख तक सभी आवेदन पत्र मिल जाएं तो निर्धारित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए उन्हें समान रूप से लागू किया जाये और संबंधित प्राधिकारियों द्वारा बिना किसी भेदभाव के उन्हें पास जारी किये जाएं।

जांच समिति ने परिषद् से सिफारिश की, कि शिकायत का निपटान करते हुए हरियाणा सरकार को परामर्श दे कि शिकायतकर्ता के केस को दीर्घ एवं विशिष्ट पत्रकार की श्रेणी में रखने के लिये विचार करे।

**निर्णय**

प्रेस परिषद् ने रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा उल्लिखित कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

**17. श्री कमल बक्शी**
**संपादक/प्रकाशक**
**दिव्य प्रभात, हिंदी/साप्ताहिक**
**मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश**

**बनाम**

**मुख्य सचिव**
**उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ**

**मुख्य निर्वाचन अधिकारी**
**उत्तर प्रदेश, लखनऊ**

**जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधीश**
**मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश**

**अधिनिर्णय**

यह शिकायत दिनांक 6.5.2009 श्री कमल बक्शी, संपादक/प्रकाशक, दिव्य प्रभात,

हिन्दी साप्ताहिक, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधीश, मुजफ्फरनगर के विरूद्ध चुनाव के दौरान जिले के साप्ताहिक समाचारपत्रों को प्रेस पास जारी नहीं करने के बारे में दायर की गई । उसने यह भी आरोप लगाया कि कुछ समाचारपत्रों को प्रेस पास जारी किये गए थे किंतु उन्हें मतदान केन्द्रों के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी जो चुनाव कवरेज पर प्रेस परिषद् के दिशानिर्देशों का गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने परिषद् से मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

बयान के लिये भेजे गए नोटिस दिनांक 23.9.2009 के प्रत्युत्तर में प्रतिवादी उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपनी टिप्पणियों दिनांक 26.10.2009 में उल्लेख किया कि जिला सूचना अधिकारी ने मामले में छानबीन की और उल्लेख किया कि फिलहाल मुजफ्फरनगर में 54 मान्यताप्राप्त पत्रकार हैं जो दैनिक और साप्ताहिक समाचारपत्रों से संबंधित हैं और वे पूरी आजादी और सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। उसने यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता साप्ताहिक समाचारपत्रों से मान्यताप्राप्त नहीं है अतः वह इन सुविधाओं को पाने का पात्र नहीं है। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि जिला प्रशासन ने दैनिक/साप्ताहिक समाचारपत्रों के पत्रकारों के लिये पांच वाहनों की व्यवस्था की थी जो चुनाव समाचारों को कवर करने के लिये जिले में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं और उसके लिये किसी व्यक्ति विशेष पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उसने यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने अंतिम तारीख तक अपना आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया और चुनाव की पूर्व संध्या पर, वह अन्य साप्ताहिक समाचारपत्रों जो वर्षों से प्रकाशित नहीं हो रहे थे के पत्रकारों के साथ जिला सूचना अधिकारी के कार्यालय पर एकत्र हो गया और उस पर प्रेस पास जारी करने के लिये दबाव डालने लगे किंतु जिला प्रशासन ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 10.12.2009 में उल्लेख किया कि जांच एक अराजपत्रित अधिकारी द्वारा की गई जिसका कोई मूल्य नहीं था और उसे जांच के बारे में सूचित भी नहीं किया गया। उसने यह भी विवेचित किया कि जाँच रिपोर्ट एक पक्षीय थी । उसने यह भी उल्लेख किया कि जांच रिपोर्ट के अंतिम अनुच्छेद में उल्लेख किया गया कि दैनिक और साप्ताहिक समाचारपत्रों के सभी 54 मान्यताप्राप्त पत्रकार सभी सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं परंतु शिकायतकर्ता को सुविधा नहीं दी गई क्योंकि उनका समाचारपत्र साप्ताहिक है, जो विरोधाभासी वक्तव्य है। उसने यह भी उल्लेख किया कि प्रतिवादी का यह कथन कि प्रशासन द्वारा संपादकों और पत्रकारों से प्रेस पास के लिये आवेदन मांगे गए थे और शिकायतकर्ता ने उसके लिये अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं किया, कथन गलत और वेबुनियाद है क्योंकि वह स्वयं ही जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधीश से 5.5.2009 को मिला था और चुनाव को कवर करने के लिये प्रेस पास जारी करने का अनुरोध किया था और उन्होंने उसे आश्वासन दिया था कि कल 11.00 बजे पूर्वाहन उसे पास मिल जाएगा किंतु अगले दिन उसे इंकार कर दिया गया। उसने यह भी उल्लेख किया कि जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधीश ने वर्ष 2009 के चुनाव

में दैनिक और साप्ताहिक समाचारपत्रों के बीच अंतर कर दिया और इस कारण उसे सूचना के अधिकार से वंचित कर दिया गया और इस प्रकार भारतीय प्रेस परिषद् के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया।

यह मामला नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष दिनांक 18.11.2011 को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता ने टेलीफोन पर मामले पर सुनवाई करने का अनुरोध किया किंतु समिति के उठने तक सुनवाई में पेश नहीं हुआ। श्री अतीक अहमद सिद्दीकी, ओ.एस.डी., ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और डॉ0 राम मनोहर मिश्रा, ए.डी.एम. कार्यपालक, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश की ओर से पेश होते हुए बयान दिया कि उन्हें चुनाव के दौरान मान्यताप्राप्त पत्रकारों के लिये ही प्रेस पास मिलते रहे और शिकायतकर्ता हकदार नहीं था क्योंकि वह मान्यताप्राप्त पत्रकार था।

जांच समिति ने अभिलेख का अवलोकन और प्रतिवादी के प्रतिनिधि का बयान सुनने के बाद निर्णय लिया कि शिकायतकर्ता एक साप्ताहिक समाचारपत्र प्रकाशित करके अधिकार के रूप में इस सुविधा का दावा नहीं कर सकता है। जांच समिति ने डीआईओ के उत्तर पर सहमति व्यक्त की, कि उचित नियमों और प्रक्रिया का अनुपालन किया जाये और उसके बाद ही शिकायतकर्ता प्रेस पास के लिये हकदार हो सकता है। जांच समिति ने इन टिप्पणियों के साथ शिकायत का निपटान करने का निर्णय लिया। तदनुसार, उसने परिषद् से सिफारिश की।

प्रेस परिषद् ने मामले के अभिलेख और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार किया और तदनुसार निर्णय लिया।

**18. श्री रामचरन माली**
**संपादक, वनवासी एक्सप्रेस**
**बरन, राजस्थान**

**बनाम**

**निदेशक**
**सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग**
**राजस्थान सरकार, जयपुर**

## अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 10.7.2010 श्री रामचरन माली, संपादक, वनवासी एक्सप्रेस, बरन, राजस्थान द्वारा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के विरूद्ध उसे प्रत्यायन सुविधाएं देने से मनमाने ढंग से इंकार करने के आरोप में दायर की गई। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसने संयुक्त निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को उसे प्रत्ययन सुविधाएं देने के लिये वर्ष 1990 में डाक से अनेक पंजीकृत पत्र भेजे किंतु प्रतिवादी ने जानबूझकर उसे मान्यता तथा अन्य सुविधाओं से वंचित रखा। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने मान्यता प्राप्त करने के लिये सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को प्रस्तुत किये गए उसके मूल दस्तावेजों को गुम कर दिया। शिकायतकर्ता ने परिषद् से मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

परिषद् के जवाबी वक्तव्य के पत्र दिनांक 6.12.2010 के प्रत्युत्तर में प्रतिवादी, निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने अपनी टिप्पणियों दिनांक 20.12.2010 में उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता का मामला उनके कार्यालय को विचारार्थ प्राप्त हुआ और उससे अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये कहा गया यथा –

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी का पूर्णकालिक एवं आजीविका संबंधी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र प्राप्त कर भिजवाएं।
2. शपथ पत्र रुपये 10.00 का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर भरकर एवं तस्दीक करवाकर भिजवाएं।
3. कलक्टर की अनुशंषा भिजवाएं।
4. पूर्णकालिक सवैतनिक पत्रकारिता का 5 वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र भिजवाएं।
5. अधिस्वीकरण प्रपत्र भरकर भिजवाएं।
6. घोषणा पत्र की प्रतिलिपि संबंधित पत्र के संपादक से प्राप्त कर भिजवाएं।
7. जन्म तिथि का प्रमाण पत्र भिजवाएं।
8. दैनिक समाचारपत्र के छह माह के अंकों का सेट भिजवाएं।
9. साप्ताहिक/पाक्षिक पत्र के मत एक वर्ष के अंकों का सेट भिजवाएं।
10. पोस्टल रजिस्ट्रेशन नम्बर के लिये प्रमाण पत्र की प्रति भिजवाएं।
11. समाचारपत्र की समूल्य प्रसार संख्या का सनदी लेखाकार का प्रमाण पत्र भिजवाएं।
12. आर.एन.आई. के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भिजवाएं।
13. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र भिजवाएं।
14. उपर्युक्त प्रमाण पत्रों की फोटोस्टेट प्रतिलिपियों को आवेदन के साथ संलग्न कर जन सम्पर्क अधिकारी, बारां द्वारा निदेशालय को भिजवाएं ताकि अधिकारीगण संबंधी कार्यवाही की जा सके।

प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता वांछित अर्हता प्राप्त नहीं है और पुलिस जिला अधीक्षक, बारां के अनुसार, उसके विरूद्ध आईपीसी की धाराओं 120बी, 417, 419 और 420 के तहत एक मुकदमा चल रहा है। प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता के साथ नवम्बर 2004 से दिसम्बर 2010 तक हुए पत्राचार की प्रतियां लौटा दीं और कहा कि शिकायत वेबुनियाद है।

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति–टिप्पणियों दिनांक 5.3.2011 में उल्लेख किया कि उसने अपेक्षित दस्तावेज एक दर्जन से अधिक बार संबंधित प्राधिकारियों को भेजे किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। उसने यह भी उल्लेख किया कि उसने हर बार दस्तावेज पंजीकृत डाक व अन्य साधनों से भेजे किंतु डाटा क्लर्क ने उसके कागजातों को गुम कर दिया। उसने परिषद् से अनुरोध किया कि निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर के कार्यालय से उसके मूल दस्तावेज वापस मंगवाए।

यह मामला नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष दिनांक 18.11.2011 को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं था। श्री पी.एल. मेघवाल, संयुक्त निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार प्रतिवादी की ओर से पेश हुए और जांच समिति के समक्ष बयान दिया कि विभाग ने शिकायतकर्ता को सभी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये 15 पत्र लिखे किंतु उसने उनका अनुपालन नहीं किया। शिकायतकर्ता का समाचारपत्र अनियमित है और नियमों में निर्धारित अपेक्षित अर्हताओं को पूरा नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता के विरूद्ध आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एक केस विचाराधीन है।

जांच समिति ने रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री पर गंभीरतापूर्वक विचार किया और प्रतिवादी सरकार द्वारा उठाई आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया जो मात्र तकनीकी प्रकृति की भासित होती हैं। समिति शिकायतकर्ता को केवल इस आधार पर मान्यता देने से इंकार करने के लिये दिये तर्क से सहमत नहीं थी कि शिकायतकर्ता पर आईपीसी की धारा 120बी, 417, 419 और 420 के तहत एक मुकदमा चल रहा है। समिति के विचार में, यदि किसी व्यक्ति को नैतिक चरित्रहीनता का दोषी पाया जाता है तभी मान्यता देने से इंकार किया जा सकता है। यह आरोप कि शिकायतकर्ता स्नातक नहीं है, समिति का मत है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पत्रकार को स्नातक होना चाहिए। यदि यह शर्त लागू की जाती है तो इससे संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन होगा। यदि पत्रकार होने के लिये शैक्षिक अर्हता पूर्व–अपेक्षित हो तो देश ने अपने कुछ प्रसिद्ध पत्रकारों को खो दिया होता। जांच समिति ने प्रतिवादी की तीसरी आपत्ति पर विचार किया कि समाचारपत्र नियमित नहीं है जिसका शिकायतकर्ता ने विरोध किया और उसका यह मत था कि प्रतिवादी शिकायतकर्ता से पिछले छह माह के अंकों को प्रस्तुत करने की मांग कर सकता था। यदि शिकायतकर्ता नियमित प्रकाशन की शर्त पूरी करता तो प्रतिवादी मान्यता दे सकता था। जांच समिति ने शिकायतकर्ता को नया आवेदन प्रस्तुत करने का निदेश दिया जिसमें प्रकाशन की नियमितता के बारे में प्रतिवादी विभाग की शर्त पूरी करे और प्रतिवादी संयुक्त निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा उसे मान्यता दी जाए। उसने इन निदेशों के साथ शिकायत का निपटान करने के लिये परिषद् से सिफारिश की।

प्रेस परिषद् ने मामले के अभिलेख और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार किया और तदनुसार, निर्णय लिया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **19.** | **श्री अनुराग शुक्ला**<br>**पत्रकार**<br>**सत्ता एक्सप्रेस**<br>**कानपुर देहात** | **बनाम** | **निदेशक**<br>**सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग**<br>**उत्तर प्रदेश सरकार**<br>**लखनऊ** |

**अधिनिर्णय**

यह शिकायत दिनांक 10.6.2010 जिलाधीश, कानपुर देहात के विरूद्ध पत्रकारों को पहचान पत्र जारी नहीं करने के आरोप में दायर की गई है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि जिलाधीश द्वारा स्थायी समिति की बैठक का आयोजन नहीं किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि उसने जिलाधीश को स्थायी समिति का गठन करने और उसकी बैठक बुलाने के लिये पत्र भेजा था किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। उसने यह भी उल्लेख किया कि जिला सूचना अधिकारी और जिलाधीश, कानपुर देहात ने उसे संपादक कार्ड जारी नहीं किया हालांकि निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश सरकार को भी शिकायत की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पत्रकारों को धमकियों की शिकायतों पर कार्रवाई के लिये जिला स्तर पर समिति गठित करने का प्रावधान है किंतु आज तक किसी ऐसी समिति का गठन नहीं किया गया है।

जिलाधीश, रामबाई नगर ने अपनी टिप्पणियों दिनांक 15.9.2010 में उल्लेख किया कि आरोप झूठे हैं। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि स्थायी समिति का समय–समय पर गठन किया जाता है और बैठकें आयोजित की जाती हैं। स्थायी समिति की पिछली बैठक दिनांक 31.8.2010 को आयोजित की गई थी जिसमें शिकायतकर्ता उपस्थित था। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि उसे पत्रकारों को परेशान करने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायतकर्ता को संपादक कार्ड नहीं करने के संबंध में प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि उन्हें निदेशक, सूचना के कार्यालय से कार्ड अभी तक नहीं मिला है।

जांच समिति ने नई दिल्ली में दिनांक 31.1.2012 को सुनवाई की। शिकायतकर्ता स्वयं पेश हुआ और बयान दिया कि वह एक मान्यताप्राप्त पत्रकार है और उसका समाचारपत्र नियमित है अतः वह पहचान कार्ड और विज्ञापनों के लिये प्राधिकृत है। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि निविदा विज्ञापन जारी नहीं किया गया, स्थायी समिति की बैठक नहीं बुलाई गई जबकि समाचारपत्र नियमित है, प्रतिवादी द्वारा कोई रसीद जारी नहीं की गई। श्री बनेश्वर द्विवेदी ने प्रतिवादी की ओर से पेश होते हुए समिति को सूचित किया कि पहचान कार्ड जारी करने का काम निदेशालय, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, लखनऊ द्वारा किया जाता है जिनका वितरण जिला कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। उसने इसके लिये शिकायतकर्ता की पात्रता को स्वीकार किया।

जांच समिति ने दोनों पक्षों के बयान सुने। शिकायतकर्ता की मुख्य शिकायत पहचान कार्ड जारी नहीं करने के बारे में है। प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने बयान दिया कि शिकायतकर्ता

पहचान कार्ड के लिये हकदार है, किंतु यह सूचना विभाग, लखनऊ द्वारा जारी किया जाता है। तदनुसार, राज्य सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को निदेश दिया कि शिकायतकर्ता को पहचान कार्ड तुरंत जारी किया जाए। इसके अतिरिक्त विज्ञापन नीति के नियमों के अनुसार, उसे विभाग द्वारा विज्ञापन दिये जाएं।

प्रेस परिषद् ने जांच समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली और तदनुसार, निर्णय लिया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **20.** | **श्री विनय गुप्ता**<br>**मुख्य सचिव**<br>**भारतीय समाचारपत्र एवं**<br>**पत्रकार संघ**<br>**नई दिल्ली** | **बनाम** | **निदेशक**<br>**सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग**<br>**हरियाणा सरकार**<br>**चंडीगढ़** |

**अधिनिर्णय**

यह शिकायत दिनांक 3.1.2011 निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, हरियाणा सरकार के विरूद्ध हरियाणा राज्य के बाहर प्रकाशित समचारपत्रों को मान्यता प्रदान करने में कथित भेदभाव बरतने के आरोप में दायर की गई है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, हरियाणा सरकार के अनुसार किसी भी साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक समाचारपत्र जिसका प्रकाशन हरियाणा से बाहर हो रहा है, को पैनल में तभी शामिल किया जाएगा जब उस समाचारपत्र का परिचालन 10,000 से अधिक होगा तथा समाचारपत्र के 40 से अधिक पृष्ठ होने चाहिए। शिकायतकर्ता के अनुसार, समाचारपत्रों के सूचीयन के लिये जो हरियाणा से प्रकाशित हो रहे हैं, साप्ताहिकों का परिचालन 2,500 और 4 पूर्ण पृष्ठ या 8 पत्रिका आकार पृष्ठ होने चाहिए, पाक्षिक और मासिक का परिचालन 2000 और 8 पत्रिका आकार होना चाहिए जो पूर्णतया भेदभावपूर्ण है। शिकायतकर्ता ने परिषद् से अनुरोध किया कि वह प्रतिवादियों को हरियाणा राज्य से बाहर प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों के साथ भेदभाव न करे।

प्रतिवादी ने अपनी टिप्पणियों दिनांक 5.9.2011 में उल्लेख किया कि हरियाणा मीडिया एक्रेडिटेशन नियमावली, 2008 के नियम 4(1) समाचार संगठन (प्रिंट मीडिया) अनुसूची 1, क्रम सं. 6 ''हरियाणा से प्रकाशित आवधिक/पत्रिकाएं (साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक)'' के अनुसार, परिचालन 1,000 से कम, कम से कम 40 पृष्ठ, प्रति प्रकाशन, नहीं होना चाहिए जबकि समाचारपत्रों के मामले में कम से कम चार पूरे आकार के पृष्ठ या 8 पत्रिका आकार के पृष्ठ प्रति प्रकाशन होने चाहिए।''

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 11.10.2011 में उल्लेख किया कि प्रतिवादी ने किसी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक के हरियाणा राज्य में पत्रकार के

सूचीयन के लिये मानदंडों का कोई उल्लेख नहीं किया है। उसने यह भी उल्लेख किया कि यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि मान्यता कार्ड कौन और किसको जारी करेगाा। शिकायतकर्ता ने अंत में उल्लेख किया कि यह भेदभावपूर्ण नीति है और प्रेस की आजादी को बाधित करती है।

जाँच समिति ने मामले पर दिनांक 31.1.2012 को नई दिल्ली में विचार किया और शिकायतकर्ता (स्वयं) और प्रतिवादी के लिए श्री अशोक कुमार शर्मा को सुना। जाँच समिति ने हरियाणा सरकार की अधिसूचनाओं का अवलोकन किया। इन्होंने अनुभव किया कि उपबंधों को देखते हुए दो प्रकार की व्याख्या की जा सकती है। हमारी राय में, यदि दो प्रकार के विचार हैं, जोकि समुचित रूप से संभव हैं तब लाभ प्रेस को मिलना चाहिए। तदनुसार, जाँच समिति ने निदेश दिया कि शिकायतकर्ता को तत्काल प्रत्यायन दिया जाये।

प्रेस परिषद् ने जाँच समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया और तदनुसार, निर्णय लिया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **21.** | **मदन वर्मा**<br>**संपादक**<br>**गुड हरियाणा**<br>**जींद, हरियाणा** | **बनाम** | **निदेशक**<br>**सूचना एवं जन सम्पर्क और**<br>**सांस्कृतिक कार्य विभाग**<br>**हरियाणा सरकार, चंडीगढ़** |

**अधिनिर्णय**

यह शिकायत दिनांक 9.10.2009 संपादक, गुड हरियाणा, जींद द्वारा सूचना एवं जन सम्पर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, हरियाणा सरकार के विरूद्ध प्रेस मान्यता कार्ड जारी नहीं करने के आरोप में दायर की गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, समाचारपत्र को तब मान्यता प्राप्त थी जब पाक्षिक प्रकाशन होता था किंतु दिनांक 1.4.2008 से साप्ताहिक होने के बाद हरियाणा सरकार ने समाचारपत्र को साप्ताहिक के रूप में पंजीकृत नहीं किया, हालांकि वह दिनांक 7.10.2008 को मान्यता के लिये आवेदन करतें समय सभी अपेक्षाओं को पूरा करता था। प्रतिवादी ने अपने पत्र दिनांक 2.12.2009 द्वारा उसे एबीसी/आरएनआई/डीएवीपी द्वारा जारी नवीनतम परिचालन प्रमाण पत्र की प्रति या सीए प्रमाण पत्र के साथ इस आशय का एक हलफनामा और नवम्बर 2009 माह में नगरवार इसका परिचालन और अप्रैल व मई 2009 माह में प्रकाशित समाचारपत्र के अंकों को भी प्रस्तुत करने का निदेश दिया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसने अपने पत्रों दिनांक 14.7.2009 और 7.12.2009 द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत कर दी। मान्यता देने से उसे फिर भी गलत आधार पर इंकार कर दिया गया कि नियमों में उल्लेखानुसार आकार नहीं है।

प्रतिवादी ने अपनी टिप्पणियों दिनांक 26.8.2010 में उल्लेख किया कि प्रेस शाखा ने ऐसा कभी नहीं कहा कि मान्यता केवल उन्हीं समाचारपत्रों को दी जाती है जिनका आकार 52x33 सेंमी होता है। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि समाचारपत्रों के निम्नलिखित

आकार लागू होते हैं – पूर्ण आकार के समाचारपत्र 52"x33" आकार, पत्रिका आकार 11"x17"। प्रतिवादी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आकार के बारे में विभाग के कथन को गलत समझा । पत्रिका आकार का समाचारपत्र छोटा आकार होता है और इस प्रकार कोई भेदभाव नहीं किया गया। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि पत्रिकाओं और दैनिक समाचारपत्रों के रिपोर्टरों को मान्यता हरियाणा मीडिया एक्रेडिटेशन अधिनियम में अधिसूचना के आधार पर ही दी जाती है।

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 15.11.2010 में उल्लेख किया कि प्रतिवादी का यह आरोप कि समाचारपत्र गुड हरियाणा का आकार पत्रिका वाला है, सरासर गलत है क्योंकि अप्रैल 2009 से प्रकाशन मान्य आकार में किया जा रहा है।

जांच समिति नई दिल्ली में दिनांक 31.1.2012 को मामले पर सुनवाई की और पाया कि कोई भी पक्ष पेश नहीं हुआ। अतः उसने परिषद् से शिकायत को खारिज करने की सिफारिश की।

प्रेस परिषद् ने जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **22.** | **मौ0 अब्दुल अजीम**<br>**फ्रीलांस पत्रकार**<br>**हैदराबाद** | **बनाम** | **निदेशक**<br>**सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग**<br>**हैदराबाद** |

**अधिनिर्णय**

मौ0 अब्दुल अजीम, फ्रीलांस पत्रकार की यह शिकायत दिनांक 11.3.2010 सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हैदराबाद सरकार, आंध्र प्रदेश विरूद्ध है जो शिकायतकर्ता के मान्यता कार्ड नवीनीकरण नहीं किये जाने के बारे में है। उसके पास आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी मान्यता कार्ड था किंतु वर्ष 2010 में, आंध्र प्रदेश सरकार ने उसके मान्यता कार्ड का नवीकरण करने से इंकार कर दिया। जब उसने इस संबंध में पूछताछ की तो बताया गया कि फ्रीलांस पत्रकार को पूरे पृष्ठ/आधे पृष्ठ का समाचारपत्र लेख देना चाहिए। शिकायतकर्ता को सभी अपेक्षाओं को पूरा करने के बाद भी मान्यता देने से इंकार किया गया।

उत्तर में विवरण के लिये परिषद के नोटिस दिनांक 11.6.2010 के उत्तर में, प्रतिवादी जिला जन सम्पर्क अधिकारी (एफएसी), हैदराबाद ने अपनी टिप्पणियों दिनांक 29.6.2010 में उल्लेख किया कि जिला मीडिया मान्यता समिति द्वारा वर्ष 2010 के लिये अनुमोदन किये अनुसार विभिन्न मीडिया प्रबंधनों के रिपोर्टरों/संवाददाताओं को मान्यता कार्ड जारी किये गए थे। अध्यक्ष/जिलाधीश और मीडिया मान्यता समिति के सदस्य मीडिया प्रबंधनों/व्यक्तियों के आवेदनों की जांच करते हैं। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता के आवेदन की डीएमएसी द्वारा जांच की गई किंतु उस व्यक्ति ने बड़े/मझोले समाचारपत्रों में जीओ एमएस सं. 96 दिनांक 8.3.2006 के पैरा 11(बी) में उल्लिखित नियमों के अनुसार, प्रकाशित पर्याप्त (12) बड़े लेख प्रस्तुत नहीं किये थे। अतः डीएमएसी ने निर्णय लिया कि फ्रीलांस मान्यता कार्ड तभी

जारी किया जा सकता है जब 12 बड़े लेख प्रस्तुत किये गए हो किंतु शिकायतकर्ता ऐसे लेख प्रस्तुत नहीं कर सका। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मीडिया/रिपोर्टरों के प्रबंधन के आवेदनों की वर्ष 2010 की सभी फाइलों को देखा था और अपना संतोष व्यक्त किया था तथा तब कोई भी दावा नहीं किया।

आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद ने अपने पत्र दिनांक 4.8.2010 द्वारा सूचित किया था कि जी.ओ. के नियम 11 (ए तथा बी) के अनुसार – (क) फ्रीलांस संवाददाता/फोटोग्राफर/कार्टूनिस्ट जिसे किसी समाचारपत्र या समाचार एजेंसी या फोटो समाचार एजेंसी या सरकारी मीडिया या प्राइवेट इलैक्ट्रानिक मीडिया में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो, के आवेदन पर मान्यता जारी करने के लिये विचार किया जा सकता है यदि उसका उप मुख्य व्यवसाय पत्रकारिता रहता है, और (ख) फ्रीलांस संवाददाता आवेदन की तारीख से पिछले वर्ष में बड़े/मझोले दैनिकों/पत्रिकाओं में उप नियमों के अनुसार, बारह लेख प्रस्तुत करेगा। उसने यह भी सूचित किया कि शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 11.3.2010 में उल्लेख किया कि वह किसी समाचारपत्र में काम नहीं करता है और वह फ्रीलांस पत्रकारिता का कार्य कर रहा है। यह स्पष्ट प्रमाण है कि शिकायतकर्ता नियमों में उल्लेखानुसार पत्रकार के रूप में 10 वर्ष के अनुभव की शर्त पूरी नहीं करता है। शिकायतकर्ता ने बाईलाइन के साथ कोई क्लीपिंग भी प्रस्तुत नहीं की। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए शिकायतकर्ता मान्यता के लिये पात्र नहीं है और इसीलिये जिला मीडिया मान्यता समिति, हैदराबाद द्वारा मान्यता नहीं दी गई।

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 17.10.2010 में परिषद् को सूचित किया कि प्रतिवादी का कथन पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद है । शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसने मान्यता कार्ड के नवीकरण के लिये आवेदन किया था न कि नया कार्ड जारी करने के लिये।

जांच समिति ने चेन्नै में दिनांक 28.2.2012 को मामले पर सुनवाई की। मौ0 अब्दुल अजीम, शिकायतकर्ता ने स्वयं उपस्थित होकर बयान दिया कि वह सभी अपेक्षाएं पूरी करता है और उसने समाचारों की 65 कतरनें भेजीं थीं और उसे 2008–09 के लिये मान्यता प्रदान की गई थी।

श्री टी.वी. चन्द्रा शेखरैयाह, जिला जन सम्पर्क अधिकारी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश ने सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की ओर से पेश होते हुए अनुरोध किया कि मान्यता देने का निर्णय एक समिति द्वारा लिया जाता है जिसमें जिलाधीश द्वारा नामित सदस्य और पत्रकार शामिल होते हैं। फ्रीलांसर के मामले में, आवेदक को 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और अपनी बाईलाइन वाले 12 लेख प्रस्तुत करने चाहिए। हालांकि, शिकायतकर्ता ने सामान्य समाचारों की 65 कतरनें प्रस्तुत की थीं जो अपेक्षित नहीं थीं। शिकायतकर्ता ने अपनी बाईलाइन के केवल तीन लेख प्रस्तुत किये थे। प्रतिवादी ने जांच समिति को यह भी सूचित किया कि प्रत्येक वर्ष मान्यता के लिये नया आवेदन प्रस्तुत करना होता है और शिकायतकर्ता ने वर्ष 2011 और 2012 के लिये

आवेदन नहीं किया। उसका केस वर्ष 2010 का था और आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख प्रत्येक वर्ष दिसम्बर होती है जो इस वर्ष बीत चुकी है।

जांच समिति ने रिकार्ड पर विचार किया और पक्षों के बयान सुने। शिकायत शिकायतकर्ता की मान्यता को आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिवादी प्राधिकारियों द्वारा उसका नवीकरण नहीं करने के बारे में है। मान्यता वर्ष 2010 के लिये है जिसकी तारीख निकल चुकी है और शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया कि उसने वर्ष 2011 या 2012 के लिये आवेदन नहीं किया है।

इन परिस्थितियों में, जांच समिति ने शिकायतकर्ता को सभी अनिवार्यताओं को पूरा करते हुए इस वर्ष के लिये मान्यता हेतु एक नया आवेदन प्रस्तुत करने का निदेश दिया और यदि वह ऐसा करता है तो प्राधिकारी नियमों के अनुसार, उस पर निर्णय करेंगे। जांच समिति ने परिषद् से शिकायत का निपटान करने की सिफारिश की।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा उल्लिखित कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

**23. श्री पी.वी. रमन्ना राव**
**संवाददाता, पीटीआई**
**गुंटूर, आंध्र प्रदेश**

**बनाम**

**जिला जन सम्पर्क अधिकारी**
**गुंटूर, आंध्र प्रदेश**

**अधिनिर्णय**

यह शिकायत दिनांक 9.9.2010 गुंटूर स्थित पीटीआई के संवाददाता द्वारा जिला सूचना अधिकारी, गुंटूर के विरूद्ध सार्वजनिक कार्यक्रमों, प्रेस मीटिगों आदि के बारे में जानकारी नहीं देने के आरोप में दायर की गई है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि जिला जन सम्पर्क अधिकारी (डीपीआरओ) ने पृथक तेलंगाना राज्य के गठन पर श्री कृष्ण आयोग की प्रेस सम्मेलन में उसके प्रवेश पर शुरू में रोक लगा दी थी किंतु जब उसने अनुरोध किया, तो पुलिस ने अनुकम्पा के आधार पर प्रवेश करने की अनुमति दी जो उस जैसे एक वरिष्ठ संवाददाता के लिये अपमानजनक और लज्जाप्रद था। चूंकि प्रतिवादी डीपीआरओ का आचरण गैर–जिम्मेदाराना था तो उसने इस घटना की शिकायत आयुक्त, जन सम्पर्क एवं सूचना, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद को कर दी जिससे डीपीआरओ ने बदले का व्यवहार करना शुरू कर दिया और उसे सजा देने के लिये प्रेस विज्ञप्तियां भेजना बंद कर दिया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि यह सार्वजनिक महत्व और हित के समाचारों को देने और प्रसार करने में बाधा डालने का एक प्रयास था।

प्रतिवादी आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद ने अपनी टिप्पणियों में उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता का नाम श्री कृष्ण आयोग के स्थल पर पत्रकारों के प्रवेश के लिये पुलिस को दी गई सूची में शामिल था किंतु सभा स्थल पर

अत्यधिक भीड़ होने के कारण प्रवेश में बाधा आई। यद्यपि, शिकायतकर्ता को प्रेस सामग्री नियमित रूप से भेजी जा रही है और एक ज्ञापन संबंधित अधिकारी को भेजा गया जिसमें कार्यक्रमों के सुचारू संचालन के लिये मीडिया के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाये रखने के निदेश दिये गए और किसी को भी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया जाये तथा अपने सरकारी कार्यों के निर्वहन में अधिक ध्यान देने को कहा गया।

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 17.10.2011 में उल्लेख किया कि प्रतिवादी ने अपने लिखित बयान में जिला परिषद् कार्यालय की घटना से इंकार किया और प्रतिवादी डीपीआरओ के आचरण को उचित ठहराया किंतु अनजाने में एक स्वीकारोक्ति कर ली जो उनके बयान से मेल नहीं खाती है और उसके बाद सोचविचार कर एक गलत योजना तैयार की गई। प्रतिवादी ने परिषद् के समक्ष गलत बयान दिया है और उसने तथ्यों के आधार पर मामले में जांच करने का अनुरोध किया।

जांच समिति ने चेन्नै में दिनांक 28.2.2012 को इस मामले पर विचार किया। शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुआ। श्री पी. नरसिम्हा राव, डिवीजनल जन सम्पर्क अधिकारी, गुंटूर प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए। रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर जांच समिति ने शिकायत पर कार्रवाई करना उचित नहीं समझा और परिषद् से केस को खारिज करने की सिफारिश की।

प्रेस परिषद् ने जांच समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली और शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

## सिद्धांत और प्रकाशन

**24. श्री अमर कुमार सिंह**
**अंग्रेजी विभाग के प्रमुख**
**एस.के.एम. विश्वविद्यालय**
**दुमका, झारखंड**

**बनाम**

**संपादक**
**प्रभात खबर**
**देवघर, झारखंड**

**अधिनिर्णय**

**तथ्य**

श्री अमर कुमार सिंह, प्रमुख, अंग्रेजी विभाग, एस के एम विश्वविद्यालय, दुमका, झारखंड ने यह शिकायत दिनांक 20.11.2007 प्रभात खबर, देबघर के विरूद्ध दो शीर्षकों 'न्यायाधीशों की नियुक्ति का विवाद' – 'संवैधानिक टकराव के आसार' दिनांक 3.10.2007 और 'अधिकार कार्यपालिका का है' दिनांक 4.10.2007 समाचार प्रकाशित होने और उसका स्पष्टीकरण प्रकाशित नहीं करने के कारण की है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि प्रभात खबर में सुधांशु रंजन द्वारा लेख में आक्षेपित विचार न्यायपालिका की निंदा है और कार्यपालिका की

सर्वोच्चता की वकालत की गई है। शिकायतकर्ता ने आक्षेपित लेख का विरोध करते हुए लेख के रूप में अपने विचार व्यक्त किये किन्तु उन्हें प्रकाशित नहीं किया गया। आक्षेपित समाचार शीर्ष न्यायालय द्वारा 'कालेजियम' के क्रियान्वयन के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव के बारे में है। शिकायतकर्ता ने आक्षेपित प्रकाशन से कुछ आपत्तिजनक वाक्यों को चुना है जैसे (क) कालेजियम का संदर्भ देना सर्वोच्च न्यायालय पर सीधा आक्रमण है, (ख) लेख में न्यायाधीशों की अवमूल्यन और बुराइयों के बारे में चर्चा की गई है, (ग) राजनीतिज्ञों के गुणों की प्रशंसा की गई है (घ) सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक बेंचों के निर्णयों की निंदा की गई है (च) प्रश्न किया गया है कि एक परिवार से कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सकती है (छ) केवल कुछ ही परिवारों को न्यायिक पद मिले हैं (ज) सम्पर्क रखने वाले न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है।

## रिपोर्ट

जांच समिति ने इस मामले पर कोलकाता में दिनांक 28.9.2010 को और नई दिल्ली में दिनांक 23.11.2010 को विचार किया और सुनवाई को स्थगित कर दिया ताकि प्रतिवादी को दिनांक 24.3.2009 को प्रेषित कारण बताओ नोटिस का लिखित बयान प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके। श्री संजय मिश्रा, आवासीय संपादक, प्रभात खबर ने अपने लिखित बयान दिनांक 5.8.2011 में उल्लेख किया कि लेख एक वरिष्ठ पत्रकार द्वारा लिखा गया था। शिकायतकर्ता के विचारों को प्रकाशित नहीं करने का संदर्भ देते हुए कहा कि समाचारपत्र ने लेख पर किसी भी आपत्ति को आमंत्रित नहीं किया। हालांकि, शिकायतकर्ता की आपत्तियां जो लेख पर एक सामान्य प्रतिक्रिया स्वरूप भेजी गई थी, को प्रकाशित करना उचित नहीं समझा गया और समाचारपत्र की स्वतंत्रता पर सबाल उठाना उचित नहीं था।

जांच समिति ने इस मामले पर पुनः नई दिल्ली में दिनांक 18.8.2011 को विचार किया। शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ जबकि श्री संजय मिश्रा, आवासीय संपादक, प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत हुए, ने अपना लिखित बयान प्रस्तुत किया।

जांच समिति ने रिकार्ड पर विचार किया और कहा कि आक्षेपित प्रकाशन मुख्यता न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में हैं और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा संसदीय समिति के समक्ष दी गई राय पर केन्द्रित है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1993 में दिया गया निर्णय असंवैधानिक था और उससे न्यायाधीशों में सुधार होने के बजाय गिराबट आई। जांच समिति की यह भी राय थी कि संपादक को सामग्री के चयन में बहुत छूट होती है और आक्षेपित समाचार इतना विवादास्पद नहीं था कि उस पर अन्य विचारों को आमंत्रित किया जाए और इस कारण समाचारपत्र शिकायतकर्ता के विचारों को प्रकाशित करने के लिये बाध्य नहीं था। जांच समिति ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा कोई केस सिद्ध नहीं हुआ अतः उन्होंने इस मामले को खारिज करने की सिफारिश की ।

**निर्णय**

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

**25. श्री नवदीप सिंह विर्क**
**पुलिस अधीक्षक**
**जिला सोनीपत**
**हरियाणा**

**बनाम**

**संपादक**
**अमर उजाला**
**नोयडा, उत्तर प्रदेश**

**अधिनिर्णय**

**तथ्य**

यह शिकायत दिनांक 4.11.2008 श्री नवदीप सिंह विर्क, पुलिस अधीक्षक, जिला सोनीपत द्वारा अमर उजाला के विरूद्ध उनके अंक दिनांक 27.10.2008 में शीर्षक 'चार हत्याओं से थर्राया सोनीपत जिला' और उप शीर्षक '48 घंटे में हुई सात हत्याओं ने त्योहार किया फीका', 'घटनाओं से हल्कान हुआ पुलिस का भी महकमा, 'घर से बुलाकर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म' और 'लूटपाट का विरोध करने पर तेजधार हथियारों से हत्या' से प्रकाशित झूठे और बेबुनियाद समाचारों के विरोध में की गई है। आक्षेपित समाचार में प्रकाशित हुआ था कि छतिया देव में ग्रामीणों के ग्रुपों में झगड़ा हो गया था और झगड़े में दोनों ओर से एक–एक व्यक्ति मारा गया। शिकायतकर्ता ने समाचार के उस अंश पर आपत्ति की जिसमें कहा गया कि एक मृतक को जनता अस्पताल ले गई और दूसरा मृतक मार्ग पर ही पड़ा रहा जिससे यातायात बाधित रहा। शिकायतकर्ता पुलिस अधीक्षक, श्री नवदीप सिंह विर्क ने उल्लेख किया कि सूचना प्राप्त होने पर वह संबंधित पुलिस अधिकारियों और जांच अधिकारी तथा उप पुलिस अधीक्षक (शहर) के साथ जांच पड़ताल के लिये घटना स्थल पर पहुंचे और पाया कि दोनों ग्रुपों से एक–एक व्यक्ति, हमला करने वाले ग्रुप से मोनू और बचाव करने वाले ग्रुप के मेहर सिंह झगड़े में मारे गए हैं। किन्तु, कोई भी लाश यातायात में बाधा डालने के लिये सड़क पर नहीं पड़ी थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, मोहाना पुलिस मृतकों को सरकारी अस्पताल, सोनीपत ले गई और पोस्ट–मार्टम के बाद उनके रिश्तेदारों को सौंप दिया गया जिन्होंने सड़क में जाम लगाये बिना उनकी अंत्येष्टि कर दी। शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 30.10.2008 द्वारा प्रतिवादी संपादक, अमर उजाला को घटना की स्थिति के बारे में अवगत कराया किंतु न तो कोई प्रत्युत्तर प्रकाशित किया गया और न ही उसे कोई उत्तर मिला।

**लिखित बयान**

प्रतिवादी ने अपने लिखित बयान दिनांक 16.1.2010 द्वारा शिकायत में लगाये गए आरोपों से इंकार करते हुए कहा कि आक्षेपित समाचार न तो आपत्तिजनक है और न ही

समाचारपत्र या संपादक ने कोई व्यावसायिक कदाचार किया है। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार उद्देश्य परक था और बिना किसी दुर्भावना के सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए निष्पक्ष प्रकाशित किया गया और जो तथ्यों पर आधारित है। प्रतिवादी संपादक के अनुसार, वास्तव में सचाई यह है कि घटना के समय, सोनीपत जिला में कानून व व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी, अपराध दर अत्यधिक थी और जिला पुलिस उसे काबू करने में असहाय थी। जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिये आक्षेपित समाचार प्रकाशित किया गया जो पूरी तरह सही है। उसने उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार अनेक घटित अपराधों और पुलिस डायरी में दर्ज रिकार्ड तथा रिपोर्टर द्वारा स्वयं जांच पड़ताल पर आधारित है। उसने यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने स्वयं भी हत्याओं आदि घटनाओं से इंकार नहीं किया है और उसने स्वयं स्वीकार किया है कि उस घटना में दो व्यक्ति मारे गए। उसकी मुख्य शिकायत यह है कि विरोध कर रही भीड़ ने मार्ग अवरूद्ध नहीं किया। रिपोर्टर मौके पर उपस्थित था और उसने मार्ग अवरूद्ध होने की समस्या को स्वयं देखा। प्रतिवादी ने ग्रामीणों द्वारा घटना के बारे में जारी संयुक्त बयान को प्रस्तुत किया। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार प्रकाशित करके जिला में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया गया, समाचारपत्र ने अपने दायित्व और भूमिका को पूरे उत्तरदायित्व के साथ निभाया और यह भी कहा कि शिकायतकर्ता को जनता द्वारा उनकी कार्रवाई की आलोचना करना पसंद नहीं आया।

लिखित बयान की एक प्रति शिकायतकर्ता को दिनांक 5.2.2010 को सूचनार्थ/प्रति टिप्पणियों, यदि हों, के लिये भेज दी गई परंतु कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ ।

## रिपोर्ट

यह मामला दिनांक 19.8.2011 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिये प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता को पेशी के लिये भेजे गए नोटिस के अनुसार, उसका कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ और नोटिस टिप्पणी 'अब शिफ्ट हो गए हैं' के साथ वापस आ गया जबकि सर्वश्री सुनील अवस्थी, मुख्य प्रबंधक, अमित चौधरी, वरिष्ठ अधिकारी, पी. आर. राजहंस, एडवोकेट प्रतिवादी, 'अमर उजाला' की ओर से उपस्थित हुए। जांच समिति ने पाया कि न तो शिकायतकर्ता और न ही पुलिस विभाग ने शिकायत के संबंध में कोई अगली कार्रवाई नहीं की और न तो शिकायतकर्ता या विभाग की ओर से प्रतिवादी के विरूद्ध कोई लिखित बयान प्राप्त हुआ, जो सचिवालय द्वारा उनके विभाग को वर्ष 2010 में भेजा गया था। अतएव उसने मामले में अनुवर्ती कार्रवाई नहीं किये जाने पर परिषद् से मामले को बंद करने का निर्णय लिया और तदनुसार, परिषद् से सिफारिश की।

## निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

**26. श्री शिव कुमार फैजाबादी**
**स्वतंत्र पत्रकार/सचिव**
**जागरूक नागरिक मंच**
**फैजाबाद**

**बनाम**

**संपादक**
**माया अवध, मासिक पत्रिका**
**लखनऊ, उत्तर प्रदेश**

## अधिनिर्णय

### तथ्य

यह शिकायत दिनांक 8/25.11.2010 श्री शिव कुमार फैजाबादी द्वारा संपादक, माया अवध, मासिक पत्रिका के विरूद्ध यह आरोप लगाते हुए की गई है कि अजय श्रीवास्तव, पत्रिका ब्यूरो प्रमुख ने पत्रिका के सितम्बर, 2010 संस्करण में लेख ''आजादी के 63 वर्ष बाद भी भारत माता गूंगी क्यों'' और ''फैजाबाद के सभी दलों, जनप्रतिनिधियों'' अपने नाम से प्रकाशित कराए। शिकायतकर्ता के अनुसार उसके लेखों को ब्यूरो प्रमुख द्वारा प्रकाशन के लिए मंगाया गया था और ब्यूरो प्रमुख ने उन्हें अपने फोटोग्राफ के साथ अपने नाम में अपनी रचना के रूप में प्रकाशित कर दिया। चूंकि ये लेख पूर्व में शिकायतकर्ता के नाम से उसके फोटोग्राफ के साथ प्रकाशित हो चुके थे अतः ब्यूरो प्रमुख द्वारा लेख को शब्दशः उठाना कॉपी राइट एक्ट और पत्रकारिता नीति का उल्लंघन था ।

परिषद् के पत्र दिनांक 9.3.2011 के प्रत्युत्तर में, संपादक, माया अवध, मासिक पत्रिका ने अपनी टिप्पणियों दिनांक 30.3.2011 में उल्लेख किया कि श्री अजय श्रीवास्तव फैजाबद ब्यूरो प्रमुख के रूप में उससे सम्बद्ध रहे हैं। उस हैसियत में उसने दोनों आक्षेपित लेख उक्त शीर्षकों के साथ भेजे थे जिन्हें उनके ब्यूरो प्रमुख द्वारा रिपोर्टों के रूप में पत्रिका में प्रकाशित कर दिया गया। यह भी, कि पत्रिका उससे जुड़े पत्रकारों के ही लेखों को प्रकाशित करती है। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि इसकी सूचना शिकायतकर्ता को टेलीफोन पर दे दी गयी थी ।

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति–टिप्पणियों दिनांक 3.5.2011 में उल्लेख किया कि जब उसने संपादक से टेलीफोन पर सम्पर्क किया और कथित आक्षेपित लेखों को प्रकाशित करने पर आपत्ति की तो संपादक ने उससे कहा कि आगामी अंक में इस बारे में एक शुद्धिपत्र प्रकाशित कर दिया जाएगा।

### रिपोर्ट

यह मामला परिषद् की जांच समिति को सुनवाई हेतु दिनांक 19.8.2011 को प्रस्तुत किया गया था । किसी भी पक्ष की ओर से कोई भी प्रस्तुत नहीं हुआ । शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 24.8.2011 में मामले के गुण दोषों के आधार पर निर्णय लेने का अनुरोध किया, जबकि प्रतिवादी संपादक ने अपने पत्र दिनांक 12.8.2011 के साथ पत्रिका, अगस्त 2011 संस्करण की एक प्रति भेज दी जिसमें बड़े अक्षरों में खेद प्रकाशित किया गया है । जांच समिति

ने रिकार्ड का अनुशीलन किया और पाया कि शिकायतकर्ता द्वारा खेद प्रकाशित करने की मांग प्रतिवादी संपादक द्वारा पूरी कर दी गई जो पत्रकारिता के आदर्श मानदंडों के अनुरूप है । अतः मामले को बंद करने का निर्णय लिया गया और तदनुसार, परिषद् को सिफारिश की ।

**निर्णय**

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और जाँच समिति द्वारा दिये कारणों तथा निर्णय को स्वीकार करते हुए तदनुसार, अपना निर्णय दिया ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **27.** | **श्री अशोक कुमार**<br>**मेजर जनरल (सेवा–निवृत्त)**<br>**भोपाल, मध्य प्रदेश** | **बनाम** | **स्थानीय संपादक**<br>**हिन्दुस्तान टाइम्स**<br>**भोपाल, मध्य प्रदेश** |

**अधिनिर्णय**

**तथ्य**

यह शिकायत दिनांक 25.3.2010 मेजर जनरल (सेवा–निवृत्त), अशोक कुमार द्वारा स्थानीय संपादक, हिन्दुस्तान टाइम्स, भोपाल के विरूद्ध उनका पत्र दिनांक 27 फरवरी, 2010 को कांटछांट कर प्रकाशित करने के कारण की गई है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि भोपाल में प्रस्तावित युद्ध स्मारक की नींव रखे जाने के अवसर पर, मुख्य मंत्री ने पूर्व–सैनिकों के लिये अन्य अनेक कल्याणकारी उपायों की घोषणा की थी जिससे उन्हें मुख्य मंत्री द्वारा पूर्व में किये गए वायदों का स्मरण हो आया, जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया था। चूंकि उन्हें आशंका थी कि कहीं यह पूरा आयोजन केवल प्रचार मात्र न रह जाये इस कारण उन्होंने स्थानीय संपादक, हिन्दुस्तान टाइम्स, भोपाल को समारोह की प्रशंसा करते और राज्य सरकार के पिछले रिकार्ड के बारे में अपने संदेहों को भी व्यक्त करते हुए प्रकाशन के लिये एक पत्र दिनांक 24.02.2010 भेजा। किंतु संपादक ने उनके पत्र को कांटछांट करके इस प्रकार परिवर्तित रूप में दिनांक 27.02.2010 को प्रकाशित किया कि राज्य सरकार की मिलीजुली प्रशंसा और आलोचना, जो इसका प्रयोजन था, के बजाय एक अनचाही चापलूसी जैसा रह गया। उसे देखकर उन्होंने अपना विरोध संपादक को ईमेल से भेजा। संपादक ने अपने ईमेल दिनांक 3.2.2010 द्वारा उनसे मूल पत्र की प्रतिलिपि भेजने के लिये कहा। तत्पश्चात, न तो संपादक ने उत्तर दिया और न ही कुछ प्रकाशित किया।

शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उनकी शिकायत का कारण संपादक द्वारा संपादित पत्र को उनके नाम से इस रूप में प्रकाशित करना है जो उनके प्रतिष्ठित आचरण पर एक काली छाया डालता है क्योंकि वह उन कुछ सेवा–निवृत्त जनरल अधिकारियों में से हैं जो भोपाल में बसे हुए हैं। इससे पूर्व–सैनिकों के ध्वजावाहक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को गहरा आघात

पहुंचा। शिकायतकर्ता ने परिषद् से अनुरोध किया कि प्रतिवादी को हिन्दुस्तान टाइम्स, भोपाल संस्करण में प्रमुख स्थान पर एक उचित क्षमा पत्र शीघ्र प्रकाशित करने का निदेश दिया जाए।

## कोई लिखित बयान नहीं

प्रतिवादी को एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.05.2010 तथा बाद में एक अनुस्मारक दिनांक 22.12.2010 भेजा गया किन्तु अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला।

## तर्क

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 19.9.2011 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिये प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्ष उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि वह भोपाल में बसे तीन सेवा–निवृत्त मेजर जनरलों में से एक है और दिनांक 18.2.2010 को आयोजित समारोह में, मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने बड़े–बड़े वायदे किये थे। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि सरकार के बारे में उनके आलोचनात्मक विचारों को केवल प्रशंसा के रूप में हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित किया गया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि संपादक ने विषय वस्तु का अर्थ ही बदल दिया जो मूलतः प्रशंसा और आलोचना का मिश्रण था। शिकायतकर्ता ने समिति को यह भी अवगत कराया कि वायदा किये गए कार्य अभी तक शुरू नहीं किये गए हैं।

श्री मंसीमारन सिंह ने हिन्दुस्तान टाइम्स की ओर से पेश होते हुए बयान दिया कि प्रकाशित समाचार प्रशंसा और आलोचना का मिश्रण है किन्तु संपादन कार्य में कोई दुर्भावना नहीं थी।

## रिपोर्ट

जांच समिति ने मामले पर विचार किया और दोनों पक्षों के बयान सुने। उसने पाया कि शिकायतकर्ता ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्यों की शुरूआत नहीं किये जाने पर राज्य सरकार के विरूद्ध अपने विचार व्यक्त किये थे और सरकार द्वारा की गई अच्छी पहल के लिये मुख्य मंत्री की प्रशंसा में एक पत्र भेजा था, लेकिन पत्र में उन वायदों की आलोचना अधिक की गई थी जो पूरे नहीं किये गए थे। जांच समिति ने पाया कि जैसा शीर्षक 'धन्यवाद, मुख्य मंत्री' से ही स्पष्ट दिखता है, अभिप्राय 'धन्यवाद' देना था किन्तु शिकायतकर्ता के मतानुसार यह चापलूसी समान हो गया जबकि प्रकाशित आक्षेपित पत्र से आलोचना निकाल दी गई थी। जांच समिति की राय थी कि स्थानाभाव के कारण संपादन करने में संपादक की कोई दुर्भावना या दूषित प्रयोजन नहीं हो सकता है। उसका यह भी विचार था कि शिकायतकर्ता को अपनी चिंता व्यक्त करने का भी उचित कारण बनता है और इस कारण जांच समिति ने प्रतिवादी को सैनिकों के विचारों को प्रकाशित करने का निदेश दिया तथा शिकायतकर्ता को अपनी चिंताओं का उल्लेख करते हुए एक और पत्र प्रकाशन के लिये प्रतिवादी संपादक को भेजने का निदेश दिया जिसमें उसके पिछले पत्र का भी संदर्भ दिया जाए। उसने इन टिप्पणियों और निदेशों के साथ शिकायत का निपटान करने के लिये परिषद् से सिफारिश की।

**निर्णय**

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

**28. श्री एम.के. बेनीवाल**
**जंगपुरा – भोगल**
**नई दिल्ली**

**बनाम**

**1. संपादक**
**हिन्दुस्तान, नई दिल्ली**

**2. संपादक**
**दि हिन्दू**
**चेन्नै**

**अधिनिर्णय**

**तथ्य**

श्री एम.के. बेनीवाल, नई दिल्ली ने ये शिकायतें नई दिल्ली से प्रकाशित हिन्दुस्तान, हिन्दी दैनिक और चेन्नै से प्रकाशित दि हिन्दू, अंग्रेजी दैनिक के विरूद्ध उनके समाचारपत्रों में दिनांक 01 अप्रैल, 2010 को प्रकाशित कथित झूठे समाचारों जिनके शीर्षक क्रमशः 'जातिगत आधार पर नहीं रूक सकता ट्रांसफर' और 'उच्च न्यायालय ने उत्पीड़न का आरोप खारिज किया' (हिन्दी अनुवाद) थे, के विरोध में दायर की है। आक्षेपित समाचारों में प्रकाशित किया गया था कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि स्थानान्तरण और तैनाती के मामले में कोई भी जातिगत आधार अस्वीकार्य होगा । दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अनुसूचित जाति कर्मचारी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम पर उत्पीड़न का आरोप लगाये जाने के मामले में टिप्पणी की थी कि 'याचिकाकर्ता (अधिकारी) अपना स्थानान्तरण रूकवाने के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आधार बना रहा है। अधिकारी, एम.के. बेनीवाल, महाप्रबंधक, पीईसी लिमिटेड, एक सरकारी उद्यम ने हैदराबाद हुए अपने स्थानान्तरण को चुनौती दी थी और अदालत से अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग से उन्हें प्रबंधन द्वारा उत्पीड़ित करने की शिकायतों के बारे में रिकार्ड मंगवाने का अनुरोध किया था, समाचारों में यह भी कहा गया कि न्यायाधीश अग्रवाल, अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग और पुलिस जहां याचिकाकर्ता (शिकायतकर्ता) ने प्रबंधन के विरूद्ध शिकायतें दर्ज की थीं, ने मामले में जांच पड़ताल करने पर पाया कि शिकायतों का कोई आधार ही नहीं था। न्यायाधीश इस बात से भी पूर्णतया संतुष्ट बताये गए कि शिकायतकर्ता अपने स्थानान्तरण को रुकवाने के लिये अपने इच्छित उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रबंधन के विरूद्ध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आधार बना रहा है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादियों ने उसके नाम के साथ समाचार प्रकाशित करके सेवा संबंधी मामलों में अनुसूचित जाति को आधार बनाये जाने का झूठा आरोप लगाया है। उसे अदालत से न्याय मिल गया था और आक्षेपित समाचारों ने उसकी प्रतिष्ठा,

कैरियर और अदालती निर्णय को क्षति पहुंचाई और यह भी उल्लेख किया कि प्रतिवादियों ने बिना किसी प्राधिकारिता और बिना सत्यापन किये या उसका बयान लिये बिना ही समाचार प्रकाशित किये। शिकायतकर्ता ने प्रतिवादियों से स्पष्टीकरण और क्षमा मांगने के लिये दिनांक 1.5.2010 और 26.7.2010 को पत्र भेजे थे।

दो प्रतिवादियों हिन्दुस्तान, नई दिल्ली और दि हिन्दू, चेन्नै को क्रमशः दिनांक 14.6.2010 और 11.10.2010 को कारण बताओ नोटिस भेजे गए।

**लिखित बयान**

1. प्रतिवादी, हिन्दुस्तान, नई दिल्ली ने अपने लिखित बयान दिनांक 24.6.2010 में उल्लेख किया कि निर्णय दिये जाने के बाद, वह सार्वजनिक होता है और उसे कोई भी प्राप्त कर सकता है तथा कानून के अनुसार, उसका उपयोग कर सकता है। प्रतिवादी ने इससे इंकार किया कि प्रकाशित समाचार से शिकायतकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार, सम्मान या प्रतिष्ठा का किसी भी प्रकार से उल्लंघन हुआ हो। शिकायतकर्ता ने स्वयं ही अनुसूचित जाति संबंधी उत्पीड़न, अत्याचार को आधार बना कर अपने स्थानान्तरण को चुनौती दी थी और प्रशासनिक अपरिहार्यताओं का ध्यान नहीं रखा गया था, अतः यह गलत है कि प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता का नाम 'एससी' के साथ जोड़कर प्रमुखता दी, प्रतिवादी ने यह भी कहा कि विचारगत समाचार समाज में दिन प्रति दिन घटित होने वाली घटनाओं का एक सामान्य समाचार होने के सिवाय कुछ और नहीं था, लोगों के मन मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ता है और कोई सत्य तथा सही समाचार प्रकाशित करने पर सार्वजनिक क्षमा मांगने का प्रश्न ही नहीं उठता है, चाहे उसकी मांग की गई हो या नहीं, समाचार में प्रयुक्त भाषा लगभग उसी भाषा के अनुरूप थी जो उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में प्रयुक्त की गई थी।

2. एसोशियट संपादक, दि हिन्दू, चेन्नै ने अपने लिखित बयान दिनांक 26.10.2010 में उल्लेख किया कि प्रकाशित समाचार दिल्ली उच्च न्यायालय के अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध निर्णय पर आधारित तथ्यात्मक समाचार था और वह माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय जैसाकि पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध था, की पुनरोक्ति था। समाचार को सद्भाव और किसी व्यक्ति विशेष को कोई क्षति पहुंचाने की किसी मंशा के बिना प्रकाशित किया गया था और समाचार में कोई झूठा, लापरवाही का आरोप, अक्षमता या अन्य कोई आरोप नहीं लगाया गया जिससे शिकायतकर्ता को कोई हानि होती हो। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि जब अदालती निर्णय सार्वजनिक हो जाता है तो उसकी प्रमाणिकता या शिकायतकर्ता से तथ्यों की पुष्टि कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। समाचारपत्र ने ऐसी कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की जिससे आरक्षित श्रेणी के अधिकारियों को समाज में अपने इच्छित उद्देश्य प्राप्ति में कोई बाधा आती हो।

## प्रति टिप्पणियां

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 23.8.2010 और 7.3.2011 में उल्लेख किया कि लिखित बयान की विषय वस्तु भ्रामक और झूठी है और उसने स्वयं उपस्थित होकर बयान देने का अवसर प्रदान करने का अनुरोध किया।

## तर्क

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 19.9.2011 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिये पेश किया गया। दोनों पक्ष उपस्थित थे। शिकायतकर्ता ने समिति के समक्ष बयान दिया कि समाचार झूठा और भद्दा था जो उसे जनता तथा उसके संस्थान में उसकी प्रतिष्ठा को ठेंस पहुंचाने के इरादे से प्रकाशित किया गया था। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि प्रतिवादियों ने जातिगत आक्षेप लगाये और उसका बयान नहीं लिया। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि उसने कंपनी के लिये अच्छा कारोबार किया है। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि अदालत ने समादेश याचिका में निर्णय दिया था कि स्थानीय समाचारपत्रों और रिपोर्टरों को यह निर्णय देखने की अनुमति नहीं होगी किन्तु प्रतिवादी समाचारपत्रों ने उसके सम्मान को ठेंस पहुंचाने के लिये उन्हें प्रकाशित कर दिया।

श्री मनसिमरन सिंह  हिन्दुस्तान और श्री रामानुजम दि हिन्दू की ओर से समिति के समक्ष पेश हुए और उन्होंने बताया कि उन्हें श्री न्यायाधीश एस.एन. अग्रवाल का निर्णय वेबसाइट से मिला और जो पब्लिक डोमेन में होने के कारण किसी का बयान लेने की जरूरत नहीं थी। निर्णय में यह स्पष्ट कहा गया कि शिकायतकर्ता अपने स्थानान्तरण को रुकवाने के लिये ही अपने इच्छित उद्देश्य प्राप्ति के लिये प्रबंधन के विरूद्ध एससी/एसटी को आधार बना रहा है। अतएव, शिकायतकर्ता की राय लेने की जरूरत ही नहीं थी। दोनों प्रतिवादियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे अदालत के निर्णय पर शिकायतकर्ता का बयान लेने के लिये बाध्य नहीं थे। प्रतिवेदक होने के कारण उन्हें शिकायतकर्ता का नाम देना पड़ा और निर्णय प्रतिबंधात्मक प्रकृति का था।

## रिपोर्ट

जांच समिति ने मामले पर गंभीरता पूर्वक विचार किया और पाया कि शिकायतकर्ता ने पत्रकारिता के आदर्शों के उल्लंघन का कोई आधार नहीं बनाया। यदि शिकायतकर्ता अपने इस केस को ठीक कराना चाहता है तो वह निर्णय की समीक्षा के लिये अनुरोध कर सकता है। जांच समिति ने शिकायत का कोई आधार नहीं पाया और परिषद् से शिकायत का संज्ञान नहीं लेने की सिफारिश की।

**निर्णय**

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **29.** | **श्री एन.बी. मणी**<br>**अवर सचिव**<br>**प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड**<br>**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग**<br>**नई दिल्ली** | **बनाम** | **संपादक**<br>**राष्ट्रीय सहारा**<br>**देहरादून** |

**अधिनिर्णय**

**तथ्य**

यह शिकायत दिनांक 31.07.2009 श्री एन.बी. मणी, अवर सचिव, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली जो मूलतः राष्ट्रीय सहारा, हिन्दी दैनिक (देहरादून) को संबोधित है,ने 21 जून, 2009 के अंक में प्रकाशित झूठे और बेबुनियाद समाचार 'पूछताछ से पहले 10 लाख रु. का भुगतान' के विरोध में की है। आक्षेपित रिपोर्ट में कहा गया है कि 'इन दिनों भारत सरकार का प्रौद्योगिकी विकास विभाग अराजकता की बुरी हालत से गुजर रहा है। एक ओर तो वरिष्ठ अधिकारी प्रश्न पूछे जाने पर कंपनी से भुगतान करने की मांग करते हैं, और दूसरी ओर एक माह पहले ही कंपनी को सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के बिना ही 10 लाख रु. से अधिक का भुगतान किया गया'।

लिखित बयान दायर करने के लिये प्रतिवादी को एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 5.10.2009 भेजा गया था किन्तु बयान दायर नहीं किया गया।

**रिपोर्ट**

जांच समिति ने नई दिल्ली में दिनांक 20.9.2010 को मामले पर सुनवाई की। दोनों ही पक्षों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। हालांकि, शिकायतकर्ता के विभाग ने एक पत्र दिनांक 9.9.2010 द्वारा सूचित किया कि मामले में अगली कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। जांच समिति ने शिकायतकर्ता के विभाग के पत्र दिनांक 9.9.2010 को ध्यान में रखते हुए शिकायत को बंद करने का निर्णय लिया। तदनुसार, उसने परिषद् से सिफारिश की।

**निर्णय**

परिषद् ने अनुवर्ती कार्रवाई नहीं होने के कारण शिकायत को बंद करने का निर्णय लिया।

**30. श्री चन्द्र भूषण शर्मा** **बनाम** **संपादक**
**प्रिंसिपल** **राष्ट्रीय सहारा**
**एस.एस. कॉलेज** **पटना, बिहार**
**जहानाबाद**

**अधिनिर्णय**

यह शिकायत दिनांक 28.12.2008 प्रिंसिपल, एस.एस. कॉलेज, जहानाबाद द्वारा राष्ट्रीय सहारा, पटना के विरूद्ध निम्नलिखित शीर्षकों से प्रकाशित कथित झूठे और गुमराह करने वाले समाचारों के विरूद्ध दायर की गई है:

| क्रम सं. | शीर्षक | प्रकाशन की तारीख |
|---|---|---|
| 1 | एनएसयूआई का प्राचार्य के विरूद्ध आन्दोलन का ऐलान | 24.12.2008 |
| 2 | छात्रों पर से मुकदमे वापस ले कालेज प्रबंधन : रामशंकर | 25.12.2008 |

आक्षेपित समाचारों में यह आरोप लगाया गया है कि कॉलेज के बीसीए विद्यार्थियों के विदाई समारोह के समय नृत्य किये गए और जब कनिष्ठ विद्यार्थियों और आसपास के ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो उन पर झूठे आरोप लगाये गए। शिकायतकर्ता ने आरोपों से इंकार करते हुए उल्लेख किया कि विदाई समारोह के अवसर पर कोई नृत्य कार्यक्रम नहीं किया गया था और ग्रामीणों ने पार्टी में भाग भी नहीं लिया। हालांकि, उसने उल्लेख किया कि दो विद्यार्थियों ने कॉलेज में हुए झगड़े के बारे में एक एफआईआर दर्ज करा दी । शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 20.12.2009 द्वारा प्रतिवादी का इस ओर ध्यान भी आकर्षित किया था किंतु कोई उत्तर नहीं मिला।

कारण बताओ नोटिस दिनांक 22.4.2009 के उत्तर में, प्रतिवादी स्थानीय संपादक, राष्ट्रीय सहारा, पटना ने अपने अदिनांकित लिखित बयान में जो परिषद् के सचिवालय को दिनांक 11.5.2009 को प्राप्त हुआ, उल्लेख किया कि बीसीए विद्यार्थियों की विदाई पार्टी के बारे में समाचार भारतीय राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ के जिला अध्यक्ष द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर प्रकाशित किया गया था। समाचार का मकसद समाचार प्रकाशित करना था और शिकायतकर्ता प्रिंसिपल द्वारा इसका विरोध करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि एक अन्य हिन्दी दैनिक 'आज' ने भी एक ऐसा ही समाचार कॉलेज प्रशासन और एनएसयूआई के बीच विदाई पार्टी से संबंधित मामले में टकराव के बारे में प्रकाशित किया था। प्रतिवादी ने यह कहते हुए बात समाप्त की, कि राष्ट्रीय सहारा ने कई बार कॉलेज की प्रशंसा में समाचार प्रकाशित किये थे ।

यह मामला नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष दिनांक 18.11.2011 को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। कोई भी पक्ष उसके समक्ष पेश नहीं हुआ। जांच समिति ने पाया कि शिकायतकर्ता ने एक शिकायत दायर की किंतु उस पर अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट भारतीय राष्ट्रीय विद्यार्थी विश्वविद्यालय की प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित थी। जांच समिति ने शिकायत को खारिज करने के लिये परिषद् से सिफारिश करने का निर्णय लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

प्रेस परिषद् ने मामले के अभिलेख और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार किया और तदनुसार, निर्णय लिया।

**31. श्री वी.एम. बेडसे**
**नासिक**
**महाराष्ट्र**

**बनाम**

**1. संपादक**
**लोकसत्ता, मुम्बई**

**2. संपादक**
**महाराष्ट्र टाइम्स, मुम्बई**

**3. संपादक**
**सकल, पुणे**

## अधिनिर्णय

ये शिकायतें दिनांक 16.9.2008 श्री वी.एम. बेडसे (सेवा निवृत्त मुख्य इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी, महाराष्ट्र) नासिक द्वारा तीन स्थानीय दैनिक समाचारपत्रों (1) लोकसत्ता (2) महाराष्ट्र टाइम्स, मुम्बई (3) सकल, पुणे के विरूद्ध उसका दो पृष्ठों में मराठी में लिखा नोट जो उसे डॉ0 रोहित साने अस्पताल में उपचार के दौरान हुए अनुभवों के बारे में था, प्रकाशित नहीं करने के आरोप में दायर की गई ताकि हृदय रोगियों को झूठे और भ्रामक विज्ञापनों से सचेत किया जा सके। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि डॉ0 रोहित साणे, घाटकोपर, मुम्बई भ्रामक प्रेस विज्ञापनों के द्वारा अपने अस्पताल में तथाकथित 'नैचुरल बाई पास उपचार' के लिये हृदय रोगियों को आमंत्रित करते हैं। शिकायतकर्ता ने वहां अपना इलाज कराया था तो दावा किये अनुसार, वहां कुछ नहीं पाया, सिवाय रोगियों को ठगने के। शिकायतकर्ता ने अपने इन अनुभवों के बारे में तीन स्थानीय समाचारपत्रों को प्रकाशन के लिये नोटिस भेजा ताकि अन्य हृदय रोगियों को सचेत किया जा सके किन्तु कोई भी अपने निहित स्वार्थों के कारण उसे प्रकाशित करने को तैयार नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि उसने प्रतिवादियों को अपने विचारों को समाचारपत्र के उपयुक्त कॉलम में प्रकाशित करने के लिये कहा जिससे कथित डाक्टर हृदय रोगियों को नहीं ठग सके किंतु प्रतिवादियों ने उसे अपने हितों की सुरक्षा के कारण प्रकाशित नहीं किया क्योंकि उन्हें इस डाक्टर से विज्ञापन मिलते थे।

शिकायतकर्ता ने माधव बाँग आयुर्वेदिक, कार्डियक रिहिबिलिटेशन सैंटर में जमा किये गये 13,000/–रुपये के दिनांक 28.3.2008 के बिल की प्रति दर्ज की।

परिषद् के कारण बताओ नोटिस दिनांक 16.6.2010 के प्रत्युत्तर में प्रतिवादी संपादक, सकल ने अपने अ–दिनांकित लिखित बयान में जो परिषद् के सचिवालय को दिनांक 6.7.2010 को प्राप्त हुआ, अपनी ओर से किसी भी लापरवाही से इंकार किया। उसने उल्लेख किया कि माधव बॉग आयुर्वेदिक, कार्डियक पुनर्वास केन्द्र द्वारा शिकायतकर्ता को भेजे बिल दिनांक 28.3.2008 के बारे में, बिल से ज्ञात हुआ कि किन्हीं डॉ0 भिडे ने शिकायतकर्ता को सेंटर रेफर किया था। दो विज्ञापनों की प्रतियों और माधव बॉग आयुर्वेदिक, कार्डियक पुनर्वास केन्द्र के लेख की जीरॉक्स प्रति के बारे में प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि उसने रिकार्ड की जांच की और पाया कि उसने उन कथित दो विज्ञापनों और माधव बॉग आयुर्वेदिक के लेख को अपने समाचारपत्र या अपने किसी अन्य प्रकाशन में प्रकाशित नहीं किया। प्रतिवादी के अनुसार, उनके समाचारपत्र का एक सप्लीमेंट ''फैमली डाक्टर'' नाम से होता है जो आम जनता के हित में कि स्वास्थ्य के लिये क्या करना चाहिए, प्रकाशित किया जाता है जिसमें न केवल स्वस्थ रहने के उपाय बताये जाते हैं बल्कि लोगों को विभिन्न उपचारों, औषधियों आदि के बारे में भी बताया जाता है। उसने यह भी उल्लेख किया कि सप्लीमेंट में विशेषज्ञ डाक्टरों द्वारा लेख लिखे जाते हैं और उसके बाद नोट ''महत्वपूर्ण नोट' प्रकाशित किया जाता है जिसमें ''यद्यपि इस संस्करण में ये लेख विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा लिखे गए हैं, फिर भी व्यक्तियों के अनुसार, भिन्न भिन्न उपचार की जरूरत होती है। और इस प्रकार सप्लीमेंट में प्रकाशित जानकारी सीधे उपचार के लिये नहीं होती है। और किसी भी बीमारी का इलाज शुरू करने से पहले किसी चिकित्सक की सलाह लेना आवश्यक है।'' उसने यह भी उल्लेख किया कि यदि उसने परिषद् के कारण बताओ नोटिस के साथ प्रेषित विज्ञापन की प्रतियों के समान कोई विज्ञापन दिया हो, तो वे किसी उपचार की सिफारिश या संस्तुति नहीं करते हैं जो विज्ञापन उनके समाचार में प्रकाशित हुआ हो और वे उनके द्वारा प्रकाशित चेतावनी ''महत्वपूर्ण नोट'' की शर्त सहित होते हैं। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि उसने किसी पत्रकारिता के आदर्श या सार्वजनिक हित का उल्लंघन नहीं किया या संपादक या पत्रकारिता का कोई व्यावसायिक कदाचार नहीं किया । उसने परिषद् से केस को निरस्त करने का अनुरोध किया।

परिषद् के कारण बताओ नोटिस दिनांक 16.6.2010 के प्रत्युत्तर में प्रतिवादी लोकसत्ता ने अपने लिखित बयान दिनांक 28.6.2010 में उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने विज्ञापन को ''भुगतान प्राप्त समाचार'' के रूप में गलत और शरारतपूर्ण ढंग से संदर्भित किया है। उसने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता ने जानबूझकर परिषद् को भ्रमित और गुमराह किया है। उसने यह भी कहा कि वे डॉ0 साणे के माधव बॉग के बारे में कोई ''भुगतान प्राप्त समाचार'' नहीं करते जैसाकि आरोप लगाया गया है। उसने उल्लेख किया कि उनके समाचारपत्र में इसी विषय पर एक अन्य पत्र प्रकाशित किया गया था तो अन्य समान पत्रों को प्रकाशित करना वांछनीय नहीं होता है। उसने यह भी उल्लेख किया कि शिकायत में कार्रवाई के लिये कुछ नहीं प्रतीत होता अतः इसे लागत सहित निरस्त कर दिया जाए।

परिषद् के पत्र दिनांक 14.7.2010 के प्रत्युत्तर में शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 10.8.2010 में अपनी प्रति टिप्पणियां देते हुए उल्लेख किया कि प्रतिवादी सकल ने अपने लिखित बयान में उल्लेख किया कि उन्हें मराठी में लिखा नोट नहीं मिला जो पत्र की प्रतिलिपि के साथ उनके अवलोकन और प्रकाशन के लिये भेजा गया था। उसने उल्लेख किया कि प्रकाशन में चेतावनी नोट से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है और निहित स्वार्थ वाले लोग जैसे डॉ0 रोहित साणे लोगों को गुमराह करके अपने नकली अस्पताल को चलाने के लिये प्राचीन आयुर्वेदिक विज्ञान के नाम पर लाभ उठाते हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि समाचारपत्र लोगों को वैकल्पिक इलाजों के बारे में जानकारी देने की सेवा कर रहे हैं, जिनके बारे में उस विषय के विशेषज्ञों द्वारा जांच करा ली जाती है और लोगों का सही मार्ग दर्शन किया जाता है ताकि उन्हें कोई ठग न सके।

शिकायतकर्ता ने लोकसत्ता के लिखित बयान के प्रत्युत्तर में अपनी प्रति टिप्पणियों में उल्लेख किया कि जो समाचारपत्र केवल विज्ञापनों से प्राप्त आय पर चल रहे हैं, उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें ये उपलब्ध नहीं होंगे यदि पाठकगण उन्हें नहीं पढ़ें तथा समाचारपत्रों की पाठकों के प्रति भी एक ड्यूटी है कि जिससे उन्हें गुमराह नहीं किया जा सके।

यह मामला नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष दिनांक 18.11.2011 को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। सुश्री मोनिका बंसल, कंपनी सचिव, लोकसत्ता की ओर से पेश हुई और श्री अजय बुवा, वरिष्ठ संवाददाता, नई दिल्ली सकल की ओर से पेश हुए। सुश्री मोनिका बंसल, कंपनी सचिव ने लिखित बयान प्रस्तुत करने के अतिरिक्त बयान दिया कि शिकायत विचार करने योग्य नहीं है क्योंकि शिकायतकर्ता की शिकायत आयुर्वेदिक सेंटर के विरूद्ध है। उसने चिकित्सक के साथ काम करके स्वयं अनुभव प्राप्त किये है और वह उन्हें समाचारपत्र में अपने पत्र प्रकाशित कराके प्रचारित करना चाहता है। प्रतिवादी ने बयान दिया कि वे शिकायतकर्ता का पत्र प्रकाशित करने के लिये बाध्य नहीं हैं।

जांच समिति ने रिकार्ड पर विचार किया। उसने पाया कि शिकायतकर्ता का केस यह है कि उसे डाक्टर द्वारा कथित ठगा गया, डाक्टर समाचारपत्र और पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित करके हृदय रोगियों को आकर्षित करता है। शिकायतकर्ता ने इलाज में ठगे जाने का अनुभव किया और वह प्रतिवादी समाचारपत्रों में अपना पत्र प्रकाशित कराके अन्य रोगियों को सावधान करना चाहता है। जांच समिति ने पाया कि स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में इस विज्ञापन/मतों के साथ चेतावनी नोटिस भी छपा है तथा लोकसत्ता ने भी इसी विषय पर किसी अन्य व्यक्ति का पत्र प्रकाशित किया है। उसने नोट किया कि रिपोर्ट/लेख/पत्रों के प्रकाशन की सामग्री का चयन करना संपादक के विवेकाधीन होता है और प्रेस परिषद को एक ऐसे माध्यम या औजार के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है कि वह कोई सूचना प्रकाशित करने के लिये संपादक को बाध्य करे। जांच समिति ने निर्णय लिया कि केस के तथ्यों के आधार पर

संपादक के कार्यों में हस्तक्षेप करने की जरूरत नही है जो सामग्री के चयन में स्व विवेक और प्रक्रिया का सही अनुपालन कर रहे हैं। जांच समिति ने शिकायत को अस्वीकार करने का निर्णय लिया और तदनुसार, परिषद् से सिफारिश की।

प्रेस परिषद् ने जांच समिति की रिपोर्ट स्वीकार करली और शिकायतों को खारिज करने का निर्णय लिया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **32.** | **डॉ0 जोरा सिंह**<br>**अध्यक्ष**<br>**संस्थानों का देशभक्त ग्रुप**<br>**चंडीगढ़** | **बनाम** | **संपादक**<br>**टाइम्स ऑफ इंडिया**<br>**चंडीगढ़** |

**अधिनिर्णय**

यह शिकायत दिनांक 5.5.2010 टाइम्स ऑफ इंडिया के विरूद्ध दिनांक 6.1.2010, 30.4.2010, 2.5.2010 और 3.5.2010 के अंकों में ''लैजर'' शीर्षक खंड में शीर्षक ''आज का एसएमएस मजाक'' से प्रकाशित कथित अभद्र विषय–वस्तु प्रकाशित करने के आरोप में दायर की गई है।

प्रतिवादी टाइम्स आफ इंडिया ने अपने लिखित बयान दिनांक 17.7.2010 में आरोपों का खंडन किया और उल्लेख किया कि समाचारपत्र ने पत्रकारिता आचरण के व्यावसायिक मानदंडों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया। आक्षेपित कॉलम जिसमें मजाक होती हैं, समाचार–पत्र में लम्बे समय से प्रकाशित हो रहे हैं जिसके हजारों पाठक हैं और उसे कभी भी किसी भी पाठक से इस कॉलम या उसकी विषय वस्तु के बारे में कोई शिकायत/आपत्ति प्राप्त नहीं हुई जो दर्शाता है कि यह पाठकों को स्वीकार्य है और बहुत लोकप्रिय है। प्रतिवादी ने स्पष्ट किया कि वह ये मजाक समाचारपत्र में प्रकाशित करने के लिये ही विशेष रूप से तैयार नहीं किये जाते है बल्कि ये मजाक बहुत लोकप्रिय हैं और उन्हें मोबाइल के उपभोक्ताओं द्वारा एसएमएस के माध्यम से पहले ही से प्रयोग में लाया जा रहा है। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि समाचारपत्र में प्रकाशन हेतु सामग्री का चयन वर्तमान साक्षरता की प्रवृत्ति और अनुमत्य लोकप्रियता को भी ध्यान में रखते हुए किया जाता है। प्रकाशित सामग्री की जांच सामान्य सभ्य लोगों के वर्तमान स्तर के आधार पर करना चाहिए जबकि समाचारपत्र अंग्रेजी का हो और जिसे केवल सुशिक्षित लोगों द्वारा ही पढ़े जाने की संभावना हो। मापन की जांच एक साधारण मनुष्य की सामान्य समझ और बौद्धिक स्तर पर करनी चाहिए न कि किसी अति संवेदनशील व्यक्ति के आधार पर की जाए। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि श्री हिदायतउल्लाह माननीय मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय ने के.ए. अब्बास के मुकदमे में कहा, ''यदि कोई भ्रष्ट तीन चीजों में उससे अधिक देखने लगे जो एक औसत व्यक्ति जिस प्रकार से देखता है तो यह गलत ही

कहा गया है कि किसी फ्रांसिसी को हर चीज में महिला की टांगे ही नजर आएंगी, इससे कोई मदद नही मिल सकती है।''

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 5.10.2010 में उल्लेख किया कि समाचार– पत्र ने घटिया और भद्दे मजाक यह बहाना बना कर प्रकाशित करना बंद नहीं किये क्योंकि मोबाइल फोन के प्रयोक्ताओं द्वारा एसएमएस के द्वारा ऐसे मजाकों का प्रयोग लम्बे समय से किया जा रहा है और अब उसने अपने कॉलम शीर्षक 'आज के एसएमएस मजाक' में और भी अधिक अभद्र मजाक प्रकाशित करना शुरू कर दिया है। उसने उल्लेख किया कि दैनिक समाचारपत्र जिसे लाखों लोगों द्वारा पढ़ा जाता है, की तुलना मोबाइल फोन से नहीं की जा सकती है क्योंकि वह एक निजी मामला है।

जांच समिति ने नई दिल्ली में दिनांक 30.1.2012 को सुनवाई की और शिकायतकर्ता का बयान सुना । प्रतिवादी पेश नहीं हुआ। शिकातयतकर्ता को सुनने के बाद, जांच समिति ने प्रेस परिषद् अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत कार्रवाई करना अपेक्षित नहीं समझा और उसने परिषद् से शिकायत को खारिज करने की सिफारिश की।

प्रेस परिषद् ने जांच समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली और तदनुसार, निर्णय लिया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **33.** | **श्री नंगसंगलेम्बा एओ**<br>**संयुक्त सचिव, जनसम्पर्क**<br>**जन सम्पर्क निदेशालय**<br>**रक्षा मत्रालय**<br>**नई दिल्ली** | **बनाम** | **संपादक**<br>**दैनिक भास्कर**<br>**राजस्थान** |

**अधिनिर्णय**

यह शिकायत दिनांक 12.7.2009 जेडीपीआर, जन सम्पर्क निदेशालय, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दैनिक भास्कर, जोधपुर के विरूद्ध सेना द्वारा भर्ती करने के स्थान में बदलाव के बारे में विज्ञापन के प्रकाशन करने के आरोप में दायर की गई है जिसमें जानबूझकर भारत सरकार की ओर से जोड़ा गया था। शिकायतकर्ता ने सेना द्वारा ऐसा कोई विज्ञापन देने से इंकार किया और उल्लेख किया कि विज्ञापन में चिकित्सा जांच की तारीखें और जैसलमेर भर्ती रैली के संदर्भ में उम्मीदवारों के भेजे जाने का उल्लेख किया गया था। यह सच नहीं था क्योंकि ऐसी किसी भर्ती रैली का आयोजन नहीं किया गया था। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि विज्ञापन लेफ्टिनेंट जनरल, मुख्यालय दक्षिण पश्चिम कमान, जयपुर की ओर से दिया गया था। जबकि राजस्थान में सेना में भर्ती के लिये उप महानिदेशक भर्ती (राजस्थान) उत्तरदायी होता है। शिकायतकर्ता के अनुसार, जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर के माध्यम से दैनिक भास्कर विज्ञापन की जांच कराने पर यह ज्ञात हुआ कि किसी व्यक्ति ने जो स्वयं को भवानी सिंह कहता है, अलवर से भारतीय सेना (मुख्यालय दक्षिण पश्चिम कमान) जयपुर की ओर से नकली पत्र

लिखा। यह पत्र भरतपुर में दैनिक भास्कर के कार्यालय में दिया गया और विज्ञापन के लिये बुकिंग राशि का नकद भुगतान किया गया। शिकायतकर्ता ने दैनिक भास्कर में दिनांक 11.2.2010 को विज्ञापन देने से इंकार किया किंतु कोई लाभ नहीं हुआ ।

दैनिक भास्कर ने अपने लिखित बयान में आरोपों का खंडन किया और उल्लेख किया कि दिनांक 9.2.2010 को प्रकाशित विज्ञापन लेफ्टिनेंट जनरल, मुख्यालय दक्षिण पश्चिम कमान, भारत सरकार की ओर से दिया गया था और जिस पर रक्षा मंत्रालय की मोहर भी लगी है। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि उन्होंने विज्ञापन प्रकाशित किया और उसके बिल उनके भरतपुर कार्यालय से जारी किये गए थे। प्रतिवादी ने रक्षा डीपीआर, भारत सरकार, जयपुर और सीआरपीएफ, अजमेर के पत्र शीर्षों दिनांक 7.2.2010 की प्रतियां 9.2.2010 और अनुवर्ती 26.2.2010 के विज्ञापन के प्रकाशन की प्रमाणिकता दर्शाने के लिये प्रस्तुत कीं।

जांच समिति ने नई दिल्ली में दिनांक 31.1.2012 को मामले पर सुनवाई की और तब शिकायतकर्ता स्वयं समक्ष पेश हुआ और बयान दिया कि सेना भर्ती का पत्र नकली था और किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं को फर्जी फौजी बताकर दिया गया था। जांच समिति द्वारा शिकायतकर्ता से प्रश्न किया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा नकली पत्र तैयार करना एक आपराधिक षडयंत्र होता है और क्या रक्षा मंत्रालय द्वारा अपराधी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई ?शिकायतकर्ता ने समिति को बताया कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उसके पास इस समय कोई सूचना या दस्तावेज नहीं है।

श्री सुमित व्यास, वरिष्ठ कार्यपालक–विधि ने प्रतिवादी की ओर से पेश होते हुए बयान दिया कि विज्ञापन आदेश भारत सरकार के पत्र शीर्ष पर दिये गए थे। वह व्यक्ति दोनों पत्र लाया था और उसने विज्ञापन प्रकाशित करने के लिये अनुरोध किया जिसके लिये उसने बुकिंग राशि का भुगतान किया और बिल जारी किये गए। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि दोनों विज्ञापनों की बुकिंग भरतपुर में दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ द्वारा की गई थी जिसे जोधपुर संस्करण में प्रकाशित किया गया।

जांच समिति ने दोनों पक्षों के बयान सुने। शिकायतकर्ता ने बताया कि प्रतिवादी समाचार– पत्र में कुछ नकली विज्ञापन प्रकाशित किये गए थे। प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने कहा कि कथित विज्ञापन उनके छोटे कार्यालय में दिये गए थे जो भरतपुर, राजस्थान के एक दूरवर्ती क्षेत्र में स्थित है। स्पष्ट है कि वहां तैनात व्यक्ति को रक्षा विज्ञापनों के बारे में सभी कानूनों और विनियमों का ज्ञान नहीं था। अतः जांच समिति का विचार था कि चूंकि विज्ञापन पत्र शीर्ष पर थे और सीलबंद थे, तो विज्ञापन प्रकाशित करने का पूर्ण दायित्व समाचारपत्र पर नहीं डाला जा सकता है और इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता किये गए फर्जीवाड़े के बारे में जांच समिति को सूचित भी नहीं कर सका। हालांकि, उसने समाचारपत्र दैनिक भास्कर को इस प्रकार के विज्ञापन स्वीकार करते समय अधिक सतर्क और सावधान रहने का निदेश दिया। इन टिप्पणियों के साथ, शिकायत खारिज कर दी गई।

प्रेस परिषद् ने जांच समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली और शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **34.** | **श्री एस.वी. मणि**<br>**पत्रकार/लेखक**<br>**चेन्नै** | **बनाम** | **संपादक**<br>**दि टाइम्स ऑफ इंडिया**<br>**बैंगलूरू** |

**अधिनिर्णय**

यह शिकायत दिनांक 23.3.2010 श्री एस.वी. मणि, पत्रकार/लेखक, चेन्नै द्वारा उनके अंक दिनांक 23.3.2009 में प्रकाशित ''गर्भ धारण चाहती हैं? जोशपूर्ण सेक्स करो'' (हिन्दी अनुवाद) शीर्षक से अभद्र और आपत्तिजनक लेख के विरूद्ध दायर की गई है।

कारण बताओ नोटिस दिनांक 8.7.2009 के उत्तर में, प्रतिवादी, टाइम्स ऑफ इंडिया, ने अपने लिखित बयान दिनांक 12.8.2009 में शिकायत में लगाये आरोपों का कड़ाई से इंकार किया। पृष्ठ 'टाइम्स ट्रेंड्स' पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य पर सूचनाप्रद लेख प्रकाशित किये जाते हैं और प्रकाशित लेख भी इन्हीं पहलुओं से संबंधित था। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि इस लेख में प्रोफेसर एलन पैसी, जो शेफील्ड विश्वविद्यालय में एंथालाजी के एक वरिष्ठ प्रख्याता हैं, द्वारा प्रजनन के बारे में की गई एक वैज्ञानिक शोध का प्रकाशन किया गया था और यह लेख विभिन्न सम्मानित पत्रकाओं यथा 'दि गार्जियन' में प्रकाशित किया गया था और चेनल 4 (ब्रिटिश टीवी चैनल) पर एक वृत्तचित्र में भी प्रसारित किया गया था।

जांच समिति ने चेन्नै में दिनांक 27.2.2012 को मामले पर सुनवाई की। नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी कोई प्रस्तुत नहीं हुआ। जांच समिति ने परिषद् से शिकायत को बंद करने की सिफारिश की।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट में दिये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **35.** | **श्री एस.वी. मणि**<br>**पत्रकार/लेखक**<br>**चेन्नै** | **बनाम** | **संपादक**<br>**दि टाइम्स ऑफ इंडिया**<br>**मुम्बई** |

**अधिनिर्णय**

यह शिकायत दिनांक 4.5.2010/10.6.2010 श्री एस.वी. मणि, पत्रकार/संपादक चेन्नै द्वारा संपादक टाइम्स ऑफ इंडिया, मुम्बई में दिनांक 4.5.2010 को उनके अंक में शीर्षक ''सेक्स विशेषज्ञ से पूछो'' (हिन्दी अनुवाद) से प्रकाशित अभद्र प्रश्नावली के प्रकाशन और दिनांक 2.6.2010 को शीर्षक ''स्प्रे से पुरूष को छह गुणा लम्बे समय तक ठहराव में मदद मिलती है'' (हिन्दी अनुवाद) से प्रकाशित अशिष्ट लेख के विरूद्ध दायर की गई है।

कारण बताओ नोटिस प्रतिवादी संपादक, टाइम्स ऑफ इंडिया, मुम्बई को दिनांक 16.12.2010 को भेजा गया किंतु कोई लिखित बयान प्राप्त नहीं हुआ।

जांच समिति ने चेन्नै में दिनांक 27.2.2012 को मामले पर सुनवाई की। नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी कोई प्रस्तुत नहीं हुआ। जांच समिति ने परिषद् से शिकायत को समाप्त करने की सिफारिश की।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट में दिये गये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

**36. श्री आर. मनोहर** **बनाम** **संपादक**
**कार्यक्रम प्रमुख** **दि टाइम्स ऑफ इंडिया**
**मानवाधिकार शिक्षा एवं निगरानी** **बैंगलूरू**
**के लिये दक्षिण भारत सेल, बैंगलूरू**

**संपादक**
**डेक्कन क्रोनिकल**
**बैंगलूरू**

## अधिनिर्णय

श्री आर. मनोहर, कार्यक्रम प्रमुख, मानवाधिकार शिक्षा एवं निगरानी के लिये दक्षिण भारत सेल, बैंगलूरू ने ये शिकायतें दिनांक 1.7.2010 (1) टीवी9, (2) टाइम्स ऑफ इंडिया, और (3) डेक्कन क्रोनिकल, के विरूद्ध दायर की हैं जिनमें एक लड़के को शराब पीते हुए प्रसारित किया गया और फोटोग्राफ में क्रमशः दिनांक 23.4.2010, 26.4.2010 और 29.4.2010 को दर्शाया गया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में लड़के को शराब पीते हुए प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित और प्रसारित किया गया जबकि राज्य आबकारी मंत्री, कर्नाटक सरकार, श्री एम.पी. रेनुकाचार्य वहां मौजूद थे और वे उस लड़के के परिवार से मिले और शराब के दुर्गणों पर 'ज्ञान' दे रहे हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि लड़के का नाम व फोटोग्राफ, उसके पिता का नाम और पृष्ठभूमि, उसकी माता का नाम और पृष्ठभूमि भी समाचारों में प्रकाशित की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादियों की कार्रवाई बच्चों के अधिकारों पर समझौता (सीआरसी) पीसीआई के दिशानिर्देशों, राष्ट्रीय मानवाधिकारों के दिशानिर्देशों और बाल न्याय अधिनियम, 2000 और संशोधित अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है तथा कथित प्रावधानों के अनुसार, बालकों या बच्चों के नाम आदि प्रकाशन पर रोक लगाती है जिन्हें अधिनियम के तहत किसी कार्यवाही में लिप्त होने से बचाने की आवश्यकता हो सकती है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसने प्रतिवादियों को क्रमशः दिनांक 27.4.2010 और 29.4.2010 को पत्र भेजे थे किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। उसने परिषद् से प्रतिवादियों के विरूद्ध उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

चूंकि इलैक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता है अतः टीवी9 के खिलाफ शिकायत को स्वीकार नहीं किया गया।

परिषद् के कारण बताओ नोटिस दिनांक 9.12.2010 के उत्तर में, प्रतिवादी टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने लिखित बयान दिनांक 5.1.2011 में शिकायतकर्ता के आरोपों से इंकार करते हुए उल्लेख किया कि उसने पत्रकारिता आचरण के व्यावसायिक मानदंडों का किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं किया है। उसके अनुसार, आक्षेपित समाचार द्वारा एक बच्चे के कष्टों के बारे में लोगों को अवगत कराना था जो अपने माता–पिता की आदतों के कारण शराब पीने का आदी हो गया था क्योंकि उसके पिता स्वयं शराब पीते थे और इस गलत धारणा के उसे शराब पिलाते रहे कि उसका अस्थमा ठीक हो जाएगा। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार सदभावना से प्रकाशित किया गया था। प्रतिवादी ने यह भी कहा कि आक्षेपित समाचार में आबकारी मंत्री, श्री एम. रेनुकाचार्य का लड़के के घर जाना भी दर्शाया गया है क्योंकि वह बच्चों को शराब देने के विरूद्ध संदेश देना चाहते थे। इसके अतिरिक्त आक्षेपित समाचार आमलोगों को जानकारी देने और सार्वजनिक हित में प्रकाशित किया गया था ताकि किसी अन्य को अपने बच्चों के साथ ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्रतिवादी के अनुसार, बच्चे के पिता और बावा को भी परामर्श केन्द्र भेजा गया क्योंकि उन्हीं के कारण बच्चा शराब का आदी हुआ था। इस तथ्य को भी मुख्य रूप से दर्शाया गया कि सरकार अपने लोगों के कल्याण कार्यों में रूचि लेती है और आबकारी मंत्री स्वयं उस लड़के के घर गये और कहा कि लड़के को ठीक करने के लिये सरकार द्वारा हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि उसके पत्रकार की मंशा बच्चे के दुःखों और किशोरों पर शराब के दुष्प्रभावों से आम लोगों को अवगत कराना था।

दूसरे प्रतिवादी डेक्कन क्रोनिकल ने लिखित बयान दायर नहीं किया।

जांच समिति ने चेन्नै में दिनांक 27.2.2012 को मामले पर सुनवाई की। श्री कृष्णवेणी शिकायतकर्ता, संयोजक, मानवाधिकार एडवोकेसी एवं अनुसंधान की ओर से श्री पी. सेल्वी, एडवोकेट के साथ पेश हुए। श्री आर. मनोहर और श्री आर. गुरू प्रसाद, श्री आर. भगवान सिंह, परामर्शी संपादक/मुख्य समाचार ब्यूरो, डेक्कन क्रोनिकल की ओर से पेश हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। शिकायतकर्ता ने अपनी आपत्ति बताई कि किशोर का फोटो उसके विवरण के साथ प्रकाशित किया गया था जो कानून और आदर्शों का स्पष्ट उल्लंघन है। श्री आर. गुरूप्रसाद, एजीएम (प्रशा), डेक्कन क्रोनिकल ने उल्लंघन को स्वीकार किया।

जांच समिति ने रिकार्ड पर विचार किया और पक्षों के बयान सुने। किशोर की पहचान देना कानून का स्पष्ट उल्लंघन है और यह सार्वभौमिक स्वीकार्य पत्रकारिता के मानदंड हैं। फिर भी समिति ने स्वीकार किया कि इस प्रकाशन के पीछे कोई दुर्भावना नहीं थी, प्रतिवादियों की ओर से निर्णय लेने में गलती स्पष्ट है। समाचार इस प्रकृति का था कि जन चेतना भी उतनी ही अधिक महत्वपूर्ण थी जबकि संबंधित किशोर की पहचान को छिपाना चाहिए था। जांच

समिति का विचार था कि दोनों प्रतिवादियों के हित में होगा कि वे अपने इस फैसले में हुई गलती को स्वीकार करते हुए खेद प्रकाशित कर दें और अपने रिपोर्टरों को उचित अनुदेश जारी करें ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उसने परिषद् से उन्हें इस प्रकार निदेश देने की सिफारिश की।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा उल्लिखित कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और उपर्युक्त टिप्पणियों के अनुसार, डेक्कन क्रोनिकल और दि टाइम्स ऑफ इंडिया को निदेश देने का निर्णय लिया।

**37. श्री चौ. वी. सूर्यनारायण** **बनाम** **संपादक**
**सिकन्दराबाद** **दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस**
**आंध्र प्रदेश** **हैंदराबाद**

**अधिनिर्णय**

यह शिकायत दिनांक 20.1.2010 शीर्षकों से प्रकाशित कथित गलत समाचारों के प्रकाशन के विरूद्ध दायर की गई है:

1. ''आंध्र प्रदेश के जनसांख्यिकीय ब्योरे (2001)'' दिनांक 10.12.2009.

लेख में उल्लेख किया गया कि आंध्र प्रदेश में जनसंख्या में 7 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई। साक्षरता प्रतिशत, विभिन्न बड़ी, मझोली, लघु परियोजनाओं के तहत सिंचाई क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में पीछे है।

2. ''नदी जल मुख्य स्रोत है'' दिनांक 28.12.2009.

दूसरे समाचार के अनुसार, आंध्र प्रदेश में तेलगाना के विलय से पूर्व, बहुत बड़े क्षेत्र में सिंचाई होती थी किंतु विलय के बाद, कथित परियोजनाओं के लिये बजट आबंटन कम हो गया।

शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचारों में सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा के बारे में दिये गए आंकड़े पूरी तरह गलत, बेबुनियाद हैं और एक गलत तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

शिकायतकर्ता ने संपादक को पत्र लिख कर सही तस्वीर प्रकाशित करने का अनुरोध किया किंतु उत्तर नहीं मिला।

जांच समिति ने चेन्नै में दिनांक 28.2.2012 को मामले पर सुनवाई की। शिकायतकर्ता प्रस्तुत नहीं हुआ। हालांकि, उसने जांच समिति से शिकायत का निपटान करने का अनुरोध किया। श्री वी.एस. द्ववारगन, मुख्य प्रबंधक (विधि) प्रतिवादी की ओर से पेश हुए। जांच समिति ने दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित सामग्री को देखा और कहा कि शिकायत प्रेस परिषद् अधिनियम के तहत कार्रवाई करने योग्य नहीं है।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट में दिये गये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, मामले में कार्रवाई बंद करने का निर्णय लिया।

## प्रेस ओर मानहानि

**38. श्री अनिल कुमार कमल** **बनाम** **संपादक**
**बिजनौर** **दैनिक बिजनौर टाइम्स, बिजनौर**
**उत्तर प्रदेश** **चिंगारी बिजनौर, बिजनौर**
**दैनिक शाह टाइम्स, मुजफ्फरनगर**
**रॉयल बुलेटिन, मुजफ्फरनगर**

**अधिनिर्णय**

**तथ्य**

ये शिकायतें दिनांक 7.3.2008 श्री अनिल कुमार कमल, नूरपुर, बिजनौर, उत्तर प्रदेश द्वारा (1) दैनिक बिजनौर टाइम्स (2) चिंगारी बिजनौर (3) दैनिक शाह टाइम्स, (4) रॉयल बुलेटिन के विरूद्ध अपने अंक 11.1.2008 में झूठे, गुमराह करने वाले और अवमाननापूर्ण समाचार प्रकाशित करने के कारण की गई हैं, समाचारों के शीर्षक निम्नानुसार हैं :

| क्रम सं. | आक्षेपित समाचारों के शीर्षक | समाचारपत्र |
|---|---|---|
| 1 | बदनाम रेस्टोरेंट पर पकड़ा गया प्रेमी जोड़ा | दैनिक बिजनौर टाइम्स |
| 2 | बदनाम रेस्टोरेंट में पकड़ा गया प्रेमी जोड़ा | चिंगारी बिजनौर |
| 3 | रेस्टोरेंट में इश्क फरमाते पकड़े गये प्रेमी–प्रेमिका | दैनिक शाह टाइम्स |
| 4 | रेस्टोरेंट में प्रेमालाप कर रही जोड़ी को पकड़ा | रॉयल बुलेटिन |

आक्षेपित समाचार में आरोप लगाया गया कि स्थानीय पुलिस ने शिकायतकर्ता के रेस्टोरेंट पर छापा मारा और एक युगल को गिरफ्तार किया जो आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए। शिकायतकर्ता, जिस पर अपने रेस्टोरेंट में प्रेमी जोड़ों के लिये आरामदायक कमरे देने का आरोप है, बच कर भाग गया।

आरोपों का खंडन करते हुए, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आक्षेपित समाचार झूठा, भ्रामक है जो उसे और उसके परिवार को बदनाम करने की मंशा से प्रकाशित किया गया। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता है और अपने आवास को कार्यालय के रूप में इस्तेमाल करता है। उसकी पत्नी प्राइमरी स्कूल में टीचर है और स्कूल समय के बाद, वह एक बुटीक चलाती है। शिकायतकर्ता के अनुसार, तीन वर्ष पहले उसने 'उजाला' नाम से एक परिवार रेस्टोरेंट खोला और अब उसने रेस्टोरेंट को आंगनवाड़ी केन्द्र एवं कार्यालय में

परिवर्तित कर दिया है। कथित घटना के समय उसका कार्यालय बंद था। आक्षेपित समाचार प्रकाशित होने के बाद, उसने और उसके परिवार ने अपने आप को बहुत उदास व बीमार अनुभव किया तथा आत्म हत्या करना चाहते थे। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि आक्षेपित समाचार जांच पड़ताल करने से पूर्व ही प्रकाशित कर दिया गया।

शिकायतकर्ता ने एफ आई आर दिनांक 11.1.2008 की प्रति भी प्रस्तुत की जिसमें किसी अनूप सिंह को उसके घर के सामने किसी लड़की को छेड़ते हुए गिरफ्तार किया गया था। उसने प्रतिवादी समाचारपत्रों को दिनांक 19.2.2008 और 25.2.2008 को पत्र भेजे किन्तु किसी से कोई जबाव नहीं मिला।

चार प्रतिवादी समाचारपत्रों को दिनांक 4.9.2008 को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। चारों प्रतिवादियों में से किसी ने भी कोई लिखित वक्तव्य जारी नहीं किया है।

ये मामले पहली बार देहरादून में दिनांक 9.9.2009 को जांच समिति के समक्ष पेश किये गये। श्री अनिल कुमार कमल, शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुआ। सर्वश्री रमेश शर्मा बिजनौर टाइम्स और चिंगारी की ओर से, जावेद अख्तर, एडवोकेट शाह टाइम्स की ओर से तथा राजेन्द्र सिंह रॉयल बुलेटिन की ओर से पेश हुए और लिखित बयान दर्ज् करने के लिये समय मांगा। जांच समिति ने चारों प्रतिवादी समाचारपत्रों को शिकायतकर्ता को अगली पेशी पर लागत के रूप में 2500/– रु. का भुगतान करने की शर्त पर स्थगन मंजूर किया। प्रतिवादी इस पर सहमत हो गये और जांच समिति ने सभी प्रतिवादियों से एक पखवाड़े में लिखित बयान दर्ज करने और शिकायतकर्ता को प्रति भेजने के निदेश के साथ मामलों को स्थगित करने का निर्णय लिया।

तदनुसार, सभी पक्षों को परिषद् के पत्र दिनांक 9.10.2009 द्वारा जांच समिति के निदेशों का अनुपालन करने के लिये सूचित किया गया। आज तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 15.12.2009 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए पेश किया गया। शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुआ। श्री सूर्यमणि रघुवंशी बिजनौर टाइम्स और चिंगारी की ओर से, तथा श्री बाबी कालिया रॉयल बुलेटिन की ओर से पेश हुए। शाह टाइम्स की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। हालांकि चिंगारी और रॉयल बुलेटिन ने पेशी के समय अपने लिखित बयान दायर किये, जबकि बिजनौर टाइम्स के प्रतिनिधि ने बयान दिया कि संपादक गंभीर रूप से बीमार हैं और इस कारण वे अपना लिखित बयान दायर नहीं कर सके तथा अपना लिखित बयान दायर करने के लिये पन्द्रह दिनों की मांग की।

शिकायतकर्ता ने बयान दिया कि उसे पिछली पेशी के समय परिषद् द्वारा दिये आदेश के अनुसार लागत का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ और प्रतिवादी पुनः पेशी में देरी कर रहे हैं। जांच समिति ने प्रतिवादियों को चार प्रतिवादियों में विभाजित समान लागत का भुगतान करने का निदेश दिया। जांच समिति ने प्रतिवादियों को 15 दिनों में अपने लिखित बयान दायर करने का भी निदेश दिया तथा तदनुसार, मामले को स्थगित कर दिया गया।

संपादक, बिजनौर टाइम्स और चिंगारी, बिजनौर ने अपने पत्रों दिनांक 31.12.2009 द्वारा सूचित किया कि जांच समिति के निदेशों का अनुपालन करते हुए दो समाचारपत्रों की ओर से शिकायतकर्ता को 625/–रु. प्रत्येक का भुगतान कर दिया गया। संपादक, बिजनौर टाइम्स ने यह भी बयान दिया कि आक्षेपित समाचार घटना स्थल पर पुलिस सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रकाशित किया गया था। प्रतिवादी के अनुसार, समाचार प्रकाशित करने के पीछे कोई भी दुर्भावना या द्वेष भाव नहीं था क्योंकि उन्होंने न तो रेस्टोरेंट का न ही किसी व्यक्ति का नाम प्रकाशित किया।

ये मामले नई दिल्ली में दिनांक 23.2.2010 को जांच समिति के समक्ष पुनः पेश किये गये। शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुआ। श्री नसीर राणा, समाचार संपादक शाह टाइम्स की ओर से और श्री बॉबी कालरा रॉयल बुलेटिन की ओर से पेश हुए। शिकायतकर्ता ने बयान दिया कि घटना के बारे मे प्रकाशित समाचार गलत हैं क्योंकि उसके घर में उस दिन ताला लगा हुआ था। उस दिन रेस्टोरेंट में कोई काम नहीं हो रहा था। शिकायतकर्ता ने जांच समिति का ध्यान एफ आई आर की ओर आकर्षित किया जो 11 जनवरी को लिखी गई और घटना का समय 10.30 दर्ज किया गया था। तब 11 जनवरी को प्रातः प्रकाशित समाचारपत्र में घटना घटित होने से पहले समाचार कैसे प्रकाशित हो गया। शिकायतकर्ता ने बयान दिया कि उसे नहीं मालूम कि उसका नाम एफ आई आर में क्यों शामिल किया गया और बाद में पुलिस द्वारा काट दिया गया। शिकायतकर्ता ने बयान दिया कि एफ आई आर गढ़ी गई है और प्रतिवादियों द्वारा 11 जनवरी को घटना का दावा करने के लिये प्रस्तुत शपथ पत्र भी गढ़ा गया है।

रॉयल बुलेटिन और शाह टाइम्स के प्रतिवादी प्रतिनिधियों ने अपने उत्तर नीचे दिये अनुसार, प्रस्तुत किये :

श्री अनिल रॉयल, संपादक, रॉयल बुलेटिन, मुजफ्फरनगर ने अपने उत्तर दिनांक 23.2.2010 में परिषद् से लागत दंड डालने और शिकायतकर्ता को भुगतान की गई राशि लौटाने पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया क्योंकि वे हर अवसर पर उपस्थित थे।

श्री एस.एन. राणा, संपादक, शाह टाइम्स, मुजफ्फरनगर ने अपने उत्तर दिनांक 23.2.2010 में उल्लेख किया कि विचाराधीन समाचार संबंधित रिपोर्टर जो घटना के समय मौजूद था, द्वारा एकत्रित सूचना पर आधारित है। उसने यह भी उल्लेख किया कि पुलिस ने शिकायतकर्ता, उजाला परिवार रेस्टोरेंट परिसर की तलाशी ली और एक जोड़े को कम्प्रोमाइजिंग स्थिति में पाया और जब उन्हें थाने ले जाया गया तो रेस्टोरेंट का मालिक वहां से भाग गया। उसने यह भी बयान दिया कि मामले को दबाने के समय, मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई किंतु बाद में कुछ दबाव या राजनीतिक दबाव के कारण, पुलिस द्वारा घटना स्थल को बदल दिया गया और गिरफ्तार किये जोड़े को भी अभियुक्त नहीं बनाया गया। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि समाचार प्रकाशित करने के पीछे शिकायतकर्ता के प्रति कोई निजी दुर्भावना या द्वेष भाव नहीं था। प्रतिवादियों ने एफ आई आर की तारीख और समाचार की तारीख में विसंगति के बारे में जांच करने और स्पष्टीकरण देने के लिये समय की मांग की।

जांच समिति ने पाया कि आक्षेपित समाचार और एफ आई आर समान तारीख अर्थात 11 जनवरी के हैं । उसने संबंधित थाने से एफ आई आर की प्रामाणिकता की जांच करने का निर्णय लिया। मामले को स्थगित कर दिया गया।

तदनुसार, एफ आई आर की एक प्रति एस एच ओ, नूरपुर, बिजनौर को पत्र दिनांक 5.4.2010 के साथ आवश्यक कार्रवाई के लिये भेज दी गई।

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 26.4.2010 को जांच समिति के समक्ष पुनः पेश किया गया। शिकायतकर्ता स्वयं पेश हुआ और उसने अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया। उसने जांच समिति को यह भी सूचित किया कि प्रतिवादियों में से एक शाह टाइम्स ने जांच समिति द्वारा लगाये गये लागत जुर्माने का भुगतान नहीं किया है। श्री आलोक गोविल, एडवोकेट बिजनौर टाइम्स और चिंगारी की ओर से पेश हुए। जांच समिति ने पाया कि पुलिस ने एफ आई आर की प्रामाणिकता की अभी तक पुष्टि नहीं की है। पुलिस रिपोर्ट से ज्ञात करने के कारण, जांच समिति ने मामले को स्थगित करने का निर्णय लिया और निदेश दिया कि मामले को रिपोर्ट मिलने पर सूचीबद्ध किया जाये।

जांच समिति के निदेश सभी पक्षों को पत्र दिनांक 21.6.2010 द्वारा सूचनार्थ/अनुपालनार्थ भेज दिये गए।

ये मामले नई दिल्ली में दिनांक 22.11.2010 को जांच समिति के समक्ष पेश किये गये। शिकायतकर्ता ने स्वयं पेश होते हुए समिति के समक्ष बयान दिया कि एफ आई आर को पुनः देखने के बाद उसने घटना स्थल अर्थात् गांधीनगर में एक और विसंगति पाई जो उसके आवास स्थल यथा मोहाली–कबीर नगर, नूरपुर से लगभग एक किलोमीटर दूरी पर है।

जांच समिति ने पाया कि प्रतिवादी की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ है और न ही एफ आई आर की प्रामाणिकता की पुष्टि पुलिस द्वारा की गई है। जांच समिति ने पुलिस अधीक्षक, बिजनौर को मामले की रिपोर्ट एक पखबाड़े में दायर करने का निदेश दिया। उसने मामलों को स्थगित करने का निदेश दिया।

### पुलिस अधीक्षक से प्राप्त उत्तर

परिषद् के पत्र दिनांक 1.2.2011 के प्रत्युत्तर में पुलिस अधीक्षक, बिजनौर ने अपने पत्र दिनांक 29.3.2011 द्वारा थाने, नूरपुर में दायर शिकायत की एफ आई आर की सत्यापित प्रति शिकायतकर्ता के द्वारा भेजी जो शिकायतकर्ता द्वारा पहले पेश एफ आई आर के समान ही थी।

### अंतिम सुनवाई

ये मामले नई दिल्ली में दिनांक 18 अगस्त, 2011 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिये प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता स्वयं पेश हुआ। प्रतिवादियों की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत को दोहराया और उल्लेख किया कि सभी समाचारपत्रों (यहां प्रतिवादी) ने पूर्व योजना के अनुसार, आक्षेपित समाचार शिकायतकर्ता से

तथ्यों का सत्यापन किये बिना प्रकाशित कर दिया। एफआईआर में उसके विरूद्ध कुछ भी नहीं था जिसमें भी पुलिस द्वारा  फेरबदल की गई थी। शिकायतकर्ता ने समिति का ध्यान आकर्षित किया कि जांच समिति द्वारा दिनांक 9.9.2009 को दिये निदेशों के अनुसार, एक प्रतिवादी ने उसे स्थगन की लागत का भुगतान नहीं किया। शिकायतकर्ता ने मांग की, कि इन समाचारपत्रों से सम्बद्ध पत्रकारों के प्रत्यय पत्रों और अर्हताओं की जांच की जाए और किसी एजेंसी/ प्राधिकरण द्वारा उसकी निगरानी की जाए। शिकायतकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी क्षेत्र के लोगों को ब्लैकमेल करने के लिये ही समाचारपत्रों का प्रकाशन कर रहे थे। शिकायतकर्ता ने अनुरोध किया कि यदि ये समाचारपत्र दोषी पाए जाएं तो उनके विज्ञापन बंद कर दिये जाएं।

## रिपोर्ट

जांच समिति ने रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री और शिकायतकर्ता का बयान सुनने के बाद पाया कि कोई भी प्रतिवादी आरोपों से अपने बचाव के लिये आगे नहीं आया। जांच समिति ने लिखित बयान दर्ज नहीं करने के कारण समाचारपत्रों की निन्दा की। जांच समिति ने रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर शिकायतों के बारे में अगली कार्रवाई की और पाया कि प्रतिवादी समाचारपत्रों ने पूर्णतया एक काल्पनिक कहानी प्रकाशित की जिसका एफआईआर से कोई संबंध नहीं था। जांच समिति ने आक्षेपित समाचारों पर विचार किया जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ आरोप लगाया गया था कि स्थानीय पुलिस ने शिकायतकर्ता के रेस्टोरेंट पर जानबूझकर छापा मारा था और एक जोड़े को काम्प्रोमाइजिंग हालत में पाया था। यह भी आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता ने भगोड़े प्रेमियों के लिये रेस्टोरेंट को एक आरामदेय अड्डा बना रखा था और जब पुलिस ने रेस्टोरेंट पर छापा मारा तो शिकायतकर्ता बच कर भाग गया। हालांकि, एफआईआर देखने पर, जांच समिति ने पाया कि वास्तविकता आक्षेपित समाचारों के विपरीत थी क्योंकि एफआईआर में यह कहा गया था कि पुलिस ने श्री अनूप सिंह सुपुत्र श्री बाबू सिंह को आईपीसी की धारा 294 के तहत रात्रि लगभग 10.30 बजे छेड़खानी करने के आरोप में शिव मंदिर चौक के निकट गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पुलिस मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि कथित आरोपी शिकायतकर्ता के मकान के सामने आतीजाती महिलाओं को छेड़ रहा था।

जांच समिति ने इन दस्तावेजों की जांच करने पर आक्षेपित समाचारों में विसंगति पाई और प्राधिकृत एफआईआर पुलिस अधीक्षक, बिजनौर द्वारा भेजी गई थी। पत्रकारिता के आदर्श मानदंडों के अनुसार, अपेक्षित है कि किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई रिपोर्ट या आरोप युक्त लेख मिलता है तो संपादक को उसकी प्रमाणिकता की जांच करनी चाहिए। इस मामले में समाचारपत्र ने एफआईआर पर पूरी तरह विश्वास करते हुए, उसकी विषय वस्तु को देखने का प्रयास किये बिना ही, शिकायतकर्ता के बारे में निरर्थक आरोप लगा दिया जिससे शिकायतकर्ता की बदनामी हुई और लज्जित होना पड़ा। यह निर्दिष्ट दिशानिर्देश है कि समाचारपत्र को ऐसा कुछ नहीं प्रकाशित करना चाहिए जो स्पष्ट अवमानना पूर्ण हो, तो पूरी सावधानी और सत्यापन के बाद, यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वह सही है और उसे प्रकाशित करना जनहित में

होगा। प्रतिवादी के अनुसार आक्षेपित समाचार का प्रकाशन जनहित में किया गया, जांच समिति ने उनकी इस धारणा का कोई आधार नहीं पाया क्योंकि उसके साक्ष्य में कोई सामग्री नहीं थी और जो दस्तावेज आक्षेपित समाचार का आधार बने थे, वे अन्यथा थे।

अतः जांच समिति ने आदर्शों के दो मुद्दों यथा प्रकाशन–पूर्व सत्यापन और अवमाननापूर्ण लेखन के प्रति सजग नहीं रहने जिससे समाज में शिकायतकर्ता के नाम की बदनामी हुई, के उल्लंघन के आधार पर शिकायतों को सही मानने का निर्णय लिया । जांच समिति ने समाचारपत्रों को भविष्य में सावधान रहने के लिये चेतावनी दी। उसने परिषद् से शिकायत को सही मानने और (1) दैनिक बिजनौर टाइम्स, (2) चिंगारी बिजनौर, बिजनौर, (3) दैनिक शाह टाइम्स, मुजफ्फरनगर, (4) रायल बुलेटिन, मुजफ्फरनगर के संपादकों की भर्त्सना करने की सिफारिश की।

**निर्णय**

प्रेस परिषद् ने रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा उल्लिखित कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

**39. श्री एटीएम रंगरामानुजम**
**एडवोकेट**
**दिल्ली**

**बनाम**

**संपादक**
**आंध्र ज्योति**
**तिरुपति, आंध्र प्रदेश**

**संपादक**
**साक्षी दैनिक**
**कोथापलेम गांव**
**चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश**

**अधिनिर्णय**

**तथ्य**

ये दो शिकायतें दिनांक 3.11.2008 श्री एटीएम रंगरामानुजम, एडवोकेट, दिल्ली द्वारा (1) आंध्र ज्योति, तिरूपति और (2) साक्षी, कोथापलेम गांव, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश के विरूद्ध कथित झूठे और अवमाननापूर्ण, नीचे दिये गए समाचारों के कारण की गई है :

| क्रम सं. | अंग्रेजी शीर्षक (हिन्दी अनुवाद) | समाचार पत्र |
|---|---|---|
| 1 | दो वकीलों को नोटिस : जमीन पंजीकृत कराने का वायदा करके धोखा दिया 45 लाख रु. लेने का आरोप | आंध्र ज्योति 12.8.2008 |
| 2 | उन दो वकीलों को सजा देने के लिये याचिका। शांतिपुरम के किसानों को ठगने से संबंधित मामला | आंध्र ज्योति 13.8.2008 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | किसानों पर लाखों का फाइन कैप। एक वरिष्ठ एडवोकेट ने उन किसानों से लाखों वसूले जो न्याय मांगने के लिये आये थे और यह सत्य उजागर हुआ | साक्षी 12.8.2008 |
| 4. | एडवोकेट के विरूद्ध मुकदमा। आरोप कि किसानों को ठगा गया | साक्षी 12.8.2008 |

शिकायतकर्ता ने उस आक्षेपित समाचार प्रकाशन का विरोध किया जिसमें एटीएम श्रीनिवासन का पिता होने के कारण अपने पुत्र के आपराधिक मामले में सहयोग करने का उल्लेख किया गया। उसने उल्लेख किया कि विचाराधीन समाचार इस आशय से प्रकाशित किया गया कि उन दोनों ने संयुक्त रूप से किसानों से रुपया लिया था और वे उनसे पहले मिले भी थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि न तो कानूनी नोटिस में और न ही शिकायत में, वकील द्वारा कथित आरोप लगाया गया किंतु समाचार उन्हें बदनाम करने के लिये जानबूझकर प्रकाशित किया गया जिससे समाज में उनके नाम और प्रतिष्ठा को धक्का लगे। शिकायतकर्ता ने प्रतिवादियों को दिनांक 22.8.2008 को कानूनी नोटिस भेजे किंतु कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

कारण बताओ नोटिस प्रतिवादियों को दिनांक 1.12.2008 को भेजे गए।

**साक्षी का लिखित बयान**

संपादक, सांक्षी ने अपने लिखित बयान दिनांक 13.1.2009 में उल्लेख किया कि दिनांक 13.8.2008 के उनके समाचारपत्र में आक्षेपित समाचार प्रभावित पीड़ितों द्वारा एक एडवोकेट के बारे में जिसने उन्हें ठगा था, अदालत में की गई शिकायत के आधार पर केवल तथ्यात्मक रिपोर्ट थी, यह भी आरोप लगाया गया था कि उसके पिता और पत्नी ने भी साथ दिया था। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार फौजदारी अदालत में दायर शिकायत पर आधारित था और समाचारों में लगाये गए आरोपों से अधिक कुछ नहीं कहा गया। उसने यह भी कहा कि समाचार में समाचारपत्र के पत्रकार द्वारा अपनी कोई राय प्रकट नहीं की गई और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे शिकायतकर्ता के प्रति अवमानना पूर्ण कहा जा सके सिवाय इसके कि अदालत में दायर मुकदमे में उसके नाम का उल्लेख किया गया है। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि किसी भी प्रकार से, विचाराधीन समाचार बिना किसी दुर्भावना के सदभावपूर्वक, पूरी सावधानी बरतने और तथ्यों का सत्यापन करने के बाद ही सार्वजनिक हित में प्रकाशित किया गया।

**आंध्र ज्योति का लिखित बयान**

संपादक, आंध्र ज्योति ने अपने लिखित बयान दिनांक 24.1.2009 में उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार दिनांक 12.8.2008 को एडवोकेट श्री वी लोकनन्द रेड्डी द्वारा शिकायतकर्ता के पुत्र को भेजे कानूनी नोटिस के प्रत्युत्तर में प्राप्त विषय वस्तु पर आधारित है जो शिकायत

से स्वतः स्पष्ट है तथा विचाराधीन अन्य समाचार दिनांक 13.8.2008 को दायर आपराधिक शिकायत सं. 610/2008 पर आधारित है यह शिकायत 65 किसानों की ओर से शिकायतकर्ता, उसके पुत्र और उसकी पुत्र वधु के विरूद्ध 4 अपर जिला मैजिस्ट्रेट, चित्तूर की अदालत में दिनांक 12.8.2008 को दायर की गई जिसमें शिकायतकर्ता को अभियुक्त नम्बर 2 दिखाया गया है, उसने यह भी कहा कि 4.10.2008 को ही माननीय 4 अपर न्यायिक प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट, चित्तूर ने आदेश दिया कि अभियुक्त नं. 2( शिकायतकर्ता) के विरूद्ध प्रथम दृष्टया कोई केस नहीं बनता है (जबकि उसका खंडन मैजिस्ट्रेट के कथित आदेश से बहुत पहले ही 31.8.2008 को प्रकाशित हो गया था) । समाचार उन 65 किसानों की शिकायत के बारे में था जिन्हें कानूनी कार्यवाही के दौरान ठगा गया था, प्रतिवादी ने यह भी कहा कि समस्या की गंभीरता इससे और बढ़ जाती है कि इससे 65 किसानों का जीविकोपार्जन दांव पर था। यह समाचार इसलिये प्रकाशित किया गया क्योंकि समाचारपत्र लोक शिकायतों को प्रकाशित करने के लिये ड्यूटी बद्ध होते हैं।

## प्रति टिप्पणियां

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 17.2.2009 में उल्लेख किया कि लिखित बयान में उल्लिखित टिप्पणियां मामले के मुख्य मुद्दे पर कुछ नहीं कहती है और रिपोर्ट स्वयं अवमानना पूर्ण है तथा प्रतिवादी संपादक द्वारा कोई सदभावना प्रकट नहीं की गई है तथा आक्षेपित समाचार प्रकाशित करने से पूर्व उनके द्वारा पूरी सावधानी और सतर्कता नहीं बरती गई। उसने यह भी उल्लेख किया कि उसके द्वारा नोटिस का सत्यापन नहीं किया गया और मैजिस्ट्रेट द्वारा उसके विरूद्ध की गई शिकायत को निरस्त करने की ओर ध्यान नहीं दिया गया जो उसके विरूद्ध अवमानना पूर्ण समाचार बिना पूरी जांच पड़ताल व सत्यापन किये, प्रकाशित करने पर संपादक की दुर्भावना को स्पष्ट दर्शाता है।

## तर्क

जांच समिति ने इन मामलों पर दिनांक 24.2.2010, 26.4.2010, 28.7.2010 और 22.11.2010 को सुनवाई की और पक्षों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुनवाई स्थगित की। ये मामले नई दिल्ली में दिनांक 18.8.2011 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिये पेश किये गये। शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुआ। प्रतिवादियों की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने अनुरोध किया कि प्रतिवादी समाचारपत्रों ने उसके पुत्र के विरूद्ध अवमानना पूर्ण समाचारों की श्रृंखला जानबूझकर प्रकाशित की जिनसे उसकी प्रतिष्ठा को गहरा आधात पहुंचा क्योंकि इन समाचारपत्रों को आंध्र प्रदेश के काफी बड़े हिस्से में पढ़ा जाता है। रिपोर्ट बहुत ही विद्वेष पूर्ण थी जिसमें उसे 'धोखेबाज' बताया गया और उसे उसके पुत्र के कारनामों के लिये उत्तरदायी ठहराया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसका पुत्र भी वकील है उसने शिकायतकर्ता को टेलीफोन पर बताया था कि दिनांक 13.7.2008 को कुछ लोग उसके घर में

जबरदस्ती घुस आये और उसके हस्ताक्षर ले लिये। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि जबकि एक प्रतिवादी आंध्र ज्योति, चित्तूर संस्करण ने उसका उत्तर शीर्षक 'मेरा उन मामलों से कोई सम्बन्ध नहीं है' से दिनांक 31.8.2008 को प्रकाशित कर दिया किन्तु उससे कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि रिपोर्ट की सत्यता की जांच न होने के कारण उसकी प्रतिष्ठा को पहले ही क्षति हो चुकी थी । शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि उसके विरूद्ध दायर मुकदमा मैजिस्ट्रेट द्वारा खारिज कर दिया गया था।

## रिपोर्ट

जांच समिति ने रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री और शिकायतकर्ता द्वारा उसके समक्ष दिये गए बयान पर विचार करने के बाद पाया कि समाचारपत्र यथा आंध्र ज्योति और साक्षी ने दिनांक 12–13 अगस्त, 2008 को प्रकाशित समाचारों में किसानों की शिकायतों को उठाया था जिनके साथ उनके वकीलों द्वारा जाली दस्तावेज बनाकर कथित धोखा दिया गया था। समाचारपत्रों ने सूचित किया था कि किसान पट्टे की भूमि पर खेती कर रहे थे जिसे इंडियन बैंक जो उस भूमि का मालिक था, की शिकायत पर डीआरटी द्वारा नीलामी करने का आदेश दिया गया था, बैंक से 33 लाख रु. का ऋण लिया गया था ऋणकर्ता ने जिसे चुकता नहीं किया गया था और विदेश भाग गया था। अपनी भूमि को वापस लेने के लिये, लगभग 65 पट्टाधारक किसानों ने श्री एटीएम श्रीनिवासन जो शिकायतकर्ता का पुत्र है, से सम्पर्क किया जिसने उन्हें जमीन वापस दिलाने के लिये उनसे लगभग 45 लाख रु. लिये और जाली दस्तावेज सौंप दिये जिनमें दर्शाया गया था कि बैंक ने वह जमीन किसानों को लौटा दी है और ट्रिब्युनल ने उनके हक में फैसला दिया है। हालांकि, जब बैंक के कार्मिक उस भूमि का कब्जा लेने के लिये जनवरी 2008 में वहां पहुंचे तो किसानों को ज्ञात हुआ कि उन्हें उनके वकील द्वारा ठगा गया है। किसानों ने सचाई जानने के बाद वकील से रुपये लौटाने की मांग की तब उसने 5 मार्च, 2008 तक रुपये लौटान का वायदा किया और अपने मकान को उनके पास गिरबी रख दिया। किसानों ने उसके बाद एक दूसरे वकील से सम्पर्क किया और शिकायतकर्ता के पुत्र पर ठगी का मुकदमा दायर कर दिया और शिकायतकर्ता को किसानों के साथ की गई ठगी में शामिल होने के कारण द्वितीय अभियुक्त बताया।

जांच समिति ने पाया कि शिकायतकर्ता दावा कर रहा था कि वह किसानों के साथ की गई कथित धोखाधड़ी की कार्रवाई में शामिल नहीं था और उसके इस तर्क को मैजिस्ट्रेट द्वारा सही ठहराया गया था। हालांकि, जांच समिति ने पाया कि समाचारपत्रों के पास वह समाचार प्रकाशित करने के लिये पर्याप्त आधार था और एक प्रतिवादी यथा 'आंध्र ज्योति' ने माननीय मैजिस्ट्रेट के आर्डर से बहुत पहले ही शिकायतकर्ता का उत्तर प्रकाशित कर दिया था, क्योकि प्रथम दृष्टया शिकायतकर्ता के विरूद्ध कुछ नहीं पाया गया था। इन परिस्थितियों में जांच समिति आंध्र ज्योति के विरूद्ध कोई अगली कार्रवाई करना नहीं चाहती है क्योंकि उसने पत्रकारिता के आदर्श मानदंडों का अनुपालन किया था।

जहां तक साक्षी दैनिक, द्वितीय प्रतिवादी का सम्बंध है, जांच समिति की राय थी कि न्याय तभी मिलेगा जब संपादक, साक्षी दैनिक को शिकायतकर्ता का उत्तर प्रकाशित करने का निदेश दिया जाये। अतः जांच समिति ने परिषद् से सिफारिश की, कि संपादक, साक्षी दैनिक को शिकायतकर्ता का उत्तर अधिनिर्णय की तारीख से एक पखबाड़े में प्रकाशित करने का निदेश दिया जाये। तदनुसार, उसने परिषद् से सिफारिश की।

**निर्णय**

प्रेस परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा उल्लिखित कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

| | | |
|---|---|---|
| **40. श्री डी.एन. नागोन्द्र जॉयस**<br>**जिला शिमोगा**<br>**कर्नाटक** | **बनाम** | **सम्पादक**<br>**लक्ष्मीशा पत्रिके**<br>**कन्नड़ साप्ताहिक**<br>**शिमोगा, कर्नाटक** |

**अधिनिर्णय**

**तथ्य**

श्री डी.एन. नागेन्द्र जाँयस, जिला शिमोगा, कर्नाटक ने सम्पादक "लक्ष्मीशा पत्रिके", कन्नड़ साप्ताहिक, जिला शिमोगा, कर्नाटक के विरुद्ध दिनांक 7-8-2009 छौर 14-8-2009 के अंकों में उनके तथा उनके भाई के फोटोग्राफ सहित शीर्षक "नगन्नी ज़ न्यू ट्रेड" और "ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ दरलगोडू ब्रदर्स" के अन्तर्गत कथित झूठे, मनगढंत छौर मानहानिजनक समाचारों के प्रकाशन पर यह शिकायत दर्ज़ की है। पहले समाचार में यह विवेचित किया छाया था कि शिकायतकर्ता भाजपा में शामिल हो छाये थे क्योंकि बंगलौर के किन्हीं उद्योछापतियों ने उन्हें कुछ लाख दिये थे। शिकायतकर्ता और उनके भाई आम जनता को धोखा देने के लिए आर.एम.पी.बिजनेस कर रहे थे। आम जनता को धोखा देने के लिए वे "एयर ओन इन्फोटैक लिमिटेड" नामक कम्पनी खोलने की योजना बना रहे थे। दूसरे समाचार में यह विवेचित किया गया था कि शिकायतकर्ता और उनके भाई ने आर.एम.पी.बिजनेस के माध्यम से लोगों को धोखा दिया। उन्होंने एयर ओन इन्फोटैक कम्पनी शुरु की और लाभ पाने के लिए उद्घाटनात्मक समारोह में विख्यात राजनीतिज्ञों को आमंत्रित किया।

**लिखित वक्तव्य**

दिनांक 1-2-2010 के कारण बताओ नोटिस के जवाब में प्रतिवादी-सम्पादक, लक्ष्मीशा पत्रिका ने दिनांक 28-2-2010 के छपने लिखित वक्तव्य में शिकायतकर्ता द्वारा लगाये छाये आरोपों का खंडन किया और निवेदन किया कि शिकायतकर्ता और उनके भाई आर.एम.पी.नाम से मुद्रा परिचालन चिट योजना चला रहे थे। उन्होंने आम जनता से सम्पर्क किया, अपनी निपुणता का प्रयोग किया, लोछों का मत प्रवर्तन किया और उन्हें, अवैध धन परिचालन योजना में फँसाया। कई लोग अपने खून की कमाई इसमें खो बैठे। उन्होंने

शिमोगा में एयर ओन इन्फोटिक लिमिटेड के नाम से अपनी स्वतंत्र धन परिचालन योजना शुरु कर दी । प्रतिवादी ने निवेदन किया कि दिनांक 13-8-2009 को शिकायतकर्ता के भाई ने दूरभाष पर उनकी पत्नी को धमकी दी और अशालीन भाषा का प्रयोग किया । इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता और उनके सहयोगियों ने उन्हें मारने का षडयंत्र रचा । इस संबंध में पुलिस अधीक्षक और गृह मंत्री के सम्मुख लिखित शिकायत दर्ज़ की छायी । प्रतिवादी ने विवेचित किया कि आक्षेपित प्रकाशन जनहित में किया गया था ।

**प्रति-टिप्पणियाँ**

शिकायतकर्ता ने दिनांक 3-5-2010 की अपनी प्रति-टिप्पणियों में लिखित वक्तव्य में किये गये कथनों का खंडन करते हुए निवेदन किया है कि प्रतिवादी-सम्पादक ने असंगत और झूठे दस्तावेज तथा गलत वक्तव्य देकर अपने अवैध कार्य को छिपाने की कोशिश की । शिकायतकर्ता ने न्याय हित में प्रतिवादी के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है ।

## जाँच समिति की रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 29.7.2010 को जांच समिति के समक्ष पेश किया गया। श्री जी.एस. मणि, एडवोकेट शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए जबकि प्रतिवादी समाचारपत्र की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। हालांकि, प्रतिवादी संपादक ने अपने पत्र दिनांक 21.7.2010 द्वारा अपने प्रकाशन के बचाव में उल्लेख किया और अनुरोध किया कि वह अस्वस्थ होने के कारण समिति के समक्ष पेश होने में असमर्थ है और मामले में निर्णय, पूर्व में दायर किये जा चुके लिखित बयान के आधार पर कर दिया जाए।

प्रतिवादी संपादक ने अपने पत्र दिनांक 14.9.2010 द्वारा सूचित किया कि शिकायतकर्ता के विरूद्ध अनेक आपराधिक मामले जे.एम.एफ.सी. अदालत, थिरथाहल्ली में लंबित हैं। अपर सिविल न्यायाधीश के न्यायालय (जूनियर डिवीजन) और जेएमएफसी, शिमोगा में लंबित ओ. एस. 421/2000 के बारे में शिकायतकर्ता के बयान का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत करते हुए, प्रतिवादी ने बयान दिया कि उसने अपना उत्तर शिकायतकर्ता को पंजीकृत डाक से भेजा था किंतु उसने उसे लेने से इंकार कर दिया।

जांच समिति ने नई दिल्ली में इस मामले पर दिनांक 22.11.2010 और 18.8.2011 को सुनवाई की। जांच समिति ने रिकार्ड पर विचार करते हुए पाया कि शिकायतकर्ता ने उसे पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी मामले में कोई अगली कार्रवाई नहीं की। जांच समिति की राय थी कि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत पर कार्रवाई के प्रति अधिक गंभीर नहीं था। अतः उसने परिषद् से शिकायत को बंद करने की सिफारिश की।

## निर्णय

प्रेस परिषद् ने, केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा उल्लिखित कारणों, निष्कर्षों और सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निपटान किया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 41. | **डॉ0 पदमजा जयराम**<br>**अनुराधा नर्सिंग होम**<br>**सोप्पूगुडे**<br>**शिमोगा जिला**<br>**कर्नाटक** | **बनाम** | **संपादक एवं प्रकाशक**<br>**लक्ष्मीशा पत्रिके**<br>**कन्नड़ साप्तहिक**<br>**शिमोगा**<br>**कर्नाटक** |

**अधिनिर्णय**

**तथ्य**

यह शिकायत दिनांक 23.10.2009 डॉ0 पदमजा जयराम, अनुराधा नर्सिंग होम, शिमोगा जिला, कर्नाटक द्वारा संपादक एवं प्रकाशक, लक्ष्मीशा पत्रिके, कन्नड़ साप्ताहिक, शिमोगा, कर्नाटक के विरूद्ध उनके अंक दिनांक 10.4.2009 और 15.5.2009 में उनके फोटोग्राफ सहित उनके तथा उनके नर्सिंग होम के विरूद्ध कथित झूठे, बनावटी और अवमाननापूर्ण समाचार प्रकाशित करने के विरोध में दायर की गई है। आक्षेपित समाचार में जिसका शीर्षक है – 'निर्धन गर्भवती ने डॉ0 पदमजा की लापरवाही के कारण खुदकुशी कर ली' कि 'नर्सिंग होम में धनी लोगों और प्रभावशाली राजनीतिज्ञों को बेहतर सेवाएं दी जाती हैं तथा गरीबों की अवहेलना की जाती है और मध्य वर्ग के लोगों से पैसों की मांग की जाती है। प्रसूति के लिये भर्ती महिलाओं का अनावश्यक रूप से आपरेशन (सिजेरियन) किया जाता है। नर्सिंग होम ने एक अध्यापक की पुत्री को झूठ में गर्भवती बता दिया और गर्भवती महिला का स्कैन करने के बाद बताया गया कि उसके विकलांग बच्चा पैदा होगा। गर्भवती महिला जो प्रसूति के लिये शिकायतकर्ता के नर्सिंग होम में भर्ती हुई, डा. पदमजा ( शिकायतकर्ता) की लापरवाही के कारण उसकी हत्या कर दी गई। शिकायतकर्ता गरीब रोगियों को नहीं देखती है और वह धनी लोगों का सम्मान करती है और यदि कोई रोगी मर जाता है तो वह पैसा भर देती है और ध्यान देती है कि केस बंद कर दिया गया है।' एक अन्य समाचार जिसका शीर्षक 'अनुराधा नर्सिंग होम में लाशों की लगातार दुर्गन्ध .....बच्चा पैदा होने के दिन ही मर गया' था जिसमें कहा गया कि बेबी की मौत डॉ0 पदमजा की लापरवाही के कारण हुई। यह भी कहा गया कि किसी ने, जो अपना नाम बताना नहीं चाहता था, पूरी घटना बयान की।

आरोपों का खंडन करते हुए शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार वेबुनियाद है, जिसे पत्रकार द्वारा स्वयं गढ़ा गया और जिसे उसे तथा उसके नर्सिंग होम को बदनाम करने के इरादे से ही प्रकाशित किया गया। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह एक डाक्टर है जो एक सम्मानित परिवार से है तथा उसने एमबीबीएस की डिग्री मैसूर मेडीकल कालेज, मैसूर विश्व विद्यालय, मैसूर से ली है और डीजीओ (आब्सटेट्रिक्स एवं गायनोकॉलोजी) डिगी कस्तूरबा मेडीकल कालेज, मनीपाल से प्राप्त की है। उसके पति डॉ0 ए.जी. जयराम नेत्र विशेषज्ञ हैं। अनुराधा नर्सिंग होम का संचालन उसके द्वारा वर्ष 1984 से किया जा रहा है। उस दिन से वे रोगियों को अपनी ओर से बेहतर सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। 25 वर्षों से रोगियों और आम लोगों

की ओर से नर्सिंग होम के बारे में एक भी शिकायत नहीं थी। नर्सिंग होम की चिकित्सा क्षेत्र में अच्छी ख्याति है। तालुक के हजारों रोगी इस नर्सिंग होम में उपलब्ध विभिन्न रोगों का उपचार करके लाभ उठा रहे हैं। आक्षेपित समाचार प्रकाशित होने के बाद से आम लोग उस पर संदेह करने लगे हैं।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आक्षेपित समाचार प्रकाशित करके प्रतिवादी ने प्रेस के व्यावसायिक स्तर को नहीं बनाये रखा और अपने गैर कानूनी कार्यों के लिये मीडिया का दुरुपयोग किया। ऐसा करके उसने पत्रकारिता के आदर्शों और लोक मान्यता के विरूद्ध काम किया। शिकायतकर्ता ने सूचित किया कि उसने प्रतिवादी संपादक को दिनांक 25.8.2009 को एक नोटिस भेजा और साथ ही उपायुक्त, शिमोगा जिला तथा पुलिस अधीक्षक, शिमोगा जिला को अवमाननापूर्ण समाचार प्रकाशित करने और आपराधिक कार्यकलापों के विरूद्ध प्रतिवेदन भी भेजा। शिकायतकर्ता ने यह भी सूचित किया कि वाद सं. ओ.एस. 231/1996 सिविल न्यायाधीश अदालत, थिरथाहल्ली में वर्ष 1996 में प्रतिवादी के विरूद्ध मुकदमा दायर करके उसे अवमाननापूर्ण समाचार प्रकाशित करने से रोकने के लिये स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का अनुरोध किया गया था तथा उस पर डिक्री भी हो गई थी। उसके विरूद्ध अवमाननापूर्ण समाचार प्रकाशित करने पर रोक लगाये जाने की डिक्री होने के बावजूद भी, प्रतिवादी अपना पूर्ववत आचरण करता रहा। अतएव उसने (वाद सं. ओ.एस.231/1996) सिविल न्यायाधीश, (जूनियर डिवीजन), थिरथाहल्ली में राहत के लिये आदेशों पर कार्रवाई हेतु 'निष्पादन याचिका' (सं. एक्स. 11/2009) दायर की। कथित निष्पादन वाद में, अवमाननापूर्ण समाचार लक्ष्मीशा पत्रिके दिनांक 15.5.2009 में प्रकाशित होने पर उस पर निष्पादन हेतु न्यायालय की जानकारी में लाया गया। उसने स्पष्ट किया कि संपादक द्वारा अंक दिनांक 10.4.2009 में प्रकाशित अवमाननापूर्ण समाचार के बारे में किसी भी अदालत में कोई मुकदमा या कार्यवाही लंबित नहीं है। उसने परिषद् से मामले में जांच करने का अनुरोध किया।

## लिखित बयान

कारण बताओ नोटिस दिनांक 1.2.2010 के प्रत्युत्तर में प्रतिवादी संपादक, लक्ष्मीशा पत्रिके ने अपने लिखित बयान दिनांक 28.2.2010 में आरोपों का खंडन करते हुए उल्लेख किया कि वह एक गरीब पत्रकार है और पत्रकारिता के सभी मानदंडों और आदर्शों का अनुपालन करते हुए अपने समाचारपत्र का प्रकाशन कर रहा है। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि शिकायत दायर करने से पूर्व, शिकायतकर्ता ने एक षड्यंत्र रचा और एक ग्रुप का गठन किया तथा उपायुक्त/जिलाधीश, शिमोगा के यहां उसके विरूद्ध एक झूठी शिकायत दर्ज की। जिलाधीश ने प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के तहत एक नोटिस जारी किया और उससे दस्तावेजों सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिये कहा और तब शिकायतकर्ता को ज्ञात हुआ कि जिलाधीश को उसकी झूठी शिकायत के बारे में सचाई का पता लग जाएगा। उसने शीघ्र ही झूठी शिकायत करके परिषद् से गुहार लगाई। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि

शिकायतकर्ता और उसके पति थिरथाहल्ली में एक प्राइवेट नर्सिंग होम चला रहे हैं और नर्सिंग होम के कचरे को नष्ट करने के लिये सावधानी नहीं बरतते हैं और अस्पताल के कचरे के प्रबंधन के बारे में नियमों और विनियमों का पालन नहीं करते हैं। इस कारण से अस्पताल के आसपास गंदा पानी एकत्र हो जाता है और प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किये जाने के कारण कचरा उड़ कर निकट की नदी में जाता है। इस बारे में नगर पालिका, थिरथाहल्ली को कितनी ही शिकायतें की गईं। अस्पताल रोगियों के कल्याण का ध्यान नहीं रखता है। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि दिनांक 27.3.2009 को एक गरीब गर्भवती महिला ज्योति शिकायतकर्ता के अस्पताल में भर्ती हुई और शिकायतकर्ता (डाक्टर) की लापरवाही के कारण उसकी व बच्चे की अप्राकृतिक रूप से अस्पताल में मृत्यु हो गई। उसके पति गुरूमूर्ति ने अपनी गर्भवती पत्नी और बच्चे की अप्राकृतिक मृत्यु के बारे में पुलिस में शिकायतकर्ता के विरूद्ध आईपीसी की धारा 304ए के तहत एक आपराधिक मामला 95/2009 दायर किया। प्रतिवादी के अनुसार निष्पक्ष मीडिया कर्मी होने और एक प्रतिष्ठित साप्ताहिक समाचारपत्र का प्रमुख होने के कारण उसने निष्पक्ष रूप से सत्य तथ्यों को प्रकाशित किया। समाचारपत्र की रिपोर्ट के कारण, आम लोगों को शिकायतकर्ता के गैर कानूनी कामों के बारे में जानकारी मिली। शिकायतकर्ता ने न केवल अवमानना का मुकदमा दायर किया और जिलाधीश, शिमोगा को उसके विरूद्ध शिकायत की बल्कि उसकी पत्नी पर हमला करने का भी प्रयास किया और इस बारे में एक शिकायत थिरथाहल्ली पुलिस में दायर की गई तथा थिरथाहल्ली पुलिस ने उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक मामला 147/2009 दर्ज किया। प्रतिवादी के अनुसार उसने प्रेस परिषद् अधिनियम के नियमों, विनियमों और आदर्शों का उल्लंघन नहीं किया किन्तु वास्तव में शिकायतकर्ता के गलत कार्यों को ही उजागर किया। उसने परिषद् से शिकायत को खर्च सहित खारिज करने का अनुरोध किया क्योंकि सिविल और फौजदारी अदालतों में दोनों पक्षों के बीच मुकदमे चल रहे हैं।

## प्रति टिप्पणियां

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति–टिप्पणियों दिनांक 21.4.2010 में उल्लेख किया कि प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान सही नहीं है और पूरी तरह झूठ है। वास्तव में जिलाधीश, शिमोगा ने अवमानना पूर्ण और झूठे प्रकाशन के बारे में प्रतिवादी को कारण बताओ नोटिस भेजा था। आरोप के बारे में कि उसका नर्सिंग होम कचरे को नष्ट करने में एहतियात नहीं बरत रहा है, शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि यह पूरी तरह गलत और मनगढंत है। उसने कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1979 की धारा 25/26 के तहत प्रदान किये गए प्रत्येक प्रमाण पत्र की प्रतियां भी प्रस्तुत कीं जो 30.6.2010 तक वैध हैं। और एक प्रमाण पत्र सुश्रुत बायो मेडीकल वेस्ट मैनेजमेंट सोसायटी, शिमोगा द्वारा बायो मेडीकल कचरा एकत्र करने और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार, व्ययन करने के बारे में प्रदान किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोपों का

खंडन किया कि उसने प्रतिवादी की पत्नी पर हमला करने की कोशिश की। उसने उल्लेख किया कि उसकी पत्नी ने थाने में रिपोर्ट दायर की और जांच करने के बाद पुलिस ने पाया कि दायर की गई शिकायत झूठी है। शिकायतकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी एक गुंडा है और झूठे व अवमानना पूर्ण समाचार अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करके बेगुनाहों को ब्लैकमेल करता है। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि उसने संपादक द्वारा दिनांक 10.4.2009 को प्रकाशित अवमाननापूर्ण समाचार के बारे में किसी भी अदालत में कोई वाद या कार्यवाही दायर नहीं की है बल्कि प्रतिवादी संपादक अपने समाचारपत्र में झूठे और अवमाननापूर्ण समाचार लगातार प्रकाशित कर रहा है।

शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि प्रतिवादी जिसके विरूद्ध अदालत ने झूठे समाचार प्रकाशित करने से रोकने के लिए आदेश भी पारित किये थे, ने गलत बयान/दस्तावेज प्रस्तुत करके अपने गैर कानूनी कार्यों को छुपाने की कोशिश की ।

प्रति–टिप्पणियों की एक प्रति प्रतिवादी संपादक को पत्र दिनांक 10.5.2010 के साथ सूचनार्थ भेजी गई।

**प्रथम स्थगन**

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 29.7.2010 को जांच समिति के समक्ष पेश किया गया। श्री जी.एस. मणि शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए और प्रतिवादी की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। प्रतिवादी संपादक ने अपने पत्र दिनांक 25.5.2010 द्वारा उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने जिलाधीश और अदालत में प्रतिवेदन दायर किया है और प्रतिवेदन का कोई परिणाम नहीं निकला है और उसने परिषद् में झूठा केस दायर किया है। उसने अनुरोध किया कि मामले को समाप्त कर दिया जाए।

चूंकि प्रतिवादी समिति के समक्ष पेश नहीं हुआ अतः मामले को स्थगित कर दिया गया।

**द्वितीय स्थगन**

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 23.11.2010 को जांच समिति के समक्ष पेश किया गया। श्री अतुलेश कुमार, एडवोकेट शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए। प्रतिवादी संपादक श्री के.एस. लक्ष्मीशा ने अपने पत्र दिनांक 16.11.2010 द्वारा सूचित किया कि वह बीमार होने और आर्थिक समस्याओं के कारण कार्यवाही में पेश होने की स्थिति में नहीं है और सभी अगली कार्रवाई इस कारण रोक देने का अनुरोध किया क्योंकि डॉ0 पदमजा जयराम के पति ने उसके विरूद्ध सिविल और फौजदारी मुकदमे दायर किये हैं अतः मामला अदालत के विचाराधीन है।

जांच समिति ने अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया कि प्रतिवादी ने कहा है कि यह मामला मामलों में से एक अदालत के विचाराधीन है। जांच समिति ने विपक्ष को एक उचित अवसर प्रदान करने के लिये मामले को स्थगित करने का निर्णय लिया।

## तर्क

जांच समिति को नई दिल्ली में दिनांक 18.8.2011 को हुई बैठक में यह मामला सुनवाई के लिये प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। श्री एच.के. नायक, एडवोकेट ने शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए कहा कि यह आरोप कि अनुराधा नर्सिंग होम से लाशों की सढांध लगातार आती है, मनगढंत, झूठ और अवमानना पूर्ण है। एडवोकेट ने इंकार किया कि बच्चे की मौत डा0 पद्मजा नायडू की लापरवाही के कारण हुई। समाचार बेवुनियाद था और शिकायतकर्ता तथा उसके नर्सिंग होम को बदनाम करने के लिये लिखा गया था। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि महिला डाक्टर ग्रामीण क्षेत्र में एक नर्सिंग होम चला रही है और गरीबों की मदद कर रही है किंतु समाचारपत्र ने आक्षेपित समाचार प्रकाशित किया कि अस्पताल में नरसंहार किया जारहा है। एडवोकेट ने आगे यह कहा कि मृतक के पति ने आईपीसी की धारा 304 के तहत शिकायतकर्ता के विरूद्ध एक मुकदमा दायर किया है और पुलिस ने एक रिपोर्ट दायर की क्योंकि शिकायतकर्ता के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामला न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण, शिकायतकर्ता के एडवोकेट ने उल्लेख कि मुकदमा एक अन्य मामले में है जो अवमानना के बारे में है। जांच समिति द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कि आक्षेपित समाचार प्राप्त सूचना पर ही आधारित था जो पुलिस से प्राप्त हुई थी, शिकायतकर्ता के एडवोकेट ने उल्लेख किया कि आपत्ति लगाये गए इस आरोप पर की गई कि अनुराधा नर्सिंग होम में लगातार मौते हो रही हैं।

## रिपोर्ट

जांच समिति ने केस के रिकार्ड और शिकायतकर्ता के एडवोकेट द्वारा दिये गए मौखिक तर्कों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के बाद यह कहा कि समाचारपत्र ने शिकायतकर्ता के विरूद्ध दो समाचार प्रकाशित किये जिनमें से एक में उसके फोटोग्राफ के साथ और दूसरे अंक में उसके नर्सिंग होम के फोटोग्राफ के साथ प्रकाशित किया गया, प्रतिवादी ने समाचार रिपोर्ट को कहानी के रूप में शिकायतकर्ता के विरूद्ध टिप्पणियों के साथ प्रकाशित किया। जांच समिति के मतानुसार, आक्षेपित समाचार शिकायतकर्ता को बदनाम करने वाला निंदात्मक लेख के सिवाय और कुछ नहीं था जो ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करते हुए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। आक्षेपित समाचार में प्रतिवादी ने तर्कहीन आरोप लगाये कि अनुराधा नर्सिंग होम रोगियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, शिकायतकर्ता का अवमानवीय व्यवहार है और अस्पताल से लाशों की सड़ांध लगातार आती रहती है। जांच समिति की राय थी कि प्रतिवादी ने पत्रकारिता के आदर्शों के अनुरूप समाचार रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करके पत्रकारिता के मानदंडों का उल्लंघन किया और समाचार में अपनी टिप्पणियों को शामिल करके पत्रकारिता के आदर्शों का और भी अधिक उल्लंघन किया जिनमें टिप्पणियों को तथ्यों का ब्योरा बताया। जांच समिति ने संपादक, लक्ष्मीश पत्रिके की पत्रकारिता के मानदंडों और आदर्शों का उल्लंघन करने के कारण निन्दा की और प्रतिवादी को चेतावनी देने के लिये परिषद् से सिफारिश करने का निर्णय लिया। तदनुसार, उसने परिषद् से सिफारिश की।

**निर्णय**

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये कारणों, निष्कर्षों और सिफारिश को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **42.** | **श्री अशोक नाथ**<br>**सहायक पुस्तकालय एवं**<br>**सूचना अधिकारी**<br>**राष्ट्रीय पुस्तकालय**<br>**कोलकाता** | **बनाम** | **1. संपादक**<br>**आनंद बाजार पत्रिका**<br>**कोलकाता**<br><br>**2. संपादक**<br>**दि टेलीग्राफ**<br>**कोलकाता** |

**अधिनिर्णय**

**तथ्य**

ये शिकायतें दिनांक 12.7.2008 श्री अशोक नाथ, सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता द्वारा (1) आनंद बाजार पत्रिका और (2) दि टेलीग्राफ, कोलकाता के विरूद्ध उनके अंकों दिनांक 17.4.2008 और 23.4.2008 को प्रकाशित कथित झूठे समाचार के बारे में है। आनंद बाजार पत्रिका में शीर्षक 'राष्ट्रीय पुस्तकालय से दस्तावेज चोरी करते पकड़े गए कर्मचारी को छोड़ दिया गया दिल्ली–न्यायिक निर्णय' से प्रकाशित आक्षेपित समाचार में आरोप लगाया गया कि अशोक नाथ को राष्ट्रीय पुस्तकालय से अमूल्य दस्तावेजों की चोरी का दोषी पाया गया और प्रश्न यह उठाया गया कि अशोक बाबू ने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया। दि टेलीग्राफ में शीर्षक 'सीपीएम से सम्बद्ध कर्मचारी को क्लीन चिट पर प्रश्न उठा' 'पुस्तकालय ने दंड दिया, दिल्ली से माफी मिली' से प्रकाशित आक्षेपित समाचार में आरोप लगाया गया कि केन्द्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुस्तकालय के कर्मचारी की सजा को समाप्त किया जिसे दुर्लभ पुस्तकों और पत्रिकाओं की फोटोप्रतियां चुराते हुए दिसम्बर 2005 में पकड़ा गया था। यह भी आरोप लगाया गया कि लगाये आरोप वापस लिये गए और नाथ को मुक्त कर दिया गया क्योंकि वह सीपीएम–समर्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय कर्मचारी संघ से सम्बद्ध था। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि आरोप पूरी तरह झूठे हैं क्योंकि उसे न तो पकड़ा गया था और न ही उसके पास कभी भी कोई चीज बरामद की गई तथा वह सीपीएम–समर्थित संघ से सम्बन्ध नहीं रखता है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उस पर लगाये गए आरोप मनगढंत व झूठे थे जिनसे उसे बदनाम किया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसे न तो पकड़ा गया और न ही उसके पास कभी भी किसी ने कोई चीज बरामद की। शिकायतकर्ता ने स्पष्ट किया कि वह सीसीएस

आचरण नियमावली, 1964 के अनुसार, सीपीएम–समर्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय कर्मचारी संघ से सम्बन्ध नहीं रखता है। उसने आरोप लगाया कि आक्षेपित समाचार पत्रकारिता के अधिकारों के मान्यता प्राप्त आदर्शों का उल्लंघन है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार का एक मात्र उद्देश्य भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना था जिससे विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया जा सके। शिकायतकर्ता ने दोनों प्रतिवादियों को दिनांक 28.4.2008 को प्रत्युत्तर भेजा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

**लिखित बयान नहीं**

कारण बताओ नोटिस दिनांक 22.9.2008 प्रतिवादी संपादकों को भेजे गए किंतु डाक विभाग से पुष्टि होने के बावजूद भी कारण बताओ नोटिस उन्हें 27.9.2008 को दे दिये गए थे, कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए।

**प्रथम स्थगन**

यह मामला कोलकाता में दिनांक 27.9.2010 को जांच समिति के समक्ष पेश किया गया। श्री अशोक कुमार नाथ, शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए और बयान दिया कि प्रतिवादी द्वारा प्रकाशित समाचारों की श्रृंखला से उसे बदनाम किया गया जिससे उसकी पदोन्नति रूक गई। श्री राजऋषि दत्त, वरिष्ठ कार्यपालक विधि ने प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व करते हुए शिकायत की प्रतिलिपि की मांग की ताकि लिखित बयान दायर किया जा सके। शिकायत की प्रति प्रतिवादी को पेशी के दौरान सौंप दी गई। जांच समिति ने प्रतिवादी को अपने केस की पैरवी के लिये उचित अवसर प्रदान करने की दृष्टि से मामले को स्थगित करने का निर्णय लिया और प्रतिवादी को दो सप्ताह के अंदर लिखित बयान दायर करने का निदेश दिया। मामला स्थगित हो गया।

जांच समिति के निदेश उसके पत्र दिनांक 3.11.2010 द्वारा दोनों पक्षों को भेज दिये गए।

**द्वितीय स्थगन**

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 23.11.2010 को जांच समिति के समक्ष पेश किया गया। तब दोनों पक्ष उपस्थित थे। शिकायतकर्ता ने स्वयं उपस्थित होते हुए बयान दिया कि दोनों समाचारपत्रों में से किसी ने भी लिखित बयान दायर नहीं किया। शिकायतकर्ता ने कहा कि फोटो प्रतियों की तस्करी करने के झूठे आरोपों से उसका अपमान हुआ है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया कि वह सीपीएम–समर्थित संघ से सम्बन्ध रखता है यह बात सरासर गलत है। शिकायतकर्ता ने इंकार किया कि उसे दुर्लभ पांडुलिपियों की तस्करी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। शिकायतकर्ता ने बयान दिया कि विचाराधीन दस्तावेज उसके पास नहीं थे और इस कारण पैसे के लेन देन का प्रश्न ही नहीं उठता है। सुरक्षा गार्ड से दुर्व्यवहार करने का भी प्रश्न पैदा नहीं होता है। शिकायतकर्ता ने कहा कि यह पूरा कांड उसकी पदोन्नति रोकने के लिये किया गया।

श्री राजऋषि दत्त, वरिष्ठ कार्यपालक विधि, ए बी पी प्रा. लि. ने प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित होते हुए लिखित बयान दायर नहीं कर पाने के लिये क्षमा मांगी। उसने बयान दिया कि अनेक पत्रकारों ने इस मामले को प्रकाशित किया और वे दस्तावेज प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने निम्नलिखित दस्तावेजों पर विश्वास प्रकट किया :

1. ज्ञापन सं. एडीएम/पीएफ/ए/83/7008 जो प्रो0 एस. मंडल, निदेशक, भारत सरकार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेल्वेडेरे, कोलकाता द्वारा श्री अशोक कुमार नाथ, सहायक पुस्तकालय एवं सूचना (माइक्रो फोटोग्राफी), राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता को दिनांक 1–2 दिसम्बर, 2005 को भेजा गया।

2. कार्यालय आदेश सं. 1159/2006–2007 जो प्रो0 एस. मंडल, निदेशक, भारत के प्रमुख द्वारा 1 मार्च, 2007 को जारी किया गया, ए डी एम/पी एफ/ए/83/6003, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेल्वेडेरे, कोलकाता।

3. डा0 आर. रामचन्द्रन, प्रमुख पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी और निदेशक–प्रभारी, भारत सरकार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेल्वेडेरे, कोलकाता ने एक पत्र सं. एडीएम/पीएफ/ए/83/5614 दिनांक 28.1.2008 श्री आर. वैद्यनाथन, अवर सचिव, भारत सरकार, सांस्कृतिक मंत्रालय, पुस्तकालय अनुभाग, शास्त्री भवन, सी विंग, नई दिल्ली को भेजा।

4. श्री आर. वैद्यनाथन, अवर सचिव, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ने एक आदेश सं. एफ.10–8/2004–लाइब्रेरी दिनांक 25.3.2008, भारत सरकार, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा श्री अशोक कुमार नाथ, सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी (माइक्रो फोटोग्राफी) राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता को भेजा गया।

5. एम. कबासी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और एच ओ ओ ने एक पत्र सं. एडीएम/पी एफ/ए/ 83/106 दिनांक 1–4 अप्रैल, .2008, भारत सरकार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेल्वेडरे, कोलकाता श्री अशोक कुमार नाथ, सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी (माइक्रो फोटोग्राफी) राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता को भेजा।

जांच समिति ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रतिवादियों को लिखित बयान इन दस्तावेजों के साथ दायर करने का निदेश दिया ताकि उन्हें शिकायतकर्ता को उचित अवसर प्रदान करने के लिये भेजा जा सके। जांच समिति ने प्रतिवादी को 3 सप्ताह के भीतर लिखित बयान दायर करने का निदेश दिया और उसके बाद शिकायतकर्ता भी उसका प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकता है। मामला स्थगित हो गया।

**लिखित बयान**

परिषद् के कारण बताओ नोटिस दिनांक 22.9.2008 के जवाब में, 'दि टेलीग्राफ' और 'आनंद बाजार पत्रिका' के संपादकों ने संगठन के मुख्य प्रबंधक, विधि के माध्यम से प्रस्तुत किये जो एक प्रतिष्ठित प्रकाशन हाउस है, यह उसका सदैव प्रयास रहा है कि पत्रकारिता के आदर्शों

और लोकहित के मानकों को बनाये रखा जाए। वे दुर्भावना रहित और निष्पक्ष रूप से समाचार प्रकाशित करते हैं और उन सभी संबंधितों के विचारों को शामिल करते हैं जो किसी न किसी प्रकार उस समाचार से जुड़े होते हैं ताकि जनता को संतुलित समाचार मिल सकें, विशेष ध्यान रखा जाता है कि जिन तथ्यों को समाचार में प्रकाशित किया गया उनके साक्ष्य में प्रमाण उपलब्ध हों। इस विचार को ध्यान में रखते हुए और आम लोगों के हित के लिये सदभावना से आक्षेपित समाचार प्रकाशित किये गए जो न तो झूठे है और शिकायतकर्ता के विरूद्ध दुर्भावना रहित हैं और जिन विशिष्ट बयानों का उल्लेख कथित समाचारों में किया गया है, उनके समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध हैं –

(i) राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्राधिकारियों से प्राप्त दस्तावेज,

(ii) शिकायतकर्ता के विरूद्ध दर्ज शिकायत

(iii) संबंधित प्राधिकारियों द्वारा शिकायतकर्ता को जारी कारण बताओ नोटिस,

(iv) शिकायतकर्ता के विरूद्ध शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही,

(v) संबंधित प्राधिकारी की रिपोर्ट, और

(vi) जारी आदेश और शिकायतकर्ता पर डाला गया दंड

यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक सम्पत्ति और सार्वजनिक संस्थानों से संबंधित किसी मतैक्य या विवाद के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय देश का एक प्रसिद्ध पुस्तकालय है, लोगों को मूल्यवान और दुर्लभ पांडुलिपियों की वर्बादी, चोरी और नष्ट होने के बारे में जानकारी प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। पत्रकारों का कार्य समाचार एकत्र करने के अतिरिक्त अपने पाठकों के प्रति सामाजिक कर्तव्य और नैतिक दायित्व भी निभाना होता है कि उन्हें देश के सबसे पुराने पुस्तकालय में अव्यवस्था के बारे में सूचित किया जाए।

इसके अतिरिक्त, यह भी उल्लेख किया गया कि शिकायतकर्ता ने दिनांक 13.12.2005, 3.1.2006, 5.1.2006 और 14.3.2007 को प्रकाशित आक्षेपित समाचारों के विरूद्ध दिनांक 12.7.2008 को शिकायत दायर की जिसे कुछ तर्कों के आधार पर माना जा सकता है कि शिकायतकर्ता ने भारतीय प्रेस परिषद् या किसी अदालत में उसके चरित्र को निर्दोष ठहराने के लिये जानबूझकर नहीं की गई क्योंकि विभागीय कार्यवाही लंबित थी और उचित प्राधिकारी द्वारा दंड डाला गया था। सरकारी कर्मचारी होने के कारण उसे आक्षेपित समाचार के विरूद्ध भारतीय प्रेस परिषद् से शिकायत करने के लिये अपने संस्थान से पूर्व स्वीकृति लेना जरूरी था जिसके बारे में उसे ज्ञान था कि यह अनुमति उसे संबंधित प्राधिकारी से नहीं मिल सकेगी। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दंड आदेश विपर्यस्त करने के बाद ही उसने भारतीय प्रेस परिषद् को

शीघ्र ही शिकायत की। अपीलीय प्राधिकारी के विपर्यस्त आदेश के बारे में एक अधिकारी का बयान कि ''मंत्रालय द्वारा शायद दबाव में आकर कार्रवाई की गई हो' से राजनीतिक दबाव के बारे में की गई टिप्पणियों को बल मिलेगा और उस अवधि के दौरान शिकायतकर्ता राष्ट्रीय पुस्तकालय के कर्मचारी संघ के मामलों में शीर्ष पर था जो सीपीआई (एम) से सम्बद्ध था।

शिकायतकर्ता के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, संपादक 'दि टेलीग्राफ' ने कथित पत्र दिनांक 28.4.2008 में व्यक्त उसके विचारों/टिप्पणियों को 23.4.2008 को प्रकाशित समाचारों के संबंध में थे, 'दि टेलीग्राफ' के मेट्रो सेक्शन में 30.4.2008 को प्रकाशित कर दिया। शिकायतकर्ता ने इस तथ्य को भलीभांति जानते हुए बेइमानी पूर्ण कार्रवाई की और भारतीय प्रेस परिषद् में यह शिकायत दायर करके अनावश्यक परेशानी, नुकसान और वित्तीय हानि को छिपाये रखा। इसके अतिरिक्त, पत्रकारिता के आदर्शों को ध्यान में रखते हुए उल्लेख किया कि वे स्पष्टीकरण पर विचार करने के लिये सहमत हैं जो संपादक को इतने विलम्ब से भी प्रकाशन के लिये भेजा जाता है, वह स्पष्टीकरण समाचारपत्र में की गई टिप्पणियों तक ही पूरी तरह सीमित होना चाहिए बशर्ते कि पत्रकार को उस पर टिप्पणी करने का अधिकार हो।

लिखित बयान की एक प्रति शिकायतकर्ता को दिनांक 24.3.2011 को सूचनार्थ/प्रति टिप्पणियों, यदि कोई हों, के लिए भेजी गई।

**प्रति टिप्पणियां**

श्री अशोक कुमार नाथ, पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 25.4.2011 में उल्लेख किया कि वह प्रकाशन के लिखित बयान की कड़ी भर्त्सना करता है जिसमें प्रयुक्त शब्दों के चयन, भाव पर गहरी आपत्ति की है कि उनका एक लक्षित उद्देश्य वस्तुगत तथ्यों को छिपाकर उसे परेशान, बदनाम, आहत करना और वित्तीय हानि पहुंचाना है। उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य विकृत समाचार के अनुरूप नहीं हैं क्योंकि उसकी शिकायत मुख्यता विकृत और मनगढंत समाचारों के विरूद्ध है। वह संघों पर पूर्ण नियंत्रण के बारे में की गई टिप्पणियों पर आपत्ति करता है और उल्लेख किया कि वह 2005 और 2008 के दौरान एनएलईए संघ से न तो संबंधित था और न ही सीपीआई (एम) से सेवा संघ के संबंधों के बारे में उसे कोई जानकारी थी। उसने स्पष्ट रूप से इंकार किया और इस कथन का विरोध किया जिसमें आरोप लगाया गया कि उसे 'दि टेलीग्राफ' दिनांक 30.4.2008 के मैट्रो सेक्शन में उसके स्पष्टीकरण प्रकाशित होने की जानकारी थी और उसे बेइमानी व जानबूझकर छिपाकर भारतीय प्रेस परिषद् को तुरंत शिकायत करके प्रकाशन को अनावश्यक रूप से परेशान करने, आहत करने और वित्तीय हानि पहुंचाने की उसकी कोई मंशा नहीं थी।

उसने बिदशा चक्रवर्ती द्वारा आनंद बाजार पत्रिका में दिनांक 3.1.2006 को मिथ्या समाचार प्रकाशित करने पर आपत्ति की, कि 'राष्ट्रीय पुस्तकालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को पिछले माह उस समय रंगे हाथ पकड़ा गया जब वह मूल्यवान दस्तावेजों की फोटो प्रतियां लेकर परिसर से बाहर जा रहा था।' उसने उल्लेख किया कि यह झूठा समाचार उसे अनावश्यक रूप

से परेशान करने के इरादे से प्रकाशित किया गया और उसकी पदोन्नति में अनावश्यक अवरोध खड़े किये गए जबकि डी पी सी की बैठक 03.01.2006 को सम्पन्न हुई। उसने समाचारों में प्रयुक्त कुछ शब्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया है जिनमें लेशमात्र सचाई नहीं है।

i. इमरान अहमद सिद्दीकी द्वारा 'दि टेलीग्राफ' दिनांक 23.4.2008 में प्रकाशित समाचार कि दुर्लभ पुस्तकों और पत्रिकाओं की फोटोप्रतियों की तस्करी करते हुए .....।

ii. इमरान अहमद सिद्दीकी द्वारा 'दि टेलीग्राफ' दिनांक 23.4.2008 में प्रकाशित समाचार कि वह सीपीएम समर्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय कर्मचारी संघ से सम्बद्ध है .... ।

iii. रिजू बसु द्वारा आनंद बाजार पत्रिका दिनांक 17.4.2008 में प्रकाशित समाचार कि राष्ट्रीय पुस्तकालय से अमूल्य दस्तावेजों की चोरी ..... ।

iv. जीशन जावेद द्वारा 'दि टेलीग्राफ' दिनांक 14.3.2008 में प्रकाशित समाचार 'दुर्लभ पांडुलिपियों को ले जाते हुए ..... ।

v. बिदिशा चक्रवर्ती द्वारा आनंद बाजार पत्रिका दिनांक 03.1.2006 में प्रकाशित समाचार कि माइक्रोफिल्म किये दस्तावेजों की फोटो प्रतियों के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया .....।

vi. रिजू बसु द्वारा आनंद बाजार पत्रिका दिनांक 17.4.2008 में प्रकाशित समाचार कि अशोक बाबू एक हिन्दू देश भक्त गिरफ्तार .... ।

उसने यह भी आरोप लगाया कि पब्लीकेशन हाउस अपने प्रत्युत्तर में इस आपत्तिजनक और अक्षम्य भाषा की प्रमाणिकता को सिद्ध नहीं कर सका जो उसकी पदोन्नति रोकने के लिये डीपीसी को प्रभावित करने वाली सोची समझी चाल थी। इसके फलस्वरूप, उसकी पदोन्नति तीन वर्ष के लिये रोक दी गई और उसकी सेवा वरिष्ठता भी कम कर दी गई जिससे उसे लगभग तीन लाख रुपये का नुकसान हुआ और मानसिक ग्लानि अलग हुई। उसने गैर जिम्मेदाराना उत्तर पर गंभीर चिंता व्यक्त की जो पारदर्शिता, निष्पक्षता और पत्रकारिता के मानदंडों पर खरा नहीं उतरता है।

प्रति टिप्पणियों की एक प्रति प्रतिवादी को दिनांक 31.5.2011 को सूचनार्थ भेज दी गई।

**तर्क**

जांच समिति के सम्मुख सुनवाई के लिय यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 18.8.2011 को प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुआ। श्री संजीब बैनर्जी, प्रबंधक – विधि आनन्द बाजार पत्रिका की ओर से पेश हुए। सर्वश्री इमरान अहमद सिद्दीकी, पत्रकार और संजीब बैनर्जी, प्रबंधक–विधि टेलीग्राफ की ओर से पेश हुए। शिकायतकर्ता ने बयान दिया

कि दोनों समाचारपत्रों ने उसकी पदोन्नति को रोकने के उद्देश्य से ही यह दुःखद समाचार प्रकाशित किया था। शिकायतकर्ता ने समाचार की भाषा और भाव पर आपत्ति करते हुए दुर्लभ पुस्तकों की फोटोप्रति की तस्करी, राष्ट्रीय पुस्तकालय से प्रेस विज्ञप्ति दस्तावेजों की चोरी, दुर्लभ हस्तलिपियों को ले जाने का आरोप लगाया और कहा कि शिकायतकर्ता को इन दस्तावेजों के साथ रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया था। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि आरोप भी गलत है कि उसे सीपीएम का समर्थन प्राप्त है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार से उसे मानसिक आघात हुआ है और पदोन्नति रूक जाने से उसे 3 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।

सर्वश्री इमरान अहमद सिद्दकी और संजीब बैनर्जी ने टेलीग्राफ की ओर से पेश होते हुए बयान दिया कि समाचार मद राष्ट्रीय पुस्तकालय की रिपोर्ट पर आधारित था और समाचारपत्र ने केवल तथ्यों को ही प्रकाशित किया था। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता का उत्तर टेलीग्राफ के मैट्रो संस्करण में प्रकाशित किया गया था और शिकायतकर्ता इन तथ्यों को दबा रहा था तथा उसने प्रत्युत्तर प्रकाशित होने के तीन दिन बाद परिषद् से भी सम्पर्क किया था।

प्रतिवादी श्री संजीब बैनर्जी, प्रबंधक–विधि ने आनन्द बाजार पत्रिका की ओर से पेश होते हुए बयान दिया कि समाचारपत्र आनन्द बाजार पत्रिका शिकायतकर्ता का प्रत्युत्तर प्रकाशित करने के लिये तैयार है।

## रिपोर्ट

जांच समिति ने केस के रिकार्ड पर सावधानीपूर्वक विचार किया और पाया कि प्रतिवादी समाचारपत्र की रिपोर्टें शिकायतकर्ता के विभाग द्वारा समाचारपत्रों को उपलब्ध कराये गए दस्तावेजों पर आधारित थीं और शिकायतकर्ता शायद उन मामलों में फंसा हुआ था जब डीपीसी द्वारा उसकी पदोन्नति के लिये विचार किया जाना था। जांच समिति ने यह भी पाया कि शिकायतकर्ता को आरोपों से मुक्त कर दिया गया था और उससे यह आशय निकाला जा सकता है कि शिकायतकर्ता को उसकी पदोन्नति के समय निशाना बनाया गया।

हालांकि, जांच समिति ने पाया कि एक प्रतिवादी, दि टेलीग्राफ ने शिकायतकर्ता का प्रत्युत्तर प्रकाशित कर दिया था और इस प्रकार पत्रकारिता के मानदंडों का पालन किया गया। यह भी पाया कि एक अन्य प्रतिवादी, आनन्द बाजार पत्रिका भी शिकायतकर्ता का प्रत्युत्तर प्रकाशित करने के लिये तैयार था अतः जांच समिति ने संपादक, आनन्द बाजार पत्रिका को शिकायतकर्ता का प्रत्युत्तर प्रकाशित करने और शिकातयकर्ता तथा परिषद् को सूचित करने का निदेश दिया। यद्यपि, जांच समिति ने शिकायत का निपटान करने से पहले राय व्यक्त की, कि समाचारपत्रों से आशा की जाती है कि वे पाठकों को पक्षपात रहित और अच्छे तरीके से समाचारों, मतों/टिप्पणियों और सूचनाओं से अवगत कराते रहें। समाचारपत्र किसी समाचार को

प्रकाशित करते समय पूरी सावधानी और समय का ध्यान रखें ताकि किसी व्यक्ति को अपनी तरक्की में उससे बाधा ना पहुंचे तथा ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिससे सनसनी न फैले। जांच समिति ने शिकायतों का निपटान करने का निर्णय लिया और तदनुसार, उसने परिषद् से सिफारिश की।

**निर्णय**

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

**43. एडमिरल अरुण प्रकाश (सेवा निवृत्त) बनाम संपादक**
**डबोलिम आउटलुक पत्रिका**
**गोवा नई दिल्ली**

**अधिनिर्णय**

**तथ्य**

यह शिकायत दिनांक 1.6.2010 एडमिरल अरुण प्रकाश (सेवा निवृत्त), गोवा द्वारा 'आउटलुक' पत्रिका के विरूद्ध उसके अंक दिनांक 7.6.2010 में शीर्षक 'कोई आपराधिक ट्रिप नहीं रवि शंकरन मित्र के साथ वार रूम लीक' से प्रकाशित कथित झूठे, मनगढंत, नकली और अवमाननापूर्ण लेख के कारण की गई है।

आक्षेपित लेख में उल्लेख किया गया है कि एडमिरल प्रकाश के आवास से पाराशर को किये गए टेलीफोन और शंकरन से तत्कालीन नौसेना प्रमुख (शिकायतकर्ता) के आवास से की गई अनेक टेलीफोन कॉलों को रिकार्ड पर नहीं लिया गया या सी बी आई द्वारा अभी तक दायर किये गए चार आरोप पत्रों में से किसी में भी उनका उल्लेख नहीं किया गया। आक्षेपित लेख में यह भी उल्लेख किया गया कि सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण द्वारा याचिका पर की जा रही सुनवाई में, एक बरखास्त अधिकारी कमांडर वी.के. झा ने आरोप लगाया कि तत्कालीन नौसेना प्रमुख अरूण प्रकाश की जनरल कोर्ट मार्शल कराने की अनुमति नहीं देने में दुर्भावपूर्ण मंशा थी। उनके एडवोकेट कमोडोर सुकजिन्दर सिंह ने आउटलुक को बताया कि झा को ''यंत्रणा दी गई और इसे दर्शाने के लिये हमारे पास चिकित्सा कागजात हैं, तो हमें भी विश्वास हो गया कि इसमें तत्कालीन नौसेना प्रमुख की दुर्भावपूर्ण मंशा थी।'' आक्षेपित लेख में यह भी उल्लेख किया गया कि शिकायतकर्ता ने नौसेना प्रमुख के पद से सेवा मुक्त होने के लिये कभी भी इच्छा व्यक्त नहीं की जबकि उनकी पत्नी के भतीजे का नाम पहली बार सामने आ चुका था। आक्षेपित समाचार में आरोप लगाया गया है कि लंदन पुलिस ने अंत में रवि शंकरन को 21 अप्रैल को गिरफ्तार किया जो नौसेना वार रूम लीक मामले में एक अपराधी था। शंकरन भी, जो पूर्व में नौसेना गोताखोर था, पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरूण प्रकाश की पत्नी का भतीजा था। यह

भी आरोप लगाया गया कि शंकरन एडमिरल अरुण प्रकाश के सरकारी आवास पर जब वह नौसेना प्रमुख थे, पर लम्बे समय तक रहा। आईबी द्वारा जुटाये फोन कॉलों का रिकार्ड दर्शाता है कि कॉल नौसेना प्रमुख के निजी और डायरेक्ट टेलीफोन से शस्त्र डीलर और सह–अपराधी कुलभूषण पाराशर के सेल फोन पर की गईं थीं। सचाई में वे शंकरन द्वारा की गई थीं किंतु वैसे एडमिरल प्रकाश द्वारा की गई मानी जाएंगी। किंतु सीबीआई ने लीक का पता लगने के बाद पूरे 10 माह चली अपनी जांच पड़ताल के दौरान इसे व अन्य गतिविधियों को अनदेखा कर दिया।

शिकायतकर्ता ने अपनी पिछली शिकायत का संदर्भ देते हुए जो न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण 4.6.2007 को बंद हो गई थी और 27.7.2007 को सूचना प्राप्त हुई, उल्लेख किया गया था कि आउटलुक के संपादक और स्टाफ का अनैतिक आचरण कि, दिसम्बर 2005 से दिसम्बर 2006 की अवधि के दौरान, दुर्भावना की मंशा से मनगढंत और बनावटी सामग्री प्रकाशित की गई जिसके लिये वे अवमानना पूर्ण लेखों की श्रृंखला प्रकाशित करने के दोषी हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि प्रतिवादी ने सुनीसुनाई बातों के आधार पर और बिना किसी साक्ष्य के उनके नाम और प्रतिष्ठा को एक नागरिक के रूप में और सेनाओं के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में बहुत अधिक हानि पहुंचाई है। उनके अनुसार, वह उस अवधि में नौसेना प्रमुख और सेना प्रमुख समिति के अध्यक्ष थे और इस कारण प्रेस से सम्पर्क नहीं कर पाते थे। हालांकि, इस झूठे और मनगढंत दुष्प्रचार के जारी रहने पर भी पत्रिका उनके द्वारा दिये गए किसी खंडन, स्पष्टीकरण या प्रत्युत्तरों को प्रकाशित करने से इंकार करती रही।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अब प्रतिवादी ने पुनः पिछले आरोपों की श्रृंखला को दोहराते हुए उन पर व्यक्तिगत रूप से दुष्प्रचार करके आक्रमण करना शुरू कर दिया है जो पूरी तरह झूठे और मनगढंत हैं और जिनका वह लगातार खंडन करते रहे हैं। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि वह नौसेना से वर्ष 2006 में सेवा निवृत्त हुए और प्रतिवादी पत्रिका द्वारा उठाये अनेक मुद्दों पर जांच एजेंसियों और अदालत द्वारा सक्रिय रूप से जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि, इस पत्रिका ने न्यायाधीश, जूरी और हैंगमैन की भूमिका निभानी शुरू कर दी है और किसी व्यक्ति की सार्वजनिक रूप से निन्दा करके और झूठे आरोपों को बारबार प्रकाशित करके किसी की प्रतिष्ठा को नष्ट करने की भूमिका निभा कर न्यायिक एवं उचित कार्रवाई को रोक देने का प्रयास कर रही है। शिकायतकर्ता ने दिनांक 2.6.2010 और 5.6.2010 को आक्षेपित प्रकाशनों की ओर प्रतिवादी का ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध किया कि वह अपना नाम बताए किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

**लिखित बयान**

परिषद् के कारण बताओ नोटिस दिनांक 19.7.2010 के प्रत्युत्तर में, प्रतिवादी मुख्य संपादक, आउटलुक, नई दिल्ली ने अपने लिखित बयान दिनांक 3.8.2010 में शिकायत में लगाये गए आरोपों का खंडन करते हुए उल्लेख किया कि पत्रकारिता के उच्च आदर्शों को ध्यान में

रखते हुए कहानियां प्रकाशित की गईं। इन्हें एडमिरल अरूण प्रकाश, नौसेना मुख्यालय के प्रचार निदेशालय और रक्षा मंत्रालय के प्रचार विंग द्वारा नौसेना वार रूम लीक केस के बारे में परस्पर विरोधी बयानों, झूठे कथनों और अस्पष्ट स्थिति के बाद यह जांच पड़ताल पत्रकारिता का नमूना है। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि आउटलुक में कहानियां प्रकाशित होने के परिणाम स्वरूप सरकार ने आउटलुक में इस श्रृंखला में तीसरी कहानी प्रकाशित होने के बाद रक्षा मंत्रालय के पत्र दिनांक 18.2.2006 द्वारा केस सीबीआई और सीबीआई जांच पड़ताल को सौंप दिया गया। उसके अनुसार, आउटलुक दिल्ली बाजार में शुक्रवार अर्थात 17.2.2006 को आई और रक्षा मंत्रालय ने असामान्य रूप से सप्तांहत (शनिवार, जो अवकाश का दिन होता है) कार्य करते हुए डीओपीटी के अपर सचिव को पत्र लिख कर यह केस सीबीआई को सौंप देने के लिये कहा। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि आउटलुक ने सत्य को प्रकट करने के लिये पत्रकारिता के वैधानिक कर्तव्य का निर्वाह किया है। कोई भी लेख शिकायतकर्ता को बदनाम करने या निंदा करने के लिये नहीं था। इन सभी लेखों में उनका उल्लेख किया गया क्योंकि उस समय वह नौसेना प्रमुख और अध्यक्ष, सेनाध्यक्ष समिति के पद पर कार्यरत थे जिससे उनके पास अधिक शक्तियां और प्रभाव था। उनके कार्यों से घटनाओं पर भारी प्रभाव पड़ता था और शायद प्रमुख अपराधी श्री रवि शंकरन के लिये भारत से बाहर भाग जाने में सहायक भी था। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने सुनिश्चित किया कि संवाद्दाता और वरिष्ठ संपादक को तत्कालीन सह नौसेनाध्यक्ष, वाइस एडमिरल वेंकट भरट्टन द्वारा उनके निवास स्थान पर हुई बैठक में धमकी भी दी गई। इस बैठक में, पत्रकार और उनके परिवार को इस मुद्दे पर समाचार प्रकाशित करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई थी। यह कार्य शिकायतकर्ता की जानकारी और स्वीकृति से ही किया जा सकता था। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता के कार्यकाल में वह नौसेना मुख्यालय को अपनी निजी जागीर मानते थे। उन्होंने रक्षा मंत्रालय के सभी मानदंडों को दरकिनार करते हुए सुनिश्चित किया कि किसी भी शासकीय प्रेस सम्मेलन में संवाद्दाता को आमंत्रित नहीं किया जाएगा और न ही वे कोई प्रेस विज्ञप्ति प्राप्त कर सकते थे। उसने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता ने संवाद्दाता और उसकी पत्रिका को परेशान करने के लिये कुछ मामूली उपायों को अपनाया।

शिकायतकर्ता ने अपने अगले पत्र दिनांक 29.7.2010 के साथ सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 30.6.2010 को दिये निर्णय टीए सं. 395/2009 की प्रति प्रस्तुत की। निर्णय में भारत सरकार के निर्णयों को उचित ठहराया गया और नौसेना अधिकारियों जिनके बारे में आक्षेपित समाचार था, की याचिका निरस्त कर दी गई कि उन्हें जांच अदालत द्वारा पदच्युत कर दिया जाए। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि इस निर्णय से उनके खिलाफ काम कर रही अनेक पत्रिकाओं की प्रतिष्ठा नष्ट हो गई। शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 20.8.2010 में उल्लेख किया कि लिखित बयान अस्पष्ट है और उसमें पिछले 5 वर्षों के दौरान उन पर लगाये आरोपों को ही दोहराया गया है और जो शिकायत का मुख्य आधार है। उसने यह भी उल्लेख किया कि उसे अपने बचाव के अधिकार से वंचित रखा गया और प्रतिवादी

खंडन वाली तकनीकों को ही लगातार अपनाता रहा। उसने परिषद् से प्रतिवादी को निदेश देने के लिये अनुरोध किया कि उनके बयान को प्रकाशित किया जाए।

**मामला स्थगित**

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 23.11.2010 को जांच समिति के समक्ष पेश किया गया। इस अवसर पर दोनों पक्ष पेश हुए। शिकायतकर्ता एडमिरल श्री अरूण प्रकाश (सेवा निवृत्त) ने स्वयं पेश होते हुए दिनांक 3.1.2007 को दायर अपनी मूल शिकायत को संदर्भित किया जो प्रतिवादी आउटलुक के मिथ्या आरोपों, अवमानना पूर्ण प्रकाशनों के विरोध में दी गई थी। शिकायतकर्ता ने बयान दिया कि वह पिछली बार घोषणा दायर नहीं कर सका था क्योंकि यह मामला अदालत के विचाराधीन है और परिषद् के द्वारा मामले को हटा दिया गया था। अतः प्रतिवादियों को और अधिक निन्दात्मक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करनी चाहिए किन्तु वे अपना दुष्प्रचार करते रहे और दिनांक 7.6.2010 को आक्षेपित समाचार प्रकाशित किया। शिकायतकर्ता ने ध्यान आकर्षित किया कि प्रतिवादियों ने तीन उल्लंघन किये यथा –

**''(i) समाचार पत्रों को संघ द्वारा सुझाए अपराधों से दूर रहना चाहिए** : उन्हे किसी अपराध के अपराधी या सजायाफ्ता व्यक्ति के साथी या परिवार या रिश्तेदार का नाम प्रकाशित नहीं करना चाहिए जबकि वे पूर्णतया निर्दोष हों और रिपोर्ट किये जाने वाले मामले में उनका कोई संदर्भ न हो।

**''(ii) प्रकाशन–पूर्व सत्यापन** : रिपोर्ट या सार्वजनिक हित का लेख प्राप्त होने पर और किसी व्यक्ति पर आरोप या टिप्पणियां हो तो संपादक संबंधित व्यक्ति या संगठन से अपना बयान देने, टिप्पणी या प्रतिक्रिया व्यक्त करने जैसे अन्य अधिकृत स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के अतिरिक्त तथ्यों की सत्यता ज्ञात करने के लिये पूरी सावधानी बरतें और तब उसे उचित संशोधन करके, जहां आवश्यक हो, प्रकाशित करे। प्रतिक्रिया पाने में कमी या न मिल पाने की दशा में एक पाद टिप्पणी दी जाए जो उस रिपोर्ट से संबंधित हो।

**''(iii) उत्तर का अधिकार** : समाचारपत्र को प्रभावित व्यक्ति या पीड़ित अनुभव करने/या आक्षेपित समाचार से संबंधित व्यक्ति से सम्पर्क करके, शीघ्रतापूर्वक और उचित प्रमुखता देते हुए या तो पूरी या संपादित समाचार निःशुल्क प्रकाशित करना चाहिए, पत्र या नोट के रूप में संपादक को प्रेषित उसका खंडन/उत्तर/स्पष्टीकरण या खंडन प्रकाशित करना चाहिए। यदि संपादक प्राप्त खंडन/उत्तर/स्पष्टीकरण या प्रत्युत्तर में सत्य या तथ्यात्मक शुद्धता में कोई संदेह करता है तो वह अंत में एक संपादकीय टिप्पणी में सत्यता में संदेह का उल्लेख करते हुए एक संक्षिप्त नोट प्रकाशित करने के लिये स्वतंत्र होगा, किंतु केवल तभी जब उसके पास उचित दस्तावेज या अन्य भौतिक साक्ष्य हों। यह एक रियायत है जिसका प्रयोग उचित मामलों में स्व विवेक और सावधानी पूर्वक किया जा सकता है।

शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि पत्रिका ने उसके विरूद्ध 17 अंक प्रकाशित किये और यह व्यक्तिगत विद्वेष को स्पष्ट दर्शाता है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आउटलुक

के रिपोर्टर, श्री सैकत दत्त ने मनगढंत कहानियां बनाईं और पत्रिका के 17 अंकों में प्रकाशित की। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि उसने दो पत्र श्री विनोद मेहता, मुख्य संपादक को भेजे जिन्हें उसने कूड़ा कह कर फेंक दिया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि तीन अधिकारियों को बर्खास्त किया गया और उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया और यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता बर्दीधारी होने के कारण मीडिया से बात नहीं कर सकता है। हालांकि, सेवा निवृत्ति के बाद, उसने चार पत्र आउटलुक को भेजे किन्तु उसे उत्तर प्राप्त होने से वंचित रखा गया। शिकायतकर्ता ने अनुरोध किया कि प्रतिवादियों को यह श्रृंखला प्रकाशित करने से रोका जाए।

श्री सैकत दत्त, संपादक (आक्षेपित समाचार का रिपोर्टर) आउटलुक ने प्रारम्भिक आपत्ति की, कि परिषद् को अधिनियम की धारा 14(3) के तहत शिकायत पर विचार करने से रोका गया था क्योंकि मामला अदालत के विचाराधीन था। उसने कहा कि 10–12 मुकदमे विभिन्न अदालतों में, लंदन सहित, लंबित हैं। उसने अनुरोध किया कि परिषद् द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय अदालत के प्रतिकूल प्रभाव वाला होगा। जांच करने पर कि किस कारण से पत्रिका को आक्षेपित आरोपों को लगातार प्रकाशित करने के लिये प्रेरित किया जबकि मामला अदालत में लंबित है, फिर भी शिकायतकर्ता को उत्तर पाने के अधिकार से वंचित रखा गया, प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि उसने नौसेनाध्यक्ष के कार्यालय का दो बार दौरा किया और 7–8 फैक्स भेजे किंतु जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा किसी का भी उत्तर नहीं दिया गया। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि शस्त्र डीलर को टेलीफोन करने के बारे में पहली रिपोर्ट करने पर शिकायतकर्ता ने पत्रिका से बात करने से इंकार कर दिया था और वह तुरंत इलैक्ट्रानिक मीडिया पर चला गया और अपनी पूरी वर्दी में साक्षात्कार दिया। प्रतिवादी रिपोर्टर ने उल्लेंख किया कि सूचना के लीक होने से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों डालर का नुकसान हो गया। अपराधी श्री रवि शंकरन, शिकायतकर्ता का भतीजा को भगोड़ा घोषित किया गया जिसे लंदन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। आउटलुक ने इस घटना को प्रकाश में लाने में अहम भूमिका निभाई। रिपोर्टर ने यह भी उल्लेख किया कि वार रूम लीक के सभी षड़यंत्रकारी अब जेल में बंद हैं। रिपोर्टर ने उल्लेख किया कि पत्रिका ने शिकायतकर्ता को प्रत्युत्तर देने के अनेक अवसर प्रदान करते हुए पत्रकारिता के आदर्शों का पालन किया। कोई भी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया गया और न ही उनके व्यक्तिगत आचरण के बारे में कोई टिप्पणी की गई। मुद्दा नौसेना स्टाफ के कार्यालय से संबंधित था और नौसेना प्रमुख होने के कारण उनकी भूमिका की जांच की गई। रिपोर्टर ने जांच समिति को सूचित किया कि उन्होंने रक्षा मंत्रालय का प्रत्युत्तर प्रकाशित किया और उनके द्वारा उठाये गए बिन्दुओं को उसमें शामिल किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिये गए शपथ पत्र को स्वीकार कर लिया गया।

जांच समिति ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रतिवादियों को प्रत्युत्तर की प्रति दायर करने का निदेश दिया जिसमें कहा गया कि शिकायतकर्ता द्वारा उठाये गये बिन्दुओ को शामिल किया गया था।

मामले को स्थगित कर दिया गया।

## प्रतिवादी का प्रत्युत्तर

परिषद् के निदेश के प्रत्युत्तर में, प्रतिवादी ने अपने उत्तर दिनांक 7.3.2011 में उनके उन प्रयासों का विवरण दिया जिनमें एडमिरल अरूण प्रकाश से नौसेना प्रमुख, नौसेना मुख्यालय की हैसियत से उनके जन सम्पर्क अधिकारी (नौसेना और रक्षा मंत्रालय) के मार्फत प्रत्युत्तर प्राप्त करने की कोशिश की गई थी। दोनों अवसरों पर नौसेना प्रमुख ने अपनी टिप्पणियां/विचार व्यक्त करने से मना कर दिया और इसके बजाय इस मुद्दे पर टेलीविजन पर साक्षात्कार/स्पष्टीकरण दिया जबकि आउटलुक को इस अवसर से इंकार कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, नौसेना से प्राप्त प्रत्युत्तर से स्थिति स्पष्ट करने, उनके विचारों और कथनों तथा विशेषकर एडमिरल अरूण प्रकाश के विचारों को 27.1.2006 और 10.4.2006 के अंकों में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। आगे यह भी उल्लेख किया गया कि कई व्यक्तियों द्वारा जिनके नाम लेख में दिये गए हैं, पांच मुकदमे दायर किये गए जिनमें से तीन अभी लंबित हैं। भारत संघ भी नौसेना वार रूम लीक के अपराधियों पर मुकदमा चला रहा है और जो अभी चल रहे हैं। इसी प्रकार, दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक पीआईएल भी लंबित है। अतएव आउटलुक का बचाव कथित मुकदमों में अत्यधिक प्रभावित होगा यदि पत्रिका से इन कार्यवाहियों में और अधिक स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया।

## तर्क

जांच समिति ने इस मामले पर नई दिल्ली में दिनांक 18.8.2011 को सुनवाई की। दोनों पक्ष उपस्थित थे। शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी की टिप्पणी दिनांक 7.3.2011 के प्रत्युत्तर में अपने ईमेल दिनांक 16.8.2011 में उल्लेख किया कि वह अपने विचारों को बारबार भेजता रहा किन्तु आउटलुक द्वारा प्रकाशित सामग्री में उसे नहीं दर्शाया गया। इसके अतिरिक्त, जिन तारीखों पर पत्रिका के पत्रकारों ने सीएनएस/रक्षा मंत्री से भेंट करने की मांग की या नौसेना मुख्यालय/रक्षा मंत्रालय को पत्र भेजे तो कुछेक के उत्तर प्राप्त हुए किन्तु सूचना के लिये किये गए प्रत्येक अनुरोध का उत्तर देना संभव या आवश्यक नहीं होता है। प्रतिवादी के साथ दो अवसरों पर हुई भेंट के दौरान अर्थात शिकायतकर्ता, पत्रिका के मुख्य संपादक के निमंत्रण का आधिकारिक आवास, ने उसके विचारों को सुना और पुनः आश्वासन दिया कि पत्रिका निन्दा के अभियान को बंद कर देगी और हर बार प्रतिवादी अपने वायदे से मुकर गया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि पत्रिका ने मिथ्या और निन्दनीय अभियान का उत्तर देने के अधिकार से उसे वंचित किया।

शिकायतकर्ता ने जांच समिति के समक्ष दिये अपने मौखिक बयान में कहा कि मुख्य संपादक से भेंट करने के बावजूद भी, पूरा अभियान पुनः चलाया गया और उसकी सेवा निवृत्ति के बाद भी व्यक्तिगत आक्षेप लगाये जा रहे हैं। प्रतिवादी के अतिरिक्त किसी भी अन्य पत्रिका

ने 17 अंकों में प्रकाशन नहीं किया। शिकायतकर्ता ने पुनः उल्लेख किया कि उसे दूरदर्शन पर केवल एक साक्षात्कार दिया गया और उसके बाद उसे टीवी मीडिया से सम्पर्क करने से वंचित रखा गया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसे परिषद् के समक्ष दो मुद्दे रखने हैं, यथाः

(क) उत्तर देने के अधिकार से इंकार

(ख) पत्रिका द्वारा समाचार रिपोर्टों में उसके नाम का बारबार उल्लेख करना

श्री सैकत दत्ता, पूर्व सहायक संपादक, आउटलुक प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि उसने सरकार द्वारा हस्ताक्षरित 18000 करोड़ के सौदे पर शिकायतकर्ता से आठ अवसरों पर उत्तर प्राप्त किये और शिकायतकर्ता के विचारों को समान प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने अपनी पूरी वर्दी में प्राइम टाइम पर टीवी मीडिया से बात की और यह कैसे संभव था कि टीवी कार्मिक उसके घर पर अचानक पहुंच जाएं और उनसे मिलने का समय लें व शिकायतकर्ता को फैक्स करें, शिकायतकर्ता ने पत्रिका से बात करने से इंकार कर दिया था। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता वर्तमान में 'मैरीटाइम फाउन्डेशन' का प्रमुख है और वह पत्रिका को बदनाम करने के लिये अपने पद का दुरूपयोग कर रहा है। प्रतिवादी के अनुसार, अन्य दूसरे प्रमुख समाचारपत्रों ने भी ऐसे ही समाचार प्रकाशित किये थे और अभियुक्त बच रहा था। हालांकि, उस प्रतिवादी, पत्रिका ने अन्य रिश्तेदारों के नाम प्रकाशित नहीं किये। प्रतिवादी ने अंत में उल्लेख किया कि 'वार रूम लीक' के बारे में अनेक मुकदमे न्यायालयों में अभी भी चल रहे हैं।

## रिपोर्ट

जांच समिति ने दोनों पक्षों के बयान सुने और रिकार्ड पर विचार करने के बाद पाया कि शिकायतकर्ता पत्रिका आउटलुक में प्रकाशित प्रत्येक रिपोर्ट में स्वयं को लिप्त जानकर दुःखी होता था जबकि परिवार के किसी व्यक्ति द्वारा किये कथित अपराध से उसकी कोई संगतता नहीं थी। शिकायतकर्ता इस बात से भी दुःखी लगता है कि उसके विचारों को प्रतिवादी द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया और इस प्रकार उत्तर देने के अधिकार से वंचित किया। समिति की राय में, पत्रकारिता के आदर्शों के अनुसार, पीड़ित पक्ष के विचारों को प्रकाशित किया जाना चाहिए। हालांकि, प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि अदालत में अनेक मुकदमे चल रहे हैं और इस कारण से, परिषद् द्वारा कार्यवाही को रोकना पड़ा, जांच समिति की राय है कि आदर्शों का दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से पालन होना चाहिए कि प्रतिवादी पत्रिका मामला अदालत के विचाराधीन होते हुए भी समाचारों को प्रकाशित करती रहे और साथ ही कहानी के दूसरी ओर उसका खंडन भी प्रकाशित करे।

जांच समिति ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिया कि श्री रवि शंकर की प्रत्यार्पण की कार्रवाई अभी चल रही है और अदालती मुकदमों में अपना समय लगेगा किंतु न्याय के हित में, समाचारपत्र शिकायतकर्ता के विचारों को प्रकाशित करने पर विचार कर सकते हैं। अतः जांच

समिति ने शिकायतकर्ता को अपने विचार संपादक, आउटलुक को भेजने और उसकी प्रतिलिपि परिषद् को भेजने का निदेश दिया और संपादक की आपत्तियों, यदि कोई हों, की जांच करने के बाद उस उत्तर को प्रकाशित करने के लिये प्रतिवादियों को निदेश दिया जाएगा। उसने परिषद् से सिफारिश की, कि दोनों पक्षों को निदेश देने के साथ शिकायत का निपटान किया जाए और माननीय अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद् को प्रकाशन के लिये उत्तर के पुनरीक्षण के लिये प्राधिकृत किया जाए।

**निर्णय**

प्रेस परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा उल्लिखित कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

**44. सुश्री रीता सेन**
**प्रिंसिपल**
**दिल्ली पब्लिक स्कूल**
**रोहिणी, दिल्ली**

**बनाम**

**संपादक**
**दि इक्नामिक टाइम्स (हिंदी संस्करण)**
**नई दिल्ली**

**अधिनिर्णय**

**तथ्य**

यह शिकायत दिनांक 19.6.2008 सुश्री रीता सेन, प्रिंसिपल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, रोहिणी, दिल्ली द्वारा दि इक्नामिक टाइम्स (हिन्दी संस्करण), नई दिल्ली के विरूद्ध उनके अंक दिनांक 16.5.2008 में शीर्षक 'डीपीएस अपने स्वर्णिम दिनों की वापसी के लिये प्रयत्नशील होते हुए विवादों में' से प्रकाशित आक्षेपित झूठे, मनगढंत और दुर्भावना पूर्ण समाचार के कारण की गई है। आक्षेपित समाचार में आरोप लगाया गया है कि स्कूल ने विकास कार्यों के नाम से करोड़ों रुपये का गबन किया और यह भी आरोप लगाया गया कि स्कूल ने 'दौरा एवं यात्रा' के नाम पर 3000 विद्यार्थियों से 11 लाख रुपये एकत्र किये जो वस्तुतः नहीं लिये जाने चाहिए थे। आरोपों का खंडन करते हुए, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आक्षेपित समाचार पूरी तरह झूठा, बेबुनियाद, दुर्भावनापूर्ण और आधार हीन है और आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि संवाद्दाता श्री मॉयनक मित्रा स्कूल प्राधिकारियों से तथ्यों के बारे में जांच पड़ताल किये बिना ऐसा मनगढंत समाचार किस प्रकार प्रकाशित कर सकते हैं। शिकायतकर्ता ने आशंका व्यक्त करते हुए उल्लेख किया कि स्कूल की ख्याति और प्रतिष्ठा के विरूद्ध कुछ निहित स्वार्थों का इसमें हाथ होना चाहिए। शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 19.6.2008 द्वारा प्रतिवादी संपादक से क्षति नियंत्रण उपायों के रूप में उसका प्रत्युत्तर प्रकाशित करने का अनुरोध किया किंतु उन्हें न तो कोई उत्तर मिला और न ही प्रतिवाद प्रकाशित किया गया।

## कोई लिखित बयान नहीं

प्रतिवादी संपादक, दि इक्नामिक टाइम्स को एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 9.7.2008 को और इसके बाद 26.10.2009 को एक अनुस्मारक भेजा गया।

उप मुख्य प्रबंधक – विधिक, बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लि. ने अपने पत्र दिनांक 3.11.2009 द्वारा शिकायत की प्रति भेजने का अनुरोध किया जो प्रतिवादी को अपना लिखित बयान प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ दिनांक 10.11.2009 को भेजी गई किन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

## तर्क

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 18.8.2011 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिये प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता सुश्री रीता सेन, प्रधानाचार्य, दिल्ली पब्लिक स्कूल, रोहिणी ने अपने मौखिक बयान में बताया कि आक्षेपित समाचार में स्कूल के बारे में आरोप लगाया गया है कि स्कूल ने 'टूर एंड ट्रेवल' के नाम पर 3000 विद्यार्थियों से 11 लाख रूपये एकत्र किये। आरोपों से इंकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार पूर्णतया झूठा, दुर्भावनापूर्ण और बेवुनियाद है तथा उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार कोई संवाद्दाता स्कूल प्राधिकारियों से तथ्यों की जांच किये बिना ऐसी मनगढंत कहानी किस प्रकार बना सकता है। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह इस समाचार को पढ़ कर मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गई। उसने यह भी कहा कि उन्होंने बहुत से दौरे आयोजित किये है और दौरों के कार्यक्रम के अनुसार, राशि भी एकत्रित की। स्कूल में केवल 2,500 विद्यार्थी हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ कि सभी विद्यार्थियों को दौरे पर ले जाया गया हो। उन्होंने अंत में कहा कि समाचार तथ्यों की जांच किये बिना प्रकाशित किया गया।

## रिपोर्ट

जांच समिति ने रिकार्ड और शिकायतकर्ता का बयान सुनने के बाद पाया कि प्रतिवादी ने शिकायत में लगाये आरोपों का ना तो बचाव किया और न ही मौखिक बयान देने के लिये किसी प्रतिनिधि को भेजा। जांच समिति ने संपादक, इक्नामिक टाइम्स (हिन्दी संस्करण) के इस अनुचित व्यवहार की निन्दा की स्कूल प्राधिकारियों से उचित सत्यापन किये बिना ही समाचार प्रकाशित कर दिया गया। समिति की राय में, समाचारपत्र ने स्कूल की छवि को धूमिल कर दिया जबकि सही तथ्यों को प्रकाशित करना चाहिए था। अतः जांच समिति ने असत्यापित रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिये प्रतिवादी की भर्त्सना करने का निर्णय लिया और संपादक, इक्नामिक टाइम्स को शिकायतकर्ता का प्रत्युत्तर प्रकाशित करने का निदेश दिया। तदनुसार, उसने परिषद् से सिफारिश की।

## निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

**45.** **श्री देवी राम** **बनाम** **संपादक**
**रोहतक** **दैनिक जागरण**
**हरियाणा** **रोहतक**

**अधिनिर्णय**

**तथ्य**

यह शिकायत दिनांक 29.10.2007 श्री देवी राम, चमरिया, रोहतक द्वारा दैनिक जागरण के विरूद्ध उनके अंकों दिनांक 4.6.2007 और 4.9.2007 में शीर्षक 'एस पी से मिले चमरियावासी' और 'ग्राम पंचायत ने किया बहिष्कृत परिवार को बहाल' से प्रकाशित विकृत समाचारों के विरोध में की गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसके पिता और पड़ोसी के बीच एक सिविल विवाद उठा और अदालत में अनधिकृत कब्जा करने का मुकदमा दायर किया गया जिसका निर्णय उसके पिता के पक्ष में दिया गया। ईर्ष्या के कारण ग्राम चमरिया के सरपंच ने कुछ लोगों को उसके और परिवार के ऊपर हमला करने के लिये उकसाया। इस बारे में एक एफ आई आर सं. 144 दिनांक 31.5.2007 थाना सदर, रोहतक में दर्ज कराई गई और मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट ने आठ व्यक्तियों को एक दिन न्यायिक हिरासत में रखा तथा अब आठ व्यक्तियों के विरूद्ध एक फौजदारी मुकदमा चल रहा है।

शिकायतकर्ता ने प्रकाशित समाचार दिनांक 4.6.2007 पर आपत्ति की क्योंकि उसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था जिसमें उन्हें गांव का दादा अर्थात 'गुंडा' कहा गयां। उसने इस आरोप पर भी आपत्ति की, कि वह गांव में विकास कार्यों में हमेशा बाधा उत्पन्न करता है। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने दूसरा समाचार दिनांक 4.9.2007 सरपंच के साथ मिलीभगत करके उसे बदनाम करने और भावनाओं को ठेंस पहुंचाने के लिये प्रकाशित किया गया। उसने यह भी आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने आक्षेपित समाचार प्रकाशन से पूर्व जांच पड़ताल किये बिना ही उसे बदनाम करने और उसे अपमानित करने की मंशा से प्रकाशित किया। शिकायतकर्ता ने कानूनी नोटिस दिनाक 29.10.2007 प्रतिवादी को भेजा किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तथा एक पत्र दिनांक 24.12.2007 द्वारा समाचार का प्रतिवाद प्रकाशित करने और क्षमा याचना करने का उनसे अनुरोध किया किंतु कोई उत्तर नहीं मिला।

**कोई लिखित बयान नहीं**

एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 27.2.2008 प्रतिवादी को उसके रोहतक पते पर भेजा गया जो डाक विभाग की इस टिप्पणी के साथ वापस आ गया कि दिये गए पते पर दैनिक जागरण का कोई कार्यालय नहीं है। नोटिस को पुनः दैनिक जागरण के नोयडा कार्यालय को दिनांक 16.9.2009 को भेजा गया, किंतु न तो लिखित बयान मिला और न ही पावती कार्ड वापस मिला। डाक प्राधिकारियों को एक पत्र दिनांक 23.10.2009 लिखकर नोटिस वितरित करने की

पुष्टि करने के लिये कहा गया किंतु उससे भी कोई उत्तर नहीं मिला। एक अनुस्मारक दिनांक 7.10.2010 प्रतिवादी समाचारपत्र, दैनिक जागरण के नोयडा पते पर भेजा गया।

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 29.10.2010 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए पेश किया गया। किसी भी पक्ष की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। संबंधित पक्षों को एक और अवसर प्रदान करने के लिए, जांच समिति ने तदनुसार, मामले को स्थगित करने का निर्णय लिया।

**तर्क**

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 19.8.2011 को सुनवाई के लिये प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्ष उपस्थित थे। शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुआ और उसने अपनी शिकायत का उल्लेख किया कि एक सिविल विवाद जो उसके पिता और पड़ोसी के बीच उठा था, के संबंध में अतिक्रमण का एक मुकदमा दायर किया गया था जिसका फैसला उसके पिता के हक में दिया गया था। ईर्ष्यावश गांव चमरिया के सरपंच ने कुछ लोगों को भड़काया और लगभग आठ आदमियों ने उस सहित पूरे परिवार पर हमला कर दिया किन्तु समाचारपत्र ने इसके उलट समाचार प्रकाशित किया कि शिकायतकर्ता एक गुंडा है। शिकायतकर्ता ने आगे यह उल्लेख किया कि थाना, सदर, रोहतक में एक एफआईआर सं. 144 दिनांक 31.5.2007 को दायर की गई और मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट ने उन आठ व्यक्तियों को एक दिन की न्यायिक हिरासत में ले लिया और उन पर एक फौजदारी का मुकदमा चल रहा है। हालांकि, प्रतिवादी समाचारपत्र ने तथ्यों की जानकारी लिये बिना और प्रकाशन–पूर्व सत्यापन किये बिना फोटोग्राफ और उसके व परिवार के विरूद्ध समाचार प्रकाशित कर दिया। शिकायतकर्ता ने प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 7.9.2007 की एक प्रति सौंपी जिसमें ग्राम पंचायत ने दिनांक 7.9.2007 को मामले में जांच पड़ताल करने के बाद श्री देवी राम और उसके परिवार को बेगुनाह पाया और उस पर लगाये गए प्रतिबंधों को निरस्त कर दिया। उसने यह भी सूचित किया कि समाचारपत्रों जैसे हरी भूमि और दैनिक भास्कर जिन्होंने उसके और उसके परिवार के विरूद्ध सर्वप्रथम समाचार प्रकाशित किया था, और उसके बाद प्रेस विज्ञप्ति तथ्यों के आधार पर सत्य, सही और निष्पक्ष रिपोर्ट दिनांक 8.9.2007 के अंकों में प्रकाशित की गई थी। जबकि प्रतिवादी दैनिक जागरण ने इन तथ्यों को पूरी तरह नकार दिया और जिससे शिकायतकर्ता के विरूद्ध उसकी दुर्भावना स्पष्ट दिखाई देती है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि ग्राम सरपंच ने दैनिक जागरण की सांठगांठ से आक्षेपित रिपोर्ट तैयार की जिसमें शिकायतकर्ता को गुंडा बताया गया है जो तथ्यों से विपरीत है।

शिकायतकर्ता ने आगे यह उल्लेख किया कि उसकी प्रतिष्ठा को बहुत आधात पहुंचा क्योंकि वह गांव का एक सम्मानित व्यक्ति है और शिक्षा विभाग, हरियाणा में स्कूल अध्यापक होने के कारण, हरियाणा अध्यापक संघ जो एस.के.एस और एस.टी.एफ.आई. से सम्बद्ध है, का ब्लॉक अध्यक्ष है और नागरिक अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं अपराध निरोधक

सोसायटी का सदस्य है और एमडीयू, रोहतक में एलएल.बी. का विद्यार्थी भी है। आक्षेपित समाचार में उसके पूरे परिवार को भी अपमानित किया गया है जो वर्ष 2007 में प्रकाशित हुए थे तथा तब से चार वर्ष हो गये लेकिन परिषद् द्वारा समाचारपत्र के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रतिवादी समाचार पत्र उसकी बात या सही घटना को सुनने के लिये तैयार ही नही होता है और उसका प्रत्युत्तर प्रकाशित करने के अनुरोध की अनदेखी करता है।

प्रतिवादी ने स्वीकार किया कि अन्य समाचारपत्रों यथा हरि भूमि और दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की वह शिकायतकर्ता के पक्ष में थी। हालांकि, उसने आग्रह किया कि प्रकाशित समाचार पुलिस रिपोर्ट पर आधारित था और शिकायतकर्ता ने अब भी शिकायत की मूल बात से इंकार नहीं किया है। उसने निश्चित तौर से कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा कोई भी पत्र प्रतिवादी समाचारपत्र के संपादक या प्रबंध निदेशक को नहीं भेजा गया। हालांकि एक स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ जो श्री आचार्य, संबंधित रिपोर्टर जो अब संगठन को छोड़ चुका है, को संबोधित पत्र प्राप्त हुआ जिसे फाइल में लगा दिया गया था, परिषद् से नोटिस मिलने पर संगठन द्वारा उसे खोज लिया गया।

## रिपोर्ट

जांच समिति ने दोनों पक्षों के बयान सुनने और मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद पाया कि प्रतिवादी दैनिक जागरण ने लिखित बयान दायर करने की परवाह नहीं की और स्पष्टीकरण नहीं मिलने की एक मामूली सी आपत्ति उठा दी। प्रतिवादी समाचारपत्र का दावा कि शिकायतकर्ता द्वारा कोई भी पत्र प्रतिवादी समाचारपत्र के संपादक या प्रबंध निदेशक को नहीं भेजा गया और श्री आचार्य, संबंधित रिपोर्टर जिसने यह संगठन छोड़ दिया, को सम्बोधित स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ और इस कारण वे कोई कार्रवाई नहीं कर सके, तर्कसंगत कारण नहीं है। उसने कहा कि प्रतिवादी समाचारपत्र को भारतीय प्रेस परिषद् का पेशी के लिये नोटिस मिलने के बाद उदार होना चाहिए था और स्वयं कार्रवाई करनी चाहिए थी, जबकि उसने शिकायतकर्ता के अनुरोध पर भी समय पर संज्ञान नहीं लिया जिससे प्रतीत होता है कि समाचारपत्र अपनी साख का लाभ उठा रहा है।

गुण–दोषों के आधार पर पाया कि प्रकाशन–पूर्व सत्यापन प्रतिवादी द्वारा नहीं किया गया और पूरा समाचार संबंधित सरपंच को खुश करने के लिये उसके इशारे पर प्रकाशित किया गया। समिति ने अनुभव किया कि प्रतिवादी समाचारपत्र अपनी रिपोर्टों की परिशुद्धता सुनिश्चित करने के प्रति अपने पत्रकारिता के उत्तरदायित्व की अवहेलना करने का अपराधी है जिस कारण शिकायतकर्ता की स्वच्छ छवि की बदनामी हुई। इन कारणों के आधार पर परिषद् से यह सिफारिश करना उपयुक्त होगा कि प्रतिवादी समाचारपत्र की भर्त्सना की जाये और संपादक, दैनिक जागरण को शिकायतकर्ता का प्रत्युत्तर उसी स्थान पर प्रकाशित करने का निदेश दिया जाए जहां पर आक्षेपित समाचार रिपोर्टें प्रकाशित की गयी थीं और उस रिपोर्टर के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाये जो तथ्यों की छानबीन किये बिना वह समाचार प्रकाशित करने के लिये उत्तरदायी हो।

**निर्णय**

प्रेस परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा उल्लिखित कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **46.** | **श्री आशुतोष पांडे**<br>**एडवोकेट**<br>**राजधानी नगर सहकारी बैंक लि.**<br>**लखनऊ** | **बनाम** | **संपादक**<br>**लोक दृष्टि**<br>**लखनऊ** |

**अधिनिर्णय**

**तथ्य**

यह शिकायत दिनांक 17.05.2008 श्री आशुतोष पांडे, एडवोकेट द्वारा राजधानी नगर सहकारी बैंक लि., लखनऊ की ओर से लोक दृष्टि, लखनऊ से प्रकाशित एक मासिक पत्रिका के सितंबर 2007 से मार्च 2008 अंक में बैंक के सचिव के नकली साक्षात्कार, मनगढंत, झूठे और वेबुनियाद समाचारों की श्रृंखला बैंक और उसके कर्मचारियों की स्वच्छ छवि को समाज में धूमिल करने के कारण की गई है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी हिन्दी मासिक पत्रिका लोकदृष्टि के श्री राजेश पांडे, संपादक और श्री रितेश पांडे समाचार संपादक, ने फर्जी सम्पत्ति के आधार पर ऋण की गैरकानूनी मांग की जिसे बैंक प्राधिकारियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इंकार करने पर नाराज होकर, दोनों ने मिल कर बैंक सचिव से झूठे साक्षात्कार के आधार पर झूठे, अवमाननापूर्ण समाचारों की श्रृंखला जानबूझकर प्रकाशित करना शुरू कर दी। सचिव ने पंजीकृत डाक से पत्र दिनांक 4.10.2007 भेज कर आरोप झूठे होने और साक्षात्कार न होने के बारे में प्रतिवादी का ध्यान आकर्षित किया किन्तु खंडन प्रकाशित करने के बजाय वे बिना किसी प्रमाण या साक्ष्य के झूठे और वेबुनियाद समाचार लगातार प्रकाशित करते रहे। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि प्रतिवादी ने बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को गुमराह करने के लिये समाचारपत्र की प्रतियां वितरित कीं, कि राजधानी सहकारी बैंक शीघ्र ही बंद होने वाला है और निवेशकों का रूपया डूब जाएगा। उसने आरोप लगाया कि प्रतिवादियों के कार्य और आचरण पत्रकारिता के आदर्शों के प्रावधानों के प्रतिकूल हैं।

**लिखित बयान**

प्रतिवादी श्री राजेश पांडे, संपादक, लोकदृष्टि, लखनऊ ने अपने लिखित बयान दिनांक 1.8.2008 में इंकार किया कि नकली सम्पत्ति के आधार पर ऋण की गैर कानूनी ढंग से मांग की, यह आरोप पूरी तरह झूठ हैं। प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि प्रेस परिषद् को गुमराह करने

के लिये शिकायतकर्ता ने नकली सम्पत्ति की कहानी खुद गढ़ी है। साक्षात्कार हुआ ही नहीं था, के आरोप के बारे में प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि उन्होंने जो कुछ भी प्रकाशित किया, सब सच है। बैंक के सचिव ने कथित साक्षात्कार में कुछ बिन्दुओं के बारे में अपना खंडन जारी किया था क्योंकि संबंधित प्राधिकारियों से उस पर दबाव डाला जा रहा था। प्रतिवादी ने इस आरोप से भी इंकार किया कि वह सदैव ही झूठे और गलत समाचार प्रकाशित करता रहता है और उल्लेख किया कि उन्होंने जो कुछ भी प्रकाशित किया वह ठोस सबूतों पर आधारित है।

लिखित बयान की प्रतिलिपि शिकायतकर्ता और उसके एडवोकेट को दिनांक 20.11.2008 को इस अनुरोध के साथ भेजी गई कि वह अपना उत्तर और प्रेस परिषद् (जांच प्रक्रिया) विनियमावली, 1979 की अन्य प्रारम्भिक अपेक्षाओं का अनुपालन प्रस्तुत करे।

**रिपोर्ट**

यह मामला जांच समिति को सुनवाई के लिये दिनांक 19.8.2011 को पेश किया गया। दोनों पक्षों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। जांच समिति ने पाया कि शिकायतकर्ता ने मामले को नहीं बढ़ाया और वर्ष 2008 से कोई पत्राचार नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, पेशी के लिये नोटिस भेजने के बावजूद भी, शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतएव कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं होने के कारण केस को बंद करने का निर्णय लिया। तदनुसार, उसने परिषद् से सिफारिश की।

**निर्णय**

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

**47. श्री आर.पी. मिश्रा**
**लेखा अधिकारी**
**यू.पी. जगतगुरू रामभद्राचार्य**
**विकलांग विश्वविद्यालय**
**चित्रकूट धाम, उत्तर प्रदेश**

**सुश्री रंजना अग्निहोत्री**
**एडवोकेट**
**उच्च न्यायालय, लखनऊ**

**बनाम**

**संपादक**
**प्रखर विचार/प्रखर आस्था**
**लखनऊ, उत्तर प्रदेश**

**अधिनिर्णय**

**तथ्य**

श्री आर.पी. मिश्रा, लेखा अधिकारी, यू.पी.जगतगुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्व विद्यालय,

चित्रकूट धाम, उत्तर प्रदेश और सुश्री रंजना अग्निहोत्री, एडवोकेट, उच्च न्यायालय, लखनऊ ने अलग–अलग शिकायतें दिनांक 24.3.2008 और 26.3.2008 प्रखर विचार, हिन्दी पत्रिका के विरूद्ध अपने अंक मार्च 2008 में शीर्षक 'पहचानिये लंगोटी वाले बावा को – विकलांग विश्व विद्यालय को लूटा जन्मांध कुलाधिपति' से झूठा, भ्रामक और अवमाननापूर्ण समाचार प्रकाशित करने के विरोध में की हैं। आक्षेपित समाचार में जगतगुरू के लिये प्रतिवादी ने अभद्र भाषा जैसे 'जन्म से अंधे', 'अंधे उगाहीकर्ता, कलयुगी, बिना आंखों वाला व्यक्ति, धृतराष्ट्र, भगवा ठग आदि का प्रयोग किया है।

शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार में ईश निन्दा, हास्यास्पद, अपमानजनक, घृणित और अभद्र है और इसका प्रकाशन सस्ती प्रसिद्धि के लिये किया गया है। उसके अनुसार, प्रतिवादियों ने धर्मचक्रवर्ती जगतगुरू राम नन्दाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के विरूद्ध विचाराधीन समाचार अशिष्ट टिप्पणियां करते हुए उन नुकसान और बदनाम करने की मंशा से जानबूझकर प्रकाशित किया है। यह भी उल्लेख किया गया कि प्रतिवादी ने जानबूझकर ऐसा अभद्र समाचार प्रकाशित किया जिसमें महामहिम कुलाधिपति को क्षति व बदनाम करने की मंशा से प्रकाशित किया गया तथा जानबूझकर धार्मिक आस्था का अपमान करने का प्रयास किया और स्वामीजी के सैकड़ों अनुयाइयों शिकायतकर्ताओं सहित, की भावनाओं को इरादतन आहत किया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि प्रतिवादियों को पंजीकृत पत्र भेजे गए किन्तु वे वितरित हुए बिना इस टिप्पणी के साथ वापस आ गये कि पता गलत है। प्रतिवादी के खिलाफ एक एफ आई आर दिनांक 8.4.2008 को दायर की गई और माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में एक समादेश याचिका सं. 3115 (एमबी)/2008 दिनांक 11.4.2008 को दायर की गई और माननीय उच्च न्यायालय ने एसएसपी, लखनऊ को इन निदेशों के साथ मामले में कार्रवाई करने का निदेश दिया कि याचिकाकर्ता को असुविधा नहीं होनी चाहिए। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि समादेश याचिका को अंत में खारिज कर दिया गया।

### लिखित बयान

प्रतिवादी श्री शिव आसरे अस्थाना, संपादक, प्रखर विचार/प्रखर आस्था ने अपने लिखित बयान दिनांक 11.4.2009 में उल्लेख किया कि उनकी समाचार पत्रिका स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता करती है और आज तक उन्होंने एक भी ऐसा लेख प्रकाशित नहीं किया है जिसे किसी व्यक्ति के विरूद्ध निन्दात्मक या अशोभनीय कहा जा सकता हो किंतु शिकायतकर्ता बड़े जोरशोर से ऐसे अनेक कार्यों में उलझे हुए हैं जिन्हें असंवैधानिक और गैर कानूनी कहा जा सकता है। उसने आरोप लगाया कि यूपी जगतगुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्व विद्यालय चित्रकूट धाम के संरक्षक, श्री जगतगुरू रामभद्राचार्य ने विश्व विद्यालय में किसी न किसी प्रकार से न केवल ऐसे अनेक गैर कानूनी काम किये हैं बल्कि हिन्दुओं के पवित्र ग्रंथ 'राम चरित मानस'

में भी संशोधन करने का दुःसाहस किया जिसके लिये वे किसी भी प्रकार से अधिकृत नहीं हैं। सनातन धर्म या वेदिक धर्म और साधु संत परम्परा के भगवान विष्णु में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं की भावनाएं बुरी तरह प्रभावित हुई और भारत के संविधान के अन्तर्गत प्राप्त संवैधानिक अधिकारों की गारंटी को राम चरित मानस मूल गुटका प्रकाशित करके उल्लंघन किया गया जिसका संपादन और प्रकाशन जगतगुरू रामभद्राचार्य द्वारा किया गया जिससे करोड़ों हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं व श्रद्धा को ठेंस पहुंची है क्योंकि वेदिक धर्म में उनकी अटूट आस्था है। राम भद्राचार्य विकलांग विश्व विद्यालय का पूरा स्टाफ रहस्यमयी राम चरित मानस के प्रकाशन और मुद्रण से संबंधित है। प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि इस प्रकार उन्होंने प्रबंधन में भारी अनियमिताओं और सरकारी निधियों का दुरूपयोग किया और यह भी कहा कि यह पुस्तक जातिवाद, नफरत और हिन्दुओं के बीच आपस में वैरभाव बढ़ा रही है और न्याय के हित में यह उचित होगा कि पुस्तक की सभी प्रतियां जब्त कर ली जाएं और प्रचार पर रोक लगाई जाए। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि श्री रामभद्राचार्य विकलांग विश्व विद्यालय के संरक्षक के रूप में श्री राम भद्राचार्य की इस कार्रवाई से आहत होकर उसने माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में एक समादेश याचिका सं. 8023 (एमबी) /2008 दायर की और यह मामला अभी अदालत में लंबित है। उसने यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने सुश्री रंजना अग्निहोत्री को समादेश याचिका में उनकी ओर से मुकदमा लड़ने के लिये नियुक्त कर लिया । सचाई यह है कि भारतीय प्रेस परिषद् से सम्पर्क करते हुए श्री रामभद्राचार्य विकलांग विश्व विद्यालय चित्रकूट द्वारा तथ्यों को छिपा लिया गया। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि शिकायत में उल्लिखित सभी आरोप कानून की नजर में निरर्थक है और आरोप लगाया कि यह प्रतिवादी को तंग करने और अवमानित करने के इरादे से किया गया है।

**तर्क**

यह मामला दिनांक 19.8.2011 को नई दिल्ली में प्रेस परिषद् की जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिये प्रस्तुत किया गया। दोनों ही पक्ष उपस्थित थे। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार में प्रयुक्त भाषा बहुत ही अभद्र, आपत्तिजनक और ईशनिन्दात्मक है। मार्च 2008 के अंक में पृष्ठ 21 व 31 पर दिया गया आक्षेपित लेख में जगद्गुरू रामभद्रचार्य का फोटोग्राफ अत्यधिक निन्दात्मक भाषा जैसे 'जन्म से अंधे, अंधे उगाहीकर्ता, कलयुगी, बिना आंखों वाला व्यक्ति, धृतराष्ट्र, भगवा ठग' आदि में शीर्षक के साथ प्रकाशित किया गया है। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने उनके पत्रों को लेने से इंकार कर दिया।

शिकायतकर्ता सुश्री रंजना अग्निहोत्री, एडवोकेट ने सूचित किया कि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन नहीं है। उसने स्पष्ट किया कि प्रतिवादी द्वारा एक समादेश याचिका माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ में दायर की जो संशोधित रामचरित मानस की लेखिका होने के कारण शिकायतकर्ता की गिरफ्तारी के संबंध में है और आक्षेपित समाचार से इसका कोई संबंध नहीं है।

प्रतिवादी के प्रतिनिधि, श्री देवेन्द्र कुमार, एडवोकेट ने यह तर्क देते हुए पेशी को स्थगित करने का अनुरोध किया क्योंकि श्री अस्थाना, संपादक को ही उपस्थित होना था जो मामले को सही परिप्रेक्ष्य में पेश कर सकते थे और स्वयं उपस्थित होकर साक्ष्य देना चाहते थे, लेकिन वह बीमार हो गये। जांच समिति ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया क्योंकि किसी भी प्रकार से गवाही देने से बचाव में कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रकाशन प्रथम दृष्टया ही गलत है। हालांकि, उसने फिर भी कहा कि मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

## रिपोर्ट

जांच समिति ने प्रतिवादी की प्रारम्भिक आपत्ति पर विचार किया और पाया कि श्री रामभद्राचार्य द्वारा रामचरित मानस के ''मूल गुटका'' को संपादित करने के मुद्दे का, जिसे न्यायालय के विचाराधीन बताया गया, इस शिकायत से कोई संबंध नहीं है। समिति ने प्रतिवादी के दूसरे तर्क पर विचार किया कि संपादक को स्वयं गवाही देने के लिये पेशी को स्थगित किया जाये, और अपनी राय दी कि संपादक श्री अस्थाना की गवाही से कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रकाशित लेख से स्वतः स्पष्ट है कि प्रयुक्त भाषा निन्दात्मक है। जांच समिति ने प्रतिवादी का अनुरोध अस्वीकार कर दिया, क्योकि उसका विचार था कि संपादक की उपस्थिति से प्रकाशित असंयमित और अभद्र भाषा में कोई सुधार नहीं होगा। जांच समिति ने पाया कि प्रतिवादी ने अपनी पत्रिका को पूरे विश्वविद्यालय को बदनाम करने और उसके उप कुलपति की प्रतिष्ठा को व्यक्तिगत आधार पर आघात करने के लिये एक हथियार के रूप में प्रयोग किया। उसने यह भी पाया कि प्रतिवादी द्वारा विश्वविद्यालय चित्रकूट के विरूद्ध अपनी रिपोर्ट में प्रयुक्त की गई भाषा अभद्र और निन्दात्मक है। अतएव समिति ने निर्णय दिया कि प्रतिवादी समाचारपत्र 'प्रखर विचार', पत्रकारिता के उत्तरदायित्वों की अपराधी होने के साथ ही किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध अवमानना पूर्ण लेख लिखने की चेतावनी की ओर भी ध्यान नहीं दिया। आक्षेपित समाचार मदों में प्रयुक्त भाषा अत्यधिक अभद्र, आपत्तिजनक है और जिस पर खेद व्यक्त किया जाना चाहिए। जांच समिति ने परिषद् से सिफारिश की, कि समाचार पत्र 'प्रखर विचार'/'प्रखर आस्था' लखनऊ की घृणित लेख लिखने के कारण परिनिंदा की जाए। अधिनिर्णय की प्रति आरएनआई/डीएवीपी और उत्तर प्रदेश, सरकार को आवश्यक कार्रवाई जिसे वे मामले में उचित समझें, के लिये, भेजी जाए।

## निर्णय

परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद संपादक, प्रखर विचार, लखनऊ की परिनिंदा करने का निर्णय लिया। उसने परिषद् के अधिनिर्णय की प्रति डीएवीपी, आरएनआई और सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, सरकार को कानूनी कार्रवाई जिसे वे मामले में उचित समझें, करने के लिये, भेजने का भी निर्णय लिया।

**48. श्री उपेन्द्र कुमार अग्रवाल, आईपीएस** **बनाम** **संपादक**
**पुलिस अधीक्षक, रेलवे** **आज, हिन्दी दैनिक**
**आगरा** **इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश**

## अधिनिर्णय

**तथ्य**

यह शिकायत दिनांक 18.1.2009 श्री उपेन्द्र कुमार अग्रवाल, आई पी एस, तत्कालीन सहायक पुलिस अधीक्षक/सर्किल अधिकारी, सोराव इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा संपादक, आज, हिन्दी दैनिक, इलाहाबाद के विरूद्ध उनके अंक दिनांक 18.1.2009 में शीर्षक ''पुलिस कर्मियों के आवास आबंटन में भी घोटाला'' से प्रकाशित कथित समाचार झूठा, भ्रामक और अवमानना पूर्ण होने के कारण की गई है। आक्षेपित समाचार में कहा गया है कि पूर्व सी.ओ. , लाइन (प्रशिक्षार्थी आई पी एस) आवास आबंटित करने के लिये खुले रूप में पैसा वसूल करते थे और संबंधित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के अधिकारियों और स्टाफ को आबंटन किया जाता था। लिपिकों द्वारा 5 से 10 हजार रु. लिये जाते हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आक्षेपित समाचार पूर्णतया झूठा, मनगढंत, अवमाननापूर्ण और आधारहीन है जो उसकी छवि को जनता और विभाग में धूमिल करने की मंशा से छापा गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रशिक्षार्थी आई पी एस अधिकारियों की तैनाती जिला में होती है और वे सी ओ लाइन पद पर नियुक्त होते हैं जो अधिकारियों और स्टाफ के बीच सहयोग सीखने के लिये एक महत्वपूर्ण पद होता है। शिकायतकर्ता जिसकी तैनाती वर्तमान में पुलिस अधीक्षक, रेलवे, आगरा में है, ने उल्लेख किया कि वह 12.9.2007 से 30.8.2008 तक सहायक पुलिस अधीक्षक/सर्किल अधिकारी, इलाहाबाद के पद पर तैनात रहा, तत्पश्चात् श्री आकाश कुलकर्णी, आई पी एस से उससे प्रभार ले लिया। प्रतिवादी ने उसके नाम का उल्लेख किये बिना उसे बदनाम करने की कोशिश की क्योंकि किसी भी अन्य आई पी एस अधिकारी ने पिछले दो वर्षों से उस पद का कार्यभार नहीं संभाला है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि प्रतिवादी ने आक्षेपित समाचार प्रकाशित करने से पूर्व उससे कभी भी सम्पर्क नहीं किया। आक्षेपित समाचार प्रकाशित होने के तुरंत बाद उसने समाचारपत्र के संपादक को एक पत्र दिनांक 18.1.2009 लिखा किन्तु उसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

**लिखित बयान**

परिषद् के कारण बताओ नोटिस दिनांक 7.7.2009 के जवाब में, प्रतिवादी रेजीडेट संपादक, आज, इलाहाबाद ने अपने अ–दिनांकित लिखित बयान, जो 23.7.2009 को प्राप्त हुआ, में उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार में सभी आरोप पुलिस लाइन, इलाहाबाद में नियुक्त लिपिकों पर लगाये गए हैं और सरकारी आवास के आबंटन के लिये आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्य उन्हें सौंपा गया है। सी ओ लाइन्स, इलाहाबाद या किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी या एस पी, इलाहाबाद के विरूद्ध कोई भी आरोप नहीं लगाया गया है। शिकायतकर्ता के नाम का

कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता दिनांक 12.9.2007 से 30.8.2008 तक सी ओ लाइन्स, इलाहाबाद के पद पर तैनात रहा और आक्षेपित समाचार दिनांक 18.1.2009 को प्रकाशित किया गया था। शिकायतकर्ता पर कोई भी आरोप नहीं लगाया गया और उस संबंध में लगाये गए सभी आरोप सी ओ लाइन्स के कार्यालय के लिपिकों के विरूद्ध थे। प्रतिवादी ने स्पष्ट किया कि संबंधित रिपोर्टर द्वारा समाचार प्रकाशित करने से पूर्व पूरी जांच पड़ताल और सत्यापन किया गया था। प्रतिवादी के अनुसार, आक्षेपित समाचार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का ध्यान उस ओर आकर्षित करने के लिये प्रकाशित किया गया था। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि समाचारपत्र शिकायतकर्ता का उत्तर/कथन प्रकाशित करने के लिये तैयार था।

लिखित बयान की प्रति परिषद् के पत्र दिनांक 27.7.2009 के साथ शिकायतकर्ता को प्रति टिप्पणियों यदि कोई हों, के लिये भेजी गई किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

## रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में जांच समिति के सम्मुख सुनवाई के लिये दिनांक 19.8.2011 को पेश किया गया। शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ जबकि प्रतिवादी की ओर से श्री जैघम खान, उप–संपादक, आज हिन्दी दैनिक पेश हुए। जांच समिति ने पाया कि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के बारे में अगली कार्रवाई करने का इच्छुक नहीं था क्योंकि प्रतिवादी के लिखित बयान के उत्तर में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ जो उसे सचिवालय द्वारा वर्ष 2009 में भेजा गया था। यह भी पाया गया कि शिकायतकर्ता को पेशी के लिये भेजा गया नोटिस डाक विभाग की टिप्पणी ''कार्यालय ने प्राप्त करने से इंकार कर दिया'' के साथ वापस आ गया। अतएव मामले में अनुवर्ती कार्रवाई नहीं होने के कारण उसे बंद करने का निर्णय लिया गया और तदनुसार, परिषद् से सिफारिश की।

## निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

**49. श्री जगदीश प्रसाद**
**कानपुर**
**उत्तर प्रदेश**

**बनाम**

**संपादक**
**अमर उजाला**
**कानपुर, उत्तर प्रदेश**

### अधिनिर्णय

**तथ्य**

यह शिकायत दिनांक 8.9.2008 श्री जगदीश प्रसाद, कानपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा अमर उजाला, कानपुर के विरूद्ध उनके अंक दिनांक 23.6.2008 को शीर्षक 'पिता पुत्र पर बरखास्त

जज ने तेजाब डाला' से प्रकाशित कथित झूठे और अवमानना पूर्ण समाचार के विरोध में की गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसके पड़ोसी श्री मुन्नू लाल ने एक एफ आई आर मनगढंत कहानी के साथ पी एस कोतवाली, कानपुर में दर्ज कराई और उनके भड़काने पर उनके पुत्र श्री संजय कुमार ने किसी पदम, सुपुत्र श्री बाबू प्रसाद, पर तेजाब फेंका। हालांकि, एफ आई आर में उसके नाम को शामिल नहीं किया गया है, आक्षेपित समाचार में शिकायतकर्ता पर, उसे बर्खास्त न्यायाधीश बताया गया है, तेजाब फेंकन का आरोप लगाया गया है और इस प्रकार बदनाम व चित्रित किया गया कि जैसे वह आपराधिक मानसिकता वाला व्यक्ति हो। उसने न केवल तेजाब फेंकने से इंकार किया बल्कि उस अवधारणा पर भी आपत्ति की, कि जिसमें उसे न्यायिक सेवा का बर्खास्त कर्मचारी बताया गया, यह मामला न्यायालय में लंबित है। शिकायतकर्ता ने एक कानूनी नोटिस दिनांक 14.8.2008 प्रतिवादी को की गई हानि का भुगतान करने या सही तथ्यों को प्रकाशित करते हुए खेद व्यक्त करे अन्यथा उसे मजबूरन कानूनी कार्रवाई करनी होगी, इसका कोई उत्तर नहीं मिला।

## लिखित बयान

प्रतिवादी संपादक, अमर उजाला ने अपने लिखित बयान दिनांक 17.11.2008 में स्वीकार किया कि विचाराधीन समाचार प्रकाशित किया गया किंतु इससे इंकार किया कि वह आपत्तिजनक था या समाचारपत्र या उसके संपादक ने सार्वजनिक रुचि के पत्रकारिता आदर्शों के मानकों का उल्लंघन किया। उसने बयान दिया कि विचाराधीन समाचार पूरी सावधानी और तथ्यों का सत्यापन करने के बाद तथा किसी मुन्नू लाल वर्मा द्वारा शिकायतकर्ता तथा उसके पुत्र के विरूद्ध थाना कोतवाली, कानपुर में दिनांक 22.6.2008 को आई पी सी की धारा 326 के तहत दायर एफ आई आर सं. 334/2008 के आधार पर प्रकाशित किया गया। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता को पूर्व न्यायाधीश का संदर्भ केवल इसलिये दिया गया था क्योंकि अपराध की गंभीरता तब और बढ़ जाती है जब कोई पूर्व न्यायाधीश ऐसे घृड़ित अपराध में लिप्त हो क्योंकि उसे समाज में कानून का संरक्षक माना जाता है। यह समाचार दुर्भावनापूर्ण नहीं था और पूरा समाचार दस्तावेजों के आधार पर उद्देश्यपूर्ण ढंग से प्रकाशित किया गया था।

लिखित बयान की एक प्रति शिकायतकर्ता को दिनांक 26.11.2008 को सूचनार्थ तथा प्रति टिप्पणियों, यदि हों, के लिये भेजी गई।

## रिपोर्ट

यह मामला दिनांक 19.08.2011 को जांच समिति के समक्ष विचार हेतु पेश किया गया। शिकायतकर्ता सर्वश्री सुनील अवस्थी, मुख्य प्रबंधक, अमित चौधरी, वरिष्ठ अधिकारी, पी.आर. राजहंस, एडवोकेट प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत हुए। जांच समिति ने पाया कि शिकायतकर्ता मामले में आगे करने का इच्छुक नहीं था क्योंकि प्रतिवादी के लिखित बयान के विरोध में उसने कोई उत्तर नहीं दिया जो उसे सचिवालय द्वारा वर्ष 2008 में भेजा गया था। अतएव उसने

परिषद् से मामले को बंद करने की सिफारिश की क्योंकि मामले में कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई।

**निर्णय**

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

**50. श्री रियाज अहमद खान**
**जिला अध्यक्ष**
**कांग्रेस समिति**
**फतेहपुर, उत्तर प्रदेश**

**बनाम**

**संपादक**
**दैनिक जागरण**
**कानपुर, उत्तर प्रदेश**

**अधिनिर्णय**

**तथ्य**

यह शिकायत दिनांक 2.6.2008 श्री रियाज अहमद खान, जिला अध्यक्ष, कांग्रेस समिति, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा अपने एडवोकेट के माध्यम से दैनिक जागरण, कानपुर के विरूद्ध उनके अंक दिनांक 30.4..2008 को शीर्षक 'रीटा के सामने कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस संगठन की पोल खोली' से प्रकाशित कथित झूठे मनगढंत और अवमानना पूर्ण समाचार के विरोध में की गई है। शिकायतकर्ता ने जिलाध्यक्ष के लिये प्रयुक्त शब्द 'नागनाथ' और कांग्रेस समिति के सदस्यों के लिये प्रयुक्त शब्द 'चाटुकार' पर आपत्ति की। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया हैं कि प्रतिवादी समाचारपत्र के संवाद्दाता और स्टाफ रिपोर्टर लोगों से पैसा मांगने और ब्लैकमेल करने की आदी हैं। शिकायतकर्ता ने रिपार्टर और संपादक को एक कानूनी नोटिस दिनांक 6.06.2008 इस अनुरोध के साथ भेजा कि उसका प्रतिवाद प्रकाशित किया जाए किंतु कोई उत्तर नहीं मिला।

कारण बताओ नोटिस प्रतिवादी संपादक, दैनिक जागरण, कानपुर को दिनांक 16.7.2008 को भेजा गया किंतु समयबद्ध अनुस्मारक दिनांक 26.10.2009 भेजने के बावजूद भी कोई उत्तर नहीं मिला।

**रिपोर्ट**

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 19.8.2011 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिये प्रस्तुत किया गया। श्री बी.के. मिश्रा, एडवोकेट प्रतिवादी की ओर से पेश हुए जबकि शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुआ और उसने शिकायत वापस लेने के लिये एक शपथपत्र भेजा। जांच समिति ने शिकायतकर्ता श्री रियाज़ अहमद खान द्वारा दायर नोटरी के शपथ पत्र पर विचार किया जिसमें दैनिक जागरण के विरूद्ध दायर अपनी शिकायत को वापस लेने से पहले प्रतिवादी और उसके बीच समझौता करने का अनुरोध किया गया है। जांच समिति ने मामले

को बंद करने की अनुमति देने से पहले, पाया कि प्रतिवादी समाचारपत्र द्वारा आक्षेपित लेख मे प्रयुक्त भाषा को अनुचित पाया। जांच समिति ने इस टिप्पणी के साथ मामले को बंद करने का निर्णय लिया कि प्रतिवादी समाचारपत्र भविष्य में समाचार मदों को प्रकाशित करते समय पत्रकारिता के आदर्शों के अनुरूप भाषा का प्रयोग करेगा। तदनुसार, उसने परिषद् से सिफारिश की।

**निर्णय**

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **51.** | **डॉ0 विनोद कुमार राय** | **बनाम** | **संपादक** |
| | **सोनभद्र** | | **नामांतर** |
| | **उत्तर प्रदेश** | | **लखनऊ, उत्तर प्रदेश** |

**अधिनिर्णय**

**तथ्य**

यह शिकायत दिनांक 10.9.2008 डॉ0 विनोद कुमार रायं, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश द्वारा नामंतर, लखनऊ से प्रकाशित मासिक पत्रिका में उनके अगस्त, 2008 के अंक में शीर्षक 'डाक्टर भगवान रूप या नरपिशाच' से प्रकाशित कथित झूठे और अवमाननापूर्ण समाचार के विरोध में की गई है। शिकायतकर्ता डाक्टर पर एक गरीब रोगी लड़के सूरज को मौखिक रूप से प्रताड़ित करने और गाली देने और डंडे से मारने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने इन आरोपों से इंकार किया और आरोप लगाया कि आक्षेपित समाचार झूठा, गलत और उसकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने की दुर्भावना से प्रकाशित किया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, वह एक ग्रामीण सर्जन है और निर्धन रोगियों का रियायती दर पर या निःशुल्क इलाज करता है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि पीड़ित का परिवार लड़के को घर ले गया और फिर एक अन्य अस्पताल (क्वेक्स) ले गया जहां वह विकलांग हो गया। शिकायतकर्ता ने लिखा कि यदि किसी विशेषज्ञ सर्जन, जैसे वह है, द्वारा 48–72 घंटे में आपरेशन कर दिया होता तो लड़का ठीक हो सकता था। शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी संपादक का ध्यान उस आक्षेपित समाचार की ओर आकर्षित किया कि आरोपों का खंडन करते हुए उसके अनुसार, घटना को प्रकाशित किया जाता जैसेकि उसके पत्र दिनांक 10.9.2009 द्वारा सूचित किया गया था, किंतु न तो कोई उत्तर मिला और न ही स्पष्टीकरण प्रकाशित किया गया।

**लिखित बयान**

प्रतिवादी डॉ0 (श्रीमती) मंसा पांडे, संपादक, नामंतर ने अपने लिखित बयान दिनांक 21.7.2009 में शिकायतकर्ता द्वारा लगाये आरोपों का खंडन करते हुए उल्लेख किया कि

आक्षेपित समाचार पीड़ित परिवार और स्थानीय निवासियों से प्राप्त सूचना पर आधारित था और संबंधित जिला संवाद्दाता द्वारा उचित सत्यापन करने के बाद सार्वजनिक हित में प्रकाशित कर दिया गया। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि पीड़ित के परिवार ने भी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग को आवेदन भेजा और मानवाधिकार आयोग को भी भेजा और उस आरोप का खंडन किया कि आक्षेपित समाचार शिकायतकर्ता को बदनाम करने की मंशा से प्रकाशित किया गया। उसने उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने अपने गलत इलाज को छिपाने के लिये तुरंत शिकायत दायर कर दी। प्रतिवादी ने यह भी सूचित किया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा आरोपों की जांच करने के लिये एक समिति का गठन किया गया किन्तु इसमें सी एम ओ द्वारा वास्तव में जांच की गई या नहीं, प्रतिवादी को ज्ञात नहीं है। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि लड़का सूरज को डाक्टर के दुर्व्यवहार के कारण किसी अन्य अस्पताल ले जाना पड़ा और केवल शिकायतकर्ता की लापरवाही के कारण सूरज की टांग काटनी पड़ी। प्रतिवादी ने अपने समाचार के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किये जिनमें से एक शिकायत दिनांक 4.6.2008 पीड़ित की दादी द्वारा सी एम ओ, सोनभद्र को की गई जिसमें शिकायतकर्ता की लापरवाही की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है।

**तर्क**

यह मामला दिनांक 19 अगस्त, 2011 को परिषद् की जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिये प्रस्तुत किया गया। श्री अजय कुमार राय, शिकायतकर्ता डा0 विनोद कुमार राय का छोटा भाई, उपस्थित हुए, यद्यपि प्रतिवादी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। हालांकि, प्रतिवादी संपादक, नामान्तर का एक पत्र दिनांक 16.8.2011 प्राप्त हुआ जिसमें उसने चिकित्सा कारणों से पेशी के लिये समिति के समक्ष उपस्थित होने से छूट देने का अनुरोध किया था और मामले को उसके गुण दोषों के आधार पर निपटान करने का भी अनुरोध किया। यह तर्क दिया गया कि चिकित्सा विशेषज्ञों की राय थी कि यह कहना कठिन है कि रोगी श्री सूरज की टांग चिकित्सीय लापरवाही के कारण काटी गई, हालांकि इससे संबंधित रिपोर्ट अभी लंबित है। उसने उल्लेख किया कि अस्पताल ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है, यह उसके पिता का एक सपना था जो एक मामूली क्लर्क थे। उसने इस बात पर बल दिया कि अस्पताल का संचालन लोगों की सेवा भावना से किया जा रहा है जहां रोगियों को सेवाएं बहुत ही मामूली दर पर उपलब्ध कराई जाती हैं। उसने इस बात से इंकार किया कि उसने रोगियों को परेशान करने की बात से इंकार करते हुए प्रश्न किया कि वह अपने रोगियों को जो उसके ग्राहक हैं, क्यों परेशान करेगा। उसने सूचित किया कि मौजूदा केस में पट्टी एक बहुत मामूली दर मात्र 1400/– रु. में की जाती है। उसने यह भी आरोप लगाया कि रिपोर्टर ने उनके अस्पताल का दौरा किया और रुपयों की मांग की अन्यथा पत्रिका में प्रतिकूल रिपोर्ट प्रकाशित करके ब्लैकमेल करने की धमकी दी। उसने यह भी आरोप लगाया कि रोगी के परिवार ने आईपीसी की धारा 156 के तहत पुलिस में एक केस दर्ज कराया है जिसके लिये प्रतिवादी डा0 विनोद कुमार राय ने ही भारतीय प्रेस परिषद् में शिकायत करने के लिये उकसाया।

## रिपोर्ट

जांच समिति ने दस्तावेजों का अवलोकन और शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि द्वारा किये गए अनुरोधों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद पाया कि शिकायतकर्ता ने अपनी पहली शिकायत में ब्लैकमेल करने का कोई आरोप नहीं लगाया था जो बाद में सोचा समझा आरोप लगता है ताकि प्रतिवादी के विरूद्ध लगाये आरोपों में कुछ गंभीरता बढ़ जाये। उसने आरोप को झूठा और बेबुनियाद बताया। उसकी राय थी कि प्रतिवादी समाचारपत्र में समाचार पीड़ित की दादी की मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सोनभद्र को की गई शिकायत दिनांक 4.6.2008 पर आधारित है जिसमें शिकायतकर्ता पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। केस के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, शिकायत को सही नहीं माना जा सकता है क्योंकि प्रतिवादी पत्रिका के पास पीड़ित के परिवार द्वारा दायर शिकायत के आधार पर रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी और उसमें कुछ भी झूठ और अवमाननापूर्ण नहीं पाया गया। तदनुसार उसने परिषद् से सिफारिश की।

## निर्णय

प्रेस परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा उल्लिखित कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

**52. मौ0 अमीर रशदी मदानी** **बनाम** **संपादक**
**नजीम** **आज**
**जमायत–उर–रशद मदरसा** **वाराणसी, उत्तर प्रदेश**
**आजमगढ़, उत्तर प्रदेश**

## अधिनिर्णय

### तथ्य

यह शिकायत दिनांक 28.2.2009 मौ0 अमीर रशदी मदानी, नजीम, जमायत–उर–रशद मदरसा, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश द्वारा आज, हिन्दी दैनिक, वाराणसी के विरूद्ध दिनांक 24.2.2009 के अंक में शीर्षक ''मदरसे में पुलिस ने दी दस्तक, मामला पेचीदा'' से प्रकाशित समाचार झूठा, वेबुनियाद, भ्रामक और अवमाननापूर्ण होने के आरोप में की गई है। आक्षेपित समाचार में उल्लेख किया गया कि पुलिस शिकायतकर्ता के शिक्षा संस्थान में घुसी और वहां उसने आधुनिक हथियार तथा ए.के. 47 राइफलें बरामद कीं। आक्षेपित समाचार में लगाये आरोपों से इंकार करते हुए शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने उसके संस्थान को बदनाम करने के इरादे से समाचार प्रकाशित किया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि विश्व विख्यात धार्मिक शिक्षा संस्थान विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देता है। वर्तमान में एक हजार

से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यह संस्थान दान के आधार पर चलता है । किंतु, आक्षेपित समाचार प्रकाशित होने के बाद से दानदाताओं ने दान देना बंद कर दिया है जिसके कारण वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि आपत्तिजनक समाचार प्रकाशित होने के बाद संस्थान के एक विद्यार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत स्थानीय पुलिस प्रशासन को पत्र प्रेषित किया और घटना के बारे में पूरी जानकारी मांगी। थाना, आजमगढ़ से प्राप्त सूचना में उसे सूचित किया गया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई अतः परिसर से हथियार मिलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी संपादक, आज का पत्र दिनांक 28.2.2009 भेजकर इस ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रतिवाद प्रकाशित करने का अनुरोध किया किंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायतकर्ता ने परिषद् से अनुरोध किया कि वह भ्रामक और अवमाननापूर्ण समाचार प्रकाशित करने के लिये प्रतिवादी संपादक के विरूद्ध कार्रवाई आरंभ करें ।

**कोई लिखित बयान नहीं**

एक कारण बताओ नोटिस प्रतिवादी संपादक, दैनिक आज, वाराणसी को दिनांक 5.6.2009 को भेजा गया किंतु अनुस्मारक दिनांक 17.8.2009 भेजने के बावजूद भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

**तर्क**

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 19 अगस्त, 2011 को परिषद् की जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिये प्रस्तुत किया गया। श्री असरान अहमद शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित हुए और बयान दिया कि शिकायतकर्ता पेशी पर स्वयं उपस्थित होना चाहते थे किंतु वह रमजान की वजह से नहीं आ सके। शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि ने कहा कि आक्षेपित समाचार तथ्यों से नितान्त दूर है और इस प्रकार से लिखा गया है कि जैसे एके–47 मदरसा से ही बरामद हुई हो। प्रतिनिधि ने यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता की समाज में बहुत प्रतिष्ठा है और आक्षेपित समाचार ने शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचाया है, जिसके कारण मिलने वाली दान राशि जिससे निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, मिलना भी बहुत कम हो गया। शिकायतकर्ता ने संपादक का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था जिसने मामले की ओर कोई संज्ञान नहीं दिया और संपादक से उसका प्रतिवाद प्रकाशित करने के लिये किया गया बारम्बार अनुरोध का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि एसएसपी/डीएम को आरटीआई के तहत एक आवेदन भेजा गया था और उसके उत्तर में यह सूचित किया गया कि पुलिस द्वारा कोई छापा नहीं मारा गया या तलाशी ली गई अतः कोई सामान बरामदगी का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि ने बताया कि आक्षेपित समाचार पूर्णतया झूठ, बेबुनियाद और सनसनीखेज है जिससे भावनाओं को ठेंस पहुंची और मदरसा को मिलने वाली निधियों और दान राशियों में कमी होने के कारण आर्थिक हानि हुई।

## रिपोर्ट

जांच समिति ने रिकार्ड और शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि के बयान पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद कहा कि प्रतिवादी समाचार पत्र आज ने न तो लिखित बयान दायर किया और न ही शिकायत में लगाये गए आरोपों से बचाव करने के लिये स्वयं उपस्थित हुआ अतः उसने रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री पर विचार करते हुए मामले में अगली कार्रवाई की। जांच समिति ने आज द्वारा दिनांक 24.2.2009 को प्रकाशित समाचार से पाया कि प्रतिवादी ने तथ्यों का ठीक से सत्यापन किये बिना, पुलिस प्राधिकारियों या शिकायतकर्ता से, जल्दबाजी में समाचार प्रकाशित कर दिया। समिति की राय में, ऐसे अनर्गल समाचार से शिकायतकर्ता के संस्थान की ख्याति को क्षति होने के साथ–साथ क्षेत्र में शांति और भाईचारे को खतरा भी हो सकता था। जांच समिति की राय है कि अप्रमाणिक समाचार प्रकाशित करना अनुचित था जिसका बाद में स्वयं पुलिस द्वारा खंडन करने का दावा किया गया । जांच समिति ने पाया कि संपादक, आज ने शिकायतकर्ता के संस्थान को बदनाम करने की मंशा से पत्रकारिता के सभी आदर्शों का भारी उल्लंघन करते हुए एक मनगढंत कहानी प्रकाशित कर दी। संपादक को आरटीआई उत्तर के आधार पर प्रतिवाद प्राप्त हो जाने के बाद खेद सहित समाचार का खंडन प्रकाशित करना अनिवार्य था । जांच समिति ने पाया कि प्रतिवादी संपादक के आचरण को प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 14 के तहत चेतावनी देना अपेक्षित है। तदनुसार, उसने परिषद् से सिफारिश की।

## निर्णय

प्रेस परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा उल्लिखित कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

**53. मो0 मतीन खां**
**अपर सत्र न्यायाधीश**
**फास्ट ट्रैक कोर्ट–।।, भिंगा**
**श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश**

**बनाम**

**संपादक**
**दैनिक हिन्दुस्तान**
**लखनऊ**
**उत्तर प्रदेश**

### अधिनिर्णय

## तथ्य

मो0 मतीन खां, अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट–।।, भिंगा, श्रावस्ती,, उत्तर प्रदेश ने अपने एडवोकेट के माध्यम से संपादक, हिन्दुस्तान, हिन्दी दैनिक, लखनऊ को भेजे नोटिस दिनांक 10.12.2009, जिसकी प्रति भारतीय प्रेस परिषद् को पृष्ठांकित की गई, में समाचारपत्र दिनांक 23.9.2009 को प्रकाशित कथित झूठे समाचार ''श्रावस्ती के जज की भूमि पर कब्जा,

मंदिर बनाया'' पर आपत्ति की गई। समाचारपत्र में कहा गया था कि ''श्रावस्ती में न्यायाधीश की जमीन पर रातोंरात कब्जा करके उस पर मंदिर बना दिया गया। जिला मैजिस्ट्रेट श्री अजय चौहान ने संबंधित न्यायाधीश की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक पीलीभीत को कार्रवाई करने का निदेश दिया। उसमें यह भी कहा गया कि श्री मो0 मतीन खां, निवासी मोहल्ला मदीना शाह, जो न्यायिक सेवा में हैं, वर्तमान में श्रावस्ती में तैनात हैं, की एक एकड़ जमीन देहवा नदी के तट पर है। उस जमीन के एक कोने की ओर एक समाधि भी है। उसने बताया कि जब वह ईद के अवसर पर पीलीभीत गए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि गांव नवकूड के कुछ लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया और उस पर अवैध रूप से मंदिर का निर्माण कर दिया। गांव पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां बाउण्ड्री की दीवार बनी हुई है और एक हिन्दू देवता की मूर्ति रखी हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो लोग भड़क गये। उन्होंने इस घटना के बारे में जिला मैजिस्ट्रेट को बताया और अपना पक्ष बयान किया तो जिला मैजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक पीलीभीत को कार्रवाई करने का निदेश दिया।

शिकायतकर्ता ने अपनी औपचारिक शिकायत दिनांक 26.2.2010 में आक्षेपित समाचार पर आपत्ति करते हुए उल्लेख किया कि समाचार गलत और अवमानना पूर्ण है। शिकायतकर्ता के अनुसार, आक्षेपित समाचार का यह अर्थ निकलता है कि पीलीभीत की जमीन शिकायतकर्ता की थी जिस पर कब्जा कर लिया गया और रातोंरात मंदिर का निर्माण कर दिया गया। समाचार से ऐसा भी प्रतीत होता है कि न्यायाधीश ने स्वयं ही रिपोर्टर को कहानी/घटना बताई हो, क्योंकि समाचार में शब्द'उन्होंने बताया' का प्रयोग किया गया है। शिकायतकर्ता ने बयान का खंडन किया और उल्लेख किया कि वह मोहल्ला मदीन शाह का निवासी नहीं है या उस मोहल्ले में उनका कोई निजी या पैतृक निवास स्थान नहीं है। शिकायतकर्ता ने यह भी इंकार किया कि वह जिला मैजिस्ट्रेट, पीलीभीत से कभी नहीं मिले जैसाकि समाचार में बताया गया है और न ही जिला मैजिस्ट्रेट ने मामले में कार्रवाई करने के लिये पुलिस अधीक्षक को निदेश दिया। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार श्रावस्ती के पाठकों के लिये श्रावस्ती के स्थानीय कॉलम/पृष्ठ पर प्रकाशित किया गया था जो स्पष्ट दर्शाता है कि प्रतिवादी द्वारा इस विवाद में उसका नाम अनावश्यक रूप से शामिल करने और उसकी छवि, न्यायिक सदस्य, धूमिल करने के लिये शामिल किया गया है।

## लिखित बयान

कारण बताओ नोटिस दिनांक 12.5.2010 के उत्तर में, प्रतिवादी कार्यपालक संपादक, हिन्दुस्तान, लखनऊ ने अपने लिखित बयान दिनांक 20.5.2010 में उल्लेख किया कि अपने पीलीभीत संवाददाता से प्राप्त सूचना दिनांक 22.9.2009 के अनुसार, पत्रकार ने जिला मैजिस्ट्रेट, पीलीभीत से भेंट की जहां शिकायतकर्ता मो0 मतीन खां मौजूद थे और अपनी समस्या के बारे में जिला मैजिस्ट्रेट से चर्चा कर रहे थे। शिकायतकर्ता ने अपनी भूमि से संबंधित समस्या भी रिपोर्टर को बताई और जब उसने श्रावस्ती संस्करण में प्रकाशित की तो उसने आपत्ति की और

अपनी शिकायत लखनऊ कार्यालय को भेज दी। शिकायतकर्ता ने स्पष्ट किया कि उसने श्रावस्ती संस्करण में समाचार प्रकाशित करने पर आपत्ति की थी जबकि वह केवल पीलीभीत के लिये था और उसके नाम के बजाय, उसके पिता का नाम प्रकाशित करना चाहिए था। शिकायतकर्ता इस पर सहमत हो गया था किन्तु उसने बाद में शिकायत दायर कर दी।

प्रतिवादी संपादक ने यह भी उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार मो0 खां के प्रति किसी दुर्भावना के बिना जन हित में प्रकाशित किया गया था। प्रतिवादी के अनुसार, किसी की जमीन हथियाने और रातोंरात मंदिर निर्माण करने से संबंधित घटना को समाचारपत्र द्वारा अनदेखा नहीं किया जा सकता था। समाचार किसी को भी बदनाम करने की मंशा के बिना सद्भाव और जन हित में प्रकाशित किया गया था, तथा वह शिकायतकर्ता की सहायता के लिये ही था।

## रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 19.9.2011 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिये प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। हालांकि, श्री मनसिमरन सिंह विधिक विभाग, एचटी मीडिया लि., नई दिल्ली की ओर से उपस्थित हुए। जांच समिति ने पाया कि शिकायतकर्ता को पेशी के लिये प्रेषित नोटिस डाक विभाग की टिप्पणी 'स्थानान्तरित' के साथ वापस आ गया।

जांच समिति ने केस के रिकार्ड पर विचार करने के बाद पाया कि प्रतिवादी समाचारपत्र द्वारा प्रकाशित समाचार का कुछ आधार था। उसने यह भी पाया कि शिकायतकर्ता ने न तो प्रतिवादी समाचारपत्र के लिखित बयान का उत्तर दिया और न ही जांच समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। अतएव, जांच समिति ने परिषद् से सिफारिश की, कि अगली कार्रवाई नहीं होने के कारण मामले को बंद कर दिया जाये।

## निर्णय

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

**54. श्री ब्रह्म कुमार त्रिमूर्ति, प्रबंधक, खादी कर्मचारी/श्रम कल्याण समिति, अकबरपुर** **बनाम** **संपादक, जन मोर्चा, उत्तर प्रदेश, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश**

**अधिनिर्णय**

**तथ्य**

श्री ब्रह्म कुमार त्रिमूर्ति, खादी कर्मचारी/श्रम कल्याण समिति, अकबरपुर, अम्बेडकर

नगर, उत्तर प्रदेश ने यह शिकायत दिनांक 20.06.2009 और 21.06.2009 जनमोर्चा, हिन्दी दैनिक के विरूद्ध उनके समाचारपत्र में प्रकाशित कथित झूठे, भ्रामक, भड़काऊ, एक पक्षीय और अवमाननापूर्ण समाचारों यथा 'संकट के दौर से गुजर रही है बापू की विश्राम स्थली' और 'क्या गांधी आश्रम भी होगा बंद' के विरोध में दायर की है। आक्षेपित समाचार में यह आरोप लगाया गया कि खादी आश्रम को श्रमिक हड़ताल के कारण 50 करोड़ रु. से अधिक का नुकसान हुआ। शिकायतकर्ता पर वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया गया। यह भी आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता जो न तो संघ का सदस्य है और न ही श्रमिक संघ का सदस्य है, ने बापू की विरासत को नष्ट करने का प्रयास किया।

आरोपों से इंकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि प्रतिवादी ने समाज में उसे बदनाम करने और उसकी छवि को धूमिल करने के लिये आक्षेपित समाचार जानबूझकर प्रकाशित किया। हड़ताल के कारण 50 करोड़ रु. के नुकसान के आरोप के बारे में, शिकायतकर्ता ने स्पष्ट किया कि संस्थान की कुल 5 करोड़ रु. की सम्पत्ति है और इससे अधिक राशि का भुगतान बैंकों को किया जाना है। अतः 50 करोड़ रु. का नुकसान हो ही नहीं सकता है। शिकायतकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी ने समाचार प्रकाशित करने से पूर्व उससे कभी भी सम्पर्क नहीं किया। उसने आरोप लगाया कि ईर्ष्या के कारण एक पक्षीय, झूठे और बेबुनियाद तथ्यों को आधार बनाया गया जिनसे न केवल उसकी बदनामी हुई बल्कि आश्रम के कर्मचारियों/श्रमिकों की भावनाओं को भी ठेंस पहुंची। शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 21.6.2009 के द्वारा संपादक और पत्रकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया किन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

**लिखित बयान**

एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 26.05.2010 प्रतिवादी संपादक, जनमोर्चा को भेजा गया। उत्तर में श्री सुबोध खत्री, जिला पत्रकार, जनमोर्चा ने जो दिनांक 2.7.2010 को मिला, आरोपों का खंडन करते हुए उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता न तो खादी आश्रम के प्रबंधन से संबंधित है और न ही किसी ट्रेड यूनियन में पंजीकृत है। प्रतिवादी ने स्पष्ट किया कि हड़ताल के 10 दिन बाद प्रबंधन और आश्रम के कर्मचारियों के बीच एक समझौता हुआ और शिकायतकर्ता उस समझौते में पक्षकार नहीं था जो दर्शाता है कि कर्मचारी भी उसे अपना नेता नहीं मानते हैं। प्रतिवादी के अनुसार, शिकायतकर्ता को खादी आश्रम के प्रबंधन द्वारा दायर शिकायत के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया और टीसी एक्ट की धारा 143, 384, 504, 506 और 427 के तहत 10 दिन तक जेल में रखा गया और बाद में जमानत पर रिहा किया गया। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि न तो प्रबंधन ने और न ही कर्मचारियों ने समाचार का विरोध किया। हालांकि, वह शिकायतकर्ता का बयान, यदि प्राप्त हुआ, प्रकाशित कर देगा।

**तर्क**

यह मामला नई दिल्ली में जांच समिति के सामने दिनांक 19.9.2011 को सुनवाई के लिये

पेश किया गया। दोनों पक्ष उपस्थित थे। शिकायतकर्ता ने जांच समिति के समक्ष बयान दिया कि उसके संगठन के पंजीकरण की प्रक्रिया उस समय चल रही थी और जो अब पंजीकृत है तथा उसकी शिकायत यह है कि उसके बयान को प्रकाशित किया जाना चाहिए था क्योंकि आक्षेपित समाचार का प्रयोजन दुर्भावनापूर्ण था।

श्री रमेश त्रिपाठी, समाचार संपादक ने जनमोर्चा की ओर से पेश होते हुए बयान दिया कि समाचारपत्र को कोई भी विरोध पत्र प्राप्त नहीं हुआ और यदि शिकायतकर्ता अपना बयान भेजेगा तो वे उसे प्रकाशित कर देंगे।

**रिपोर्ट**

जांच समिति ने दोनों पक्षों के बयान सुनने के बाद पाया कि शिकायतकर्ता का आरोप था कि समाचारपत्र ने उसके बयान को प्रकाशित नहीं किया और दूसरी ओर प्रतिवादी इस बात से इंकार कर रहा था कि उसे शिकायतकर्ता का कोई बयान मिला ही नहीं। बहस के दौरान, दोनों ही पक्ष जांच समिति की इस राय से सहमत थे कि शिकायतकर्ता का बयान प्रकाशित किया जाये और जो इस मामले में पर्याप्त होगा। अतः जांच समिति ने शिकायतकर्ता को अपना खंडन एक पखवाड़े के अंदर प्रतिवादी संपादक को भेजने का निदेश दिया और जनमोर्चा के संपादक को उसे एक पखवाड़े में प्रकाशित करने का भी निदेश दिया। जांच समिति ने अपने इन निदेशों के साथ शिकायत का निपटान करने के लिये परिषद् से सिफारिश की।

**निर्णय**

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

**55. श्री सुमन ढागड़ा** — **बनाम** — **संपादक**
**अध्यक्ष** — **डिक्टेटर**
**श्री दिगम्बर जैन पंचायत मंदिर** — **ब्यावर, राजस्थान**
**ब्यावर, राजस्थान**

**अधिनिर्णय**

**तथ्य**

यह शिकायत दिनांक 19.4.2010 श्री सुमन ढागड़ा, श्री दिगम्बर जैन पंचायत, ब्यावर, राजस्थान ने पाक्षिक पत्रिका 'डिक्टेटर' के विरूद्ध उनकी पत्रिका में दिनांक 15.02.2007 से 30.01.2010 तक कथित शृंखलाबद्ध प्रकाशित आपत्तिजनक लेखों के विरोध में दायर की है जो श्री दिगम्बर जैन पंचायत, बेयावर और उसके पार्श्वनाथ मन्दिर की कृषि भूमि के विरूद्ध कुछ स्वार्थी लोगों की धारणाओं पर आधारित काल्पनिक और झूठे लेख हैं।

शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि श्री दिगम्बर जैन पंचायत मंदिर, ब्यावर सार्वजनिक न्यास अधिनियम के तहत जैन समुदाय का एक पंजीकृत निकाय है। इसका अपना संविधान है और पंचायत तथा मन्दिर के सभी क्रियाकलापों का संचालन उसी के अनुसार, किया जाता है। केवल उसके सदस्य ही उसके कार्यों में हिस्सा लेते हैं और किसी बाह्य हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होती है। पंचायत में चुनावों के बारे में समाचारों का शृंखलाबद्ध प्रकाशन और भूमि का बंटवारा तथ्यों के विपरीत है। दिनांक 21.2.2005 और 6.2.2005 को दिगम्बर जैन पंचायत की आम सभा की कार्यवाही सिद्ध करती है कि चंगगेट, ब्यावर के बाहर मन्दिर की जमीन पिछले लगभग 80–100 वर्ष से मालियों के कब्जे में थी जिन्होंने उसे ब्यावर के प्रमुख व्यक्ति को गिरबी रख दिया था। न्यास की एक समिति ने अपने अधिकारों के तहत खुले बाजार से ऋण लिया और जमीन को गिरबी से छुड़ा लिया और उस पर कब्जा कर लिया। इसके अतिरिक्त, राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्षों की लम्बी मुकदमेदारी के बाद फैसला हुआ और राज्य सरकार से उसे बेचने या 99 वर्ष के पट्टे पर देने की अनुमति मिलने के बाद, केवल 3 बीघा जमीन 29 वर्ष के लिये पट्टे पर दे दी गई और पट्टे से प्राप्त रकम से ऋण चुकता किया गया और शेष राशि न्यास में जमा कर दी गई। अतः, पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन न्यास के विरूद्ध ऐसे झूठे और बेबुनियाद समाचारों के लिये ही किया गया लगता है जिसे उसके सभी सदस्यों को निःशुल्क वितरित किया गया जिसका मकसद उसे बदनाम करना था। इस संबंध में एक पत्र दिनांक 10.02.2010 प्रतिवादी समाचारपत्र को भेजा गया था किंतु कोई उत्तर नहीं मिला।

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि समाचारपत्र ने आक्षेपित समाचार अपने अंक दिनांक 30.04.2010 में पुनः प्रकाशित किया जबकि ब्यावर या अजमेर, राजस्थान से प्रकाशित होने वाले किसी अन्य समाचारपत्र ने पंचायत के बारे में कोई झूठा या गलत समाचार प्रकाशित नहीं किया। समाचार पत्र पिछले 2–3 वर्षों से आक्षेपित समाचारों को शृंखला बद्ध तरीके से प्रकाशित कर रहा है और स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराके आरोपों को भी बार–बार दोहरा रहा है जिन्हें एक अंतिम रिपोर्ट में पुलिस द्वारा खारिज कर दिया गया था।

**लिखित बयान**

कारण बताओ नोटिस दिनांक 26.06.2010 के उत्तर में, श्री भंवर शर्मा, संपादक, डिक्टेटर ने श्री सुमन ढागडा द्वारा अपनी शिकायतों दिनांक 19.04.2010 और 15.6.2010 में लगाये गए आरोपों को झूठा, बेबुनियाद कहकर इंकार कर दिया और तथ्यों को तोड़मरोड़ कर परिषद् को गुमराह करके प्रेस की आजादी पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि जब समाचारपत्र को समाज में घटित घटनाओं/कार्यकलापों के बारे में विश्वस्त सूत्रों से अधिकृत सूचना प्राप्त हुई तो उन तथ्यों का सत्यापन किया गया और सार्वजनिक हित में प्रकाशित किया गया तथा प्रेस का यह सामाजिक उत्तरदायित्व होता है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या समूह को लक्ष्य करना या बदनाम करना नहीं होता है। मौजूदा केस में, समाचारों को स्वयं पंचायत के सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के

आधार पर प्रकाशित किया गया। इसके अतिरिक्त, पंचायत के अधिकारीवर्ग ने इन शृंखला बद्ध लेखों पर कभी आपत्ति नहीं की/न ही कभी प्रेस विज्ञप्ति/खंडन जारी किया जिसमें समाचारपत्र या किसी अन्य समाचारपत्र में प्रकाशित समाचारों पर अपनी राय व्यक्त की गई हो, जो उनकी मौन स्वीकृति दर्शाता है। हालांकि, उनकी पाक्षिक पत्रिका में न्यास से प्राप्त किसी भी लिखित आपत्ति को प्रकाशित करने पर कोई बाधा नहीं है। हालांकि, मामले में सचाई यह है कि पंचायत को जमीन बेचने या पट्टे पर देने या उसका विभाजन करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि इसके लिये न तो सरकारी अनुमोदन प्राप्त है और न ही पंचायत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है। शिकायतकर्ता ने स्वयं भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि 3 बीघा जमीन को 28 वर्षों के लिये पट्टे पर दिया गया है और ऐसा करने पर रुपया प्राप्त हुआ। बिक्री और पंजीकरण अधिनियम के अनुसार 20 वर्ष से अधिक अवधि के किसी भी पट्टा विलेख को बिक्री माना जाएगा और बिक्री विलेख पर लागू पंजीकरण शुल्क प्रभारित किया जाता है। अतः यह दावा करना कि जमीन को बेचा नहीं गया है, विशेषकर तब जब कि सरकार से कोई अनुमति प्राप्त नहीं है या पंचायत में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, गलत है। पंचायत के रिकार्ड के अनुसार, प्रति वर्ष चुनाव नहीं किये गए और उसके पंजीकृत सदस्य ने ही इस पर आपत्ति करते हुए मुकदमा दायर कर दिया और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। समाचारपत्र ने केवल इन तथ्यों को प्रकाशित किया और इस कारण बिना किसी आधार के समाचार पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाने का कड़ा विरोध किया जाता है और अस्वीकार किया जाता है।

प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता द्वारा दी गई 'घोषणा' गलत है क्योंकि प्रकाशित समाचार से संबंधित मामला न्यायालय, ब्यावर के विचाराधीन है और एक फौजदारी मुकदमा भी पंचायत के सदस्य श्री सरसमल झंझहारी द्वारा आईपीसी की धारा 420, 406, 408, 467, 468, 471, 120 के तहत स्थानीय पुलिस में शिकायतकर्ता तथा अन्य 16 सदस्यों के विरूद्ध ठगी के आरोप में पंजीकृत है जिसमें जांच पड़ताल चल रही है, अतः शिकायत निरस्त करने योग्य है।

## प्रति टिप्पणियां

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 11.01.2011 में उल्लेख किया कि श्री महावीर प्रसाद, पंचायत के सदस्य ने सिविल जज, दिवानी, ब्यावर में पंचायत के चुनावों के विरूद्ध स्थगन के लिये एक याचिका दायर की थी जिससे चुनाव के दौरान मत पत्र का प्रयोग किया जा सके। किंतु सिविल जज ने याचिका खारिज कर दी और चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, दिनांक 27.06.2009 को सम्पन्न हुए और श्री सुमन ढागडा को अध्यक्ष चुन लिया गया जिन्हें अन्य कार्यालय पदाधिकारियों का चयन करने का अधिकार था। श्री महावीर प्रसाद तथा अन्य सदस्यों की सदस्यता अवज्ञा करने के कारण निरस्त कर दी गई जिन्होंने दिनांक 22,06.2009 को आयोजित बैठक में पंचायत की नीतियों की आलोचना की थी। श्री सरसमल झांझरी द्वारा पंचायत के 6 सदस्यों के खिलाफ दिनांक 17.02.2010 को दायर एफआईआर के

मामले में, स्थानीय पुलिस ने पंचायत के सभी अपेक्षित दस्तावेजों की जांच पड़ताल करके अपनी अंतिम रिपोर्ट यह उल्लेख करते हुए प्रस्तुत की, कि दायर शिकायत झूठी और बेबुनियाद पाई गई। समाचारपत्र ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 17.02.2010 के आधार पर तैयार की थी जिसे स्थानीय पुलिस द्वारा झूठी और बेबुनियाद बताने के बाद उसे भी झूठ और बेबुनियाद मानना चाहिए। इसके बाद, प्रतिवादी ने चार माह तक कोई समाचार प्रकाशित नहीं किया। लेकिन दिनांक 15.12.2010 ओर 30.12.2010 को उसने पुनः एक समाचार इस प्रकार प्रकाशित किया कि श्री सुमन ढागडा ने समाचारपत्र के विरूद्ध भारतीय प्रेस परिषद् में एक झूठा केस दायर किया है जिसका मकसद समाचारपत्र को बंद कराना था किन्तु प्रेस परिषद् ने उसे उत्तर न मिलने के कारण खारिज कर दिया था। पंचायत के कार्यालय पदाधिकारियों का चुनाव पुनः दिनांक 29.08.2010 को सम्पन्न हुए और श्री सुशील कुमार भरजातियां को उसका अध्यक्ष चुना गया। प्रतिवादी समाचारपत्र ने दिनांक 15.12.2010 और 30.12.2010 के अंकों में समाचार प्रकाशित किये जो आयुक्त, देवस्थान द्वारा जारी आदेश पर आधारित थे। जबकि, मामले में सचाई यह थी कि सहायक आयुक्त, देवस्थान, अजमेर ने पंचायत के हक में आदेश जारी किये थे जिन पर आयुक्त, देवस्थान के आदेश जारी हुए जो सार्वजनिक न्यास अधिनियम की धारा 38 को संदर्भित करते हुए पंचायत के विरूद्ध दिनांक 13.12.2010 को जारी किये गए। कथित प्रावधान के अनुसार, ये शक्तियां सहायक आयुक्त को होती हैं और उनके विरूद्ध आयुक्त, देवस्थान को अपील करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। राजस्थान उच्च न्यायालय में कथित आदेश के विरूद्ध अपील दायर करके स्टे प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि प्रतिवादी समाचारपत्र के पाठकगण नहीं हैं और जिसे वर्ष में केवल 08 से 10 बार पंचायत पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर बदनाम करने के मकसद से ही प्रकाशित किया जाता है और इस प्रकार परिषद् से अनुरोध किया कि समाचारपत्र द्वारा पंचायत के विरूद्ध झूठे और बेबुनियाद समाचार प्रकाशित करने के बारे में किसी को भेज कर जांच पड़ताल कराई जाये और न्याय दिलाया जाये।

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 20.01.2010 द्वारा सूचित किया कि प्रतिवादी समाचारपत्र ने दिनांक 15.01.2011, 30.12.2010 और 15.12.2010 को अपने प्रकाशन में शीर्षकों ''भगवान पार्श्वनाथ की खेतीहर को अतिक्रमण से मुक्त कराने की याचिका सत्र न्यायालय में पेश', 'आयुक्त देव स्थान विभाग द्वारा घोषित फैसले में खेतीहर जमीन की अवैध बिक्री में', और 'आयुक्त देवस्थान विभाग ने खेतीहर जमीन पर अवैध कब्जा माना' से क्रमशः समाचार प्रकाशित किये ये वे घटनाएं थीं जो दो वर्ष पूर्व तत्कालीन अध्यक्ष के समय उन्हें ब्लैकमेल करने की मंशा से प्रकाशित किये गए थे। जबकि बीमार संपादक श्री भंवर सिंह का इलाज घर पर चल रहा है, उनका पुत्र श्री बृजेश शर्मा बाजार में एक्यूप्रेशर उपचार केन्द्र चलाता है और जो घर पर जाकर ही उनका उपचार कर रहा है। समाचार को वित्तीय सहायता उन सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है जिन्हें न्यास से निकाल दिया गया था।

**तर्क**

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 19.09.2011 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिये पेश किया गया। प्रतिवादी संपादक ने उल्लेख किया कि इन समाचारों को समाचारपत्र में जन हित में प्रकाशित करने से पूर्व दस्तावेजों के आधार पर तथ्यों का सत्यापन करा लिया गया था जो प्रेस का सामाजिक उत्तरदायित्व है जो किसी व्यक्ति या श्री दिगम्बर जैन पंचायत, ब्यावर को लक्ष्य करके या बदनाम करने के इरादे से प्रकाशित नहीं किये गए। इसके अतिरिक्त, समाचारों को पंचायत के ही सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराई दस्तावेजी सूचना के आधार पर प्रकाशित किया गया था। उसने यह भी उल्लेख किया कि पंचायत ने इन शृंखलाबद्ध समाचारों पर कभी आपत्ति नहीं की/न ही कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसमें समाचारों का खंडन करते हुए अपने विचारों को व्यक्त किया गया हो जो उनकी मूक स्वीकृति दर्शाता है।

**रिपोर्ट**

जांच समिति ने पाया कि शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुआ और पेशी स्थगन के लिये अनुरोध किया। जांच समिति ने रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर और प्रतिवादी द्वारा यह अनुरोध करने पर कि वह इस तथ्य के बावजूद भी कि समाचारपत्र डिक्टेटर शिकायतकर्ता के तीन खंडनों को पूर्णतया प्रकाशित कर चुका है, एक और उत्तर प्रकाशित करने के लिये तैयार है। अतएव जांच समिति ने शिकायतकर्ता को अपना बयान प्रकाशन के लिये प्रतिवादी संपादक को भेजने और संपादक, डिक्टेटर को उसे प्रकाशित करने का निदेश दिया जिसमें उसे अपनी टिप्पणियां देने की भी अनुमति दी गई। उसने परिषद् से इन निदेशों के साथ शिकायत का निपटान करने की सिफारिश की।

**निर्णय**

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

**56. श्री पी.पी. कपूर**
**हरियाणा राज्य संयोजक**
**श्रमिक संघ**
**पानीपत, हरियाणा**

**बनाम**

**संपादक**
**दैनिक भास्कर**
**पानीपत, हरियाणा**

**अधिनिर्णय**

**तथ्य**

यह शिकायत दिनांक 31.03.2009 श्री पी.पी. कपूर, हरियाणा राज्य संयोजक, श्रमिक संघ, पानीपत, हरियाणा ने दैनिक भास्कर, पानीपत संस्करण के विरूद्ध उनके समाचारपत्र के

मुख पृष्ठ पर शीर्षक 'मामला दबाने को दिये 16 लाख' से प्रकाशित झूठे, अवमाननापूर्ण और एक पक्षीय समाचार के विरोध में की है। शिकायतकर्ता ने संपादक, दैनिक भास्कर, पानीपत के विरूद्ध कार्रवाई करने और खेद व्यक्त करते हुए उसका उत्तर प्रकाशित करने के लिये निदेश देने की मांग की है।

संपादक, दैनिक भास्कर को एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 19.11.2010 भेजा गया किन्तु कोई लिखित बयान दायर नहीं किया गया।

## रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 20.9.2011 को समिति के समक्ष सुनवाई के लिये प्रस्तुत किया गया। कोई भी पक्ष उपस्थित नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने अपने भेजे ईमेल दिनांक 20.9.2011 में शिकायत को वापस लेने का अनुरोध किया। जांच समिति ने शिकायतकर्ता के अनुरोध पर विचार किया और शिकायत वापस लेने के कारण केस को बंद करने का निर्णय लिया।

## निर्णय

प्रेस परिषद् ने रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा उल्लिखित कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

**57. श्री आर.डी. राही**
**कार्यकारी इंजीनियर**
**सार्वजनिक निर्माण विभाग**
**हरदोई, उत्तर प्रदेश**

**बनाम**

**संपादक**
**आज**
**कानपुर**

### अधिनिर्णय

**तथ्य**

श्री आर.डी. राही, कार्यकारी इंजीनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ब्लॉक–2 (बिलग्राम) हरदोई, उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र दिनांक 27.4.2009 जो संपादक, आज, हिन्दी दैनिक, कानपुर को सम्बोधित है और जिसकी प्रतिलिपि भारतीय प्रेस परिषद् को भेजी गई है, द्वारा निम्नलिखित कथित झूठे, भ्रामक और अवमाननापूर्ण समाचारों पर आपत्ति स्वरूप भेजा है :

| क्रम सं. | शीर्षक | दिनांक |
|---|---|---|
| 1 | चर्चा में आज भी रहा कांग्रेस नेता अल्वी के हेलीकाप्टर का न उतरना | 7.4.2009 |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | लेनिवि द्वारा गलत कोआर्डिनेट भेजने से भटका था हेलीकाप्टर | 8.4.2009 |
| 3 | लेनिवि निर्माण खंड–दो बिलग्राम का एक और कारनामा | 15.4.2009 |
| 4 | लापरवाही के आदी हैं अधिशासी अभियन्ता राही | 17.4.2009 |
| 5 | लापरवाही–दर–लापरवाही, उड़न खटोलों की शामत आई | 19.4.2009 |
| 6 | उड़न खटोले के हादसों को दावत देने वाले अधिशासी अभियन्ता राही पर नहीं हुई कार्रवाई | 21.4.2009 |
| 7 | फिर हुई चूक : दिग्गी राजा उड़न खटोले हादसे में बाल–बाल बचा | 22.4.2009 |
| 8 | हैलीपैड से काफी दूर उतरा हैलीकाप्टर | 27.4.2009 |

आक्षेपित समाचारों में कार्यकारी इंजीनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग और उनके विभाग की अक्षम कार्यप्रणाली को दर्शाया गया है। यह आरोप लगाया गया कि कार्यकारी इंजीनियर को मनमर्जी और बेरोकटोक काम करने की अनुमति दी गई थी और वरिष्ठ अधिकारी पूरी स्थिति से अनभिज्ञता जाहिर कर रहे थे। प्रशासन हालात को अनदेखा कर रहा था और किसी बड़ी दुर्धटना की प्रतीक्षा कर रहा था क्योंकि भ्रष्टाचार और बाहुबल का बोलवाला था।

शिकायतकर्ता ने अपनी औपचारिक शिकायत दिनांक 26.10.2009 में आरोपों का खंडन करते हुए उल्लेख किया कि वस्तुतः प्रतिवादी रिपोर्टर ही उसके एक रिश्तेदार को संविदा देने के लिये दबाव डाल रहा था और इंकार किये जाने पर उसने बदनाम करने और समाज में उसकी छवि धूमिल करने की साजिश रची और बिना किसी आधार के जानबूझकर सुनियोजित ढंग से आक्षेपित समाचारों का प्रकाशन शुरू किया। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि प्रतिवादी रिपोर्टर ने अपने घर के लिये एक लकड़ी के दरवाजे और जेनरेटर की मांग की थी लेकिन ये भी उपलब्ध नहीं कराये गए। जिसके फलस्वरूप उसे इन झूठे आरोपों का समाचारों के रूप में सामना करना पड़ा। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि वह अपने कार्यों को ईमानदारी से कर रहा था तथा किसी अन्य समाचारपत्र ने उसके विरूद्ध कभी ऐसा कोई समाचार प्रकाशित नहीं किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि तथ्यों को तोड़मरोड़ कर प्रकाशित करके प्रतिवादी समाचार पत्र ने सनसनीखेज पत्रकारिता की। किसी भी राजनेता या अधिकारी ने प्रतिवादी को छोड़कर, उसके खिलाफ समाचारपत्र में प्रकाशित किये अनुसार कभी कोई शिकायत नहीं की जिसमें आरोप लगाया गया हो कि प्रशासन ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि प्रतिवादी ने उसके पत्रों दिनांक 27.4.2009, 5.5.2009, 14.5.2009 का कोई उत्तर नहीं दिया जिन्हें प्रतिवादी संपादक को गुमराह करने वाले प्रकाशित समाचारों के संदर्भ में भेजा गया था।

## लिखित बयान

कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.11.2009 के प्रत्युत्तर में, प्रतिवादी संपादक ने अपने लिखित बयान दिनांक 10.12.2009 में शिकायत में लगाये गए आरोपों से इंकार करते हुए उल्लेख किया कि विचाराधीन समाचार प्रकाशित करके उन्होंने पत्रकारिता के किसी भी मानदंड का उल्लंघन नहीं किया। प्रतिवादी के अनुसार, समाचार तथ्यों पर आधारित थे और जिन्हें बिना किसी के प्रति दुर्भावना के सार्वजनिक हित में प्रकाशित किया गया। वस्तुतः, समाचारपत्र ने विभाग की अक्षमता को उजागर करके अपने कर्तव्य का पालन किया। यह आरोप कि रिपोर्टर के रिश्तेदार को संविदा आबंटित नहीं करने और लकड़ी का दरवाजा और जेनरेटर उपलब्ध नहीं कराने के आरोप के बारे में, प्रतिवादी ने इनका पूर्णतया खंडन किया और उल्लेख किया कि वास्तव में शिकायतकर्ता शीशम की लकड़ी अवैध तरीके से मंगवाने का कार्य करता था और सस्ते दामों पर अपने चहेतों को बेचा करता था। उसने मानदंडों का उल्लंघन करते हुए एक संविदाकार को जेनरेटर भी उपलब्ध कराया था। प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि विभाग में बाहुबल के बोलबाले के साथ भ्रष्टाचार पूरी तरह फैला हुआ है और रिपोर्टर ने केवल उन भ्रष्ट गतिविधियों को ही प्रकाशित किया है।

समाचारपत्र ने यह भी स्पष्ट किया कि लोक सभा चुनाव, 2009 के दौरान, एक कांग्रेस नेता का हेलीकाप्टर कार्यकारी इंजीनियर के गलत कोआर्डिनेशन के कारण बिलग्राम में नहीं उतर सका था और दैनिक आज के अतिरिक्त अन्य अनेक समाचारपत्रों जैसे दैनिक हिन्दुस्तान, स्वतंत्र भारत, अमर उजाला, दैनिक जागरण, समता राज पत्रिका और माया अवध ने उस समाचार को प्रकाशित किया था। उसने अन्य समाचारपत्रों द्वारा प्रकाशित संबंधित समाचारों की कतरन भी संलग्न की थी। प्रतिवादी के अनुसार, जिला प्रशासन ने इस मामले में स्पष्टीकरण भी मांगा था और पीडब्ल्यूडी के प्रशासनिक अधिकारियों ने भी शिकायतकर्ता के इस लापरवाही पूर्ण रवैये पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की थी किन्तु मामले को किसी तरह दबा दिया गया। वास्तव में उसकी कार्यशैली सदैव विवादास्पद रही है। प्रतिवादी ने परिषद् से अनुरोध किया कि तथ्यों को छुपाने और झूठे आरोप लगाने के कारण शिकायत को खारिज किया जाये।

अपने लिखित बयान के अनुक्रम में, प्रतिवादी संपादक, आज ने अपने पत्र दिनांक 25.1.2010 के साथ लखनऊ उच्च न्यायालय के उस आदेश की प्रति भी भेजी जिसमें जिला मैजिस्ट्रेट, हरदोई और कार्यकारी इंजीनियर, श्री आर.डी. राही को नबाव सिंह एवं अन्यों द्वारा राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध दायर एक समादेश याचिका सं. 10894/एमआईबी (2009) में स्वयं पेश होने के लिये समन किया गया था। याचिका कानून के अनुसार, जमीन का अधिग्रहण किये बिना याचिकाकर्ता की जमीन पर सड़क निर्माण करने के बारे में थी। प्रतिवादी के अनुसार, यह शिकायतकर्ता, श्री राही के आचरण और कार्यप्रणाली को दर्शाती है। यह समाचार दैनिक हिन्दुस्तान और आज, कानपुर द्वारा दिनांक 12.1.2010 को प्रकाशित किया गया था।

## शिकायतकर्ता का पत्र

शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी संपादक, आज, कानपुर को अपना एक और पत्र दिनांक

18.6.2010 भेजा जिसकी प्रति भारतीय प्रेस परिषद् को पृष्ठांकित की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी रिपोर्टर उसके प्रति द्वेष भाव से अवमाननापूर्ण समाचार निरन्तर प्रकाशित कर रहा है। अभी पिछले ही दिनों अपने समाचारपत्र दिनांक 11.5.2010 में शीर्षक ''अपने साले का मोह नहीं छोड़ पा रहे अधिशासी अभियन्ता'' से प्रकाशित किया। अपनी मूल शिकायत का उल्लेख करते हुए शिकायतकर्ता ने परिषद् से अनुरोध किया कि प्रतिवादी रिपोर्टर द्वारा उसके विरूद्ध जानबूझकर भ्रामक और अवमानना पूर्ण समाचार प्रकाशित करने के आरोप में आवश्यक कार्रवाई की जाये।

**रिपोर्ट**

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 20.9.2011 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई करने के लिये प्रस्तुत किया गया। नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी कोई भी पक्ष पेश नहीं हुआ। जांच समिति ने पाया कि समाचारपत्र ने आलोचनात्मक समाचार प्रकाशित किये जो प्रतिवादी के कथनानुसार तथ्यों पर आधारित थे और सार्वजनिक हित में प्रकाशित किये गए। जांच समिति ने शिकायत का कोई आधार नहीं पाया और शिकायत को समाप्त करने का निर्णय लिया क्योंकि मामले में कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं थी। तदनुसार, उसने परिषद को सिफारिश की।

**निर्णय**

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

**58. श्री सत्येन्द्र वीर सिंह**
**पुलिस अधीक्षक**
**सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश**

**बनाम**

**संपादक**
**दैनिक जागरण**
**उत्तर प्रदेश**

**अधिनिर्णय**

**तथ्य**

यह शिकायत दिनांक 24.2.2010 श्री सत्येन्द्र वीर सिंह, पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा दैनिक जागरण, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध उनके समाचारपत्र में प्रकाशित निम्नलिखित कथित झूठे, बेबुनियाद और अवमानना पूर्ण समाचारों के विरोध में की गई है:

| क्रम सं. | विषय | दिनांक |
|---|---|---|
| 1 | घंटाघर में निर्वस्त्र मिली किशोरी | 25.2.2010 |
| 2 | अपराधी को बचाने वाले दण्डित हों | 27.2.2010 |
| 3 | राजनेताओं ने कहा किशोरी के साथ हुई घटना घृणित | 28.2.2010 |

आक्षेपित समाचार में यह उल्लेख किया गया कि कुछ लोग एक लड़की को किसी सुनसान जगह पर ले गये और उसके साथ बलात्कार किया। लड़की चारबाग रेलवे स्टेशन पर निर्वस्त्र पाई गई और स्थानीय लोगों ने उसे पुलिस को सौंप दिया। पुलिस उसे डाक्टरी कानूनी जांच के लिये अस्पताल ले गई किन्तु लड़की ने जांच कराने से इंकार कर दिया तब पुलिस ने लड़की को उसके घर वापस भेज दिया। शिकायतकर्ता ने पुलिस विभाग पर लगाये गए सभी आरोपों का खंडन करते हुए उल्लेख किया कि उसने स्वयं मामले में छानबीन की और पाया कि वह लड़की बिहार के सिवान जिले की थी और अपने माता–पिता से झगड़ा होने के बाद लखनऊ भाग आई थी। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि जांच पड़ताल के दौरान यह भी पता लगा कि स्थानीय लोग उसे विभिन्न लोगों के साथ रेलवे स्टेशन के आसपास पिछले दो तीन महीने से देख रहे थे। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि लड़की को निर्वस्त्र नहीं पाया गया था और उसने अपने साथ किसी दुराचार की भी शिकायत नहीं की । शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि लड़की को पुलिस संरक्षण में उसके मां–बाप के पास दिनांक 24.2.2010 को वापस भेज दिया गया था। स्थानीय थाने में रिकार्ड से पुलिस को यह भी ज्ञात हुआ था कि वह लड़की पहले भी दो बार घर से भाग चुकी थी, एक बार कोलकाता पुलिस ने और दूसरी बार उड़ीसा पुलिस ने लड़की को उसके घर वापस भेजा था।

शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि प्रतिवादी ने जनता की नजरों में पुलिस की छवि धूमिल करने के लिये यह अवमाननापूर्ण और बेबुनियाद समाचार प्रकाशित किये जो किसी युवती के सम्मान को भी ठेंस पहुचाते हैं। शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी संपादक को एक पत्र दिनांक 28.2.2010 भेजा था किन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। उसने परिषद् से अनुरोध किया कि प्रतिवादी समाचारपत्र, दैनिक जागरण के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाये।

**लिखित बयान**

कारण बताओ नोटिस दिनांक 15.4.2010 के उत्तर में प्रतिवादी संपादक, दैनिक जागरण ने अपने लिखित बयान दिनांक 3.7.2010 में शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोपों से स्पष्ट इंकार किया। प्रतिवादी ने कहा कि शिकायत पूर्णतया झूठी और बेबुनियाद है। समाचारपत्र में प्रकाशित समाचार सत्य था और स्थानीय लोगों ने समाचारपत्र के प्रयासों की सराहना की। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि पुलिस विभाग का कथन भी समाचार दिनांक 25.2.2010 के साथ प्रकाशित किया गया था। स्थानीय निवासियों और अध्यक्ष, कामगार महिला सेवा समिति ने भी प्रशंसा में लिखित पत्र भेजा। प्रतिवादी ने आगे उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता का यह बयान कि अन्य समाचारपत्रों ने ऐसा आक्षेपित समाचार प्रकाशित नहीं किया, पूरी तरह झूठ है। समाचारपत्र यथा राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला, दैनिक हिन्दुस्तान, निष्पक्ष प्रतिदिन, राहत टाइम्स और महामेधा ने भी यह समाचार प्रकाशित किया था। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि इस बारे में पिछला समाचार दैनिक जागरण में ''पुलिस की पोल खोल रहे उसके ही कागजात'' शीर्षक से और हिन्दुस्तान, लखनऊ ने 'अपने ही जाल में फंसती जा रही पुलिस' शीर्षक से दिनांक 1.3.2010 को प्रकाशित किया था किन्तु शिकायतकर्ता ने समाचारों पर अपना

कोई स्पष्टीकरण या टिप्पणी नहीं दी जबकि दोनों ही समाचार पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली से संबंधित थे और यह दर्शाता है कि पहले प्रकाशित समाचार सत्य थे।

प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि दैनिक जागरण द्वारा प्रकाशित समाचार की समाज के प्रत्येक वर्ग द्वारा प्रशंसा की गई थी किन्तु पुलिस ने अपराध नियंत्रण करने में विफल और अपनी अयोग्यता को छिपाने में असमर्थ रहने के कारण समाचारपत्रों के विरूद्ध झूठे मामले दायर करने का निर्णय किया। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि प्रतिवादी समाचारपत्र तथा अन्य समाचारपत्रों द्वारा आक्षेपित समाचार प्रकाशित करने के बाद पुलिस अधीक्षक ने न तो किसी प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया और न ही उन्हें कोई सूचना दी। प्रतिवादी ने प्रार्थना की, कि शिकायत अस्वीकार किये जाने योग्य है।

**रिपोर्ट**

जांच समिति ने नई दिल्ली में दिनांक 20.9.2011 को इस मामले पर सुनवाई की। श्री बी. के. मिश्रा, एडवोकेट दैनिक जागरण की ओर से उपस्थित हुए। जांच समिति ने पाया कि शिकायतकर्ता ने अपने एक पत्र दिनांक 10 सितम्बर, 2011 द्वारा सूचित किया था कि वह मामले में अगली कार्रवाई करने का इच्छुक नहीं है। अतः जांच समिति ने केस को वापस लेने की अनुमति दी और परिषद् से शिकायत को बंद करने की सिफारिश की।

**निर्णय**

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

**59. श्री जी.एन.के. तोमर**
**मुख्य महा निदेशक**
**अखिल भारतीय बैंक वसूली**
**रैपिड एक्शन फोर्स**

**बनाम**

**संपादक**
**दैनिक जागरण**
**नई दिल्ली**
**नोयडा**

**संपादक**
**अमर उजाला**
**नई दिल्ली**

**अधिनिर्णय**

**तथ्य**

श्री जी.एन.के. तोमर, मुख्य महा निदेशक, अखिल भारतीय बैंक वसूली रैपिड एक्शन फोर्स, नोयडा ने यह शिकायत दिनांक 25.2.2010 को दैनिक जागरण और अमर उजाला, हिन्दी दैनिकों में उनके समाचारपत्रों दिनांक 9.12.2009 में फोटोग्राफ के साथ प्रकाशित कथित

अवमानना पूर्ण समाचार शीर्षक 'फर्जी आईजी परिवार समेत पहुंचा हवालात, दैनिक जागरण' और 'माता–पिता–बेटा निकले फर्जी अफसर, अमर उजाला' के विरोध में दायर की है। उसमें उल्लेख किया गया था कि पुलिस ने एक नकली आई.जी. (शिकायतकर्ता) और उसकी पत्नी व बेटे को पुलिस जिप्सी में जिस पर नीली बत्ती और सायरन लगा था, गिरफ्तार किया। वे विभिन्न बैंकों से सूचना प्राप्त करके बैंक ऋण के चूककर्ताओं से कथित ऋण वसूली कर रहे थे। समाचार में यह भी उल्लेख किया गया था कि सिटी मैजिस्ट्रेट, ग्रेटर नोयडा द्वारा जांच पड़ताल करने पर शिकायतकर्ता ने स्वयं को अखिल भारतीय बैंक वसूली रैपिड एक्शन फोर्स का आई.जी. और अपनी पत्नी का जो पुलिस बर्दी में तीन स्टार लगाये थी, चीफ सर्किल अधिकारी और अपने पुत्र का सर्किल अधिकारी के रूप में परिचय कराया। चूंकि सूचना वास्तव में गलत थी अतः पुलिस ने उनके विरूद्ध एक केस दर्ज कर लिया।

शिकायतकर्ता ने आरोपों का खंडन करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई और उसे, उसकी पत्नी और पुत्र को जेल भेजा गया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि प्रतिवादियों ने आक्षेपित समाचार उसके और पत्नी के फोटोग्राफ के साथ प्रकाशित किये और उसकी पत्नी के प्रति असंसदीय भाषा का प्रयोग किया । शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि अखिल भारतीय बैंक वसूली रैपिड एक्शन फोर्स को भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किया गया है और जो वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय बैंक वसूली रैपिड एक्शन फोर्स देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिये अनुपयोज्य आस्ति खातों में वसूली के लिये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शिकायतकर्ता ने अपना कथन या बयान प्रकाशित नहीं किया जब उसने प्रतिवादी संपादकों का ध्यान अपने पत्र दिनांक 4.3.2010 द्वारा आकर्षित किया था शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया चूंकि गिरफ्तारी और आक्षेपित समाचार एक ही तारीख के थे और उसके बाद अदालत का ग्रीष्मावकाश होने और उच्च न्यायालय बेंच के एडवोकेटों की हड़ताल के कारण जमानत मिलने में देरी हो गई, जिस कारण वह अपनी शिकायत निर्धारित समय में भारतीय प्रेस परिषद् को नहीं भेज सका था। शिकायत दायर करने में लगभग 26 दिनों की मामूली देरी को माननीय अध्यक्ष द्वारा उनके आदेश दिनांक 22.4.2010 द्वारा माफ कर दिया गया था।

**लिखित बयान – अमर उजाला**

संपादको 'अमर उजाला' और 'दैनिक जागरण' को प्रेषित कारण बताओ नोटिस दिनांक 26.4.2010 के उत्तर में, एक प्रतिवादी के मुख्य प्रबंधक, विधिक, अमर उजाला ने अपने लिखित बयान दिनांक 5.5.2010 में आरोपों का खंडन करते हुए उल्लेख किया कि समाचारपत्र ने न तो पत्रकारिता के आदर्शों या जन भावना का उल्लंघन किया और न ही कोई व्यावसायिक कदाचार किया। प्रतिवादी के अनुसार, शिकायत बेबुनियाद, गलत थी जो प्रेस की लेखनी को रोकने के लिये की गई थी। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि समाचार का प्रकाशन न तो आपत्तिजनक था

और न ही शिकायतकर्ता या उसके परिवार को बदनाम करने के लिये था। उसे सामान्य रूप में और उद्देश्य पूर्ण तरीके से प्रकाशित किया गया जो पुलिस एफआईआर पर आधारित था। यह सार्वजनिक ड्यूटी के निर्वहन में बिना किसी दुर्भावना के सद्भाव के साथ प्रकाशित किया गया था। आक्षेपित समाचार एफआईआर और गिरफ्तारी मेमो के आधार पर प्रकाशित किया गया था। सूरजपुर थाने की पुलिस ने शिकायतकर्ता, उसके पुत्र और पत्नी को आईपीसी की धाराओं 170, 171, 420, 468, 470, 471 और एमवी अधिनियम की धारा 3, 181, 177 के तहत गिरफ्तार किया था। उपर्युक्त गिरफ्तारी के आधार पर, समाचार दिनांक 9.12.2009 को सामान्य तरीके से और कार्य के निर्वहन में प्रकाशित किया गया था। मामले में अधिनिर्णय करना समाचारपत्र का काम नहीं होता है। यह निर्णय करना अदालत का काम होता है कि क्या गिरफ्तारी सही थी या गलत या एफआईआर झूठी थी या सत्य। उन्होंने पुलिस रिकार्ड के आधार पर तथ्यों को प्रकाशित कर दिया था। पुलिस रिकार्ड के आधार पर समाचार प्रकाशित करना समाचारपत्रों का अधिकार होता है। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि यही समाचार अन्य मुख्य हिन्दी दैनिक 'दैनिक जागरण' में भी प्रकाशित हुआ था जो मामले की सत्यता का एक और प्रमाण है। प्रतिवादी के अनुसार, शिकायत कुछ और नहीं थी बल्कि वह प्रेस की आजादी के मौलिक अधिकार जो भाषण देने और अभिव्यक्ति का अधिकार है, को बाधित करने का प्रयास था, जो राजनीतिक, सामाजिक स्वतंत्रता और जनतंत्र की उचित कार्य प्रणाली के लिये अनिवार्य माना जाता है। समाचारों का सर्वेक्षण करने का काम चौथी एस्टेट का है और प्रेस का काम गलत कामों, विफलताओं और सरकारी कार्मिकों व अन्य निकायों, सरकार की नाकामियों को प्रकाशित करके सार्वजनिक हितों की सुरक्षा करना है। समाचारपत्र का काम तथ्यों को प्रकाशित करके सार्वजनिक हितों को बढ़ाना है और मौजूदा केस में भी उसने केवल तथ्यों को प्रकाशित करके अपने कर्तव्यों का ही निर्वाह किया । अतएव शिकायत खारिज करने योग्य है।

लिखित बयान की प्रति शिकायतकर्ता को पत्र दिनांक 17.5.2010 के साथ सूचना/प्रति टिप्पणियों, यदि कोई हों, के लिये भेजी गई।

दैनिक जागरण को अनुस्मारक दिनांक 22.9.2010 भेजने के बावजूद भी लिखित बयान प्राप्त नहीं हुआ।

**तर्क**

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 20.9.2011 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिये पेश किया गया। दोनों पक्ष उपस्थित थे। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत का पुनः दोहराया और अपने वाहन पर नीली बत्ती होने के आरोप से इंकार किया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि पुलिस आरोपों को सिद्ध करने में विफल हुई और माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने उसे आरोप मुक्त कर दिया था। श्री बी.के. मिश्रा, एडवोकेट दैनिक जागरण की ओर से पेश हुए और सर्वश्री सुनील कुमार अवस्थी, मुख्य प्रबंधक, विधि, पी.आर. राजहंस, एडवोकेट अमर उजाला की ओर से पेश हुए और बयान दिया कि समाचार एफआईआर पर आधारित था।

**रिपोर्ट**

जांच समिति ने रिकार्ड पर विचार किया और पाया कि समाचारपत्र के पास समाचार प्रकाशित करने का पर्याप्त आधार था और प्रतिवादी ने पत्रकारिता के आदर्शों के किसी भी मानदंड का उल्लंघन नहीं किया। जांच समिति ने शिकायत में कोई औचित्य नहीं पाया अतः मामले में कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं समझी गई। उसने परिषद् से शिकायत को बंद करने की सिफारिश की।

**निर्णय**

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **60.** | **श्री संदीप कुमार वर्मा**<br>**मुख्य ट्रेन टिकट निरीक्षक**<br>**हरिद्वार रेलवे स्टेशन**<br>**हरिद्वार, उत्तराखंड** | **बनाम** | **संपादक**<br>**दैनिक जागरण**<br>**मुरादाबाद**<br>**उत्तर प्रदेश** |

**अधिनिर्णय**

**तथ्य**

यह शिकायत दिनांक 23.1.2010 श्री संदीप कुमार वर्मा, द्वारा दैनिक जागरण, मुख्य ट्रेन टिकट निरीक्षक, हरिद्वार रेलवे स्टेशन, हरिद्वार,, उत्तराखंड ने दैनिक जागरण, मुरादाबाद के विरूद्ध उनके समाचारपत्र में दिनांक 7.1.2010 को प्रकाशित झूठे और अवमाननापूर्ण समाचार शीर्षक ''ट्रेन से यात्री को धक्का देने की कोशिश, टीटीई निलम्बित'' प्रकाशित होने के आरोप में दायर की गई है। आक्षेपित समाचार प्रकाशित होने की पिछली कहानी का बयान करते हुए शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि दिनांक 5.1.2010 को जब वह हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर सामान्य ड्यूटी पर तैनात था, तो उसे एक बेटिकट यात्री मिला। जब पकड़ा गया तो उसने रेलवे कर्मचारी होने का दावा किया किन्तु वह अपनी पहचान सिद्ध नहीं कर सका। तब उस अपराधी ने किसी श्री चौरसिया, मुरादाबाद के पत्रकार से अपने मोबाइल पर बात करने की मांग की किन्तु शिकायतकर्ता ने इससे इंकार कर दिया। जब बेटिकट यात्रा करने के कारण जुर्माना डाला गया तो उस यात्री ने दावा किया कि वह एक पत्रकार है और उसे कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं है और रेलवे विभाग से संबंधित कार्य सौंपा जाने के कारण पत्रकार पर जुर्माना नहीं डाला जा सकता है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि उसे 350/– रु. (टिकट के 100/–रु. और बेटिकट यात्रा करने का जुर्माना 250/–रु. ) की रसीद दी गई तब उस यात्री ने उस पर अपना नाम रोहित कुमार लिखा तथा अपनी ड्यूटी समाप्त करने के बाद, वह ऋषीकेश रेलवे स्टेशन पर उतर गया। अगले दिन, दिनांक 6.1.2010 को शिकायतकर्ता मुरादाबाद कार्यालय गया तब श्री चौरसिया उसे मिला और उस घटना तथा बेटिकट यात्रा के जुर्म में डाले जुर्माने के बारे में

जानकारी मांगी। पत्रकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिनांक 26.1.2010 को विज्ञापन प्रकाशित करने के लिये 5000/– रु. की मांग की और इससे इंकार किये जाने पर उसने धमकी दी कि वह पत्रकार की हैसियत से उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अगले दिन अर्थात 7.1.2010 को, प्रतिवादी ने आक्षेपित समाचार इस शीर्षक से प्रकाशित किया कि यात्री को ट्रेन से धक्का दिये जाने की कोशिश में टीटीई को निलम्बित कर दिया गया। उसने आरोप लगाया कि समाचार पूर्णतया झूठ है और इस समाचार से उसकी प्रतिष्ठा को अपने रिश्तेदारों, मित्रों और समाज में आधात लगा है। शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी को एक पत्र दिनांक 9.1.2009 भेजा था किन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

## कोई लिखित बयान नहीं

प्रतिवादी संपादक, दैनिक जागरण, मुरादाबाद को एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.5.2010 भेजा गया किन्तु दिनांक 11.8.2010 को अनुस्मारक भेजने के बावजूद भी कोई लिखित बयान दायर नहीं किया गया।

## तर्क

यह मामला दिनांक 20.09.2011 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिये प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुआ और बयान दिया कि समाचार पूर्णतया झूठ है और उसे कभी भी निलम्बित नहीं किया गया। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि डीआरएम और एडीआरएम प्रेस को कोई भी बयान देने के लिये प्राधिकृत नहीं हैं। प्रतिवादी ने मनगढंत कहानी प्रकाशित कर दी।

श्री मृगांक पांडे ने प्रतिवादी की ओर से पेश होते हुए बयान दिया कि समाचार रेलवे नियंत्रण कक्ष को एक यात्री द्वारा की गई शिकायत पर आधारित था और डीआरएम द्वारा एक बयान भी जारी किया गया था जो टीटी का अभिशासित प्राधिकारी होता है। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि संबंधित अधिकारी ने अपने बयान से इंकार नहीं किया या प्रकाशित समाचार पर आपत्ति नहीं की। हालांकि, प्रतिवादी ने लिखित बयान दायर नहीं करने के लिये खेद प्रकट किया।

## रिपोर्ट

जांच समिति ने शुरू में पाया कि प्रतिवादी ने लिखित बयान दायर नहीं किया है और निराधार बयानों पर विश्वास किया। पत्रकारिता के आदर्शों की मांग है कि संपादक या पत्रकार को किसी भी प्रकाशन से पूर्व जिससे किसी अधिकारी की प्रतिष्ठा को ठेंस पहुंच सकती हो, संबंधित व्यक्ति और उस विभाग से जहां वह सेवारत है, तथ्यों की क्रॉस जांच कर लेनी चाहिए। इस केस में समाचारपत्र ने पत्रकारिता के आदर्श मानदंडों का उल्लंघन किया और इन हालात में यह उचित होगा कि समाचारपत्र शिकायतकर्ता के प्रति खेद प्रकाशित करे। अतः जांच समिति

ने परिषद् से सिफारिश की, कि संपादक को दैनिक जागरण में क्षमायाचना प्रकाशित करने और उसकी कतरन परिषद् तथा शिकायतकर्ता को रिकार्ड के लिये भेजने का निदेश दे।

**निर्णय**

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **61.** | **डॉ0 राम शर्मा<br>लेक्चरर<br>मेरठ** | **बनाम** | **संपादक<br>अमर उजाला<br>मेरठ** |

**अधिनिर्णय**

**तथ्य**

डॉ0 राम शर्मा, लेक्चरर, मेरठ ने एक पत्र दिनांक 4.5.2009 संपादक, अमर उजाला, मेरठ को भेजा और उसकी प्रति भारतीय प्रेस परिषद् को पृष्ठांकित की जो दिनांक 19.4.2009 और 1.5.2010 के अंकों में शीर्षकों 'बड़ौत के गुरूजी ने चुराया पटना की टीचर का लेख' और 'गुरूजी को रिसर्च आर्टिकल चुराने का चस्का' से प्रकाशित कथित झूठे, भ्रामक और अवमाननापूर्ण समाचार प्रकाशित करने के विरोध में लिखा गया है। शिकायतकर्ता ने एक औपचारिक शिकायत दिनांक 30.5.2009 को दायर की और आक्षेपित प्रकाशन पर डा0 सुभाषिनी सिन्हा के लेख की कॉपी करने का आरोप लगाया जो 2005 में साइफर साहित्य में प्रकाशित किया गया था। शिकायतकर्ता पर उसका पेपर शीर्षक 'एम्पावरमेंट आफ वीमैन थ्रू दि करैक्टर ऑफ रोज इन आर. के. नारायण्स दि गाइड' भी प्रकाशित करने का अरोप लगाया।

आरोप का खंडन करते हुए, शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसने यह लेख अपनी पुस्तक 'वाइवा–वायस' अर्चना प्रकाशन में लिखा था किंतु यह अध्याय 2003 में एमएसएस के साथ लौटा दिया गया था। इसके अतिरिक्त, यह पेपर इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी संपादक ने इन अपमानजनक और लज्जित करने वाले समाचार प्रकाशित करने से पूर्व न तो मुझसे बात की और न ही उत्तर/खेद प्रकाशित किया।

**संपादक का उत्तर**

शिकायतकर्ता द्वारा संपादक को भेजे पत्र के उत्तर में, प्रतिवादी संपादक ने उल्लेख किया कि समाचार न तो अवमाननापूर्ण है और न ही उसे शिकायतकर्ता को बदनाम करने के लिये प्रकाशित किया गया। वास्तव में, इन्हें पत्रकारिता के आदर्शों की भावना और पीड़ित व्यक्ति जिसके लेख कथित चुराये/नकल किये गए थे और शिकायतकर्ता द्वारा प्रकाशित किये गए थे, से प्राप्त सूचना के आधार पर सार्वजनिक हित में प्रकाशित किया गया था। प्रतिवादी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने एक लेख ''एम्पावरमेंट आफ वीमैन थ्रू दि करैक्टर ऑफ रोज इन आर.

के. नारायण्स दि गाइड'' लिखा था और वह एक पत्रिका में पृष्ठ सं. 49–54 पर 'ए मॉडर्न प्रोगरेसिव इंगलिश पोयट्री क्वाटर्ली – रेपिल्का' शीर्षक से सितम्बर 2008 में प्रकाशित किया गया था। उक्त लेख का अधिकांश भाग मूलत डा0 सुभाषिनी सिन्हा, अध्यापिका, गंगा देवी महिला कालेज, पटना द्वारा लिखा गया था और 'साइफर लिटरेचर' में पृष्ठ 53–62 पर प्रकाशित किया गया था, ज्यों का त्यों नकल किया गया है। चूंकि डा0 सुभाषिनी सिन्हा द्वारा लिखा गया लेख शिकायतकर्ता के लेख से बहुत पहले प्रकाशित हो चुका था, जिससे स्पष्ट है कि कॉपीराइट कानून का उल्लंघन किया गया। पुनः उसने अन्य लोगों के लेखों की नकल की और उन्हें अपने लेख के रूप में 'कान्टेम्पोरेरी वाइव्स' के जनवरी–मार्च, 2008 अंक में शीर्षक ''राइटिंग्स फ्राम दि मार्जिन्स : ए स्टडी ऑफ शशि देशपांडेज दि डार्क होल्ड्स नो टेरर'' शीर्षक से प्रकाशित कराके सभी सीमाएं लांघ दीं। दो पैराओं को छोड़कर, शेष पूरा लेख डा0 निर्मला पंत, कुमांयू विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा द्वारा लिखित अनुसंधान लेख 'फेमिनिज्म इन शशि देशपांडेज दि डार्क होल्ड नो टेरर' की शब्दशः नकल है, यह पत्रिका 'हेलीकॉन व्यूज' के 2006 के अंक में पृष्ठ सं. 15–20 पर प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार विचाराधीन दोनों ही समाचार अनधिकारिक ढंग से प्रकाशित कराये गए और इस कारण बिना किसी दुर्भावना के सामान्य रूप में और सार्वजनिक ड्यूटी के निर्वहन में सद्भाव से जिसमें शिकायतकर्ता के विरूद्ध कोई दुर्भावना नहीं थी जिसमें उसकी प्रतिष्ठा को ठेंस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, प्रकाशित किये गए थे। व्यैक्तिक रूप से उसके विरूद्ध या अवमानना– पूर्ण कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी प्रकाशित किया गया वह रिकार्ड और सूचनाओं पर आधारित था। अतः शुद्धिपत्र या खेद प्रकाशित करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हुए, शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि प्रतिवादी ने उसे कोई अवसर दिये बिना अपना बयान दे दिया और उसके स्पष्टीकरण को अस्वीकार कर दिया। उसने परिषद् से अनुरोध किया कि दुर्भावपूर्ण शीर्षकों से प्रकाशित अवमाननापूर्ण समाचार प्रकाशित करने के लिये प्रतिवादी संपादक के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए।

**टिप्पणियां**

बयान के लिये प्रेषित नोटिस दिनांक 21.10.2009 के उत्तर में, प्रतिवादी संपादक, अमर उजाला ने अपनी टिप्पणियों दिनांक 14.11.2009 में आरोपों से इंकार करते हुए उल्लेख किया कि शिकायत अनुचित है और विचारणीय नहीं है। उसने शिकायतकर्ता को पूर्व में भेजे गए अपने बयान को दोहराया और संगत दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादी ने कहा कि नया समाचार तथ्यात्मक आधार पर सही था और शिकायत के अनुसार, जिसके कॉपीराइट का उल्लंघन हुआ तथा अन्य सामग्री भी रिकार्ड में उपलब्ध थी। प्रतिवादी के अनुसार, न तो समाचारपत्र ने पत्रकारिता के आदर्शों का उल्लंघन किया या सार्वजनिक हित के विरूद्ध कुछ किया और न ही संपादक ने कोई व्यावसायिक कदाचार किया। समाचार उद्देश्य परक था और निष्पक्ष रिपोर्टिंग सार्वजनिक ड्यूटी का निर्वहन करते हुए सद्भाव से और बिना किसी दुर्भावना के की गई। प्रतिवादी संपादक के अनुसार, आक्षेपित समाचार सार्वजनिक हित में प्रकाशित किया गया

था जिसमें शिकायतकर्ता को बदनाम करने की लेशमात्र भी इच्छा नहीं थी। आक्षेपित समाचार प्रकाशित करके समाचारपत्र ने केवल अपनी ड्यूटी का ही निर्वहन किया।

## प्रति टिप्पणियां

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 5.1.2010 में उल्लेख किया कि यह आरोप कि उसने अमर उजाला में दिनांक 19.4.2009, 28.4.2009 और 1.5.2009 को प्रकाशित लेख चुराये थे, पूर्णतया गलत है। उसके पास कथित लेख आक्षेपित समाचार प्रकाशित होने से बहुत पहले से थे। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसने समाचारपत्र नामतः 'दि वर्ल्ड टू वर्ल्ड' दिनांक 7.7.2001 को दो लेख 'एम्पावरमेंट ऑफ वीमैन थ्रू दि करैक्टर ऑफ रोज' और 'दि डार्क होल्ड्स नो टेरर' शीर्षक से प्रकाशित करने के लिये भेजे थे, जो आक्षेपित समाचार प्रकाशित होने से बहुत पहले ही प्रकाशित हो चुके थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि संभवता कुछ ईर्ष्यालु अध्यापकों ने उसे बदनाम करने के लिये अमर उजाला के रिपोर्टर से मिलीभगत की होगी। उसे अदालत से ऐसा कोई भी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है जैसाकि अमर उजाला के समाचार में दावा/आरोप लगाया गया और न ही पत्रिका 'रेपिल्का' के संपादक से रोक लगाने से संबंधित कोई पत्र उसे मिला। शिकायतकर्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि आक्षेपित समाचार में उल्लेख के अनुसार वी. सी., प्रोफेसर एस.के. काक द्वारा भी उसके विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि प्रतिवादी ने आरोप प्रकाशित होने से पहले उससे कभी भी भेंट नहीं की और न ही कभी कोई पूछताछ की। शिकायतकर्ता ने परिषद् से संपादक को बुलाने और अमर उजाला के रिपोर्टर से तथाकथित पीड़ित अध्यापकों से प्राप्त पत्रों और रिपोर्ट, यदि कोई हो, जैसेकि अध्यापकों द्वारा दायर करना कहा गया है, के साथ अपने बचाव में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग किये जाने का अनुरोध किया और यदि समाचारपत्र अपना बचाव करने में असफल हो तो समाचारपत्र के संपादक और रिपोर्टर के विरूद्ध उसे जनता की नजरों में बदनाम करने के लिये न केवल मेरठ संस्करण में बल्कि देहरादून, मुरादाबाद, कानपुर और आगरा आदि में ऐसा भ्रामक समाचार प्रकाशित करने के आरोप में सख्त कार्रवाई की जाए।

## प्रतिवादी का उत्तर

प्रतिवादी संपादक, अमर उजाला, मेरठ को एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 10.5.2010 भेजा गया। जिसके उत्तर में प्रतिवादी संपादक ने अपने पत्र दिनांक 9.6.2010 में उल्लेख किया कि समाचारपत्र के रिपोर्टर ने शिकायतकर्ता से भेंट की और समाचार में प्रकाशित होने वाली विषय वस्तु की पूरी जानकारी दी। शिकायतकर्ता उससे सहमत हो गया था और अब अपनी शिकायत के अभियोजन के समर्थन में नहीं था। प्रतिवादी के कथनानुसार शिकायतकर्ता ने लिखित में कहा था कि मामले में समझौता हो गया और अब वह शिकायत के अभियोजन में अनिच्छुक है, तदनुसार, शिकायतकर्ता द्वारा लिखित पत्र दिनांक 7.6.2010 की फोटो, प्रति प्रस्तुत की गई जिसमें परिषद् से अनुरोध किया गया था कि समझौते को ध्यान में रखते हुए शिकायत को निर्णीत माना जाए।

**शिकायतकर्ता का उत्तर**

शिकायतकर्ता ने अपने ईमेल दिनांक 9.6.2010 के द्वारा सूचित किया कि अमर उजाला द्वारा उस पर केस के बारे में समझौता करने के लिये दबाव डाला जा रहा था। शिकायतकर्ता ने अनुरोध किया कि कोई भी निर्णय लेने से पहले उससे स्पष्टीकरण लिया जाये।

प्रतिवादी के पत्र दिनांक 9.6.2010 की प्रतिलिपि परिषद् के पत्र दिनांक 30.6.2010 के साथ शिकायतकर्ता को यह सूचित करने के लिये भेजी गई कि क्या वह इससे संतुष्ट है किंतु उसका कोई उत्तर नहीं मिला।

**रिपोर्ट**

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 20.9.2011 को जांच समिति को विचार करने के लिये प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता जांच समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। श्री सुनील कुमार अवस्थी, विधि प्रबंधन अमर उजाला की ओर से पेश हुए, उन्होंने कहा कि तर्कों को लिखित में दे दिया गया है।

जांच समिति ने केस के रिकार्ड पर विचार किया और पाया कि शिकायतकर्ता ने एक बहुत ही मामूली मुद्दे की परिषद् से शिकायत की और जिसमें परिषद् से कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं हैं। उसने परिषद् से मामले में अगली कार्रवाई समाप्त करने की सिफारिश की क्योंकि पत्रकारिता के आदर्शों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।

**निर्णय**

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **62.** | **श्री अभिराम दास** | **बनाम** | **संपादक** |
| | **बालासोड़** | | **उड़ीसा खबर** |
| | **उड़ीसा** | | **बालासोड, उड़ीसा** |

**अधिनिर्णय**

**तथ्य**

यह शिकायत दिनांक 14.06.2010 श्री अभिराम दास, बालासोड, उड़ीसा ने उड़ीसा खबर, बालासोड, उड़ीसा के विरूद्ध उनके समाचारपत्र में दिनांक 30.03.2010 को कथित बेबुनियाद, घृणास्पद, झूठा और अवमाननापूर्ण समाचार शीर्षक 'मनुष्य स्वर्ग में, बकाया देय पृथ्वी पर' से प्रकाशित समाचार के विरोध में दायर की है। आक्षेपित समाचार में यह आरोप लगाया

गया कि शिकायतकर्ता के स्वर्गीय पिता, अजात शत्रु दास, अजीमनबाद में जन सम्पर्क अधिकारी के पद पर अपने कार्यकाल के दौरान किराये और बिजली बिल के भुगतान के प्रति 75.000/—रु. की अपनी देनदारी छोड़ गये थे और एक विशेष लेखा परीक्षा टीम ने वह राशि घटाकर 14,085/—रु. कर दी थी। यह भी आरोप लगाया गया कि देनदारी बकाया होने से परिवार को पेंशन नहीं मिल रही है।

शिकायतकर्ता ने इस आरोप पर आपत्ति की और उल्लेख किया कि उनके पिता सरकार द्वारा दिये गए मकान में किराये पर रहते थे और उनके परिवार को पेंशन भी मिल रही है। उसने उल्लेख किया कि उनके परिवार की पेंशन के मामले में, बकाया देयता या जिसे उनके दिवंगत पिता के खाते से वसूल किया जाना है, सरकारी नियमों के अनुसार, कार्रवाई की जाएगी जिस के निपटान करने में समय लगेगा। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इस प्रकार परिवार की सहमति के बिना सरकार के साथ किये गए पत्राचार और विवरण को आक्षेपित समाचार में प्रकाशित करने से लोगों में उनकी बदनामी हुई। उसने यह भी कहा कि आक्षेपित समाचार इस प्रकार के शीर्षक और उनके पिता के फोटोग्राफ के साथ प्रकाशित करना जनता में उन्हें बदनाम करने और आम लोगों व शुभ चिंतकों में उनके परिवार की प्रतिष्ठा को ठेंस पहुंचाने के इरादे से किया गया। उसने इसका खंडन करने के लिये प्रकाशक को अपना एक पत्र दिनांक 18.5.2010 प्रकाशन के लिये भेजा था किन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

प्रतिवादी संपादक, उडीसा खबर को एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 21.7.2010 को भेजा गया।

### लिखित बयान

प्रतिवादी संपादक, उडीसा खबर ने अपने लिखित बयान दिनांक 31.7.2010 में उल्लेख किया कि विचाराधीन समाचार की शिकायतकर्ता द्वारा ही पुष्टि की गई है। सरकार के साथ हुए पत्राचार के विवरण के बारे में, प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि सरकारी कागजातों से ही समाचार की प्रमाणिकता काफी कुछ सिद्ध हो जाती है, इसलिये उन्होंने समाचार प्रकाशित करने के लिये शिकायतकर्ता से अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा। वह विचाराधीन समाचार की सत्यता के बारे में पूर्णतया आश्वस्त हैं। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि उसने शिकायतकर्ता के दिवंगत पिता के साथ लगभग 20 वर्षों तक काम किया है और वह उनके तथा विभाग के लिये किये गए उनके काम के प्रति पूरा सम्मान रखता है। उसने उन्हें बदनाम करने या उनके परिवार के सदस्यों को आहत करने की मंशा से इंकार किया।

### प्रति टिप्पणियां

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 23,9,2010 में उल्लेख किया कि यदि प्रतिवादी की उसके दिवंगत पिता और विभाग को उनके योगदान के प्रति सम्मान की भावना

होती तो वह इस प्रकार की अभद्र भाषा जैसे 'ऋण देने और लेने में शर्म नहीं करो, ग .... मार' के आपत्तिजनक शीर्षक के साथ ऐसा अशोभनीय समाचार प्रकाशित नहीं करता।

## तर्क

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 20.9.2011 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिये पेश किया गया। दोनों पक्ष उपस्थित थे। श्री अभिराम दास, शिकायतकर्ता ने शुरू में ही आक्षेपित समाचार में उसके दिवंगत पिता के लिये प्रयुक्त शब्दों पर आपत्ति की और बयान दिया कि उसके पिता के फोटोग्राफ के साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग होने से समाज में उनकी छवि को गहरा आघात लगा। जहां तक बकाया देयताओं के निपटान का प्रश्न है, चाहे जो कुछ भी राशि बकाया हो, वह कार्रवाई सरकारी स्तर पर की जाएगी।

श्री समरेन्द्र कुमार, एडवोकेट ने प्रतिवादी की ओर से एक और उत्तर दिनांक 20.9.2011 प्रस्तुत किया और अनुरोध किया कि फोटोग्राफ प्रकाशित करना आवश्यक था क्योंकि बैंक भी ऋण नहीं चुकाने वाले व्यक्तियों के फोटोग्राफ प्रकाशित करके ही ऋण वसूली करते हैं। एडवोकेट ने कहा कि भाषा क्षेत्रीय थी क्योंकि शहर की सभी दुकानों के बोर्डों पर यही शब्द 'ऋण लो और चम्पत हो जाओ' (हिन्दी अनुवाद) लिखे होते हैं।

## रिपोर्ट

जांच समिति ने रिकार्ड पर गंभीरतापूर्वक विचार किया और प्रथम दृष्टया पाया कि दिवंगत की अधिवार्षिकी आयु नहीं हुई थी और न ही वह भगोड़ा था किन्तु दुर्भाग्यवश सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी और किराये आदि के प्रति सरकारी नियमों के अनुसार, कुछ राशि की देनदारी थी। समिति की राय में, दिवंगत का फोटोग्राफ प्रकाशित करना अवांछनीय था और ऐसे शब्दों का प्रयोग करना अभद्र भाषा थी और इस प्रकार पूरा समाचार अत्यधिक अभ्रदतापूर्ण था। जांच समिति ने इस केस को पत्रकारिता का एक बहुत ही घटिया केस पाया जिसके लिये प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 के तहत कठोर दंड देना वांछनीय है। जांच समिति ने परिषद् से सिफारिश की, कि पत्रकारिता के आदर्श मानदंडों का घोर उल्लंघन करने के कारण संपादक, उडीसा खबर की भर्त्सना की जाए और संपादक को क्षमा प्रमुखता से प्रकाशित करने का निदेश दिया जाये। निर्णय की प्रतिलिपि डीएवीपी, आरएनआई और उड़ीसा सरकार को आवश्यक कार्रवाई, जो इस मामले में उचित समझें, के लिये भेजी जाए।

## निर्णय

परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद संपादक, उडीसा खबर, बालासोड़ की भर्त्सना करने का निर्णय लिया। उसने परिषद् के अधिनिर्णय की प्रतिलिपि डीएवीपी, आरएनआई और उड़ीसा सरकार को कार्रवाई के लिये, मामले में वे जो उचित समझें, के लिये भेजने का भी निर्णय लिया।

**63. श्री विनोद कुमार शर्मा** **बनाम** **संपादक**
**उप अधीक्षक** **हिन्दुस्तान**
**शिक्षा एवं क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी** **मुजफ्फरनगर**
**बेनीपुर, दरभंगा, बिहार**

## अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 16.8.2008 श्री विनोद कुमार शर्मा, उप अधीक्षक, शिक्षा एवं क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी, बेनीपुर, दरभंगा, बिहार द्वारा हिन्दुस्तान, मुजफ्फरनगर के विरूद्ध निम्नलिखित शीर्षकों से प्रकाशित कथित अवमाननापूर्ण और वेबुनियाद समाचारों के विरूद्ध दायर की गई है :

| क्रम सं. | शीर्षक | प्रकाशन की तारीख |
|---|---|---|
| 1 | .... और खुद से बन गये क्षेत्र शिक्षा अधिकारी –डीएसई ने कहा, मनमानी पर लगेगी रोक | 12.8.2008 |
| 2 | क्षेत्र शिक्षा कार्यालय का प्रभार छिना | 3.9.2008 |
| 3 | बेनीपुर का असली बी ई ओ कौन – असमंजस में रहे प्रधान अध्यापक व शिक्षक | 7.12.2008 |

शिकायतकर्ता ने आक्षेपित समाचारों में लगाये गए आरोपों पर आपत्ति की है कि वह स्वयं उप अधीक्षक शिक्षा, बेनीपुर बन बैठे। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि जिला शिक्षा अधीक्षक के आदेश दिनांक 18.1.2006 के द्वारा उसे क्षेत्र शिक्षा अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि हिन्दुस्तान के संवाद्दाता ने उससे बातचीत किये बिना ही उनकी निष्ठा पर संदेह करते हुए वेबुनियाद समाचार प्रकाशित कर दिया। शिकायतकर्ता ने पत्रों दिनांक 16.8.2008, 13.9.2008 और 8.12.2008 द्वारा प्रतिवादी संपादक से उसका खंडन प्रकाशित करने का अनुरोध किया किंतु कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। शिकायतकर्ता ने संपादक को यह भी सूचित किया कि उसे एईओ के पद से सेवा मुक्त होने के बारे में कोई आदेश नहीं मिले। अतएव शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी संपादक, हिन्दुस्तान और उसके रिपोर्टर के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

यह मामला नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष दिनांक 18.11.2011 को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। कोई भी पक्ष उसके समक्ष पेश नहीं हुआ। जांच समिति ने पाया कि प्रतिवादी ने क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी का पद अनधिकृत रूप से ग्रहण करने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी जबकि उससे अधिकारी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों को देखने, अपने कार्यों के अतिरिक्त, के लिये ही कहा गया था। रिपोर्टर ने अपने वरिष्ठ साथियों से रिपोर्ट की पुष्टि की थी और

इस प्रकार समाचारपत्र ने मानदंडों का उल्लंघन करके रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की थी। शिकायतकर्ता ने स्वयं भी शिकायत का पक्ष लिया था। जांच समिति ने परिषद् से शिकायत को खारिज करने की सिफारिश की।

प्रेस परिषद् ने मामले के अभिलेख और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार किया और तदनुसार, निर्णय लिया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **64.** | **श्री कामराजू**<br>**पेरमबलूर तालुक व जिला**<br>**तमिलनाडु** | **बनाम** | **संपादक**<br>**विल्मूरासू मासिक पत्रिका**<br>**चेन्नै** |

**अधिनिर्णय**

यह शिकायत दिनांक 04.10.2008 श्री कामराजू, (एम.एससी., एम.ए., बी.एड., एम.फिल) पेरमबलूर तालुक व जिला, तमिलनाडु द्वारा संपादक एवं रिपोर्टर, विल्मूरासू पत्रिका के विरूद्ध जून, जुलाई और अगस्त, 2008 में अपनी पत्रिका में आपत्तिजनक और अवमाननापूर्ण लेख प्रकाशित करने के आरोप में दायर की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि संपादक ने मई में उनकी प्रशंसा करते हुए एक लेख प्रकाशित किया था और उसके बाद उसने इस प्रकाशन के लिए अपने रिपोर्टर के माध्यम से 25,000/– रु. की मांग की। चूंकि वह लेख संपादक द्वारा स्वयं अपनी इच्छा से प्रकाशित किया गया था और वह कोई विज्ञापन तो था नहीं अतः उसने रुपये देने से इंकार कर दिया। इससे नाराज होकर रिपोर्टर ने अभद्र भाषा में उसे धमकी दी और उसने उसके विरूद्ध पुलिस में शिकायत दायर कर दी। तत्पश्चात् प्रतिवादी ने जून, जुलाई और अगस्त, 2008 के अपने अंकों में उसके विरूद्ध क्रमानुसार अपमानजनक लेख प्रकाशित किये जो निम्नानुसार हैं :

**जून 2008 में**

क्या कामराजू सीनेट मेम्बर है? क्या वह महिलाओं का पीछा करता है (यौनाचार के लिये)?– ''जीवन के लिये संघर्ष, कोई भी मार्ग हो'' कामराजू इसी कथन का अनुसरण करता है। अध्यापक नियुक्त होने के बाद वह शाही अंदाज में घूमा करता था जब उसे गांव पेराली से छुआछूत के कारण भागना पड़ा था। उसने अतिरिक्त आय के लिये विशेष कक्षाओं का आयोजन किया और छात्राओं के साथ यौन संबंध बनाने लगा। वह ईडन गार्डन स्कूल में निदेशक नियुक्त हुआ और वहां भी वह छात्राओं के साथ यौन संबंध बनाता रहा। उसे वहां से इसी कारण नौकरी से निकाल दिया गया। वह सरकारी स्कूल में जहां वह अध्यापक था, छात्रों का अच्छा परिणाम नहीं ला सका क्योंकि वह अक्सर अनुपस्थित रहता था। 5000/– रु. की रिश्वत देकर उसने अम्बेडकर फेलोशिप पुरस्कार प्राप्त किया और अपने प्रचार के लिये पोस्टर स्वयं ही लगवाए। तदुपरांत वह अन्नामलाई विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिये ब्रोकर बन गया। बी.एड. में महिलाओं को प्रवेश दिलाने के बहाने वह उनसे रकम लेता और यौन संबंध

बनाता। वह सीनेट सदस्य बन गया और विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल किया। उसने ईडन गार्डन के श्री मुरुगेसन से बदला लिया। उसने एक बस कंडक्टर को पीटा और दंगाई बन गया। जब रिपोर्टर ने उससे बयान लेने के लिये सम्पर्क किया तो उसने कहा कि मंत्री राजा को उनसे ईर्ष्या हैं और उसने पुलिस में उसके विरूद्ध झूठी शिकायत दर्ज कराई है। उसने कहा कि वह श्री राजा से अधिक अमीर बनेगा।

**जुलाई 2008 में**

अध्यापक कामरासू जिसने रिपोर्टर के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज की, को निकाल या धारित पद से हटा देना चाहिए।

वह विद्यार्थी जीवन में एक मंद बुद्धि विद्यार्थी था और उसे एसएसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये संघर्ष करना पड़ा। अपने गांव के रेडियार और चेन्नै में एक आईएएस अधिकारी की सहायता से उसने अध्ययन किया और परीक्षा उत्तीर्ण की। उसने निम्न प्रतिशत के साथ एम.एससी. और एम. फिल की डिग्रियां प्राप्त कीं। वह अन्नामलाई विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य बन गया और विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे एमबीबीएस/इंजीनियरिंग/एमबीए/बी.एड/एम. फिल में सीट दिलाने के लिये दलाली करने लगा। वह महिलाओं से सीटों के लिये सौदेबाजी करता था। समाचार रिपोर्टर ने जब इस मामले में जांच पड़ताल की तो उसे झूठे केस में फंसाया गया। विश्वविद्यालय उसके बारे में विभागीय जांच कर सकती है और सीनेट की सदस्यता समाप्त की जाए।

**अगस्त 2008 में**

**सेक्स राजा ने सीनेट सदस्यता के लिये बहुत कुछ दान किया**

अन्नामलाई विश्व विद्यालय के सीनेट सदस्य का चयन क्षेत्रवार और पूर्व स्नातक विद्यार्थियों के वोटों के आधार पर किया जाता है। क्या आपको ज्ञात है, कि कामरासू का चयन किस प्रकार किया गया? सहयोगी अध्यापकों की सहायता और अनुसूचित जाति समुदाय के विद्यार्थियों के आश्वासन पर कि सीनेट सदस्य बनने के बाद वह उनकी मदद करेगा। उसके बाद वह कृतघ्न और धोखेबाज साबित हुआ। दूसरी बार सीनेट का सदस्य बनने के लिये उसने पोस्टल वोटों की कवरेज के लिए त्रिची में और उसके आसपास के डाकियोंपोस्टमैनों से सम्पर्क किया। उसने उन्हें मांसाहारी, बियर और ब्रांडी की एक शानदार पार्टी दी।

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 04.03.2010 द्वारा यह भी सूचित किया कि पत्रिका के संपादक ने अपने उपनाम को जोड़कर अपना नाम बदलकर पन्नीर सेलवम उडईयार कर लिया है।

यह मामला नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष दिनांक 18.11.2011 को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संपादक अनुपस्थित था। शिकायतकर्ता ने जांच समिति के समक्ष

पेश होते हुए बयान दिया कि वह स्नातकोत्तर अध्यापक है और अन्नामलाई विश्वविद्यालय का सीनेट सदस्य है। प्रतिवादी ने अपनी पत्रिका के मई 2008 अंक में उसकी प्रशंसा में रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिये, बिना उसकी सहमति के, भारी राशि की मांग करने के लिये सम्पर्क किया। इंकार किये जाने पर, प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता के विरूद्ध अभद्र और झूठी सामग्री प्रकाशित की और दिवार पोस्टर भी प्रकाशित किये।

जांच समिति ने मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए शुरू में ही पाया कि प्रतिवादी संपादक ने न तो लिखित बयान दायर किया और न ही पेश हुआ । जांच समिति ने प्रतिवादी संपादक द्वारा परिषद् के नोटिसों का उत्तर नहीं देने के आचरण पर नाराजगी प्रकट की क्योंकि इससे सिद्ध होता है कि संपादक आरोपों से बचाव करने में असमर्थ है। अतः जांच समिति ने रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर शिकायत पर कार्रवाई की। विल्मूरासू मासिक पत्रिका के जून, जुलाई और अगस्त 2008 अंकों में आक्षेपित लेखों को देखने के बाद कहा कि प्रतिवादी संपादक ने शिकायतकर्ता के विरूद्ध अत्यधिक आपत्तिजनक आरोप प्रकाशित किये और उनमें प्रयुक्त भाषा भी पत्रकारिता के मानकों के अनुरूप नहीं है। जांच समिति ने पाया कि संपादक, विल्मूरासू मासिक पत्रिका ने आक्षेपित लेखों में शिकायतकर्ता के विरूद्ध आरोप उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की मंशा से लगाये और इस कारण संपादक का कार्य अवमानना की परिभाषा के अन्तर्गत आता है। यह तथ्य कि इन रिपोर्टों के तुरंत बाद प्रकाशित शिकायतकर्ता की प्रशंसात्मक रिपोर्ट दुर्भावना से लगाये आरोप होना सिद्ध करता है। जांच समिति मीडिया को स्मरण कराती है कि अवमानना पूर्ण लेखों के विरूद्ध चेतावनी स्वरूप नीतिपरक मानकों में अपेक्षा की जाती है कि समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को ऐसा कुछ प्रकाशित नहीं करना चाहिए जो किसी व्यक्ति के विरूद्ध स्पष्ट अवमाननापूर्ण या अपमानजनक हों जबतक कि पूरी सावधानी और सत्यापन नहीं कर लिया जाए, यह विश्वास करने के कारण/साक्ष्य हों कि यह सही है और इनका प्रकाशन जनहित में होगा। मौजूदा मामले में, प्रतिवादी के पास बचाव के लिये कुछ नहीं है और इस कारण रुपयों की मांग करने का आरोप भी लगा रहता है जिससे ब्लैकमेल करने का केस बनता है। जांच समिति ने परिषद से सिफारिश की कि संपादक विल्मूरासू मासिक पत्रिका पर पत्रकारिता आदर्श के मानदंडों का उल्लंघन करने और शिकायतकर्ता के विरूद्ध सुस्पष्ट अवमाननापूर्ण लेख प्रकाशित करने के लिये परिनिन्दा की जाए। उसने परिषद् से निर्णय की एक प्रति डीएवीपी, आरएनआई, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, तमिल नाडु सरकार, चेन्नै को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु जिसे वे इस मामले में उचित समझें, भेजने की सिफारिश की।

प्रेस परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और पत्रकारिता आदर्शों का घोर उल्लंघन करने के कारण संपादक, विल्मूरासू मासिक पत्रिका, चेन्नै की परिनिन्दा करने का निर्णय लिया। निर्णय की एक प्रति डीएवीपी, आरएनआई, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, तमिल नाडु सरकार, चेन्नै को आवश्यक कार्रवाई, जिसे वे इस मामले में उचित समझें, हेतु भेजी जाए।

65. **कुमारी नीलम गुप्ता**
**अलीगढ़**
**उत्तर प्रदेश**

**बनाम**

**संपादक**
**अकिंचन भारत**
**आगरा, उत्तर प्रदेश**

**संपादक**
**दैनिक हिन्दुस्तान**
**अलीगढ़, उत्तर प्रदेश**

## अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 6.6.2009 कुमारी नीलम गुप्ता, सुपुत्री श्री शंकर लाल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश द्वारा दो हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों (1) अकिंचन भारत, आगरा और (2) दैनिक हिन्दुस्तान, नई दिल्ली के विरूद्ध उनके दिनांक 9 मार्च, .2009 के अंक में शीर्षकों ''माणिक चौक के लोगों ने की युवती की शिकायत'' और ''मंदिर का विवाद थाने में पहुंचा'' से फोटोग्राफ सहित प्रकाशित कथित आपत्तिजनक समाचारों के विरोध में दायर की गई है। आक्षेपित समाचारों में यह आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता कुमारी नीलम माणिक चौक के निवासियों के लिये मुसीबतें पैदा कर रही हैं। उसने मंदिर में भगवान की एक मूर्ति तोडे जाने और किसी के द्वारा 'शिव' की मूर्ति स्थापित करने पर विवाद शुरू कर दिया। वह मंदिर की मालिक होने का दावा करती है और उसके बावा द्वारा स्थापित 'शिव' और 'हनुमान' की मूर्तियों को हटा कर नई मूर्तियां स्थापित करने के लिये इलाके के प्रत्येक व्यक्ति पर आरोप लगाती है। आक्षेपित समाचार में यह भी प्रकाशित किया गया कि इलाके के नाराज लोगों ने इस मामले की रिपोर्ट संबंधित पुलिस अधिकारियों को कर दी जिन्होंने शिकायतकर्ता से सम्पर्क किया और सदव्यवहार के लिये चेतावनी दी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आक्षेपित समाचारों को उसकी मानसिक स्थिति पर प्रश्न चिह्न लगाते हुए उसका चरित्र हनन करने के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया।

शिकायतकर्ता ने कानूनी नोटिस दिनांक 6.4.2009 दो प्रतिवादियों यथा 'अकिंचन भारत' और 'दैनिक हिन्दुस्तान' को भेजे। प्रतिवादी हिन्दुस्तान ने अपने उत्तर नोटिस दिनांक 30.4.2009 में आरोपों से इंकार किया और सूचित किया कि वह समाचार तथ्यों का उचित व पर्याप्त सत्यापन करने के बाद अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सामान्य और साधारण रूप से प्रकाशित किया गया था। दूसरे प्रतिवादी, अकिंचन भारत, ने उत्तर नहीं दिया।

प्रतिवादियों में से एक दैनिक हिन्दुस्तान ने अपने लिखित बयान दिनांक 20.7.2010 में उल्लेख किया कि विचाराधीन समाचार सामान्य और साधारण तरीके से प्रकाशित किया गया था और उससे किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेंस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि उसने शिकायतकर्ता कुमारी नीलम गुप्ता और इलाके के निवासी, जिन्होंने पुलिस में शिकायतकर्ता के विरूद्ध शिकायत दर्ज कराई थी का बयान भी

प्रकाशित किया था जो दर्शाता है कि विचाराधीन समाचार तथ्यों का उचित और पर्याप्त सत्यापन करने के बाद बिना किसी को बदनाम या ब्लैकमेल करने के इरादे से प्रकाशित किया गया था क्योंकि उन्होंने लेख के रिपोर्टर द्वारा घटना स्थल से एकत्रित पर्याप्त साक्ष्य अपने पास होने का दावा किया है।

नोटिस सेवित किये जाने के बावजूद, अन्य प्रतिवादी, अकिंचन भारत से कोई लिखित बयान प्राप्त नहीं हुआ।

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 1.6.2011 में उल्लेख किया कि दैनिक हिन्दुस्तान का उत्तर झूंठा, गुमराह करने वाला और बेबुनियाद है। उसने यह भी उल्लेख किया कि श्री धर्मेन्द्र घोटेवाल, पत्रकार उसका पड़ोसी है और उसने उसकी दीवार के पास कुछ वृक्ष लगा दिये हैं जिनसे उसकी दीवार को नुकसान हो रहा है। इस बारे में उसने श्री धर्मेन्द्र घोटेवाल के विरूद्ध थाने में शिकायत दर्ज कराई। एफआईआर की प्रति संलग्न है। श्री धर्मेन्द्र घोटेवाल जो राजस्थान पत्रिका और अलीगढ़ के कुछ और समाचारपत्रों से सम्बद्ध है, श्री भानु प्रताप सिंह, ब्यूरो प्रमुख, दैनिक हिन्दुस्तान का एक घनिष्ठ मित्र भी है। अतः श्री भानु प्रताप सिंह ने तथ्यों का सत्यापन किये बिना जानबूझकर समाचार प्रकाशित किया। प्रतिवादी ने उसके प्रति दुर्भावना और पक्षपात पूर्ण व्यवहार किया है। उसने प्रतिवादी द्वारा आरोपित सभी आरोपों से इंकार किया है।

यह मामला नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष दिनांक 18.11.2011 को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी अकिंचन भारत की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने स्वयं पेश होकर बयान दिया कि एक रिपोर्टर जो उसका पड़ोसी था, उससे द्वैष भाव रखता था, उसने यह रिपोर्ट एक अन्य रिपोर्टर को दे दी। शिकायतकर्ता ने बयान दिया कि ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई किंतु कथित समाचारपत्र ने कथित रिपोर्टर से सांठगांठ करके उसके विरूद्ध अवमानना पूर्ण समाचार प्रकाशित कराया।

श्री जाहिरूल इस्लाम लस्कर ने हिन्दुस्तान की ओर से पेश होते हुए बयान दिया कि हिन्दुस्तान ने बहुत ही छोटी और संतुलित रिपोर्ट प्रकाशित की थी, उस आक्षेपित समाचार में शिकायतकर्ता का बयान भी प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के साथ दिया फोटोग्राफ विवाद और घटना घटित होना सिद्ध करता है।

जांच समिति ने रिकार्ड पर गंभीरतापूर्वक विचार करने और पक्षों को सुनने के बाद पाया कि शिकायतकर्ता द्वारा मंदिर के ऊपर झगड़े की घटना घटित नहीं होने का दावा सिद्ध नहीं होता है क्योंकि शिकायतकर्ता ने स्वयं ही मूर्तियों में बदलाव के बाद झगड़ा होने का उल्लेख किया है। साथ प्रकाशित फोटो में स्थानीय लोग और शिकायतकर्ता पुलिस की मौजूदगी में एकत्रित दिखाई दे रहे हैं। जांच समिति ने पाया कि हिन्दुस्तान ने समाचार में ही शिकायतकर्ता का बयान भी प्रकाशित किया है, इस कारण कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

जहां तक अकिंचन भारत का संबंध है, जांच समिति ने अकिंचन भारत के संपादक द्वारा लिखित बयान दायर नहीं करने और सुनवाई में पेश नहीं होने पर अप्रसन्नता प्रकट की। जांच समिति ने पाया कि अकिंचन भारत ने मंदिर के विवाद पर समाचार प्रकाशित करते हुए शिकायतकर्ता के चरित्र और मानसिक स्थिति पर प्रश्न उठाया। जांच समिति ने यह भी पाया कि अकिंचन भारत ने शिकायतकर्ता को उत्तर पाने के अधिकार से वंचित किया, उसने संपादक, अकिंचन भारत को शिकायतकर्ता का बयान प्रकाशित करने का निदेश दिया जिसकी सूचना शिकायतकर्ता और परिषद् को दी जाए। उसने इन टिप्पणियों और निदेशों के साथ शिकायतों का निपटान करने की सिफारिश की।

प्रेस परिषद् ने मामले के अभिलेख और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार किया और तदनुसार, निर्णय लिया।

**66. श्री एम.एस. बिट्टा** **बनाम** **श्री वीरेश शंडिल्य**
**अध्यक्ष** **मुख्य संपादक**
**अखिल भारतीय आतंकवादी रोधी मंच** **दैनिक ज्योतिकण**
**नई दिल्ली** **अम्बाला**

## अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 23.8.2011 श्री एम.एस. बिट्टा, अखिल भारतीय आतंकवादी रोधी मंच, नई दिल्ली और पूर्व अध्यक्ष, भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा श्री वीरेश शंडिल्य, मुख्य संपादक, दैनिक ज्योतिकण, अम्बाला के विरूद्ध श्रृंखलाबद्ध प्रकाशित कथित अवमाननापूर्ण और आपत्तिजनक समाचारों के विरूद्ध दायर की गई है। आक्षेपित समाचारों के शीर्षक और प्रकाशन की तारीख निम्नानुसार हैं :

| क्रम सं. | शीर्षक | प्रकाशन की तारीख |
|---|---|---|
| 1 | अगर एमएस बिट्टा में दम है तो अंबाला पुलिस को लिखित शिकायत दें कि दीपक शंडिल्य नहीं है उनका पदाधिकारी मैंबर–वीरेश शंडिल्य | 18.7.2011 |
| 2 | साईकिल चोर एमएस बिट्टा में अगर दम है तो 72 घंटे में बड़ी अदालत में याचिका दायर करें कि वीरेश शंडिल्य क्रिमीनल है। | 20.7.2011 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | जैड प्लस सुरक्षा के दम पर भू–माफिया बना हुआ है साईकिल चोर बिट्टा – वीरेश शंडिल्य | 22.7.2011 |
| 4 | साइकिल चोर तुझे यही नहीं पता तूने मुझे कौन से सन में बनाया अपने फ्रंट का प्रदेशाध्यक्ष – वीरेश शंडिल्य | 26.7.2011 |
| 5 | नकली देशभक्त, फ्रॉड वा साईकिल चोर बिट्टा ने दस महीने बाद तो हरियाणा के प्रधान के साथ जम्मू कश्मीर का प्रभारी लगाया था – वीरेश शंडिल्य | 27.7.2011 |
| 6 | साईकिल चोर बिट्टा मरना चाहते हैं तो मरें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से इच्छा मृत्यु की अनुमति क्यों मांग रहे हैं ? | 2.8.2011 |
| 7 | साईकिल चोर व भू–माफिया बिट्टा लोगों को यह भी बताएं कि वीरेश शंडिल्य से उलझ कर क्रिमिनल केस में उसे जमानत करवाकर जान छुड़ानी पड़ी थी। | 5.8.2011 |

शिकायतकर्ता ने आक्षेपित समाचारों में लगाये गए आरोपों से इंकार करते हुए आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने आक्षेपित समाचारों में उसे बदनाम करने के इरादे से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, वह पिछले लगभग 35–40 वर्षों से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत है और उसने अखिल भारतीय आतंकवादी विरोधी मंच नाम से एक गैर सरकारी संगठन का गठन किया। इस मंच के पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान, श्री वीरेश शंडिल्य (प्रतिवादी) को भी एनजीओ का एक पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। किंतु प्रतिवादी की नियुक्ति के बाद, शिकायतकर्ता को शिकायतें प्राप्त हुई कि श्री वीरेश शंडिल्य उसके एनजीओ का नाम अपने निजी लाभ और गैर कानूनी लाभ के लिये प्रयोग कर रहा है। उसकी जानकारी में यह भी आया कि एनजीओ, जिसका गठन एक श्रेष्ठ उद्देश्य आतंकवाद को समाप्त करने और जनता में राष्ट्रीयता तथा देशप्रेम की भावना बढ़ाने के लिये किया गया था, को भी बदनाम किया गया। इस कारण, प्रतिवादी को कथित एनजीओ में हरियाणा राज्य के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी को हटाये जाने के कारण, उसने उसके (बिट्टा) विरूद्ध व्यक्तिगत विरोध करना शुरू कर दिया। उसने उल्लेख किया कि लोगों के मन में भ्रम पैदा करने के लिये, प्रतिवादी ने उसके एनजीओ के नाम से मिलते जुलते नाम 'भारतीय आतंकवादी विरोधी मंच' से अपने एनजीओ का गठन किया और अंबाला से प्रकाशित 'दैनिक ज्योतिकण' नाम से एक दैनिक समाचारपत्र प्रकाशित करना शुरू कर दिया जिसका वह मुख्य संपादक है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि

प्रतिवादी अपने समाचारपत्र को व्यक्तिगत विरोध के कारण उसकी प्रतिष्ठा को ठेंस पहुंचाने के लिये एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा है ।

प्रतिवादी को एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 9.9.2011 को भेजा गया। प्रतिवादी ने अपने लिखित बयान दिनांक 4.10.2011 में उल्लेख किया कि शिकायत जारी रखने योग्य नहीं है क्योंकि शिकायतकर्ता ने प्रेस परिषद् (जांच की प्रक्रिया) विनियम के विनियम 3 के तहत प्रतिवादी संपादक का ध्यान आकर्षित नहीं किया हैं। उसने उल्लेख किया कि उस पर लगाये गए सभी आरोप झूठे, वेबुनियाद और निरर्थक हैं। शिकायतकर्ता आदतन दूसरों पर झूठे आरोप लगाता है और उनकी छवि घूमिल करता है। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि उसे शिकायतकर्ता के मंच से हटाया नहीं गया था बल्कि प्रतिवादी ने यह देखने के बाद स्वयं ही सितम्बर 2002 में त्याग पत्र दे दिया था कि शिकायतकर्ता का संगठन फिजूल और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में व्यस्त है तथा एनजीओ के बहुत से कार्य अनापेक्षित व गैर कानूनी हैं।

यह मामला नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष दिनांक 18.11.2011 को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। सर्वश्री मुरारी कुमार और योगेश दिवान, एडवोकेट ने शिकायतकर्ता की ओर से पेश होते हुए बयान दिया कि शिकायतकर्ता एक प्रसिद्ध व्यक्ति है और प्रतिवादी शिकायतकर्ता के विरूद्ध अभद्र टिप्पणियां नियमित रूप से प्रकाशित करता है। प्रतिवादी आरोपों को बिना किसी आधार के लगातार आरोपित करता रहता है। शिकायतकर्ता के काउंसल ने आक्षेपित प्रकाशनों में अपमानजनक संदर्भों का उल्लेख करते हुए प्रतिवादी समाचारपत्र के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया। शिकायतकर्ता के एडवोकेट ने यह भी आरोप लगाया कि प्रतिवादी अनेक आपराधिक मामलों में संलिप्त है।

श्री वीरेश शांडिल्य, मुख्य संपादक, दैनिक हिन्दी ज्योतिकण ने बयान दिया कि शिकायतकर्ता ने एनजीओ के नाम का दुरूपयोग करके उसके विरूद्ध झूठे आरोप लगाये हैं और आक्षेपित समाचार उसकी अपनी राय थे।

जांच समिति ने रिकार्ड पर विचार करने और पक्षों को सुनने तथा जांच समिति के समक्ष चली कार्यवाही जो न केवल उग्र हुई बल्कि हिंसक भी हुई, को देखने और दोनों पक्षों द्वारा हलफनामा देने से इंकार करने कि शिकायतकर्ता और प्रतिवादी एक दूसरे पर कोई आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे और शांति बनाये रखेंगे, के बाद शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने का निर्णय लिया ।

जांच समिति ने परिषद् से ऊपर लिखे अनुसार शिकायत का निपटान करने की सिफारिश की।

प्रेस परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार किया और तदनुसार, निर्णय लिया।

**67. श्री ओम प्रकाश**
**अवर सचिव**
**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**
**भारत सरकार**
**नेशनल फार्मस्यूटिकल**
**प्राइजिम अथॉरिटी (एन.पी.पी.ए.)**
**फार्मस्यूटिकल विभाग, नई दिल्ली**

**बनाम**

**संपादक**
**मेडीकेयर न्यूज पाक्षिक**
**रोहतक, हरियाणा**

**अधिनिर्णय**

यह शिकायत दिनांक 15.2.2009 रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग, भारत सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय औषधीय मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा संपादक, मेडीकेयर न्यूज, द्वि–मासिक, रोहतक के निम्नलिखित शीर्षकों से प्रकाशित गलत, वेबुनियाद और गुमराह करने वाले लेखों के विरूद्ध दायर की गई है :

| क्रम सं. | शीर्षक | दिनांक |
|---|---|---|
| 1 | एनपीपीए एवं मूल्य निर्धारण–नए अध्यक्ष का संदेश एक प्रत्युत्तर | 30.11.2009 |
| 2 | एनपीपीए द्वारा एमडीआरओएल तथा सोल्यू मेडरॉल के मूल्य संशोधित किये | 30.12.2009 |
| 3 | एनपीपीए या उसके प्रबंधन में कुप्रबंधन–अध्यक्ष राष्ट्रीय औषधीय मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण अपनी छवि दर्शायी | 30.12.2009 |
| 4 | एनपीपीए या उसके प्रबंधन में कुप्रबंधन–अध्यक्ष राष्ट्रीय औषधीय मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण अपनी छवि दर्शायी | 15.1.2010 |
| 5 | एनपीपीए प्रबंधन या कुप्रबंधन– आदर्श या नैतिकता–झूठे या वकील | 30.1.2010 |

शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि प्रतिवादी ने प्राधिकरण को बदनाम करने के लिये इन गलत, वेबुनियाद और गुमराह करने वाले समाचारों को प्रकाशित किया। इन लेखों को प्रकाशित करने से पूर्व प्रमाणिकता को सिद्ध करने के लिये इस मामले पर प्रकाशक से बातचीत की गई। उसने अपने पत्र दिनांक 7.1.2010 द्वारा प्रतिवादी का ध्यान आकर्षित किया किंतु किसी ने भी इन लेखों को प्रकाशित करने से पहले राष्ट्रीय औषधीय मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण (एनपीपीए) से उनकी जांच पड़ताल करने का प्रयास नहीं किया। शिकायतकर्ता के अनुसार, एनपीपीए को जीवन रक्षक औषधियों के मूल्य निर्धारित और अधिसूचित करने की शक्ति प्राप्त है और वह औषधियों के उचित, युक्तिसंगत और किफायती मूल्य निर्धारित तथा अधिसूचित करके इन शक्तियों का प्रयोग करता रहा है जो सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मूल्य निर्धारण पर जारी अधिसूचनाओं की अनेक मामलों में कानून और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत के

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच किये जाने पर उन्हें उचित, न्यायसंगत और विधि सम्मत पाया गया। यद्यपि, प्रतिवादी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में दिनांक 30.12.2009 को प्रकाशित अपने लेख में अनैतिक, अप्रिय और अवमाननापूर्ण आक्षेप लगाये हैं कि 'दिल्ली उच्च न्यायालय ने ग्लैक्सो केस में जो कुछ किया उससे वह स्वयं को न केवल एनपीपीए से ऊपर दर्शाता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय तथा न्यायाधीशों ने अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल किये बिना और यह जाने बिना ही कि उनका क्या कार्य है और उनके निर्णय का उन उठाई गई आपत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, निर्णय दे दिया। उसने सरकार के मनमाफिक काम करके मामले को समाप्त कर दिया। इसके अतिरिक्त 30.12.2009 को प्रकाशित लेख में निहित आपत्तिजनक आपत्तियां/टिप्पणियां सचाई से बहुत दूर हैं और शरारतपूर्ण तथा दुर्भावपूर्ण हैं। अधिसूचना एस.ओ. सं. 685(ई) दिनांक 25.8.1999 के संदर्भ में कॉलम 4 में अनुच्छेद 13(1) में यह कहा गया है कि एनपीपीए के वर्तमान अध्यक्ष एनपीपीए के सदस्य सचिव थे और इस अधिसूचना के कारण भारी भ्रष्टाचार हुआ। शिकायतकर्ता ने इन टिप्पणियों/आपत्तियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की और स्पष्ट किया कि वर्तमान अध्यक्ष ने सदस्य सचिव, एनपीपीए के पद से दिनांक 16.4.1999 को त्याग पत्र दे दिया था और उन्होंने कथित अधिसूचना से संबंधित कोई कार्रवाई नहीं की। यह कार्रवाई ऐसी गलत सूचना देकर सचिव की छवि धूमिल करने की दुर्भावना पूर्ण इरादे से की गई। पूर्वोक्त लेख के कॉलम 1 पर अनुच्छेद 2 में अत्यधिक आपत्तिजनक टिप्पणी है जिसमें बयान दिया गया – ..... एनपीपीए के अधिकारियों द्वारा खुली लूट की जा रही है और उच्चस्थ पदाधिकारी यथा इक्नामिक टाइम्स और हिन्दुस्तान टाइम्स उनकी मुठ्ठी में हैं ..... '। इसी अनुच्छेद 2 में कॉलम 2 में यह कहा गया है, ' ..... दुःख है कि न्यायालय भी तथ्यों को देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि न्यायाधीशों के पास वास्तविक पहलुओं पर विचार करने के लिये समय नहीं होता है ..... '। शिकायतकर्ता ने उक्त लेख के कॉलम 2 के अनुच्छेद 2 पर गंभीर आपत्ति की है जिसमें कहा गया है कि, 'एनपीपीए के पूर्व–अध्यक्ष सचिव (औषधि), के पद पर रहते हुए वर्तमान अध्यक्ष भ्रष्टाचार के मुख्य सृष्टा हैं।' शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि एनपीपीए में सेवारत अनेकों व्यक्तियों की निष्ठा और कार्यप्रणाली पर वेबुनियाद आरोप लगाये गए हैं। उसने प्रेस परिषद् से अनुरोध किया है कि प्रतिवादी संपादक, मेडीकेयर न्यूज के विरूद्ध उचित आवश्यक कार्रवाई की जाए।

एक कारण बताओ नोटिस प्रतिवादी को दिनांक 14.7.2010 को भेजा गया। प्रतिवादी ने अपने लिखित बयान दिनांक 26.7.2010 में उल्लेख किया कि घोषणा से यह स्पष्ट नहीं होता है कि पदधारी राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण में सेवारत है या मंत्रालय में। घोषणा संदेह से निरापद नहीं है कि उनके द्वारा उठाये गए मुद्दे अदालत के विचाराधीन मुकदमे से संबंधित नहीं हैं क्योंकि बड़ी संख्या में याचिकाएं विभिन्न अदालतों में दायर की गई हैं। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि शिकायत सामान्य प्रकृति की है जिसमें कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि क्या गलत, वेबुनियाद और भ्रामक है। बिना साक्ष्यों के केवल बयान दे देना प्रेस की स्वतंत्रता में अनावश्यक हस्तक्षेप ही माना जा सकता है। उसने यह भी उल्लेख किया कि उसे शिकायतकर्ता का पत्र दिनांक 7.1.2010 जैसे ही मिला उसे आगामी अंक दिनांक 15.1.2010

में प्रकाशित कर दिया गया। उसके अनुसार, शिकायतकर्ता की यह आरोप लगाने वाली कोई शिकायत नहीं है कि उसके द्वारा उठाये गए मुद्दे सच नहीं हैं। उसने आरोप लगाया कि पूरी शिकायत उकसाने पर की गई लगती है। उसने विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना का सत्यापन और जांच करने के बाद ही वह लेख सार्वजनिक हित में प्रकाशित किया। उसने शिकायतकर्ता का पत्र/प्रत्युत्तर भी दिनांक 15.1.2010 को प्रकाशित किया।

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 21.9.2010 में उल्लेख किया कि प्रतिवादी संपादक ने गलत, दुर्भावनापूर्ण, वेबुनियाद और तथ्यों की गलत व्याख्या पर उठाई उसकी मूल आपत्तियों का कोई उत्तर नहीं दिया। शिकायतकर्ता ने संपादक से दिनांक 30.11.2009 और 30.12.2009 को प्रकाशित संबंधित सामग्री की प्रमाणिकता को क्रॉसचेक करने के लिये अनुरोध किया था। दुर्भाग्य से, संबंधित रिपोर्टर या संपादक तथ्यों की क्रॉस चेकिंग के लिए एनपीपीए नहीं आया। कथित लेख से इस संगठन की प्रतिष्ठा और निष्ठा को अनावश्यक रूप से अपूर्णीय क्षति हुई जो लोक हित में ईमानदारी से काम कर रहा है।

वह पत्र बहुत ही छोटे फांट में प्रकाशित किये जाने से संतुष्ट नहीं है क्योंकि पढ़ा भी नहीं जा सकता है और प्रत्युत्तर अभी भी बिना किसी कारण के यथावत आपत्तिजनक है।

प्रतिवादी संपादक ने अपने अगले उत्तर दिनांक 10.11.2010 में उल्लेख किया कि उसने शिकायतकर्ता की प्रति टिप्पणियां अपने समाचारपत्र में प्रकाशित कर दी थीं। गलत, वेबुनियाद और भ्रामक लेखों के आरोप के बारे में, प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि समाचारपत्र में जो कुछ भी प्रकाशित किया गया वह पूरे उत्तरदायित्व से किया गया। उसने कहा कि औषधियों के मूल्य निर्धारण की 70% अधिसूचनाएं बनावटी होती हैं और बनावटी मूल्य तय किये जाते हैं। शिकायतकर्ता का संगठन अपने स्वयं के दिशानिर्देशों को अनदेखा करते हुए बहुत ही मनमाने ढंग से आचरण करता है। सरकार महसूस करेगी कि शिकायतकर्ता का संगठन जो कुछ कर रहा है, पूर्णतया गलत है और सार्वजनिक हित के विरूद्ध है। संगठन में निहित स्वार्थ वाले लोग अपने हितों को सार्वजनिक हित के मुखौटे में छुपाकर जनता को वेबकूफ बना रहे हैं। शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण पूरी तरह गलत व अनुचित है तथा तथ्यों की जांच की जा सकती है। कंपनी जनता को हर प्रकार से लूट रही है किंतु एनपीपीए मूक दर्शक बना है।

यह मामला नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष दिनांक 18.11.2011 को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता पेश नहीं हुआ, प्रतिवादी संपादक ने उनके द्वारा दिये जा चुके तथ्यों के आधार पर मामले का निपटान करने का अनुरोध किया।

जांच समिति ने रिकार्ड पर विचार करने के बाद नोट किया कि सरकारी अधिकारियों, स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य संगठन/संस्थान के कार्यों और आचरण पर टिप्पणी करने के प्रेस के अधिकार के मानदंड निष्पक्ष आलोचना करने की अनुमति देते है। अतएव वे निकाय उनके कार्यों की आलोचनात्मक रिपोर्टों पर अवमानना का आरोप नहीं लगा सकते हैं। जांच समिति ने शिकायत को जारी रखना उचित नहीं समझा और शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया। तदनुसार, उसने परिषद् से सिफारिश की।

प्रेस परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा दिये गये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार किया और तदनुसार, निर्णय लिया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **68.** | **श्री लक्ष्मी वर्धन शर्मा**<br>**मुरादाबाद**<br>**उत्तर प्रदेश** | **बनाम** | **संपादक**<br>**अमर उजाला**<br>**(मुरादाबाद संस्करण)**<br>**उत्तर प्रदेश** |

**अधिनिर्णय**

इस शिकायत दिनांक 30.3.2010 में शिकायतकर्ता ने दिनांक 12.3.2010 के अंक में शीर्षकों ''रेस्टोरेंट में उच्च स्तरीय सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, रेस्टोरेंट या भूलभुलैया'' और ''रेस्टोरेंट में स्त्री–पुरूषों की अश्लील कतरनें'' से प्रकाशित कथित आपत्तिजनक, मनगढंत और अवमाननापूर्ण प्रकाशित समाचारों पर आपत्ति की हैं। आक्षेपित समाचारों में रेस्टोरेंट में चल रहे उच्च स्तरीय सेक्स रैकेट, शयनकक्षों तक जाने वाले गुप्त रास्तों, केबिनों में सीसीटीवी कैमरे और शयनकक्षों में वीडियो रिकार्डिंग करके जोड़ों को ब्लैकमेल करने की घटनाओं का जिक्र किया गया है। शिकायतकर्ता ने आक्षेपित समाचारों में बेबुनियाद और गलत आरोप लगाने पर जैसे 1. केबिन होने, 2. रेस्टोरेंट में बिस्तर, 3. रेस्टोरेंट में गुप्त मार्गों, 4. रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरे लगे होने, 5. ब्लैकमेलिंग के लिये अश्लील वीडियो रिकार्डिंग पर विशेषरूप से आपत्ति की है । शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी संपादक का इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये पत्र दिनांक 19.4.2010 भेजा किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

प्रतिवादी ने लिखित बयान दिनांक 5.10.2011 प्रस्तुत किया और कहा कि शिकायत दुर्भावना से की गई है और कानूनी रूप से कार्रवाई योग्य नहीं है। समाचार राक्स रेस्टोरेंट पर मुरादाबाद कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 11.3.2010 को छापामारी के आधार पर प्रकाशित किया गया था। रेस्टोरेंट का मालिक (शिकायतकर्ता) पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया था और घटना के बारे में एक एफआईआर आईपीसी की धारा 294 के तहत सीसी सं. 142/2010 दायर की गई थी । प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता द्वारा सीसीटीवी कैमरा और रेस्टोरेंट में ब्लू फिल्म बनाने के बारे में की गई आपत्ति को चुनौती दी और अनुरोध किया कि समाचारपत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि सीओ ने बताया था कि ब्लू फिल्म बनाने की भी संभावना हो सकती है।

जांच समिति ने नई दिल्ली में दिनांक 30.1.2012 को मामले पर सुनवाई की। शिकायतकर्ता और प्रतिवादी की ओर से श्री पी.आर. राजहंस, एडवोकेट पेश हुए। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता के विरूद्ध आईपीसी की धारा 294 के तहत एक आपराधिक मामला अदालत में लंबित है। अतः मामला न्यायालय के विचाराधीन है और जांच समिति इस मामले पर जांच नहीं कर सकती है।

प्रेस परिषद् ने जांच समिति की रिपोर्ट का अवलोकन किया और मामला न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण कार्यवाही बंद करने का निर्णय लिया।

**69. श्री नवीन एच. पांडया** **बनाम** **संपादक**
**मुम्बई** **दि इक्नॉमिक टाइम्स**
**मुम्बई**

**अधिनिर्णय**

इस शिकायत दिनांक 13.9.2010 में श्री नवीन एच. पांड्या ने दिनांक 23.7.2010 के इक्नामिक टाइम्स, मुम्बई संस्करण में शीर्षक ''एलआईसी एमएंडएम आम सभा में केशब के चयन का समर्थन कर सकती हैं''– नन्दिनी सेन गुप्ता, से प्रकाशित समाचार में शिकायतकर्ता के नाम का उल्लेख बिना उसकी जानकारी, सहमति या टिप्पणियों के संन्दर्भित करने पर आपत्ति की है। समाचार में अन्य बातों के साथ–साथ उल्लेख किया गया कि महिन्द्रा एंड महिन्द्रा को एक पूर्व कर्मचारी, नवीन पांड्या ( शिकायतकर्ता) द्वारा कुछ बाधा डाले जाने की आशंका थी जो कंपनी में अपने कार्यकाल के दौरान गंभीर कदाचार के काम अक्सर करता रहता था और वर्ष 1991 में कंपनी से उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। यह भी उल्लेख किया गया कि शिकायतकर्ता कंपनी, उसके निदेशकों और प्रबंधन को बदनाम करने के लिये कंपनी की आम सभाओं में मंच का नियमित रूप से दुरूपयोग करता था। विगत में, कंपनी ने कंपनी विधि बोर्ड में शेयरधारक (शिकायतकर्ता) के विरूद्ध एक याचिका दायर की और कंपनी के पक्ष में फैसला दिया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, इसे उसके विरूद्ध शत्रुता, दुर्भावना और नफरत बढ़ाने की मंशा से प्रकाशित किया गया क्योंकि उसने एमएंडएम लि. में कुप्रबंधन और अनुचित श्रमिक कार्यों का भण्डाफोड़ किया था।

प्रतिवादी ने लिखित बयान में उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार कंपनी के प्रवक्ता द्वारा दिया गया जिसके साथ शिकायतकर्ता का मुकदमा चला था। प्रतिवादी ने इस बात से इंकार किया कि शिकायतकर्ता का संदर्भ उसके विरूद्ध दुर्भावना या शत्रुता बढ़ाने की मंशा से प्रकाशित नहीं किया गया।

जांच समिति ने नई दिल्ली में दिनांक 20.9.2001 और दिनांक 30.1.2012 को दो बार मामले पर सुनवाई की। कोई भी पक्ष पेश नहीं हुआ। जांच समिति ने पाया कि शिकायत इस कारण खारिज करने योग्य है और तदनुसार परिषद् को सूचित किया।

प्रेस परिषद् ने जांच समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली और तदनुसार, निर्णय लिया।

**70. श्री देवराज सिंह पटेल** **बनाम** **संपादक**
**सांसद (लोक सभा)** **प्रजा ताज**
**रेवा, मध्य प्रदेश** **रेवा, मध्य प्रदेश**

**अधिनिर्णय**

यह शिकायत दिनांक 20.5.2010 श्री देवराज सिंह पटेल, सांसद (लोक सभा) द्वारा

दिनांक 4.5.2010 के **प्रजा ताज** में शीर्षक ''बिना टिकट यात्रा करते सांसद देवराज गिरफ्तार'' से प्रकाशित कथित झूठा, बेबुनियाद, दुर्वाभावनापूर्ण और अपमानजनक समाचार प्रकाशित करने के विरूद्ध दायर की गई है। आक्षेपित समाचार में यह उल्लेख किया गया था कि शिकायतकर्ता को अपनी पत्नी और पुत्री के साथ रेवा से दिल्ली विंध्य एक्सप्रेस में बिना टिकट यात्रा करते समय पकड़ा गया। आक्षेपित समाचार में यह भी कहा गया कि टीटीई ने जीआरपी अधिकारियों की सहायता से टिकट के 2,883/–रु. और बिना टिकट यात्रा करने के जुर्माना स्वरूप 1,019/– रु. वसूल किये और तब ट्रेन दिल्ली के लिये रवाना हुई। आरोप का खंडन करते हुए, शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि यह समाचार पूर्णतया झूठा, बेबुनियाद, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक हैं। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि दिनांक 4.5.2010 को उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्री के साथ रेवा से दिल्ली की यात्रा की और सतना पर उनकी पत्नी का भाई, अपनी पत्नी व पुत्री के साथ उनसे मिलने आए और उनकी बेटी इनके साथ ही रह गई। समयाभाव के कारण उन्होंने एक आधा टिकट खरीदा था। टीटीई टिकट की जांच करने आया, उन्होंने टीटीई से एक पूरा टिकट बनाने के लिये कहा किंतु उसने टिकट बनाने के बजाय उनसे 500 रु. मांगे जिसे देने से उन्होंने इंकार कर दिया। इंकार करने से टीटीई नाराज होकर उनसे विवाद करने लगा और उसने दोनों बच्चों के पूरे टिकट बना दिये और उनसे 3202/– रु. वसूल किये।

प्रतिवादी संपादक ने अपने लिखित बयान में उल्लेख किया कि यह समाचार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार चैनलों और इंटरनेट पर प्रसारित किया गया था। चूंकि समाचार रेवा से संबंधित था, इसलिये यह समाचार प्रकाशित करने से पूर्व उत्तर प्रदेश जीआरपी से बात की गई। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि कथित समाचार रेवा तथा सतना के अनेक समाचारपत्रों में भी प्रकाशित हुआ था। इन परिस्थितियों में शिकायतकर्ता यह दावा नहीं कर सकता है कि आक्षेपित समाचार गलत था और उसे केवल शिकायतकर्ता को बदनाम करने के लिये प्रकाशित किया गया था।

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों में उल्लेख किया कि प्रतिवादी ने यह उल्लेख नहीं किया कि यह किसने सत्यापित किया था कि उसे बिना टिकट गिरफ्तार किया गया।

जांच समिति ने नई दिल्ली में दिनांक 30.1.2012 को मामले पर सुनवाई की और श्री अभिषेक त्रिपाठी, शिकायतकर्ता के व्यैक्तिक सहायक, का बयान सुना। प्रतिवादी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि का बयान सुनने के बाद, जांच समिति ने पाया कि प्रेस परिषद् अधिनियम की धारा 14(1) के तहत शिकायत कार्रवाई करने योग्य नहीं है। उसने परिषद् से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया।

प्रेस परिषद् ने जांच समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली और शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 71. | **श्री नीलोतपाल बसु**<br>**सदस्य, सीपीआई(एम)**<br>**नई दिल्ली** | **बनाम** | **संपादक**<br>**दि इक्नॉमिक टाइम्स**<br>**नई दिल्ली** |

**अधिनिर्णय**

यह शिकायत दिनांक 29.01.2009 इक्नॉमिक टाइम्स में दिनांक 4–5 दिसम्बर, 2008 के अंकों में क्रमशः प्रकाशित कथित दुर्भावनापूर्ण और अवमाननापूर्ण समाचारों शीर्षक 'अब हमें ज्ञात हुआ कि आईएसआई कामरेडों से प्रेम क्यों करती है' और ''पूर्व आईएसआई ने कहा कि लेफ्ट चाहती है कि सरकार करात की बात सुने'' के विरूद्ध दायर की गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आक्षेपित समाचारों से यह प्रकट होता है कि सीपीआई(एम) के मत को आईएसआई का समर्थन प्राप्त है और समाचार इस प्रकार का है जिसमें मुम्बई में आतंकवादियों के आक्रमण के बाद पार्टी की कार्रवाई को बदनाम करने जैसा है। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि प्रतिवादी समाचारपत्र पाकिस्तान में की गई सैनिक कार्रवाई के विरूद्ध सीपीआई(एम) की आलोचना करने के लिये स्वतंत्र है, किंतु संपादकीय 'पीपल्स डेमाक्रेसी' में लेख को इस प्रकार मोड़ कर आईएसआई से जोड़ा गया है जैसेकि शीर्षक दुर्भावनापूर्ण और अवमाननापूर्ण है। शिकयतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि उसने संपादक को एक पत्र दिनांक 10 दिसम्बर, 2008 को भेजा था किंतु न तो उत्तर मिला और न ही कोई स्पष्टीकरण प्रकाशित किया गया।

प्रतिवादी ने लिखित बयान दायर नहीं किया।

जांच समिति ने नई दिल्ली में दिनांक 31.1.2012 को मामले पर सुनवाई की और पाया कि कोई भी पक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अतः उसने परिषद् से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया।

प्रेस परिषद् ने जांच समिति के कारणों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 72. | **श्री दीवान सिंह**<br>**चुनाव एजेंट**<br>**हरियाणा** | **बनाम** | **संपादक**<br>**अभी–अभी**<br>**हिसार** |

**अधिनिर्णय**

एक शिकायत दिनांक 05.10.2009 में शिकायतकर्ता (चुनाव एजेंट श्री जे.पी. डाला) ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी, अभी–अभी ने धन उगाही के लिये लोहरू विधान सभा चुनाव क्षेत्र, हरियाणा के उम्मीदवार श्री जे.पी. डाला को ब्लैकमेल करने के लिये एक प्रेरित समाचार प्रकाशित किया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि हरियाणा राज्य विधान सभा के चुनाव की घोषणा के बाद, श्री कुलदीप सिंह शयोरन (संपादक) और श्री अशोक शयोरन (संवाददाता), अभी–अभी ने उनसे सम्पर्क किया और 5,00,000/– रु. की मांग की। शिकायतकर्ता ने

श्री जे.पी. दलाल का चुनाव एजेंट होते हुए इस गैर–कानूनी मांग से इंकार कर दिया। अतः दोनों प्रतिवादियों ने श्री जे.पी. दलाल को चुनाव में नुकसान पहुंचाने के लिये प्रेरित, झूठे समाचार प्रकाशित करना शुरू कर दिये, जो निम्नप्रकार हैं :

| | | |
|---|---|---|
| 1 | सियासत – जे.पी. दलाल का चुनाव अभियान तेजी नहीं पकड़ रहा है– जे.पी. दलाल का चुनाव अभियान चापलूसों से घिरा होने के कारण प्रभावशाली नहीं है | (अंक दिनांक) 29.9.2009 |
| 2 | कांग्रेस का अधिकार किरन के सामने कुछ नहीं है | (अंक दिनांक) 3.10.2009 |
| 3 | किरन चौधरी अपने कारनामों के भंडाफोड़ होने से डर कर अपनी शांति खो चुकी हैं – कानूनी नोटिस भेजकर 'अभी–अभी' को घेरने की कोशिश | (अंक दिनांक) 4.10.2009 |
| 4 | अगले अंक में किरन चौधरी जे. पी. दलाल का हाथ ग्लोब/पैक्ट में होने के बारे में पढ़ें | (अंक दिनांक) 5.10.2009 |

प्रतिवादी ने लिखित बयान दिनांक 28.10.2009 में विज्ञापन के चुनाव पैकेज के रूप में 5,00,000/– रु. मांगने के आरोप का खंडन किया और उल्लेख किया कि उसने शिकायतकर्ता के पक्ष में बहुत सामग्री प्रकाशित की और किसी भी अन्य समाचारपत्र ने इतने समाचार प्रकाशित नहीं किये जितने उसने प्रकाशित किये।

जांच समिति ने नई दिल्ली में दिनांक 31.1.2012 को मामले पर सुनवाई की और पाया कि कोई भी पक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अतः उसने परिषद् से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया।

प्रेस परिषद् ने जांच समिति के कारणों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

**73. श्री जगदीश वर्मा**
**शिक्षा मंत्री का निजी सचिव**
**हिमाचल प्रदेश सरकार**
**शिमला**

**बनाम**

**संपादक**
**दैनिक भास्कर**
**शिमला**

## अधिनिर्णय

यह अदिनांकित शिकायत शिक्षा मंत्री के निजी सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त हुई है जो शिमला भास्कर (दैनिक भास्कर) के विरूद्ध दिनांक 26.3.2009 और 27.3.2009 को क्रमशः उनके अंकों में कथित झूठे और अवमाननापूर्ण समाचारों शीर्षक ''सचिव की मर्जी से चलती है बस'' और ''बार–बार समय बदलने पर भड़के यात्री – 7.5 पर नहीं चलने दी बस''

के विरोध में दायर की गई है। आक्षेपित समाचार में यह उल्लेख किया गया कि कुछ स्थानीय लोगों ने एचआरटीसी के प्रबंधन पर शिकायतकर्ता द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार के निजी सचिव होने के पद का दुरूपयोग करके दबाव डालकर बस का समय परिवर्तित करने के बारे में शिकायत की गई। यह भी आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता की इन हरकतों से स्थानीय लोगों में क्रोध भड़क गया।

प्रतिवादी ने अपने लिखित ब्यान दिनांक 18.1.2010 में आरोपों का खंडन करते हुए उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार उस क्षेत्र के स्थानीय निवासियों द्वारा दी गई सूचना और सही तथ्यों पर आधारित थे। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार सही तथ्यों पर आधारित थे जैसाकि क्षेत्र के स्थानीय निवासियों द्वारा जारी हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्ति में दर्शाया गया है जो शिकायतकर्ता द्वारा एचआरटीसी पर दबाव डालने और दखलन्दाजी के कारण बस के समय में बदलाव करने के बारे में है। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार सदभाव से प्रकाशित किये गये और जिनमें शिकायतकर्ता को किसी भी प्रकार से बदनाम करने की दुर्भावना नहीं थी। प्रतिवादी ने इसका भी विशेष रूप से खंडन किया कि समाचार पक्षपातपूर्ण और निन्दात्मक था।

शिकायतकर्ता ने अपने लिखित बयान दिनांक 18.2.2010 में उल्लेख किया कि प्रतिवादी द्वारा हिमाचल सड़क परिवहन निगम से उपलब्ध सूचना लेने का कोई प्रयास नहीं किया गया तथा समाचार सही तथ्यों पर आधारित नहीं था।

जांच समिति ने नई दिल्ली में दिनांक 31.1.2012 को मामले पर सुनवाई की । कोई भी पक्ष उपस्थित नहीं हुआ। यद्यपि, शिकायतकर्ता ने दस्तावेजों के आधार पर मामले का निपटान करने का अनुरोध किया। जांच समिति ने पाया कि समाचार स्थानीय जानकारी पर आधारित था और दुर्भावना प्रतीत नहीं होने के कारण प्रेस परिषद् अधिनियम की धारा 14(1) के तहत कोई कार्रवाई करना अपेक्षित नहीं लगता। जांच समिति का मत था कि मामले को खारिज कर दिया जाये।

प्रेस परिषद् ने जांच समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

**74. श्री अनिल डावरा, आईपीएस**
**पुलिस अपर महानिदेशक (सीआईडी)**
**हरियाणा**

**बनाम**

**संपादक**
**दि टाइम्स ऑफ इंडिया**
**चंडीगढ़**

## अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 22.2.2010 टाइम्स ऑफ इंडिया, चंडीगढ़ के विरूद्ध दिनांक 28.1.2010 को उनके अंक में कथित झूठे और अवमाननापूर्ण समाचारं शीर्षक ''सरिता केस में

आईजी आसानी से छूटे'' और ''डावरा द्वारा कोई निदेश नहीं'' के विरोध में दायर की गई है। आक्षेपित समाचारों में यह उल्लेख किया गया कि सीबीआई ने तत्कालीन रोहतक आईजी अर्थात शिकायतकर्ता की भूमिका पर कुछ प्रश्न किये और उसके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि शिकायतकर्ता ने आरोपों का पूरी तरह खंडन किया और उल्लेख किया कि पुलिस अधीक्षक रोहतक की टिप्पणी वाला एक पत्र है यथा ''यह अत्यधिक गंभीर मामला है। अभी तक केस दायर क्यों नहीं किया गया। कार्रवाई तुरंत शुरू की जाए और दो दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।'' उसने यह भी उल्लेख किया कि सीबीआई ने उसे यह कह कर क्लीनचिट दे दी कि जांच में ऐसा कुछ नहीं पाया गया जो दर्शाता हो कि आईजी में पीएचक्यू द्वारा कभी कोई कमी पाई गई हो।

प्रतिवादी ने अपने लिखित बयान दिनांक 7.5.2010 में उल्लेख किया कि यह तथ्यात्मक समाचार था जो सीबीआई रिपोर्ट पर आधारित था। कथित लेख/समाचार आरटीआई प्रश्न के आधार पर लिखा गया एक संतुलित लेख था और जिसमें शिकायतकर्ता को बदनाम करने वाला विद्वेषपूर्ण कुछ भी प्रकाशित नहीं किया गया जैसेकि शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया है। प्रतिवादी के एडवोकेट ने उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने जानबूझकर उसका उल्लेख नहीं किया और परिषद् को गुमराह करने और अनुकूल आदेश जारी करा लेने के इरादे से टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ अपनी मुलाकात को छिपाये रखा। उसने एक अन्य लेख ''मैंने सरिता केस में शीघ्र कार्रवाई की'' का भी उल्लेख किया जो उसके समाचारपत्र में दिनांक 30.1.2010 को प्रकाशित हुआ था जो शिकायतकर्ता के ब्यान पर आधारित था। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि ''पुलिस महानिरीक्षक, हरियाणा ने शिकायतकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा'' और उसने अपने पत्र दिनांक 20.5.2009 द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया जिसे वित्त आयुक्त, एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग, चंडीगढ़ को श्री सज्जन सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक के स्पष्टीकरण के साथ प्रेषित किया गया था और ये दस्तावेज शिकायतकर्ता के पास उपलब्ध हैं।

जांच समिति ने नई दिल्ली में दिनांक 31.1.2012 को मामले पर सुनवाई की और पाया कि कोई भी पक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अतः उसने परिषद् से मामले को खारिज करने की सिफारिश की।

प्रेस परिषद् ने जांच समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली और तदनुसार, निर्णय लिया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **75.** | **श्री आर. सदाशिवम**<br>**मदुरई**<br>**तमिलनाडु** | **बनाम** | **संपादक**<br>**दिनामलार, तमिल दैनिक**<br>**मदुरई, तमिल नाडु** |

**अधिनिर्णय**

यह शिकायत दिनांक 2.1.2010 श्री आर. सदाशिवम, मदुरई द्वारा संपादक, दिनामलार,

मदुरई के विरूद्ध झूठे और बेबुनियाद समाचारं शीर्षक ''बैंकों से कई करोड़ रुपये की ठगी की'' से दिनांक 31.12.2009 को प्रकाशित करने के विरोध में दायर की गई है। शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया कि उसने कुछ बैंकों से ऋण लिये हैं और वह उचित कारणों के आधार पर ऋण किस्तों के पुनर्निर्धारण के लिये बैंकों के साथ पत्राचार करता रहता है, उसने किसी घोखाधड़ी से इंकार किया। उसने कहा कि आक्षेपित समाचार से समाज में उसकी बदनामी हुई।

प्रतिवादी संपादक ने अपने लिखित बयान दिनांक 7.7.2010 में उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया है कि उसने बैंकों से कई ऋण लिये हैं और वह उन्हें चुकता नहीं कर पा रहा है और सिविल मुकदमे चल रहे हैं और समाचारपत्र में इन्हीं तथ्यों को प्रकाशित किया गया था।

जांच समिति ने चेन्नै में दिनांक 27.2.2012 को मामले पर सुनवाई की । नोटिस भेजने के बावजूद भी कोई भी पक्ष उपस्थित नहीं हुआ। उसने पाया कि शिकायतकर्ता भी मामले में आगे कार्रवाई नहीं कर रहा है अतः मामला खारिज किये जाने योग्य था।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट में दिये गये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

**76. श्रीमती के. जयलक्ष्मी** **बनाम** **संपादक**
**करूर जिला** **कुमुदम रिपोर्टर पत्रिका**
**तमिलनाडु** **चेन्नै**

**अधिनिर्णय**

यह शिकायत दिनांक 27.12.2010 श्रीमती के. जयलक्ष्मी, मुख्य अध्यापिका, सरकारी पेरियार ईवीआर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नोयाल, करूर, तमिल नाडु द्वारा कुमुदम रिपोर्टर, चेन्नै में उनके अंक दिनांक 28.10.2010 में ''शौचालय साफ करने के लिये कहा–मुख्य अध्यापिका–राजकीय स्कूल के विद्यार्थी क्षुब्ध'' शीर्षक से प्रकाशित कथित झूठे और अवमाननापूर्ण समाचारं के विरोध में दायर की गई है। आक्षेपित समाचार में उल्लेख किया गया कि राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के कुछ क्षुब्ध विद्यार्थियों ने सूचित किया कि मुख्य अध्यापिका, राजा लक्ष्मी (समाचार में गलत नाम दिया गया) ने उनसे स्कूल के शौचालय साफ करने के लिये कहा, यदि मना किया तो नौकरों द्वारा उन्हें पीटा जाएगा। विद्यार्थियों ने बयान दिया कि सरकारी अधिकारी उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं देते हैं। यह भी उल्लेख किया गया कि लगभग 30 व्यक्तियों को जिनमें भारतीय जनतांत्रिक युवा संघ के सदस्य भी सम्मिलित थे जिन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी, करूर के कार्यालय के सामने अपनी मांगों के लिये प्रदर्शन किया था, गिरफ्तार किया गया। यह भी उल्लेख किया कि जब रिपोर्टर ने मुख्य अध्यापिका राजलक्ष्मी जी से स्पष्टीकरण मांगने का प्रयास किया तो उन्होंने मिलने से इंकार कर दिया। यह भी उल्लेख किया गया कि तीन वर्ष पहले भी इसी प्रकार एक छात्रा को स्कूल शौचालय साफ करने के लिये बाध्य किया

गया था जिसे छात्र विद्यार्थियों के सामने घुटनों के बल खड़ा रहने की सजा दी गई थी। अपने अपमान को सहन नहीं करने के कारण उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी।

शिकायतकर्ता को दुःख है कि प्रतिवादी ने लोगों के उकसाने पर उसके कार्यकाल के अंत में उसकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाई जो स्कूल में उसकी तैनाती से प्रसन्न नहीं थे। प्रतिवादी द्वारा उनके प्रत्युत्तर को अनदेखा किया गया।

जांच समिति ने चेन्नै में दिनांक 27.2.2012 को मामले पर सुनवाई की। शिकायतकर्ता स्वयं श्री के. लोगनाथन के साथ पेश हुई। के. जयलक्ष्मी ने बयान दिया कि प्रतिवादी ने स्कूल में आये बिना ही कहानी गढ़ ली। उनकी मंशा उन्हें सेवा से निकलवाने या स्थानान्तरित करने की थी। जांच समिति ने पाया कि संपादक/कुमुदम ने लिखित बयान दिनांक 6.2.2012 में उल्लेख किया कि समाचार स्कूल में दिये धरने पर आधारित था और उसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी के बयानों को भी शामिल किया गया था। चूंकि शिकायतकर्ता के प्रत्युत्तर में एक साथी अध्यापक पर आरोप लगाये गए थे, इस कारण प्रकाशित नहीं किया गया।

जांच समिति ने मामले पर विचार किया। यह शिकायत कुमुदम रिपोर्टर पत्रिका, चेन्नै में शीर्षक ''शौचालय साफ करने के लिये कहा–मुख्य अध्यापिका–राजकीय स्कूल के विद्यार्थी क्षुब्ध'' से प्रकाशित समाचार के बारे में है। जिसमें आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता जो स्कूल की मुख्य अध्यापिका हैं, ने विद्यार्थियों से शौचालय आदि साफ करने के लिये कहा, जो इस आरोप की सत्यता का पता लगाये बिना प्रकाशित किया गया। जांच समिति ने यह भी पाया कि शिकायतकर्ता का बयान जिससे दूसरा पक्ष प्रभावित होता था, समाचार प्रकाशित करने से पहले या उसके बाद कभी भी नहीं लिया गया जो पत्रकारिता आदर्शों द्वारा अपेक्षित है कि किसी भी समाचार को प्रकाशित करने से पूर्व संबंधित पक्ष का बयान लिया जाए, इस नियम का पालन नहीं किया गया। वर्तमान केस में ऐसा नहीं किया गया। अतः जांच समिति ने परिषद् से शिकायत सही होने और प्रतिवादी संपादक की भर्त्सना या निन्दा करने की सिफारिश की क्योंकि पत्रकारिता के आदर्शों का उल्लंघन किया गया।

प्रेस परिषद् ने जांच समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली और संपादक, कुमुदम रिपोर्टर पत्रिका, चेन्नै द्वारा एक पक्षीय रिपोर्ट देने और शिकायतकर्ता को उत्तर के अधिकार से इंकार करने, पत्रकारिता के आदर्शों का उल्लंघन करने के कारण परिनिंदा करने का निर्णय लिया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **77.** | **श्री एच.एन. कृष्णामूर्ति**<br>**शिमोगा**<br>**कर्नाटक** | **बनाम** | **संपादक**<br>**वरडी साप्ताहिक**<br>**शिमोगा, कर्नाटक** |

**अधिनिर्णय**

यह शिकायत श्री एच.एन. कृष्णामूर्ति, राज्य से पुरस्कार प्राप्तकर्ता, शिमोगा, कर्नाटक द्वारा एक स्थानीय साप्ताहिक वरडी के विरूद्ध उनके 6.8.2009 के अंक में एक कथित झूठे,

बेबुनियाद और अवमाननापूर्ण प्रकाशित समाचार जिसमें उनका फोटोग्राफ भी दिया गया है, शीर्षक ''तुंग कालेज के निकट बलात्कार, हत्या ———— ? अतिथि गृह में रहस्य'' के विरोध में दायर की गई।

प्रतिवादी ने अपने लिखित बयान दिनांक 16.7.2010 में उल्लेख किया कि आक्षेपित लेख तीरथहल्ली तालुक के टुडकी के ग्रामवासियों द्वारा उपलब्ध कराई जानकारी पर आधारित था। प्रतिवादी के अनुसार, उसने शिकायतकर्ता के पुत्र के बारे में एक लेख दिनांक 14.6.2008 को प्रकाशित किया था जो रेंज वन अधिकारी, तीरथहल्ली द्वारा उसके विरूद्ध दायर एक एफआईआर के बारे में था, उस लेख से नाराज होकर शिकायतकर्ता ने उसके विरूद्ध झूठे, बेबुनियाद और अनर्गल आरोप लगाने शुरू कर दिये।

जांच समिति ने चेन्नै में दिनांक 27.2.2012 को इस मामले पर सुनवाई की। नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी कोई भी पेश नहीं हुआ। जांच समिति ने परिषद् से शिकायत को बंद करने की सिफारिश की।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद उसमें दिये गये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

**78. श्री एच.एम. महाबल भट्ट**
**अध्यक्ष**
**कसाबा व्यवसाय सेवा**
**सहकार बैंक लि.**
**शिमोगा, कर्नाटक**

**बनाम**

**संपादक**
**विधाता**
**शिमोगा, कर्नाटक**

## अधिनिर्णय

यह शिकायत दिनांक 7.9.2009 श्री एच.एम. महाबल भट्ट, अध्यक्ष, कसाबा व्यवसाय सेवा सहकार बैंक लि., तीरथहल्ली, शिमोगा जिला, कर्नाटक द्वारा विधाता, एक कन्नड़ साप्ताहिक समाचारपत्र, तीरथहल्ली, शिमोगा जिला, कर्नाटक के विरूद्ध उनके 24.6.2009 के अंक में एक कथित झूठे और अवमाननापूर्ण प्रकाशित समाचार शीर्षक ''कसावा सोसायटी में गोलमाल'' के विरोध में दायर की गई। आक्षेपित समाचार में कहा गया कि शिकायतकर्ता की सोसायटी एक प्राइवेट वित्तपोषण कर्ता के रूप में कार्य कर रही है और सोसायटी के पदाधिकारी सेवा और सहयोग का अर्थ तक नहीं जानते हैं।

संपादक, विधाता द्वारा कोई लिखित बयान दायर नहीं किया गया।

जांच समिति ने चेन्नै में दिनांक 27.2.2012 को इस मामले पर सुनवाई की। नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी कोई भी पेश नहीं हुआ। जांच समिति ने परिषद् से शिकायत को बंद करने की सिफारिश की।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद उसमें दिये गये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **79.** | **श्री एम.जी. यतीश**<br>**महासचिव**<br>**कर्नाटक राज्य प्रदूषण**<br>**नियंत्रण बोर्ड अधिकारी संघ**<br>**बैंगलूरू** | **बनाम** | **संपादक**<br>**परिसर मालिन्य**<br>**बैंगलूरू** |

**अधिनिर्णय**

यह शिकायत दिनांक 6.9.2010 श्री एम.जी. यतीश, महासचिव, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारी संघ, बैंगलूरू द्वारा संपादक, परिसर मालिन्य, बैंगलूरू के विरूद्ध उनके जुलाई 2010, अगस्त 2010, सितम्बर 2010 के अंकों में उनके फोटोग्राफ के साथ प्रकाशित झूठे, अपमानजनक और अवमाननापूर्ण लेखों के विरोध में दायर की गई। आक्षेपित समाचार में कहा गया कि शिकायतकर्ता की सोसायटी एक प्राइवेट वित्तपोषण कर्ता के रूप में कार्य कर रही है और सोसायटी के पदाधिकारी सेवा और सहयोग का अर्थ तक नहीं जानते हैं।

समाचार रिपोर्ट के अनुसार, शिकायतकर्ता दो वर्ष सदस्य सचिव बना था और आज वह भ्रष्टाचार का राजा और कनिष्ठ अधिकारियों को प्रताड़ित करने, उन्हें स्थानान्तरित करने की धमकी देने वाला बना हुआ है। इसके अतिरिक्त उसने स्थानान्तरण के द्वारा करोड़ों की सम्पत्ति इकट्ठी कर ली है।

प्रतिवादी ने कारण बताओ नोटिस दिनांक 9.12.2010 के संबंध में कोई लिखित बयान दायर नहीं किया।

जांच समिति ने चेन्नै में दिनांक 27.2.2012 को इस मामले पर सुनवाई की। नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी कोई भी पेश नहीं हुआ। जांच समिति ने परिषद् से शिकायत को खारिज करने की सिफारिश की।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद उसमें दिये गये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **80.** | **श्री एम. लक्ष्मण**<br>**संयोजक, मैसूर के**<br>**संबंधित एवं सूचित नागरिक संघ**<br>**मैसूर** | **बनाम** | **संपादक**<br>**श्रीनाथ पत्रिका**<br>**बैंगलूरू** |

**अधिनिर्णय**

यह शिकायत दिनांक 5.11.2010 उनके अंक 16–31 अक्तूबर, 2010 में ''कौन है यह

लक्ष्मण?'' (हिंदी अनुवाद) शीर्षक से अवमाननापूर्ण समाचार के विरोध में दायर की गई जिसमें उन पर चुनाव लड़ने और भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाये गए हैं।

प्रतिवादी ने कारण बताओ नोटिस दिनांक 28.12.2010 के उत्तर में कोई लिखित बयान दायर नहीं किया।

जांच समिति ने चेन्नै में दिनांक 27.2.2012 को इस मामले पर सुनवाई की। नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी कोई भी पेश नहीं हुआ। जांच समिति ने परिषद् से शिकायत को खारिज करने की सिफारिश की।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद उसमें दिये गये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

**81. श्री अब्दुल कलाम आजाद** **बनाम** **संपादक**
**कर्नाटक** **लक्ष्मीशा पत्रिका**
**कर्नाटक**

**अधिनिर्णय**

यह शिकायत दिनांक 29.9.2009 श्री अब्दुल कलाम आजाद, नेशनल गोल्ड पैलेस, शिमोगा जिला, कर्नाटक द्वारा संपादक, लक्ष्मीशा पत्रिका, कन्नड़ साप्ताहिक जो शिमोगा जिला, कर्नाटक से प्रकाशित होती है, के विरूद्ध दायर की गई है जिसमें झूठा, मनगढंत और अवमाननापूर्ण समाचार प्रकाशित करते हुए उन पर जनता से स्वर्ण आभूषण दुकान के जरिये धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है, समाचार प्रकाशन निम्नानुसार हुआ :

| क्रम सं. | शीर्षक | दिनांक |
|---|---|---|
| 1 | क्या नेशनल गोल्ड शुद्ध है.....? | 5.6.2009 |
| 2 | ग्राहकों से लेकर ''स्वर्ण सम्पत'' ग्राहकों के कानों में फूल सज्जित करने के लिये तैयार है। | 14.8.2009 |

प्रतिवादी संपादक ने अपने लिखित बयान दिनांक 28.2.2010 में आरोपों का खंडन करते हुए अनुरोध किया कि यह शिकायत दायर करने का कोई कारण नहीं है। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि जब शिकायतकर्ता ने 'स्वर्ण सम्पत' के नाम से स्वर्ण लाटरी/चिट योजना के बारे में विज्ञापन देने शुरू किये, तो उन्होंने शिकायतकर्ता को अवगत कराया कि इस प्रकार की गैर–कानूनी योजनाएं चलाने पर प्रतिबंध है और उन्हें ऐसी योजनाएं चलाने के लिये सरकारी एजेंसियों से पूर्व अनुमति लेनी होगी, किंतु शिकायतकर्ता ने यह अनुमति लिये बिना ही गैर–कानूनी लाटरी/चिट योजना शुरू कर दी।

जांच समिति ने चेन्नै में दिनांक 27.2.2012 को इस मामले पर सुनवाई की। नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी कोई भी पेश नहीं हुआ। जांच समिति ने परिषद् से शिकायत को खारिज करने की सिफारिश की।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद उसमें दिये गये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **82.** | **डॉ0 जी.एन. शिवन्ना रेड्डी**<br>**जिला स्वास्थ्य अधिकारी**<br>**करवार, कर्नाटक** | **बनाम** | **संपादक**<br>**करावली मुनजावू**<br>**करवार, कर्नाटक** |

**अधिनिर्णय**

यह शिकायत दिनांक 6.6.2011 डॉ0 जी.एन. शिवन्ना रेड्डी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, करवार (उत्तर कन्नड़), कर्नाटक द्वारा ''करावली मुनजावू'' के विरूद्ध उनके अंक दिनांक 2.6.2011 में कथित झूठा, आपत्तिजनक और अवमाननापूर्ण समाचार शीर्षक ''प्रशिक्षण के लिये आग्जिलरी नर्स मिडवाइफ (जे.एच.ए.एफ.) का चयन– डीएचओ ने कानूनों को हवा में उड़ाया'' से प्रकाशित समाचार के विरोध में दायर की गई है। आक्षेपित समाचार में यह सूचित किया गया है कि प्रशिक्षण के लिये एएनएम उम्मीदवारों का चयन करने में, डीएचओ ने नियमों की अनदेखी करके अपनी पसंद के उम्मीदवारों का चयन किया। यह भी आरोप लगाया गया कि डीएचओ, शिवन्ना रेड्डी ने राजनीतिक प्रभाव के तहत एएनकेएम उम्मीदवारों का चयन किया। यह भी आरोप लगाया गया कि डीएचओ के नेतृत्व में चयन उचित नहीं हुआ और चयन प्रक्रिया में धन के लेनदेन की संभावना भी व्यक्त की।

आक्षेपित समाचार में उनके विरूद्ध लगाये गये आरोपों से इंकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि चयन कर्नाटक सरकार और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवा, बैंगलूरू द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, किया गया और दिशानिर्देशों के अनुसार, चयन समिति का गठन किया गया और साक्षात्कार के लिये बुलाये उम्मीदवारों के सभी मूल दस्तावेजों की मानदंडों के अनुसार, जांच की गई। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि चयन पूरी तरह योग्यता एवं रोस्टर आधार पर किया गया और साक्षात्कार में उम्मीदवारों के केवल मूल प्रमाणपत्रों का सत्यापन किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने गलत सूचना दी है कि उसने उम्मीदवारों की अंतिम सूची औपचारिकताओं आदि का अनुपालन किये बिना ही तैयार कर ली। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि प्रतिवादी ने बहुत ही अधिक आपत्तिजनक सामग्री सरकार द्वारा चयन के लिये निर्धारित नियमों को जाने और सत्यापन किये बिना ही प्रकाशित कर दी। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि उसने अपने एडवोकेट के माध्यम से प्रतिवादी को एक पत्र दिनांक 6.7.2011 भेजकर लिखित माफी प्रकाशित करने का अनुरोध किया था किंतु उसका कोई उत्तर नहीं मिला। शिकायतकर्ता ने परिषद् से प्रतिवादी के विरूद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

परिषद् के कारण बताओ नोटिस दिनांक 11.8.2011 के उत्तर में, प्रतिवादी संपादक, करावली मुनजावू दैनिक ने अपने लिखित बयान दिनांक 9.9.2011 में आरोपों का खंडन करते हुए उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार सदभाव और सार्वजनिक हित में प्रकाशित किया गया था। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि आक्षेपित समाचार में कही गई बात सत्य और सही है तथा दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित है। प्रतिवादी के अनुसार, उसने आक्षेपित समाचार प्रकाशित करने से पूर्व अत्यधिक सावधानी बरती थी। प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता के आरोपों से इंकार किया कि रोशनी महाबलेश्वर चन्डेलकर उसके प्रेस रिपोर्टर की रिश्तेदार है। प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता ने उम्मीदवारों के चयन में नियमों एवं विनियमों का उल्लंघन किया और दिनांक 2.6.2011 को, मुख्य सचिव, जिला पंचारे, करवार ने शिकायतकर्ता द्वारा किये चयन पर स्टे (स्थगन) दिया और जिला पंचायत के एक उप सचिव को शिकायतकर्ता के विरूद्ध जांच करने के लिये नियुक्त कर दिया। उप सचिव ने भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया नियमों के अनुसार, संचालित नहीं की गई थी। प्रतिवादी ने सूचित किया कि वह इस समाचार पत्र पर लगाये आरोपों के लिये शिकायतकर्ता पर एक अवमानना का मुकदमा दायर करने पर विचार कर रहा है। उसने परिषद् से अनुरोध किया कि उनके समाचारपत्र के विरूद्ध अगली कार्रवाई रोक दी जाए।

जांच समिति ने चेन्नै में दिनांक 27.2.2012 को सुनवाई की जब दोनों पक्ष उपस्थित थे। शिकायतकर्ता ने स्वयं उपस्थित होते हुए बयान दिया कि उसने रोस्टर के अनुसार, चयन किया किंतु समाचारपत्र ने उसे बदनाम करने के लिये झूठा समाचार प्रकाशित किया। उसने यह भी बताया कि उसे कुछ उम्मीदवारों का चयन करने के लिये धमकियां मिलीं किंतु वह झुका नहीं और फिर आक्षेपित समाचार प्रकाशित किया गया।

श्री नागराज वी. नायक, एडवोकेट ने प्रतिवादी की ओर से पेश होते हुए बयान दिया कि उन्हें एक लिखित शिकायत मिली थी और जांच करने पर स्टे आर्डर से ज्ञात हुआ कि चयन में नियमों का उल्लंघन हुआ है। हालांकि, उसने स्वीकार किया कि शिकायतकर्ता से सम्पर्क नहीं किया गया।

जांच समिति ने श्री रेड्डी, शिकायतकर्ता और श्री नागराज, प्रतिवादी के एडवोकेट को सुना। शिकायतकर्ता द्वारा चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में, एएनएम के चयन में अनियमितता के बारे में समाचार के विरूद्ध शिकायत दायर की गई। जांच समिति ने प्रकाशित सामग्री सही थी या नहीं व क्या प्रकाशित हुआ था, पर विचार किये बिना, राय प्रकट की, कि पत्रकारिता के आदर्शों के अनुसार, अपेक्षित होता है कि जो कुछ भी सामग्री प्रकाशित करनी हो, संबंधित व्यक्ति से आरोपों के बारे में बात करना चाहिए और उसके विचार ज्ञात करने चाहिए। यदि समाचारपत्र अभी भी प्रकाशित करने का प्रस्ताव करे तो संबंधित पक्ष का बयान भी प्रकाशित करना चाहिए। मौजूदा केस में ऐसा नहीं किया गया और प्रतिवादी की लिखित शिकायत को

अनदेखा किया गया। अतएव प्रतिवादी ने पत्रकारिता के आदर्शों का उल्लंघन किया। जांच समिति ने परिषद् से संपादक, करावली मुनजावू, करवार को चेतावनी देने/भर्त्सना करने की सिफारिश की।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा उल्लिखित कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और पत्रकारिता के आदर्शों का उल्लंघन करके आक्षेपित समाचार प्रकाशित करने के लिये करावली मुनजावू की भर्त्सना करने का निर्णय लिया।

**83. श्री नित्यानंद ध्यानपीठम**
**नित्यानंदपुरी**
**बैंगलूरू, कर्नाटक**

**बनाम**

**संपादक**
**1. दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस**
**2. मिड डे**
**3. डेली न्यूज एंड एनेलिसिस**
**4. डेक्कन हेरल्ड, बैंगलूरू कर्नाटक**
**5. दैनिक जागरण, कानपुर उत्तर प्रदेश**

## अधिनिर्णय

ये शिकायतें दिनांक 12.1.2011, 22.1.2011, 12.3.2011, 8.1.2011 और 12.3.2011 नित्यानंद ध्यानपीठम, बैंगलूरू द्वारा विभिन्न समाचारपत्रों यथा दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस, मिड डे, डेली न्यूज एंड एनलिसिस, डेक्कन हेरल्ड, बैंगलूरू,कर्नाटक और दैनिक जागरण, कानपुर, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध निम्नलिखित शीर्षकों से झूठे और दुर्भावनापूर्ण समाचारों की श्रृंखला प्रकाशित करने के आरोप में दायर की गई है:

दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस

| क्रम सं. | शीर्षक | दिनांक |
|---|---|---|
| 1 | नित्या के विरूद्ध आरोप पत्र | 30.11.2010 |
| 2 | स्वामी ने निर्वाण प्राप्ति के लिये मुझे सेक्स के लिये मजबूर किया | 7.12.2010 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | नित्यानंद के पास बिडाडी आश्रम में कंडोम, शराब | 8.12.2010 |
| 4 | नित्या अपने शिष्यों के साथ अनैतिक व्यभिचार करते हैं | 10.12.2010 |
| 5 | मैंने नारको जांच कराने को चुनौती दी | 14.12.2010 |
| 6 | नित्या स्वयं को रामकृष्ण कहते हैं | 16.12.2010 |
| 7 | नित्या के शिष्यों ने मीडिया कर्मियों पर हमला किया | 17.12.2010 |
| 8 | नित्या स्वयं को 'वरदान दाता' कहते हैं | 17.12.2010 |
| 9 | नित्यानंद पर पटेल की मूवी | 22.12.2010 |

मिड–डे

| क्रम सं. | शीर्षक | दिनांक |
|---|---|---|
| 1 | नित्या ने उससे सैक्सी वस्त्र, कंडोम खरीदने को कहा | 8.12.2010 |
| 2 | स्वामी ने अपने भक्तों को प्रताड़ित किया | 9.12.2010 |
| 3 | स्वामी ने अपने शिष्यों को धमकाया और अनैतिक व्यभिचार किया | 10.12.2010 |
| 4 | ओरल सेक्स से उसकी आत्मा शरीर में वापस आ गई | 16.12.2010 |

डेली न्यूज एंड एनेलिसिस

| क्रम सं. | शीर्षक | दिनांक |
|---|---|---|
| 1 | स्वामी और राक्षस | 27.2.2011 |

डेक्कन हेरल्ड

| | | |
|---|---|---|
| 1 | डेक्कन हेरल्ड ने 3.3.2010 से 2.1.2011 तक झूठे और अवमाननापूर्ण समाचारों को श्रृंखलाबद्ध प्रकाशित किया। | |

दैनिक जागरण

| क्रम सं. | शीर्षक | दिनांक |
|---|---|---|
| 1 | हां, मैंने अनेक महिलाओं के साथ सेक्स किया : नित्यानंद | 11.3.2011 |

शिकायतकर्ता ने नित्यानंद ध्यानपीठम की ओर से आरोप लगाया कि प्रतिवादी समाचारपत्रों ने नित्यानंद के विरूद्ध अभी हाल में दायर आरोप पत्र के संबंध में झूठे और दुर्भावनापूर्ण आरोप प्रकाशित किये। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि आरोप पत्र सार्वजनिक अनुमान लगाने का कोई दस्तावेज नहीं होता है और वह केवल पुलिस की राय दर्शाता है तथा उसे मामले के वास्तविक तथ्य नहीं माना जा सकता है। शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोप पत्र दायर करना केवल आरोपों का प्रस्तुतीकरण होता है और वह अपराध का प्रमाण नहीं होता है जैसेकि मीडिया में दर्शाया जा रहा है और न ही वह अपराध स्वीकारोक्ति होता है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया परमहंस नित्यानंद को मीडिया में ऐसे दिखाया जा रहा है जैसेकि ''बेगुनाह सिद्ध होने तक अपराधी'' हैं और प्रतिवादी अनेक झूठे और अत्यधिक अपमानजनक लेख प्रकाशित कर रहे है जो उनके समाचारपत्र में लगातार प्रकाशित किये जा रहे हैं जिनका सत्य और पत्रकारिता के उत्तरदायित्वों से कोई वास्ता नहीं है। शिकायतकर्ता ने कहा कि कुछ लेख समाचारपत्रों के ऑनलाइन संस्करण में भी दिखाये जा रहे हैं जिससे नित्यानंद और संगठन की ख्याति को दूर–दूर तक नुकसान हुआ है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एक ही रिपोर्टर ये सभी घृणास्पद लेख लिख रहा है और इससे उन्हें संदेह होता है कि उसे इस कार्य से धन लाभ हो रहा होगा। शिकायतकर्ता ने कानूनी नोटिस दिनांक 12.12.2010 द्वारा प्रतिवादी संपादक का ध्यान आकर्षित किया किंतु समाचारपत्र प्रबंधन ने उसकी उपेक्षा कर दी और अभी तक अवमाननापूर्ण लेख प्रकाशित किये जा रहे हैं।

परिषद् के कारण बताओ नोटिस दिनांक 12.5.2011 के उत्तर में, प्रतिवादी मिड–डे के एडवोकेट ने अपने लिखित बयान दिनांक 17.6.2011 में शिकायतकर्ता द्वारा लगाये आरोपों से इंकार किया और उल्लेख किया कि प्रकाशित लेख सत्य तथ्यों और अधिकृत स्रोतों से प्राप्त सूचना पर आधारित हैं और वे न तो बेबुनियाद, दुर्भावनापूर्ण हैं और न ही झूठे हैं। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि प्रकाशित लेखों की विषयवस्तु स्वामी नित्यानंद को बदनाम करने वाली नहीं है। लेख उचित तथ्यों पर आधारित हैं और जांच प्राधिकारियों द्वारा दायर आरोप पत्र की विषय वस्तु का सारांश मात्र है। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि इन समाचारों को प्रकाशित करने में उनका कोई हित निहित नहीं है कि जिससे आश्रम और स्वामी नित्यानंद की प्रतिष्ठा को ठेंस पहुंचाएं।

परिषद् के कारण बताओ नोटिस दिनांक 31.5.2011 के उत्तर में, प्रतिवादी संपादक दैनिक जागरण, कानपुर के लिखित बयान दिनांक 20.1.2012 में शिकायतकर्ता द्वारा उल्लेख किया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाया प्रत्येक आरोप, कथन, विवादास्पद व अनुरोध झूठा, काल्पनिक, मनगढंत, और गलत हैं। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि शिकायत विचारणीय नहीं है क्योंकि यह पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर नहीं की गई है बल्कि यह प्रायोजित शिकायत किसी परोक्ष प्रयोजन से की गई है। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि उसने इन समाचारों को प्रकाशित करने से पूर्व सभी प्रकाशन पूर्व एहतियातों का ध्यान रखा था। उसने यह भी उल्लेख किया

कि विचाराधीन प्रश्न पर प्रकाशित समाचारों में दिये गए तथ्य जांच एजेंसी द्वारा दायर आरोप पत्र के अंश मात्र हैं और शिकायतकर्ता द्वारा इनकी सत्यता पर कोई विवाद नहीं किया गया है। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता के प्रति उनकी कोई दुर्भावना नहीं है, शिकायतकर्ता के आरोप बेबुनियाद और मनगढंत हैं। उसने अंत में कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा समाचारों में दिये तथ्यों से कोई इंकार नहीं किया गया है।

जांच समिति ने चेन्नै में दिनांक 27.2.2012 को मामले पर सुनवाई की। चूंकि शिकायतकर्ता ने पांच शिकायतें न्यू इंडिया एक्सप्रेस, मिड–डे, डेक्कन हेरल्ड, डेली न्यूज एनालिसिस और दैनिक जागरण के विरूद्ध दायर की थीं तो जांच समिति ने उन पर इकठ्ठी कार्रवाई की, शिकायतकर्ता की ओर से सुश्री निर्मला और न्यू इंडियन एक्सप्रेस की ओर से श्री दिवाकर पेश हुए। अन्य कोई प्रतिवादी पेश नहीं हुआ। शिकायतकर्ता के एडवोकेट ने बयान दिया कि समाचारपत्रों ने स्वामीजी के विरूद्ध बिना किसी प्रमाण के अवमाननापूर्ण समाचार/रिपोर्टें प्रकाशित कीं। श्री दिवाकर ने न्यू इंडियन एक्सप्रेस की ओर से पेश होते हुए प्रकाशन का बचाव किया और बयान दिया कि समाचारपत्र द्वारा प्रकाशित समाचार आरोप पत्र की विषयवस्तु पर आधारित थे।

जांच समिति ने सभी पांच शिकायतों पर विचार किया। अधिकारिता के मुद्दे पर उसने मानदंड 3(xiv) का उल्लेख किया जो निम्नानुसार हैः

> *"व्यक्तिगत आरोप/आलोचना वाले मामलों में, केवल संबंधित व्यक्ति को ही शिकायत करने का अधिकार होता है या उत्तर पाने के अधिकार का दावा कर सकता है। यद्यपि, किसी संगठन या पंथ/ग्रुप से सम्बद्ध व्यक्तियों के प्रतिनिधि संगठन को किसी प्रकाशन के विरूद्ध शिकायत करने का अधिकार होता है जिसमें उसके लीडर के आचरण की आलोचना की गई हो।"*

शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत करने के अधिकार का प्रश्न नहीं है। शिकायत को देखने से ही उसकी सत्यता या अन्यथा आरोप पत्र के अनुसार, है या नहीं, यह न्यायिक निर्णय का मामला है और उसे तब तक निरपराध माना जाएगा जब तक कि कानून के तहत उसे अपराधी घोषित नहीं कर दिया जाए। पत्रकारिता के आदर्शों के तहत अपेक्षा की जाती है कि समाचारपत्र प्रभावित पक्ष का बयान ले और प्रकाशन के बाद प्रभावित पक्ष को उत्तर का अधिकार दे। स्वामी नित्यानंद के विरूद्ध अवमाननापूर्ण समाचारों के बारे में हन शिकायतों के बचाव में यह कहा गया कि वे आरोप पत्रों पर आधारित हैं। अतः प्रतिवादी, चूंकि समाचार अभियुक्त की प्रतिष्ठा को ठेंस पहुंचाने वाली प्रकृति के हैं को उनके विचार ज्ञात करने चाहिए थे। यदि उनका बयान लेने के बाद भी समाचारपत्र अपने समाचार प्रकाशित करते तो साथ ही उनका बयान भी प्रकाशित करना चाहिए था। मौजूदा मामले में, आरोप अत्यधिक गंभीर हैं और स्वामी या उनके प्रतिनिधि के बयान भी लेना चाहिए थे तथा समाचारपत्र में प्रकाशित करना चाहिए था। अतः अभियुक्त के विरूद्ध लगाये आरोपों पर विचार किये बिना जांच समिति ने

निर्णय लिया कि एक पक्षीय समाचार देने और प्रतिपक्ष के बयान का न होना आक्षेपित समाचारों के लिये प्रतिवादियों की भर्त्सना वांछनीय है। अतएव उसने परिषद् को रिपोर्ट सौंप दी।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा उल्लिखित कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और पांच प्रतिवादियों यथा (1) दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस, (2) मिड–डे, (3) डेली न्यूज एंड एनालिसिस, (4) डेक्कन हेरल्ड, बैंगलूरू, और (5) दैनिक जागरण, कानपुर की प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 14(1) के प्रावधानों के तहत भर्त्सना करने का निर्णय लिया।

**84. श्री के. सुधाकर**
**जिला पंचायत अधिकारी**
**काकीनाडा, आंध्र प्रदेश**

**बनाम**

**संपादक**
**वरधी दैनिक**
**काकीनाडा, आंध्र प्रदेश**

**अधिनिर्णय**

यह शिकायत दिनांक 22.1.2010 श्री सुधाकर, जिला पंचायत अधिकारी, काकीनाडा द्वारा वरधी दैनिक (आंध्र प्रदेश) के विरूद्ध उनके अंक दिनांक 1.1.2010 में ''अनियमित पार्टी पर कार्रवाई क्यों नहीं'' (हिन्दी अनुवाद) शीर्षक से प्रकाशित अवमाननापूर्ण और बेबुनियाद समचार प्रकाशित करने के आरोप में दायर की गई जिसमें शिकायतकर्ता की गिरफ्तारी और बाद में जमानत पर छूटने का समाचार दिया गया। उन्होंने इंकार करते हुए कहा कि उनकी कभी गिरफ्तारी नहीं हुई और आरोप लगाया कि यह समाचार उन्हें बदनाम करने के लिये बिना किसी आधार के प्रकाशित किया गया, शिकायतकर्ता ने इस संबंध में एक पत्र दिनांक 6.2.2010 भेजा था किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने परिषद से अनुरोध किया कि प्रतिवादी के विरूद्ध कार्रवाई की जाए।

परिषद् के कारण बताओ नोटिस दिनांक 21.4.2010 के उत्तर में, प्रतिवादी संपादक, वरधी दैनिक, ने अपने अदिनांकित लिखित बयान में, जो दिनांक 17.6.2010 को प्राप्त हुआ, आरोपों से इंकार किया और उल्लेख किया कि उन्हें उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश के एक एडवोकेट से ज्ञात हुआ था कि श्री के. सुधाकर के विरूद्ध एक आपराधिक मुकदमा दायर किया गया है और उन्हें गिरफ्तार किया गया। एडवोकेट के कथन पर विश्वास करते हुए प्रतिवादी ने उसे अपने समाचारपत्र में प्रकाशित कर दिया। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि यह कथन झूठ हो सकता है किंतु सतर्कता विभाग ने शिकायतकर्ता के विरूद्ध एक शिकायत दर्ज की है और जो अभी विचाराधीन है। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि वह पिछड़ी जाति का पत्रकार है और वह उन लोगों की समस्याओं को उजागर करता है और जब उसे ज्ञात हुआ कि शिकायतकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया गया था तो उसने गलत समाचार के लिये तुरंत खेद प्रकाशित कर दिया था। प्रतिवादी ने परिषद् से मामले में आगे कार्रवाई रोकने का अनुरोध किया।

जांच समिति ने चेन्नै में दिनांक 28.2.2012 को इस मामले पर सुनवाई की। शिकायतकर्ता पेश नहीं हुआ किंतु उसने लिखित अनुरोध करके मामले में तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने का अनुरोध किया। श्री चेतन, संपादक ने प्रतिवादी की ओर से पेश होते हुए अनुरोध किया कि आक्षेपित समाचार पूरी तरह गलत नहीं था क्योंकि एक एडवोकेट ने गिरफ्तारी के बारे में बताया था। उसने आरोप वापस लेने का समाचार प्रकाशित नहीं किया। जांच समिति ने पाया कि संपादक ने बाद में खेद प्रकाशित करके किसी दुर्भावना के न होने का प्रमाण दिया। चूंकि पत्रकारिता आदर्शों के अनुपालन को सही मामलों में ध्यान में रखना चाहिए, जांच समिति का मत था कि प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 के तहत उनके विरूद्ध कार्रवाई अपेक्षित है।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद उसमें दिये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और शिकायत को अस्वीकार करने का निर्णय लिया।

**85. डॉ0 पी. सुब्बा रेड्डी**
**प्रबंध निदेशक**
**एस.वी. मेडीकल एजूकेशन्स**
**तिरूपति, आंध्र प्रदेश**

**बनाम**

**संपादक**
**इनाडू**
**हैदराबाद, आंध्र प्रदेश**

**संपादक**
**साक्षी, हैदराबाद**
**आंध्र प्रदेश**

## अधिनिर्णय

ये शिकायतें डॉ0 पी. सुब्बा रेड्डी, प्रबंध निदेशक, एस.वी. मेडीकल एजूकेशन्स, तिरूपति, आंध्र प्रदेश द्वारा संपादक इनाडू और साक्षी के संपादक के विरूद्ध दायर की गई हैं। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसने वर्ष 2008 में विंजामूर गांव में कुछ भूमि खरीदी जिसके लिए उसने पट्टाधर पासबुक के लिये आवेदन किया जिसे देने के लिये तहसीलदार कार्यालय के अधिकारी ने 7000/– रु. बतौर घूस की मांग की। कर्मचारियों के व्यवहार के कारण उसने उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा से सम्पर्क किया। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने अपना जाल बिछाया और भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया, 9.7.2009 की इस घटना को कवर करने के लिये प्रेस को भी बुलाया गया था। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि कुछ रिपोर्टरों ने उससे उसका व्यैक्तिक ब्योरा मांगा जिसे देने से उसने इंकार कर दिया और उन रिपोर्टरों से भी आपत्ति की जो उसका फोटोग्राफ ले रहे थे, किंतु किसी प्रकार कुछेक ने कुछ फोटोग्राफ ले लिये। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि 10.7.2009 को, इनाडू और उसकी पत्नी, पुत्री और गांव का नाम भी प्रकाशित किया, और साक्षी ने उसका नाम और उसके गांव का नाम प्रकाशित किया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि समाचारपत्र में उसका ब्योरा

प्रकाशित होने के कारण वह अनेक मुसीबतों का सामना कर रहा है क्योंकि वह सेवा निवृत्त है और उसे सरकारी अधिकारियों से भी निपटना पड़ता है तथा वह अपनी बेटी के विवाह के संबंध में भी कठिनाईयां झेल रहा है क्योंकि लोगों ने उसके साथ संबंध करने से मना कर दिया है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि समाचारपत्रों की गैर–जिम्मेदाराना कार्रवाई से परेशान होकर उसने 31.8.2009 को संपादक को पत्र लिख कर अनुरोध किया कि वह बिना शर्त क्षमा प्रकाशित करे।

उक्त पत्र के उत्तर में, संपादक साक्षी ने अपने एडवोकेट के माध्यम से अपने पत्र दिनांक 14.9.2009 द्वारा सूचित किया कि रिपोर्टर ने शिकायतकर्ता के फोटो की मांग नहीं की थी और इस कारण उसका इंकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके अतिरिक्त, समाचारपत्र ने ऐसा कोई समाचार प्रकाशित नहीं किया जिसे प्राइवेट या गोपनीय समझा जाए। उसने यह भी उल्लेख किया कि फोटो उस समय लिया गया जब वह तहसीलदार के साथ उसके कार्यालय में बैठा हुआ था तथा फोटो सामान्य रूप से लिये गए तथा उसने न तो कभी कोई आपत्ति की और न ही किसी समय नाराजगी प्रकट की। शिकायतकर्ता की सभी आशंकाएं काल्पनिक हैं और उसे कोई भी क्षति या नुकसान नहीं हुआ है। समाचार सार्वजनिक हित में और सदभाव से प्रकाशित किया गया था जो प्रेस की आजादी के अधिकार क्षेत्र में आता है। यदि उस समाचार से उसे कोई ठेंस पहुंची हो तो उसके लिये प्रतिवादी खेद व्यक्त करता है।

परिषद् के पत्र दिनांक 19.4.2010 के उत्तर में, प्रतिवादी संपादक, साक्षी, तेलुगू दैनिक ने अपने लिखित बयान दिनांक 10.5.2010 में आरोपों का खंडन किया और उल्लेख किया कि उसके रिपोर्टर ने शिकायतकर्ता से उसके व्यक्तिगत ब्योरों की मांग नहीं की थी और इस कारण उसका इंकार करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। उसने उल्लेख किया कि उसके समाचारपत्र में शिकायतकर्ता का फोटो और ब्योरा जिला संस्करण साक्षी दिनांक 10.7.2009 में, निजी लाभ के लिये नहीं बल्कि जनहित में प्रकाशित किया गया था। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि समाचार दिनांक 10.7.2009 में कुछ राजस्व अधिकारियों के भ्रष्टाचार से संबंधित तथ्य प्रकाशित किये गये जो उनके रिपोर्टरों को अपना व्यावसायिक काम करने के दौरान प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं और शिकायतकर्ता की टिप्पणियों का उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

परिषद् के कारण बताओ नोटिस दिनांक 19.4.2010 के उत्तर में प्रतिवादी संपादक, इनाडु ने अपने लिखित बयान दिनांक 26.5.2010 में उल्लेख किया कि शिकायत में लगाये गए आरोप झूठे और दुःखद हैं और शिकायत का कोई आधार नहीं है। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि आक्षेपित एसीबी अधिकारियों द्वारा मारे गए छापे और विंजामूर में तहसीलदार के भ्रष्ट कर्मचारियों की दिनांक 9.7.2009 को गिरफतारी, जब वे शिकायतकर्ता से घूस ले रहे थे, सच और तथ्यात्मक रिपोर्ट है। यह एक स्वीकृत सत्य है कि एसीबी अधिकारियों ने तहसीलदार तथा एक अन्य अधीनस्थ अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद प्रेस सम्मेलन बुलाया गया था। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि कान्ट्रीब्यूटर ने बताया कि समाचार एसीबी अधिकारियों द्वारा दी

गई सूचना पर आधारित था। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि पत्रकार जिसने रिपोर्ट दी थी, उसने घटना की रिपोर्ट सदभाव और सार्वजनिक हित में दी थी जिसमें एसीबी अधिकारियों द्वारा मारे गए छापे से संबंधित समाचार प्रकाशित किया गया था और समाचार के साथ शिकायतकर्ता का फोटोग्राफ केवल जनता को भ्रष्ट कर्मचारियों को पकड़वा कर भ्रष्टाचार से लड़ने के लिये प्रेरित करने हेतु दिया गया था। उसके अनुसार, समाचार का प्रयोजन उस जानकारी का प्रचार करना था और सरकारी कार्यालयों में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये जनता को प्रेरित करना था। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि न तो उसके समाचारपत्र और न ही रिपोर्टर जिसने आक्षेपित समाचार दिया था, ने कोई व्यावसायिक कदाचार किया है। प्रकाशित समाचार न तो आपत्तिजनक है और न ही अवमाननापूर्ण है। प्रतिवादी के अनुसार,, कान्ट्रीब्यूटर ने बताया कि उसने शिकायतकर्ता से उसके निजी ब्योरों की कभी मांग नहीं की क्योंकि उसका नाम और पद एसीबी अधिकारियों द्वारा पहले ही घोषित कर दिया गया था और यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता उसी मेज के साथ बैठा हुआ था जिस पर एसीबी अधिकारियों ने नकदी पकड़ी थी और पत्रकारों तथा अन्य लोगों को दिखाया गया था। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि अनेक समाचारपत्रों ने 10.7.2009 को एसीबी अधिकारियों द्वारा मारे गए छापे के बारे में समाचार प्रकाशित किया था। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने समाचार के उद्देश्य को गलत समझा तथा शिकायतकर्ता कुछ अधिक ही संवेदनशील हो गया जिससे उसने समाचार का गलत अर्थ लिया। प्रतिवादी ने परिषद् से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया।

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 9.6.2010 में प्रतिवादी के उत्तर को चुनौती देते हुए उल्लेख किया कि उनके दैनिक में समाचार उसके द्वारा ही दिया गया बताया गया है जबकि उसने किसी भी व्यक्ति को न तो अपनी पहचान और न ही अपने परिवार का ब्योरा बताया जैसेकि साक्षी में समाचार दिया गया। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि सभी कथन गलत हैं और संपादक ने उसकी अनुमति के बिना उसका फोटो उसके परिवार के विवरण के साथ अपने लाभ के लिये प्रकाशित किया न कि सार्वजनिक हित में और इस प्रकार पत्रकारिता के मानदंडों व विनियमों का उल्लंघन किया।

शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी संपादक, इनाडू के लिखित बयान पर अपनी प्रति टिप्पणियों में उल्लेख किया कि उसने उसका फोटो और परिवार का विवरण बिना किसी औचित्य और कारण के केवल उसे हानि पहुंचाने और अपने लाभ के लिये प्रकाशित किया। शिकायतकर्ता ने परिषद से प्रतिवादी को कानून के तहत दंडित करने के लिये अनुरोध किया।

जांच समिति ने चेन्नै में दिनांक 28.2.2012 को मामले पर सुनवाई की। दोनों पक्ष उपस्थित हुए। श्री आनन्द कुमार, एडवोकेट ने शिकायतकर्ता की ओर से पेश होते हुए उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता के फोटोग्राफ उसकी सहमति के बिना लेना प्राइवेसी का उल्लंघन करना है। इस प्रकार पहचान होने के कारण, शिकायतकर्ता को परेशान होना पड़ा।

श्री जी.वी.एस. जगन्नाथ राव, एडवोकेट ने इनाडू और श्री पी. सुभाष, एडवोकेट ने साक्षी के प्रतिवादियों की ओर से पेश होते हुए बयान दिया कि भ्रष्टाचार–निरोधक शाखा ने अपराधी को रंगे हाथ पकड़ा था और उन्होंने एक प्रेस सम्मेलन बुलाया और जब्त राशि प्रदर्शित की। चूंकि शिकायतकर्ता वहां मौजूद था तो वह अब अपने प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन होने का विवाद नहीं कर सकता है।

दोनों पक्षों के ब्यान सुनने और रिकार्ड पर विचार करने के बाद, जांच समिति ने पाया कि सीटी वादक के रूप, घटना स्थल पर शिकायतकर्ता की मौजूदगी समाचार में देने योग्य थी और यह आरोप लगाना कि समाचारपत्रों ने उन्हें अपने लाभ के लिये पहचाना, सही नहीं है। यदि वह प्राइवेसी चाहता था तो वह भ्रष्टाचार–निरोधक शाखा से प्रेस सम्मेलन से स्वयं को अलग रखने के लिये अनुरोध कर सकता था। इन परिस्थितियों में, जांच समिति प्रतिवादियों की दुर्भावना नहीं मानती और निर्णय दिया कि प्रेस परिषद् अधिनियम के तहत उनके विरूद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा उल्लिखित कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

**86. 1. श्री कृष्णा राव पात्रो** **बनाम** **संपादक**
**आंध्र प्रदेश** **1. आंध्र भूमि**
**2. आंध्र ज्योति**
**2. श्री रेड्डी शशि भास्कर** **3. साक्षी**
**आंध्र प्रदेश** **तेलुगू दैनिक, आंध्र प्रदेश**

**अधिनिर्णय**

यह सामान्य शिकायत दिनांक 23.11.2010 निम्नलिखित शीर्षको से प्रकाशित कथित झूठे और अवमाननापूर्ण समाचारों के विरूद्ध दायर की गई है :

| क्रम सं. | शीर्षक | समाचार पत्र व दिनांक |
|---|---|---|
| 1 | ''दो प्रेस रिपोर्टरों को परिवहन अधिकारियों को धमकी देते पकड़ा गया'' | आंध्र भूमि 26.9.2010 |
| 2 | ''हम परिवहन प्राधिकारी हैं : दो प्रेस रिपोर्टरों को विशाखा में पकड़ा गया'' | आंध्र ज्योति 26.9.2010 |
| 3 | ''पुलिस हिरासत में बोगस ब्रेक निरीक्षक'' | साक्षी 26.9.2010 |

आक्षेपित समाचारों में यह कहा गया कि इच्छापुरम के दो प्रेस रिपोर्टरों को ब्रेक निरीक्षक के रूप में कार्रवाई करते हुए पोथिना मल्लयापलेम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। आक्षेपित समाचारों के अनुसार, शिकायतकर्ताओं ने वाहन के चालक को धमकी दी और उससे 5000/– रु. वसूल किये तथा उससे रेत उतारने के लिये कहा। वाहन के चालक ने पुलिस को सूचित किया और शिकायतकर्ताओं को पुलिस हिरासत में डाल दिया गया।

शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि झूठे और बेबुनियाद समाचार प्रकाशित करके समाज, परिवार, मित्रों और सम्बन्धियों की नजरों में उनके नाम और प्रतिष्ठा को ठेंस पहुंचाई गई।

जांच समिति ने चेन्नै में दिनांक 28.2.2012 को इस मामले पर सुनवाई की। शिकायतकर्ता पेश नहीं हुआ जबकि प्रतिवादियों की ओर से श्री आर. भगवान सिंह (सलाहकार संपादक) और श्री आर. गोलू प्रसाद (एजीएम, प्रशासन) आंध्र भूमि, श्री एम. गंगाधर प्रसाद, रिपोर्टर, आंध्र ज्योति, चेन्नै और श्री ए. चन्द्र शेखर, संपादक, साक्षी की ओर से पेश हुए। प्रतिवादी ने अपने लिखित बयान भी दायर किये। हालांकि समिति ने पाया कि नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी शिकायतकर्ता पेश नहीं हुआ और समिति ने मामले पर कार्रवाई करना उचित नहीं समझा।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद उसमें दिये गये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और शिकायत को खारिज करने का निर्णय लिया।

## प्रेस और नैतिकता

**87. श्री जयंत डेका एवं अन्य**
**असम**

**बनाम**

**संपादक**
**असमिया प्रतिदिन**
**असम**

**अधिनिर्णय**

**तथ्य**

यह शिकायत (अदिनांकित) श्री जयंत डेका एवं अन्यों ने (सर्वश्री मृणाल कुमार नाथ, दिव्यज्योति सहारिया, शैलेन्द्र कुमार गोस्वामी, निरोड चौ. डेका) एडवोकेट, मंगलदई जिला अदालत, दारंग, असम ने 'असमिया प्रतिदिन' के विरूद्ध दिनांक 11.2.2010 को कंडोम के विज्ञापन 'पुरूषबल अधिक' के विरोध में की है जो महिलाओं के विरूद्ध अशलील है जैसेकि 'दि इंडीसेंट रिप्रिजेन्टेशन ऑफ वीमैन (प्राहिविसन) अधिनियम, 1986 की धारा 2(सी)' में परिभाषा दी गई है और जिससे सार्वजनिक नैतिकता को भ्रष्ट करने या हानि पहुंचाने वाला हो सकता है। (यह शिकायत माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग को भी भेजी गई है तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 17.5.2010 द्वारा परिषद् को आवश्यक कार्रवाई के लिये

भी भेजी गई है)। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि विज्ञापन में विनिर्माता का नाम और पता नहीं दिया गया था तथा समाचारपत्र के ई–संस्करण में भी यह विज्ञापन दिया गया है। उन्होंने उल्लेख किया कि किसी भी समाचारपत्र, पत्रिका में ऐसे अशालीन विज्ञापनों की अनुमति देने से लोगों की नैतिकता आहत होगी।

लिखित बयान दायर करने के लिये असमिया प्रतिदिन को एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 6.12.2010 भेजा गया था जिसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

**रिपोर्ट**

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 19.9.2011 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिये प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता पेश नहीं हुआ। श्री अशीष गुप्ता, ब्यूरो चीफ, नई दिल्ली ने प्रतिवादी की ओर से पेश होते हुए बयान दिया कि उन्होंने एक विज्ञापन प्रकाशित किया था जो अन्य सभी दैनिकों द्वारा भी प्रकाशित किया गया था। प्रतिवादी ने कहा कि वे परिषद् के निर्णय का पालन करेंगे।

जांच समिति ने आक्षेपित विज्ञापन को देखकर पाया कि प्रकाशन आदर्शों और नैतिकता के विरूद्ध था। हालांकि, उसने प्रतिवादी के आश्वासन को ध्यान में रखा और सूचित किया कि समाचारपत्र को सार्वजनिक नैतिकता और शालीनता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए क्योंकि ऐसे विज्ञापनों से युवाओं के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जांच समिति ने परिषद् से सिफारिश की, कि मीडिया को ऐसे अशलील और अभद्र विज्ञापन स्वीकार नहीं करने के लिये कहे।

**निर्णय**

प्रेस परिषद् ने रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा उल्लिखित कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **88.** | **उपायुक्त, उडूपी<br>कर्नाटक सरकार<br>बैंगलूरू** | **बनाम** | **संपादक<br>इंडिया टूडे<br>नई दिल्ली** |

**अधिनिर्णय**

उपायुक्त, उडूपी, कर्नाटक सरकार ने अपने पत्र दिनांक 16.11.2010 के साथ संपादक, इंडिया टूडे, नई दिल्ली के विरूद्ध उडूपी की महिलाओं द्वारा दायर एक शिकायत भेजी जो पत्रिका के अंक दिनांक 8.11.2010 के आवरण पृष्ठ पर ''गोवा–कोकैन तट पर सेक्स एवं माफिया – एक समय का रमणीक गोवा विश्व ड्रग तस्करी का अड्डा बन गया'' (हिन्दी अनुवाद) शीर्षक से महिला का अश्लील चित्र प्रकाशित करने के विरोध में की गई है। शिकायतकर्ता ने महिलाओं के इस प्रकार के फोटो प्रकाशित करने पर गंभीर आपत्ति की जिसमें महिलाओं को

इंसान के रूप में नहीं बल्कि वस्तु के रूप में दर्शाया जाता है। उन्होंने उल्लेख किया कि इंडिया टूडे पूरे भारत में अनेक परिवारों में पहुंचता है अतः महिलाओं का इस प्रकार से अपमान सहन नहीं किया जाना चाहिए।

परिषद् के कारण बताओ नोटिस दिनांक 29.12.2011 के उत्तर में, प्रतिवादी महाप्रबंधक (एफएंडए तथा विधि) और कंपनी सचिव, इंडिया टूडे, नई दिल्ली ने अपने लिखित बयान दिनांक 8.2.2011 में शिकायतकर्ता के आरोपों से इंकार करते हुए उल्लेख किया कि शिकायत अस्पष्ट, निरर्थक हैं और पत्रिका पर लगाये आरोपों को सिद्ध नहीं करते हैं। प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि आक्षेपित फोटोग्राफ और आवरण कहानी से संबंधित अगले पृष्ठों में दी गई सभी तस्वीरें गोवा में वास्तविक स्थिति में ली हुई हैं जहां लोग इस तरह के कपड़े पहनते हैं और आवरण पृष्ठ के लिये किसी महिला मॉडल को विशेष रूप से नहीं बुलाया गया था। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि यदि शिकायतकर्ता को कोई शिकायत है तो उसे इन अनैतिक और अवैधानिक कारगुजारियों को रोकने के लिये सरकार से शिकायत करनी चाहिए ना कि ईमानदार मीडिया को परेशान करना चाहिए जो केवल अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है और ऐसी घटनाओं का पर्दाफास कर रहा है। उसने परिषद् से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया।

जांच समिति ने चेन्नै में दिनांक 27.2.2012 को इस मामले पर सुनवाई की। नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी कोई पक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अतः समिति ने परिषद् से शिकायत को खारिज करने की सिफारिश की।

प्रेस परिषद् ने केस के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद उसमें दिये गये कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

## राष्ट्रविरोधी लेखन

**89. कर्नल संजय दीक्षित**
**कर्नल जनरल स्टाफ**
**उत्तरी कमान जीएस (आईडब्ल्यू)**
**मार्फत 56 एपीओ**

**बनाम**

**संपादक**
**ग्रेटर कश्मीर**
**श्रीनगर (जम्मू–कश्मीर)**

**अधिनिर्णय**

**तथ्य**

यह शिकायत दिनांक 19.7.2010 कर्नल संजय दीक्षित, कर्नल जनरल स्टॉफ, उत्तरी कमान जी एस (आई डब्ल्यू) मार्फत 56 ए पी ओ द्वारा 'ग्रेटर कश्मीर' श्रीनगर के विरूद्ध अपने अंक दिनांक 6.7.2010 में 'पवित्र पुस्तक', 'पवित्र युद्ध' और 'पवित्र जनता' से प्रकाशित कथित सनसनीखेज, शरारती और भड़काऊ लेखों के लिये की गई है।

शिकायतकर्ता के अनुसार निम्नलिखित आपत्तिजनक अंश हैं :

''एएफएसपीए ने सभी सैनिकों का हौसला, अपराध जैसे बलात्कार, हत्या, अपहरण आदि करने के लिये बढ़ाया है और जिन पर किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है ..... जनता में एक आम धारणा है कि कश्मीर सेनाओं के लिये स्वर्ग है और अनेक सैनिक अपने स्थानान्तरण के लिये अधिकारियों को रिश्वत देते हैं ..... उनकी पवित्र पुस्तक की एक अन्य शिक्षा 'आज्ञाकारिता' है जो वर्दीधारियों को सिखाई जाती है। कश्मीर और कश्मीरी मुस्लिम शत्रु हैं और इसलिये वे उन्हें अपने खेल खेल में मार देते हैं जैसे क्रिस्टोफर मैरिओवे गाएगा ..... वे राज्य में विशेषकर राजनीतिक प्राधिकार और राजनीतिक प्रणाली को सीधी चुनौती देते हैं, और सामान्य रूप से पूरे देश को चुनौती देते हैं कि सेना सिस्टम से ऊपर है . ..... इस पृष्ठभूमि में सेनाध्यक्ष का बयान पढ़ा जा सकता है जो भारत और कश्मीर के लिये एक दृढ़ संकेत है कि सेना किसी भी समस्या को चाहे राजनीतिक हो या अन्य, अपने तरीके से बेहतर ढंग से निपट सकती है।'' ''यह मजे की बात है कि सेना प्रमुख जिन्होंने एएफएसपीए के निरसन के लिए राजनीतिज्ञों पर टीका–टिप्पणी की, कश्मीर पर 'राजनीतिक पहल' के लिए कह रहे हैं क्या वे हमें बता सकते हैं कि किस प्रकार की राजनीतिक पहल संभव है जब उनके 'पवित्र आदमियों' ने घाटी में आतंक का प्राबल्य छोड़ दिया ।''

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि लेख सनसनीखेज, शरारती और भड़काऊ हैं और सेना पर लगाये गए आरोप पूरी तरह झूठे हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि आक्षेपित लेखों में सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करके भारतीय सेना की व्यावसायिक प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचाया है।

शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि उसने अपनी शिकायत प्रतिवादी संपादक ग्रेटर कश्मीर, श्रीनगर को 6.7.2010 को भेज दी थी किंतु उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसने परिषद् से मामले में शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

कारण बताओ नोटिस प्रतिवादी संपादक 'ग्रेटर कश्मीर' को दिनांक 1.9.2010 को भेजा गया ।

**लिखित बयान**

प्रतिवादी संपादक, ग्रेटर कश्मीर ने अपने अ–दिनांकित लिखित बयान जो परिषद् के सचिवालय में दिनांक 15.10.2010 को प्राप्त हुआ, में शिकायत में लगाये आरोपों का खंडन करते हुए उल्लेख किया कि उसके खिलाफ की गई शिकायत गलत है और उसने न ही कोई प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 का उल्लंघन किया । उसके अनुसार, वह प्रेस को दी गई आजादी संबंधी कानूनों के मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन करता है और उन अधिकारों का प्रयोग सार्वजनिक हित, विभिन्न सार्वजनिक विचारों में उचित संतुलन बनाये रखने के लिये ही करता है। कथित प्रयोजनों की दिशा में, वह विभिन्न लेखकों के वैविध्यपूर्ण विचारों को सभी पाठकों

की जानकारी में लाने के लिये स्थान देता है जिसके लिये इस संगठन को उस प्रकाशित लेख या पत्रों की विषय वस्तु से सहमत होना आवश्यक नहीं होता है तथा उसमें व्यक्त विचार या दिया गया विवरण केवल लेखक से सम्बन्ध रखते हैं। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि आक्षेपित लेख प्रो0 मोहम्मद असलम, अंग्रेजी विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा लिखा गया और उसमें दिये गए विचार और विवरण संपादक के नहीं हैं, इसके अतिरिक्त इस परिप्रेक्ष्य में दी गई विशेष सूचना ''इस संगठन का हमारे संपादकीय पृष्ठ और ऑप–एड पृष्ठ पर प्रकाशित लेख या पत्रों की विषय वस्तु से सहमत होना आवश्यक नहीं होता है, व्यक्त विचार, उल्लिखित विवरण पूरी तरह लेखक के निजी होते हैं'' प्रतिवादी ने आगे निवेदन किया कि आक्षेपित लेख प्रोफेसर मोहम्मद अस्लम, अंग्रेजी विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा लिखा गया है और इसमें दिये गये सभी विचार एवं विवरण उनके नहीं हैं, इसके अतिरिक्त चेतावनी 'यह अनिवार्य नहीं है कि संगठन लेखों की विषय वस्तु अथवा उनके ऐडिट पृष्ठ और को–एड पृष्ठ पर प्रकाशित पत्रों, व्यक्त विचारों, सहमत हो, उल्लिखित विवरण पूर्णतया लेखक का अपना होता है" समाचारपत्र के संबद्ध अंक पर लिखी होती है, पर्याप्त रूप से यह दर्शाते हुए कि ऐसे विचार जोकि लेख में दिये गये हैं, उनसे संबद्ध नहीं हैं ।

## प्रति टिप्पणियां

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांक 21.10.2010 में उल्लेख किया कि प्रतिवादी समाचारपत्र का मुंहतोड़ उत्तर प्रेस की स्वतंत्रता की आड़ में किसी कानूनी या नैतिक जिम्मेदारी से स्वयं को बचाने की कोशिश की गई है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि लेख की जिम्मेदारी अस्वीकार करके संपादकीय जबावदेयता से बचने की कोशिश के बावजूद भी, प्रतिवादी ने भारतीय प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 14 की सुस्पष्ट व्याख्या की गलत व्याख्या करने का निर्रथक प्रयास किया है और एक कार्यकर्ता की मनःस्थिति को दुर्भावपूर्वक विरोध किया गया जो समाचारपत्र का हालमार्क बना तथा वही विवाद का एक मुख्य मुद्दा बन गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आक्षेपित लेख प्रतिवादी द्वारा ईर्ष्या की भावना से प्रकाशित किया गया जिसमें संविधान के प्रावधानों और देश के कानून के अन्तर्गत काम करने वाले राज्य के सभी सुस्थापित संगठनों का उपहास और कटु आलोचना की गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, खतरनाक सेना–विरोधी विचार जिन्हें प्रतिवादी समाचारपत्र ने इतनी प्रमुखता से प्रकाशित किया, उनसे राष्ट्र विरोधी बलों को समर्थन मिलने जैसा होगा जबकि सेनाएं राष्ट्र की सुरक्षा और निष्ठा के प्रति वास्तविक दावेदार हैं अतः किसी गैर–जिम्मेदार प्रकाशक को प्रेस की स्वतंत्रता के नाम पर बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता है।

## मामला स्थगित

यह मामला नई दिल्ली में दिनांक 23.11.2010 को जांच समिति के समक्ष पेश किया गया। श्री कर्नल सुशील मान, कर्नल जीएस (IW), मुख्यालय उत्तरी कमान शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए और बयान दिया कि प्रतिवादी सेना के विरूद्ध लेख लगातार प्रकाशित कर रहा

है। श्री विशाल सेहिज पाल, एडवोकेट ने ग्रेटर कश्मीर की ओर से पेश होते हुए स्थगन के लिये अनुरोध किया क्योंकि उन्हें एक अल्प कालिक नोटिस पर ही नियुक्त किया गया है।

**तर्क**

जांच समिति के समक्ष दिनांक 18.8.2011 को सुनवाई के लिये यह मामला पेश हुआ। दोनों पक्ष उपस्थित थे। कर्नल सुशील मान ने शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित होकर बयान दिया कि प्रतिवादी समाचारपत्र ने सेना और सैनिकों के विरूद्ध अत्यधिक आपत्तिजनक समाचार प्रकाशित किया। उसने कहा कि 'ग्रेटर कश्मीर' कश्मीर घाटी में सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला समाचारपत्र है। अतः ग्रेटर कश्मीर में शीर्षक 'पवित्र पुस्तक', पवित्र युद्ध' और 'पवित्र लोग' से प्रकाशित समाचार बहुत अधिक भड़काऊ और कश्मीर के लोगों में भेदभाव करने वाला तथा प्रशासन और सेना के बीच तनाव पैदा करने वाला था। उसमें सेना की ईमानदारी और निष्ठा पर प्रश्न उठाया। उसमें कहा गया कि भारतीय सेना श्रीनगर में कानून व व्यवस्था बनाये रखने के काम में व्यस्त नहीं है और समाचार में लेखक द्वारा तथ्यों को पूरी तरह तोड़ मरोड़ कर प्रकाशित किया गया, शायद उसे जमीन हालात की जानकारी नहीं है। उसने कहा कि ऐसे मुख्य शीर्षकों से लोग कहीं कहीं भ्रमित हो जाते हैं और सुरक्षा के प्रति संदेह पैदा करती है। मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में, उसने कहा कि सेना को सैनिकों के विरूद्ध मानवाधिकार उल्लंघन की 1516 शिकायतें प्राप्त हुई और 35 शिकायतों को छोड़कर शेष सभी झूठी पाई गईं। केवल चार मामलों में जांच पड़ताल चल रही है। सेना ने आरोपियों को पदच्युत करने और उल्लंघन के दोषी अधिकारियों को सश्रम कारावास की सजा की कार्रवाई शुरू कर दी है। उसने बयान दिया कि कुछ सैनिकों की गलतियों के कारण पूरी सेना पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है। उसने आरोप लगाया कि समाचार में संपादक द्वारा प्रयुक्त भाषा और कश्मीरियों व कश्मीरी मुसलमानों को सेना के शत्रु रूप में चित्रित करना दुर्भावनापूर्ण था और जनता की नजरों में सेना की छवि को विकृत करना था। उसने प्रतिवादी के इन विचारों का भी खंडन किया कि उनका समाचारपत्र केवल सेना के उत्तरों को ही प्रकाशित करता है जो उनके अपने नहीं होते हैं।

सर्वश्री विशाल सेहीजपाल और शोयब शकील, एडवोकेट प्रतिवादी 'ग्रेटर कशमीर' की ओर से पेश हुए और बयान दिया कि समाचारपत्र सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ सदियों से प्रकाशित हो रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि कश्मीरी लोगों की यह आम शिकायत है कि सैनिक उनके साथ सहयोग नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि समाचार जिस पर शिकायत की गई है, किन्हीं प्रोफेसर मो0 असलम, अंग्रेजी विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा लिखा गया है और उसमें व्यक्त विचार और विवरण समाचारपत्र का नहीं है, इसके अतिरिक्त अस्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में विशेष चेतावनी है : ''संगठन का अपने संपादकीय पृष्ठ और साथ के पृष्ठ पर प्रकाशित लेखों या पत्रों की सामग्री से सहमत होना आवश्यक नहीं है। व्यक्त विचार, उल्लिखित विवरण पूरी तरह लेखक के अपने होते हैं'' समाचारपत्र के उस अंक में उचित स्थान पर लिखा गया है जो भलीभांति दर्शाता है कि लेख में व्यक्त विचार समाचारपत्र से संबंधित नहीं हैं। उन्होंने यह भी

उल्लेख किया कि लेख में किसी सैन्य अधिकारी विशेष को लक्ष्य नहीं बनाया गया है और यदि सेना इसका कोई खंडन देना चाहती है तो वे उसे प्रकाशित करने के लिये तैयार हैं।

## रिपोर्ट

जांच समिति ने केस के रिकार्ड और दोनों पक्षों द्वारा दिये गए मौखिक बयानों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया। उसने पाया कि प्रतिवादी ने जम्मू–कश्मीर विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर द्वारा लिखे गये लेख को प्रकाशित किया था जो प्रथम दृष्टया सेना से संबंधित, कश्मीरी जनता और सेना के बीच वैमनस्य बढ़ाने तथा घाटी में सेना की छवि को धूमिल करने वाला भी लगता है। उसका मत था कि सशस्त्र सेना विशेष अधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) वादविवाद का एक बड़ा मुद्दा है और जम्मू–कश्मीर राज्य सरकार इस अधिनियम की समीक्षा कर रही है। अतः अधिनियम के पक्ष या विपक्ष में, प्रकाशित सामग्री से असम्बद्ध होने के दावे के साथ प्रकाशित करना और उसके अनुवर्ती परिणामों से अनभिज्ञ होना रिपोर्टिंग के आदर्शों की भावना के विरूद्ध है। उसने राय दी कि कश्मीर एक अति संवदेनशील विषय है और एक गलत बयान से बड़ी परेशानी हो सकती है किंतु पूरी सेना पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है। उसका मानना है कि क्षेत्र के समाचारपत्रों को सेना द्वारा किये जा रहे कल्याणकारी उपायों, अच्छे कार्यों और की जा रही सेवा को देखना चाहिए और उन्हें प्रकाशित करना चाहिए। इसके साथ ही, सेना को लोगों का विश्वास जीतने के लिये अपने कार्यों में पारदर्शिता रखनी चाहिए और मानवाधिकारों पर अपने कार्यों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिये मीडिया का प्रयोग करना चाहिए। यह अति आवश्यक है कि ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों के लोगों और सेना के बीच सम्पर्क बना रहना चाहिए ताकि कोई भी अपने विचारों को बिना भय के व्यक्त कर सके।

अतः जांच समिति ने राय व्यक्त की, कि घाटी के समाचारपत्रों का एक विशेष कार्य है कि सेना, प्रशासन और जनता के बीच संवाहक बनें। समाचारपत्र ऐसा कुछ भी लेख या किसी व्यक्ति विशेष के विचारों को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं जिसका प्रभाव विभिन्न प्राधिकरणों और जनता के बीच सम्बंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और जिससे विश्वास की मूल भावना ही छिन्न भिन्न हो जाए, पूरे सिस्टम पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है, जांच पड़ताल के मामलों से सम्बद्ध सैनिकों का ब्योरा और जांच पूरी होने के बाद, अनुकरणीय सजा दिये जाने पर, प्रकाशित किया जा सकता है। अतएव ऐसे किसी भी प्रकाशन को सुधार के उत्तरदायित्व में भागीदारी करनी चाहिए और यह सलाह दी जाती है कि प्रतिवादी समाचारपत्र को दोनों सिरों के बीच संतुलित विचार रखने चाहिए, लेखों को अपने यहां प्रकाशित करने से पहले उनके प्रभावों का विश्लेषण किया जाए। जांच समिति ने पाया कि प्रतिवादी ने अपने मौखिक बयानों में सेना का खंडन प्रकाशित करने के लिये अपनी इच्छा व्यक्त की। अतः जाँच समिति ने प्रतिवादी समाचारपत्र को सेना का खंडन प्रकाशित करके उससे जनता को परिचित कराने के लिये सूचित किये जाने की सलाह दी । तदनुसार, उसने परिषद् से चेतावनी नोट के साथ सिफारिश की, कि समाचारपत्र 'ग्रेटर कश्मीर' को अपनी रिपोर्टिंग में अधिक सावधानी बरतनी होगी हालांकि वर्तमान मामले में ऐसी कोई दुर्भावना सिद्ध नहीं हुई।

**निर्णय**

प्रेस परिषद् ने मामले के रिकार्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति द्वारा उल्लिखित कारणों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, निर्णय लिया।

**90. श्री डी. वेंकटेसन बनाम संपादक**
**चेन्नै आउटलुक**
**नई दिल्ली**

**अधिनिर्णय**

यह शिकायत श्री डी. वेंकटेसन द्वारा आउटलुक के विरूद्ध उनके 24 अगस्त, 2009 के अंक के आवरण पृष्ठ पर शीर्षक ''स्वीट 62'' – स्वतंत्रता दिवस विशेषांक जिसमें राष्ट्रीय ध्वज को कामुक और अभद्र ढंग से दर्शाने के साथ–साथ अर्ध नंगी महिलाओं जो भगवा रंग की चोली, हरे रंग का अंडरवियर और जो सफेद नाड़े से बंधा हुआ है, पहने हैं तथा पेट के मध्य भाग में अशोक चक्र बना हुआ है, आउटलुक के आवरण पृष्ठ पर राष्ट्रीय ध्वज की प्रतीक बनी हैं, पर आपत्ति की गई है। वह प्रतिवादी के इस कार्य से अपमानित अनुभव कर रहा है।

प्रतिवादी ने कारण बताओ नोटिस दिनांक 18.10.2010 का उत्तर नहीं दिया।

जांच समिति ने चेन्नै में दिनांक 27.2.2012 को इस मामले पर सुनवाई की जब केवल श्री डी. वेंकटेसन, शिकायतकर्ता जयलक्ष्मी दिनकर के साथ उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता ने बयान दिया कि राष्ट्रीय ध्वज को दो हिस्से की बिकनी में दो–तीन लड़कियों को आपत्तिजनक स्थिति में दर्शाना देश के लिये लज्जाजनक है।

जांच समिति ने शिकायत पर विचार करने के बाद पाया कि समाज के बदलते मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, स्वतंत्रता दिवस विशेषांक में आउटलुक की आक्षेपित प्रस्तुति अनुचित थी और उसे वरिष्ठ व्यक्तियों जैसे शिकायतकर्ता की भावनाओं का ध्यान रखते हुए इन कार्यों से परहेज करना चाहिए था। जांच समिति ने कहा कि पत्रिका को अब आगे ऐसे प्रकाशनों से बचना चाहिए क्योंकि उनसे आम लोगों की भावनाओं को ठेंस पहुंचती है, विशेषकर विशेष महत्व के अवसरों पर। जांच समिति ने प्रतिवादी द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर नहीं देने पर गहरी अप्रसन्नता भी प्रकट की। इन टिप्पणियों के साथ मामले को बंद किया गया और दोनों पक्षों तथा सामान्य मीडिया को भी सूचित करने के लिये कहा।

प्रेस परिषद् ने जांच समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली और तदनुसार, निर्णय लिया।

❑